

जागृति ग्रन्थ माला

(२)



आर्य-सत्याग्रह

लेखक:—

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

(सम्पादक— "दैनिक विश्वमित्र", नई दिल्ली)

दयानन्दाब्द ११६

दिवाली १६६६

८ नवम्बर १९४२

मूल्य २।।)

[ढाक वयय सहित ३)]

प्रकाशक:—

श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार

गीता विज्ञान कार्यालय,

४० ए हजुमान रोड, नई दिल्ली ।

मूल्य २।।)

[डाक व्यय सहित ३)]

मुद्रक:—

अर्जुन प्रैस,

श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली ।

आर्य जनता की सेवा में
लेखक की
श्रद्धांजलि सहित



“त्वदीयं वस्तु गोविन्द !
तुभ्यमेव समर्पये।”



परिचय

आर्यसमाज के इतिहास में आर्य सत्याग्रह की अमर कहानी सुनहरी अक्षरों में लिखी जाने के योग्य है। यह काफ़ी पहिले लिखी जानी चाहिये थी। अधिक अच्छा होता यदि सत्याग्रह में रमे हुये किसी अधिकारी की लेखनी से यह लिखी गई होती। लेखक को स्वप्न में भी यह न सूझा था कि आर्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान की इस अमर कहानी को लिखने और प्रकाशित करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। लेकिन, इसके लिखे जाने और प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता वह अवश्य अनुभव करता था। कुछ आर्य नेताओं से चर्चा हुई। 'जो बोले सो कुण्डा खोले' वाली बात हुई। उसके प्रकाशित किये जाने के लिए किए गए आग्रह का परिणाम यह हुआ कि उसी के कंधों पर यह भार लाद दिया गया। सार्वदेशिक

आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से लिखा गया इतिहास और उसके लिए जुटाई गई सामग्री के सम्पादन एवं प्रकाशन करने का कार्य लेखक ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन, उस सामग्री को देखने के बाद पता चला कि उसको नये सिरे से ही लिखना होगा। उसके लिए काफी समय चाहिये था। अपेक्षा एवं कल्पना से कहीं अधिक समय देने की आवश्यकता थी। यह कार्य लेखक को आज से एक वर्ष पहिले, गत वर्ष के श्रावणी पर्व पर मनाये गए सत्याग्रह के दूसरे विजय महोत्सव पर, पूरा कर देना चाहिये था। लेकिन, वह इस वर्ष भी, इस महोत्सव के लगभग दो मास बाद, पूरा किया जा सका है। गत वर्ष इन्हीं दिनों में लेखक को दैनिक 'हिन्दुस्तान' से छुट्टी लेकर 'दैनिक विश्वमित्र' का कार्यभार संभालना पड़ गया। नये दैनिक का शुरू करना, चलाना और जमाना काफी झंझट का काम था। उसमें उलझने के बाद इसके लिए समय निकालना कठिन हो गया। स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज के साथ बार बार किये गए वायदों को भी पूरा नहीं किया जा सका। पन्द्रह दिन का समय निकाल कर इसी काम में रम जाना भी सम्भव न हुआ। लेकिन, आर्य नेताओं को दिए गये वचन की पूर्ति करना आवश्यक था। आज किसी प्रकार उस वचन को पूरा करने में लेखक सफल हुआ है। लेकिन, इस इतिहास को सुन्दर, आकर्षक एवं उपयोगी बनाने में वह सफल हुआ है कि नहीं;—

—इसका निर्णय तो आर्य जनता को करना है। उसे इतना ही सन्तोष है कि तुलसीदासजी ने जैसे राम की अमर गाथा लिख

कर अपने को कृतार्थ कर लिया, वैसे ही आर्य वीरों की इस अमर कहानी को लिखने का सौभाग्य प्राप्त करके, वहती गङ्गा में गोता लगाकर, वह कृतार्थ हो गया ।

आधुनिक विज्ञान से चित्र-कला इतनी उन्नत हो गई है कि चित्र-चित्रण का कार्य काफी आसान हो गया है । लेकिन, चरित्र-चित्रण और इतिहास-लेखन की कला इतनी उन्नत हो गई है कि साधारण लेखक के लिए उसमें हाथ डालना कठिन हो गया है । चरित्र-चित्रण की अपेक्षा भी इतिहास-लेखन कहीं अधिक कठिन है । अतीत की अपेक्षा वर्तमान का इतिहास लिखना कुछ आसान होने पर भी कठिन इस लिये है कि उसमें लेखक का दायित्व बहुत बढ़ जाता है । लेखक ने इस कठोर कार्य को हाथ में लेकर इस दायित्व को सचाई एवं ईमानदारी के साथ पूरा करने का यत्न करते हुये घटनाओं को अपने असली रूप में पेश करने का यत्न किया है । यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहने दी गई । इसमें कमियां अनेक हैं । कुछ कमियां ऐसी भी हैं, जो आसानी के साथ दूर की जा सकती थीं । उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न आर्य-समाजों तथा अन्य संस्थाओं के कार्य का व्यौरा है । यह हमारे संगठन और कर्तृत्व शक्ति की कितनी बड़ी खामी है कि अनेक संस्थाओं और समाजों ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अनुरोध पर भी अपने यहां के कार्य की रिपोर्ट भेजने का कष्ट नहीं उठाया । चाहिये तो यह था कि प्रतिनिधि सभायें अपने अपने प्रान्त का पूरा व्यौरा इकट्ठा करतीं । आर्य प्रादेशिक प्रति-

निधि सभा और आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने जो रिपोर्टें प्रकाशित की हैं अथवा १९३६ की वार्षिक रिपोर्टों में इस विषय की जो चर्चा की है, वह इतिहास की ही नहीं; बल्कि रिपोर्ट की दृष्टि से भी सर्वथा अपर्याप्त है। इसलिये सत्याग्रह यज्ञ में आहुतियों का आठवां अध्याय जितना सुन्दर और पूर्ण बन सकता था, उतना नहीं बनाया जा सका। अनेक महत्वपूर्ण स्थानों की काफी प्रसिद्ध एवं प्रमुख आर्यसमाजों के कार्य की रिपोर्टें भी नहीं दी जा सकीं। इसी प्रकार की कुछ और कमियां भी हैं, जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकी। पञ्जाब प्रान्त की राजधानी लाहौर की एक प्रमुख आर्यसमाज ने अपने कार्य की रिपोर्ट पत्र लिखने के लगभग एक मास बाद तब भेजने की कृपा की, जब कि वह अध्याय छप चुका था। अपने संगठन की इस कमी की ओर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिये और इस बारे में कुछ अधिक जागरूक, सावधान एवं सचेष्ट होने का हमें यत्न करना चाहिये। यह प्रकाशन का युग है। आर्यसमाज ने प्रकाशन के महत्व को एकदम ही सुला दिया है। अपने समारोहों, सम्मेलनों, सभाओं और उत्सवों की रिपोर्टों के लिखने या प्रकाशित कराने की कुछ भी आवश्यकता हमें अनुभव नहीं होती। सुवर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली आर्य सत्याग्रह की इस कहानी के प्रति भी हमारा यही उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा। दूसरी ओर इसके विरुद्ध कम से कम पौन दर्जन पुस्तकें अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू आदि भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी हैं। इनमें आर्य सत्याग्रह और आर्यसमाज की आलोचना ही नहीं की गई;

बल्कि बहुत बुरी तरह उपहास किया गया है, कुछ गन्दे आक्षेप किये गये हैं और उनको बदनाम करने में कुछ भी उठा नहीं रखा गया। उनके लिखने और प्रकाशित करने में काफी मेहनत की गई है और खर्च भी खूब किया गया है। हमारी ओर से उनका उत्तर देना तो दूर रहा;—आर्य सत्याग्रह का यह इतिहास भी तीन वर्षों के बाद आज प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे 'पूर्ण' कहने में संकोच होता है। अमरशहीद पण्डित लेखरामजी के अन्तिम शब्द थे कि "आर्यसमाज की लेखनी कभी बंद न हो।" लेकिन, आज यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यसमाज की लेखनी समय के स्वरूप, प्रवाह एवं आवश्यकता के अनुसार काम कर रही है। आर्यसमाज का अपना कोई दैनिक पत्र तो है ही नहीं; जो साप्ताहिक किंवा मासिक पत्र हैं, उनका धरातल सम्पादक-कला के आज के धरातल की तुलना में कितना नीचे है—यह चर्चा करने का नहीं; बल्कि अनुभव करने का विषय है। सामयिक प्रकाशन के महत्व को ठीक ठीक न आंक कर उसकी उपेक्षा किया जाना भी एक कारण है, जिससे इसके प्रकाशन में इतनी देरी हुई और इसको इतना पूर्ण नहीं बनाया जा सका। क्या आर्य नेताओं और आर्य जनता का ध्यान इस अभाव की पूर्ति की ओर जायगा ?

लेखक ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्राप्त हुई सामग्री का पूरा उपयोग किया है। स्वर्गीय श्री रामप्रसादजी और पं० गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय की देखरेख में पं० विद्यानिधिजी सिद्धान्तालङ्कार ने इस इतिहास के लिए सामग्री जुटाने और

[च]

उसे लिखने का यत्न किया था। प्रस्तुत इतिहास अधिकतर उसी सामग्री के आधार पर तय्यार किया गया है, इस लिये इसका समुचित श्रेय इन महानुभावों को निश्चय ही दिया जाना चाहिये। लेखक उनका हृदय से आभारी है। मान्यास्पद पं० गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय और स्वर्गीय श्री राम-प्रसादजी की सेवाओं का उल्लेख पुस्तक में नहीं किया जा सका। उपाध्यायजी हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्, अनेक ग्रन्थों के सुयोग्य लेखक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मङ्गलाप्रसाद-पारितोषक के विजेता और आर्यसमाज के माने हुये कर्मठ नेता हैं। आप युक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान हैं। सत्याग्रह के शुरू में आप शोलापुर में रहे और वहाँ के कार्यालय की व्यवस्था का कार्य आप के हाथों में रहा। बाद में दिल्ली आकर आपने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय का कार्य संभाला। सत्याग्रह के सम्बन्ध में आपने दर्जनों लेख लिखे। निजाम राज्य की ओर से प्रकाशित 'सफेद पत्र' का आपने बहुत ही सुन्दर और युक्ति-युक्त उत्तर लिखा। स्वर्गीय रामप्रसादजी बहुत पुराने और प्रसिद्ध आर्यसमाजी पत्रकार हैं। पञ्जाबकेसरी लाला लाजपतरायजी के साथ आपने वर्षों कार्य किया। उनके सुप्रसिद्ध 'बन्देमातरम्' दैनिक की सफलता में आपका भी बड़ा हाथ था। आपने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में रह कर महीनों कार्य किया और उसके प्रकाशन का कार्य अधिकतर आपकी ही संरक्षकता में हुआ।

निजाम राज्य की ओर से यह प्रचार बहुत जोरशोर से निरन्तर किया गया है कि आर्य सत्याग्रह को निजाम राज्य की जनता का कुछ भी समर्थन अथवा सहयोग प्राप्त न था और वह बाहर वालों का ही शुरू किया हुआ था। इसकी चर्चा यथास्थान की गई है। लेकिन, यहां यह लिखना आवश्यक है कि आर्य सत्याग्रह का वीजारोपण निजाम राज्य के आर्यसमाजियों ने ही किया था और उसका श्रीगणेश भी इस सत्याग्रह से पहिले १९३८ के अक्तूबर मास में 'आर्य रक्षा समिति' के नाम से किया जा चुका था। पण्डित देवीलाल जी ओझा ने मुही बाजार में लगभग चार हज़ार की उपस्थिति में इस सत्याग्रह की घोषणा यह कहते हुये की थी कि "अपने धर्म के लिये जेल जाना कोई बुरी बात नहीं। अब हमारे उद्धार का मार्ग केवल अहिंसात्मक सत्याग्रह और कृष्ण मन्दिर की यात्रा है।" पं० मुन्नालाल जी मिश्र ने निम्न लिखित वक्तव्य पढ़कर सुनाया था कि "आर्य-समाजियों पर अधिकारियों की ओर से जो अत्याचार हो रहे हैं और उनके विरुद्ध जो भूटे हत्या तक के मुकद्दमे चलाये जाते हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान कई वार खींचा जा चुका है। लेकिन, सरकार ने कोई सुनाई और प्रबन्ध नहीं किया। हाल ही में मुदखेड़ आर्यसमाज के मन्त्री का सिर्फ हवन कुण्ड बनाने पर चालान किया गया और उसे सजा भी दे दी गई। ऐसी घटनाओं के निवारणार्थ निम्न सज्जनों की एक कमेटी 'आर्य रक्षा समिति' के नाम से स्थापित की जाती है। इसका सम्बन्ध यहां के आर्यसमाजों अथवा उनकी शाखाओं से नहीं है।

इसका उद्देश्य आला हजरत बन्दगान अली बहादुर की छत्र-छाया में हर व्यक्ति को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराना है। इसकी प्राप्ति के लिये जिस उपाय की योजना की जायगी, उसका आधार सत्य, अहिंसा एवं शान्ति होगा। इस कमेटी का किसी क्रिके या गिरोह से न द्वेष है और न है विरोध; बल्कि सब में प्रेमभाव पैदा करने की इसकी इच्छा है।” पं० देवीलाल जी ओझा इसके सभापति, पं० मुन्नालाल जी मिश्र उपसभापति, श्री सदाशिवराव मन्त्री और श्री देवीय्या, श्री राजैय्या और श्री मनमोहन इसके सभासद थे। गिरफ्तारी के बाद श्री देवीलाल जी ओझा ने अपने साथियों की ओर से अदालत में दिये गये वक्तव्य में कहा था कि “मुझ पर तथा मेरे साथियों पर १९५५ धारा का जो मुकद्दमा चलाया गया है, वह वास्तविकता और सत्यता से रहित है। पुलिस का यह कहना कि कुरान पाक की तौहीन करने और मुसलमानों को भड़काने वाले कुछ शब्द कहे गये, पुलिस की अपनी सूझ से अधिक कुछ भी नहीं है। आर्यसमाज के सत्संगों में मुसलमान पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई और मुसलमान शामिल नहीं होता। आर्यसमाज में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोग ही उसमें सम्मिलित होते हैं। उसमें वैदिक धर्म से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर ही व्याख्यान तथा कथा होती है। मैंने कोई भाषण न देकर “सत्यार्थप्रकाश” की कथा की थी, जो आर्यसमाज का धर्म ग्रन्थ है और किसी भी सरकार द्वारा जप्त नहीं है। मैंने उसका चौदहवां समुल्लास पढ़कर सुनाया था। उसका पढ़ना और

सुनाना भी कोई अपराध नहीं है। पुलिस का यह कहना सरासर भूठ है कि यदि वह वहां प्रबन्ध न करती, तो वहां अशान्ति पैदा हो जाती। वहां खुफिया पुलिस के सिपाहियों के कोई और प्रबन्ध न था और न कोई वहां मुसलमान ही था। असली घटना को इस रूप में पेश करना मुसलमानों को उत्तेजना देना है। पुलिस की यह दुर्नीति विचारणीय है। वह आर्यसमाजियों पर इस प्रकार मिथ्या अभियोग लगाकर उनके शान्तिमय प्रचार को रोकना चाहती है। पुलिस की इस साम्प्रदायिक और पक्षपातपूर्ण नीति की वजह से ही मैं मुकद्दमे की पैरवी नहीं करना चाहता और न उसमें भाग ही लेना चाहता हूं। इस अवस्था में न्याय की आशा करना व्यर्थ है। मैं हर मुसीबत और आफत को सहन करने को तय्यार हूं। मुकद्दमे से हाथ खींचते हुये ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि वह पुलिस को सद्बुद्धि और मुझे सब मुश्किलों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।” न्याय का नाटक पूरा होकर एक वर्ष की नेकचलनी की जमानत मांगी गई, जिसे न देकर आपने जेल जाना ही मंजूर किया। १३ अक्टूबर १९३५ को पं० नरेन्द्रजी को भी गिरफ्तार करके मन्नानूर में कालेपानी भेज दिया गया। वास्तविक सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है, जिसका प्रारम्भ निजाम राज्य में वहां के ही आर्यसमाजियों द्वारा किया गया था।

आर्य सत्याग्रह का बीजारोपण किस प्रकार हुआ,—इसकी चर्चा यथास्थान की गई है। लेकिन, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा वहां नहीं की जा सकी। यहां उनका संक्षेप में उल्लेख...

करना आवश्यक है। 'निज़ाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा' की पं० नरेन्द्रजी ने दशवर्षीय रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसको सरसरी तौर पर देखते ही पता लग जाता है कि इस सत्याग्रह का बीजारोपण निलंगा-आर्यसमाज को ज्वत् करने, वहां घनाये गये अखाड़े, हवनकुण्ड तथा समस्त मन्दिर को गिराकर उसका सारा सामान पुलिस द्वारा अपने कब्जे में कर लेने पर जून १९३५ में ही हो गया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि "निलंगा-समाज की घटनाभूमि में सत्याग्रह का बीज बोया गया।" इस घटनाभूमि की पृष्ठभूमि में घटने वाली उन घटनाओं का यहां उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी चर्चा पुस्तक के पहिले अध्याय में नहीं की जा सकी। यहां केवल संकेत रूप में उनकी चर्चा की जा रही है।

(१) १२ अक्टूबर १९३२ को निज़ाम राज्य प्रतिनिधि सभा का एक शिष्टमण्डल राज्य के पोलिटिकल मिनिस्टर से मिला, जिसने प्रचार-कार्य में पुलिस द्वारा पैदा की गई बाधाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत आवेदन-पत्र पेश किया और पांच शिकायतें विशेष रूप से पेश कीं।

(२) १९३३ में पं० वंसीलाल जी तथा अन्य दस उद्योग-शील आर्यसमाजियों पर हल्लीखेड़ में मुकद्दमा चलाकर उनको २०-२० रुपये जुर्माना किया गया।

(३) मई १९३४ में शास्त्रार्थमहारथी और सुप्रसिद्ध तार्किक पं० रामचन्द्रजी देहलवी पर 'तौहीन इस्लाम' का मुकद्दमा

हल्लीखेड़ में चलाया गया। इसका सुविस्तृत वर्णन यथास्थान दिया गया है।

(४) २ सितम्बर १९३४ को पहिली बार सारे देश में 'हैदराबाद दिवस' मनाया जाकर आर्यसमाज की शिकायतें और मांगें पेश की गईं। उनकी ओर निजाम सरकार का सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया।

(५) निजाम राज्य द्वारा १३ सितम्बर १९३४ को दिये गये आश्वासन और उसकी आर्य नेताओं के निर्वाधि प्रचार द्वारा की गई परीक्षा के बाद भी प्रचार-कार्य में बाधा डाली जाने लगी। आर्यसमाज चिटगोपा में पं० वंशीलालजी को प्रचार करने और आर्यसमाज किशनगञ्ज में पं० नरेन्द्रजी को साप्ताहिक सत्संग में व्याख्यान देने से रोका गया। दोनों आर्य नेताओं की दृढ़ता के कारण पुलिस को नीचा देखना पड़ा।

(६) दिसम्बर १९३४ में "अखिल भारतीय आर्य महा-सम्मेलन" करने के लिये आज्ञा मांगी गई। लेकिन, स्वीकार न हुई और न "हैदराबाद स्टेट आर्य सम्मेलन" करने की ही अनुमति दी गई।

(७) जून १९३५ में निलङ्गा-आर्यसमाज की ज्वती का भीषण काण्ड हुआ। बीदर के तालुकदार ने आर्यसमाज मन्दिर को गिरवा दिया, हवन कुण्ड को भी नष्ट-भ्रष्ट करा दिया और वहां बचे हुए अखाड़े तथा समाज मन्दिर का सारा सामान जव्त कर लिया। समाज मन्दिर और अखाड़े के बारे में मुख्य आपत्ति यही थी कि वे 'बिला इजाजत' बनाये गये थे, वहां पुस्तकालय

एवं वाचनालय भी कायम था, व्याख्यानों में सरकार के विरुद्ध घृणा तथा बयावत फैलाई जाती थी, शासन-व्यवस्था तथा अधिकारियों की नुक्ताचीनी की जाती थी और साम्प्रदायिकता को भड़काने वाले भजन गाये जाते थे। आर्य नेताओं ने निलङ्गा जाकर खुला प्रचार किया। गृहमन्त्री नवाब मुल्कदर जङ्ग बहादुर एम. ए., बार. एट. ला के यहां सभा के सुयोग्य प्रधान वैरिस्टर विनायकरावजी विद्यालङ्कार ने सारा मामला पेश किया। इस पर उन्होंने १८ सितम्बर १९३५ को लम्बा हुकम जारी किया। तालुकदार के फैसले को सही बताते हुए भी उस द्वारा की गई कार्यवाही को सरकारी नीति के बारे में गलतफहमी पैदा करने वाला बताया और कहा कि जो कुछ भी हुआ, वह लाइली हुआ है। इसलिये उसको मंसूख करते हुए जन्त सामान लौटाने का हुकम दिया और समाज मन्दिर तथा हवन कुण्ड आदि सरकारी खर्च से बनवाने की आज्ञा दी।

(८) लेकिन, इस काण्ड से पैदा हुआ घाव भरा भी न था कि उस पर नमक छिड़कने वाली कुछ और घटनायें घट गईं। दो वर्षों से प्रकाशित होने वाले सभा के मुखपत्र साप्ताहिक 'वैदिक आदर्श' को जन्त कर लिया गया और सारी शर्तें मान लेने पर भी उसे फिर से निकालने की आज्ञा नहीं दी गई।

(९) मानिकनगर के तीर्थ स्थान में भरने वाले मेले पर प्रति वर्ष प्रचार होता था। १९३५ में निकाले गये नगर-कीर्तन पर आक्रमण किया गया। उपद्रवियों के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही न करके पं० वंसीलालजी, पं० दत्तात्रेयप्रसादजी, हुतात्मा

पं० श्यामलालजी और पं० नरेन्द्रजी आदि आर्य नेताओं के त्रिरुद्ध इस्लाम की तौहीन करने, बिना आज्ञा जल्स निकालने और जानबूझ कर हानि पहुंचाने के जुर्म में मुकद्दमे चलाये गये। उसमें सजायें भी हुईं और हाईकोर्ट में की गई अपील भी नामंजूर हो गई।

(१०) कोर्ट उमर्गा के आर्य श्री रामचन्द्रजी के पास से 'सत्यार्थप्रकाश' यह कहकर जब्त किया गया कि "यह किताब निजाम स्टेट में लाना और पढ़ना मना है।" काफी आन्दोलन के बाद उसे लौटाया गया। यह घटना १९३७ में हुई।

(११) इसी वर्ष में अनेक आर्यसमाजियों पर कई प्रकार के मुकद्दमे चलाये गये। उजनी में ३२, मुरुम में ३४, तुलजापुर में ३५, गुंजोटी में १६ और कासार सिरसी में भी अनेक आर्य-समाजियों को तरह तरह के मुकद्दमों में फंसाया गया।

(१२) वार्षिकोत्सवों पर नगर कीर्तन निकालने के लिये दिये गये प्रायः सभी प्रार्थनापत्र इस वर्ष रद्द कर दिये गये।

(१३) गश्ती निशान ५३ भी इसी वर्ष जारी की गई।

(१४) गुंजोटी में दिसम्बर १९३७ में महाशय वेदप्रकाश की हत्या की गई।

(१५) एक गश्ती निशान ३७६ जारी की गई, जिससे हवन कुण्ड को भी "इबादतगाह मजहबी" कह कर उसके बनाने के लिये भी आज्ञा लेना जरूरी ठहराया गया।

(१६) १६ मार्च १९३८ को गुलवर्गा में हुए दंगे में श्री लालसिंहजी, श्री भंवरीलालजी, श्री हनुमन्तरावजी और

श्री तिपन्नाजी गिरफ्तार किये गये। श्री लालसिंहजी को फांसी की सजा दी गई।

(१७) ६ अप्रैल १९३८ को हुए धूलपेठ के दंगे में भी २४ आर्य-हिन्दू गिरफ्तार किये गये। इसी की पैरवी के लिये श्री भूलाभाई देसाई पधारे थे और श्री नरीमन को पैरवी के लिए आने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इसमें सभी अभियुक्तों को २०-२० वर्ष की सजा हुई।

(१८) २२ जून १९३८ को महाशय धर्मप्रकाश का कल्याणी में वध किया गया। यहां भी ४० आर्यों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया। ८-९ मास के बाद मुकद्दमे में कुछ सार न होने पर उसे वापिस लिया गया। महाशय धर्मप्रकाश के हत्यारे अदालत से छोड़ दिये गये।

(१९) इसी प्रकार उद्गीर में हुए दंगे में कुछ आर्य गिरफ्तार किये गये। उनको भी २०-२० वर्ष की सजा दी गई। हुतात्मा पं० श्यामलालजी को इसी मुकद्दमे में फंसाया गया था। सभा के उपमन्त्री श्री रामचन्द्रजी वलगीर और श्री अमृतरावजी को भी आजन्म कैद की सजा हुई थी। १६ दिसम्बर १९३८ को पं० श्यामलालजी का बीदर जेल में स्वर्गवास हो गया। प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का उन दिनों में उद्गीर केन्द्र स्थान था और हुतात्मा पं० श्यामलालजी तीन वर्षों तक उसके प्रधान-मन्त्री रहे थे।

यह थी पृष्ठभूमि उस आर्य संत्याग्रह की, जिसका श्रीगणेश पहिले तो निजाम राब्य में बनाई गई 'आर्य रक्षा

संमिति' ने किया था और वाद में जिसका सूत्रपात करने के सिवाय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहा था। इस विषय की यहां इतनी विस्तृत चर्चा सिर्फ इस लिये की गई है कि इससे सत्याग्रह के सम्बन्ध में किये जाने वाले सब आक्षेपों का निराकरण होकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सत्याग्रह आकारण ही शुरू नहीं किया गया था, इसे शुरू करने वाले वाहर के आर्यसमाजी नहीं थे और इसके शुरू करने में कोई जल्दबाजी भी नहीं की गई थी। निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा की रिपोर्ट में श्री नरेन्द्रजी ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि "छः वर्षों के प्रयत्नों के बाद भी जब सफलता न मिली, तब आर्यसमाज के सामने जीवन-भरण का प्रश्न उपस्थित हो गया। उसके लिए अपनी रक्षा का एक ही उपाय शेष रह गया था और वह था आत्मत्याग का, जिसका आश्रय लेकर उसने अहिंसात्मक सत्याग्रह की घोषणा कर दी।"

वैदिक धर्म सार्वभौम है। नदी, नालों, पहाड़ों और समुद्रों से खींची गई सीमार्यें जब उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकतीं, तब वे सीमार्यें तो क्या ही बाधक हो सकती हैं, जिनका महत्व स्कूल के लड़कों द्वारा स्लेट पर पेंसिल से खींची गई रेखाओं से अधिक नहीं है। भारतवर्ष में देसी राज्यों के नाम से बनाई गई हृदयदियों का इतना ही महत्व है। जो जनता चंशपरम्परा, सामाजिक व्यवहार और वैवाहिक बंधन के सूत्र में माला में पिरोये गये फूलों की तरह न मालूम कितनी सदियों व युगों से, आर्यसमाजियों के विश्वास के अनुसार सृष्टि

के आदि से, एक समाज के संगठन में गठित हो चुकी है और जिसका सुख-दुःख एवं हानि-लाभ एक-समान बना हुआ है; उसको इन हृदयदियों से अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। फिर, आर्यसमाज का गठन तो वैदिक धर्म की सार्वभौमिकता और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के विश्वव्यापी संगठन के नाते एक ऐसी दृढ़ ईकाई बन चुका है कि उसके सामने भिन्न भिन्न राष्ट्रों की सीमाओं का भी कोई महत्व नहीं है। तब इन देसी राज्यों का तो कहना ही क्या है ? यह ऐसी लंगड़ी युक्ति है, जिसको प्रायः सभी देसी राज्यों के लोकप्रिय आन्दोलनों के विरोध में काम में लाया जाता है। आर्यसमाज की दृष्टि में ऐसी युक्ति, तर्क अथवा वहस का महत्व वितण्डावाद से अधिक नहीं है। फिर भी पाठक अन्यत्र देखेंगे कि वास्तविकता और सचाई क्या है ? कुल सत्याग्रहियों में एक तिहाई निजाम राज्य के थे। इसी प्रकार आर्यसमाज की मांगों को साम्प्रदायिक चताने का जो यत्न किया गया, उसका साम्प्रदायिकता की खाई को निरन्तर चौड़ा करने में लगे हुये 'सिविल मिलिटरी गजट' सरीखे पत्रों ने भी सख्त विरोध किया और उनकी धार्मिकता को स्वीकार करते हुये आर्यसमाज की स्थिति का समर्थन किया। आर्यसमाज और आर्य सत्याग्रह को बदनाम करने के सभी प्रयत्नों में निजाम सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। उसके इस पराजय की भेष को मिटाने के लिये ही उसके नादान दोस्तों ने इस सवाल पर व्यर्थ की वहस की है कि इस सत्याग्रह में अन्त में विजय किस की हुई ? इस सबका विवेचन यथास्थान किया गया है।

‘बलिवेदी पर’ शीर्षक से दिये गये चौथे अध्याय में हमारे शहीदों की संख्या तेईस दी गई है । सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के निश्चय के अनुसार यह संख्या अठाईस है । उनमें श्री राधाकृष्ण, श्री बैकटराव, श्री वैजनाथप्रसाद, श्री मलखानसिंह और श्री लक्ष्मणराव के नाम छूट गये हैं । श्री जीतमलजी के सुपुत्र श्री राधाकृष्णजी आर्यसमाज निजामाबाद (हैदराबाद) के उत्साही कार्यकर्ता थे । आप पर पहिले भी दो-एक बार पुलिस की ओर से मुकदमे चलाये गये थे । २ अगस्त १९३६ को, सत्याग्रह की समाप्ति के लगभग अन्तिम दिनों में, एक धर्मन्ध अरब ने पुलिस थाने के सामने ही आपको खंजर भोंक दिया और आपका देहावसान हो गया । श्री बैकटरावजी भी निजाम राज्य के निजामाबाद स्थान के निवासी थे । आपका ८ अप्रैल को स्वर्गवास हुआ । श्री धरणीप्रसादजी के सुपुत्र श्री वैजनाथप्रसाद जी बिहार के नरकटियागञ्ज के निवासी थे । बीमार होने पर आप जेल से रिहा किये गये थे । वेतिया के अस्पताल में २५ जून को आपका देहावसान हुआ । रुड़की के श्री बलवीरसिंहजी के सुपुत्र श्री मलखानसिंहजी का देहावसान हैदराबाद जेल में पहली जुलाई को हुआ था । श्री लक्ष्मणरावजी का भी देहावसान हैदराबाद में २ अगस्त को हुआ था । हरदोई के निवासी श्री रघुनन्दनजी शर्मा के सुयोग्य पुत्र ब्रह्मचारी दयानन्द जी का स्वर्गवास रुग्णावस्था में जेल से रिहा होने के बाद १० मार्च को हरदोई में ही हुआ था । सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने इन सहित २८ सत्याग्रहियों को आर्य सत्याग्रह में शहीद माना है ।

पाठकों को चाहिये कि इनके नाम भी 'वल्लिवेदी पर' शीर्षक के अध्याय में यथारथान जोड़ लें ।

सत्याग्रह का संचालन जिस तत्परता और योग्यता के साथ किया गया, उसका परिचय शोलापुर केन्द्र की कुछ संख्याओं से मिलता है । इस केन्द्र में लगभग ५५० जत्थे सत्याग्रह के लिये भिन्न-भिन्न नगरों से आकर सम्मिलित हुये । चार-पांच सौ सत्याग्रही हर समय सत्याग्रह के लिये कूच करने को तय्यार रहते थे । इस केन्द्र में प्राप्त हुये पत्रों की संख्या ४० हजार थी । बाहर भेजे गये पत्र भी इससे कम न थे । कई व्यक्ति केवल डाक संभालने और टिकिट चिपकाने के कार्य में ही व्यस्त रहते थे । इस केन्द्र का प्रति दिन का डाक खर्च औसतन दो सौ रुपया था । मनी आर्डरों को लेना और संभालना भी काफी परेशानी का काम था । 'फील्ड मार्शल' स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज कार्य करते हुये कभी थकते न थे । लेकिन, मनी आर्डरों का संभालना उनके लिये भी एक खासी समस्या थी । स्थानीय इम्पीरियल बैंक में स्वामीजी महाराज ने जब एक लाख रुपये का ड्राफ्ट पेश किया, तब बैंक वाले चकित रह गये । वह शोलापुर के इतिहास में एक विस्मयजनक घटना थी । सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में भी इसी प्रकार अहोरात्र कई महीनों तक कार्य होता रहा । सभा के मन्त्री प्रो० सुधाकर जी और कार्यालय के अध्यक्ष श्री रघुनाथप्रसाद जी पाठक ने सराहनीय तत्परता का परिचय दिया । दिल्ली के वयोवृद्ध आर्य नेता लाला नारायणदत्त जी का मकान बारहों महीने धर्मशाला

धना रहता है। लेकिन, इन दिनों में तो वह सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा केन्द्र बना हुआ था। सत्याग्रह-सम्बन्धी नीति और कार्यप्रणाली की रूपरेखा यहां ही तय्यार होती थी। लालाजी के सुलभे हुये दिमाग से जहां विचार-विनिमय में सहायता मिलती थी, वहां आपके व्यक्तित्व एवं प्रभाव से धन-संचय में भी बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई।

पुस्तक में चित्र बहुत दिये जा सकते थे। जत्थों और जत्थेदारों के चित्रों का तो अन्त ही नहीं है। सत्याग्रह में विविध प्रकार से सहयोग देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी संख्या कुछ कम नहीं है। उन सब के चित्र देने के लिये उतने पृष्ठ भी काफी नहीं, जितनों में यह पुस्तक समाप्त हुई है। इसी लिये पुस्तक में चित्रों की संख्या बहुत ही नियमित रखी गई है। जो चित्र नहीं दिये जा सके हैं, उनके लिये लेखक प्रकाशक के नाते क्षमाप्रार्थी है।

प्रान्तवार सत्याग्रहियों की संख्या 'सत्याग्रह यज्ञ में आहुतियां' शीर्षक अध्याय में दी जानी चाहिये थी। वह वहां नहीं दी जा सकी। यहां दी जा रही है।

प्रान्त	सत्याग्रही
१. पंजाब, सीमाप्रान्त, काश्मीर और दिल्ली	३१५७
२. युक्तप्रान्त	२०८५
३. राजस्थान, मालवा तथा मध्यप्रान्त	४४७
४. बिहार	३३१
५. बंगाल	२०२
६. मध्यप्रान्त तथा बरार	५७५

७. बम्बई	२४१
८. सिन्ध	१६४
९. मद्रास	६६
१०. वर्मा	१५
११. आसाम	७
१२. निज्जाम राज्य	३२४६
	<hr/>
कुल सत्याग्रही	१०५७६

इनके अतिरिक्त लगभग ३००० सत्याग्रही भिन्न भिन्न केन्द्रों में ८ अगस्त को उपस्थित थे। लेकिन, एकाएक सत्याग्रह के स्थगित हो जाने से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार सत्याग्रह नहीं कर सके थे।

सत्याग्रह पर कुल खर्च ११ लाख रुपया हुआ बताया जाता है।

सत्याग्रह १९३६ में हुआ था। इसलिये तारीखों के साथ जहां सिर्फ महीने दिये गये हैं, वहां सन् १९३६ ही समझा जाना चाहिये।

राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ विचार करना इस पुस्तक का विषय नहीं है। फिर भी इतना लिखना आवश्यक है कि जिस उदारता का दिखावा करते हुये शासन-सुधारों की घोषणा की गई थी और आर्यसमाज, हिन्दू महासभा तथा स्टेट कांग्रेस तीनों को ही उससे सन्तुष्ट करने का जो दावा किया गया था, वे दोनों ही सत्य साबित नहीं हुये। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन-सुधारों को कार्य में परिणत नहीं किया गया और अभी तक उसकी भूमिका तय्यार करने का ही दिखावा किया

जा रहा है। नागरिक स्वतन्त्रता के दिये जाने का दावा तो ऐसा ढोंग साबित हुआ कि उसके लिये इन दिनों में भी लोगों को जेल की यातना भोगनी पड़ी और पड़ रही है। 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' सरीखी सर्वथा निरपेक्ष और निर्दोष संस्था का भी वार्षिक अधिवेशन निजाम राज्य ने अपने यहां नहीं होने दिया। हिन्दू-आर्य जनता पर बीदर, गुरुमटकल और औरादशाहजादी आदि में पहिले ही के समान भीषण हमले किये गये। उनके प्रतिदिन के साधारण कामकाज में भी काफी अड़चनें डाली गईं। निजाम राज्य से जिस उदारता, सहिष्णुता और निरपेक्ष व्यवहार की आशा की गई थी, उसका परिचय उसकी ओर से नहीं दिया गया। आर्यसमाज की ओर से इसके विरुद्ध बराबर आवाज उठाई गई है। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसंद ने बरेली में हुये आर्य स्वराज्य सम्मेलन में दुबारा सत्याग्रह तक किये जाने की संभावना का उल्लेख किया था। निजाम राज्य को अपनी प्रजा और आर्यसमाज के इस रोष, असन्तोष एवं क्षोभ की ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिये। महायुद्ध के बहाने भी इसकी उपेक्षा करना वाञ्छनीय नहीं है।

यह सारा इतिहास निश्चय ही बहुत विस्तृत, मनोरंजक और उपयोगी हो सकता था। जब कि लेखक को स्वयं प्रस्तुत इतिहास से जितना चाहिये, उतना सन्तोष नहीं है; तब दूसरों को भी यदि उससे पूरा सन्तोष न हुआ, तो उसे कुछ भी आश्चर्य न होगा। इस पर भी उसे इतना सन्तोष जरूर है कि यह

[क]

पुस्तिका-आर्यसमाज के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी की याद दिलाने के लिये एक रिकार्ड का काम जरूर देगी और इस द्वारा उसका एक रिकार्ड जनता के हाथों में पहुँच जायगा। आर्यसमाज के सुविस्तृत इतिहास के कुछ पन्नों की आवश्यकता को यदि यह पुस्तिका कुछ अंशों में भी पूरा कर सकी, तो लेखक इसके लिये किये गये अपने प्रयत्न को सफल हुआ मानेगा। आत्मसन्तोष के लिये उसको और क्या चाहिये ?

आचार्य दयानन्द के बलिदान के पुनीत दिवस पर आर्य वीरों के बलिदान की इस अमर कहानी का प्रकाशित होना एक सुन्दर सुयोग है। लेखक की विनीत श्रद्धांजलि के साथ यह अमर कहानी उस आर्य-जनता के चरणों में उपस्थित है, जिसके कन्धों पर ऋषि के मिशन की पूर्ति का भार अनायास ही आ गया है। उसी मिशन के लिये अपने को उत्सर्ग करने वाले हुतात्मा वीरों की बलिदान की यह अमर गाथा आर्यसमाज को आत्मोत्सर्ग के ही मार्ग की ओर प्रेरित करती रहे;—बस लेखक की यही मनोकामना है और इसी मनोकामना से उसने इस इतिहास को लिखने और प्रकाशित करने का यह कार्य सम्पन्न किया है।

प्रभु की कृपा से उसकी यह कामना पूरी हो।

गीता विज्ञान कार्यालय }
४० ए इन्दुमानरोड नई दिल्ली }
"विजयादशमी" १९३६ }

सत्यदेव विद्यालंकार

विषय-सूची

१. सत्याग्रह क्यों ?	१
क. विषय प्रवेश	१
ख. आर्यसमाज पर सीधी चोट	३
ग. कुछ और भयानक चोटें	१३
घ. आर्यसमाज का मैगनाचार्ट	१७
२. सत्याग्रह का श्रीगणेश	२७
क. उद्योग पर्व	२७
ख. युद्ध पर्व	३३
३. सत्याग्रह की प्रगति	३६
क. दूसरे सर्वाधिकारी	३६
ख. तीसरे सर्वाधिकारी	४१
ग. चौथे सर्वाधिकारी	४२
घ. पांचवें सर्वाधिकारी	४५
ङ. छठे सर्वाधिकारी	५७
च. सातवें सर्वाधिकारी	४६
छ. आठवें सर्वाधिकारी	४६
४. सत्याग्रह की प्रगति	५५
क. जत्थेदार	५५

ख. नेता और कार्यकर्ता	६५
५. बलिवेदी पर	७६
क. जेलों में	७६
ख. हमारे भावी	८७
६. सत्याग्रह की प्रतिक्रिया	१०७
क. निज़ाम सरकार के विरोधी प्रथम	१०७
ख. मुसलमानों में	११३
ग. देसी राज्यों में	१३२
घ. ब्रिटिश भारत में	१३६
७. इंग्लैण्ड में गूँज	१३६
८. सत्याग्रह यज्ञ में आहुतियाँ	१५१
क. दक्षिण अफ्रीका	१५२
ख. पंजाब	१५४
ग. दिल्ली प्रान्त	१७२
घ. संयुक्त प्रान्त	१७६
ङ. अजमेर, राजपूताना, मालवा व मध्यभारत	१६२
च. मध्य प्रान्त	१६५
छ. बिहार प्रान्त	१६६
ज. बङ्गाल व आसाम प्रान्त	१६७
झ. सिन्ध	१६८

[य]

८. द्रविण्य भारत	१६६
९. शिवण्य संस्थायें	२००
६. सत्याग्रह की समाप्ति	२०६
क. असफल सन्निवर्तनीय	२०६.
ख. सुधारों की घोषणा	२१२
ग. स्पष्टीकरण	२२०
घ. नागपुर का निर्णय	२२१
१०. युद्धक्षेत्र से वापिसी	२२६
क. जलों से रिहाई	२२६
ख. पथाई दिवस	२३६
११. लोकमत	२४१
१२. सिंहावलोकन	२६०
क. विरोधी प्रचार	२६०
ख. कुल आक्षेप	२७२
ग. भीष्मी सकारण	२७७
घ. विजय किलकी ?	२८१

चित्र-सूची



१.	महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज	१
२.	आर्य कांग्रेस शोलापुर	२७
३.	स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज	३३
४.	श्री चांदकरणजी शारदा	३६
५.	श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसन्द	३६
६.	श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री	४३
७.	श्री वेदव्रतजी वानप्रस्थी	४३
८.	महाशय कृष्णजी	४७
९.	श्री ज्ञानेन्द्रजी सिद्धान्तभूषण	४७
१०.	वैरिस्टर विनायकराव जी विद्यालंकार	४६
११.	प्रोफेसर सुधाकर जी एम० ए०	४६
१२.	श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त	६५
१३.	श्री देशबन्धु जी गुप्त	६५
१४.	स्वामी सत्यानन्द जी	८६
१५.	स्वामी कल्याणानन्द जी	८६
१६.	शहीद सुनहरासिंह जी	९७
१७.	शहीद मलखानसिंह जी	९७
१८.	शहीद ब्रह्मचारी रामनाथ	१०७
१९.	शहीद ब्रह्मचारी दयानन्द	१०७
२०.	शहीद विष्णु भगवन्त	१२१

[ल]

२१.	शहीद फकीरचन्द्र जी	१२१
२२	शहीद शान्तिप्रकाशजी	१३७
२३	शहीद छोटेलालजी	१३७
२४	हुतात्मा श्यामलालजी	१५१
२५	शहीद धर्मप्रकाशजी	१५१
२६	शहीद ताराचन्द्रजी	१६१
२७	शहीद व्यङ्कटरावजी	१६१
२८	शहीद पुरुषोत्तमदासजी ज्ञानी	१८५
२९	शहीद अशरफीलालजी	१८५
३०	अहमदनगर का जत्था	२०६
३१	नागपुर की बैठक	२२१
३२	पं० वंशीलालजी	२६०





महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज
(सत्याग्रह-यज्ञ के अध्वर्यु)

१. सत्याग्रह क्यों ?

क. विषय प्रवेश

भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग की यह नीति रही है कि रियासतों पर ब्रिटिश भारत के राजभक्त अफसरों को जबरन थोपा जाय। उनको बतौर इनाम, बज्जीफे या पुरस्कार के रियासतों की नौकरियां प्रायः बुढ़ापे में रिटायर होने पर सौंपी जाती हैं। आम तौर पर मुसलमानी रियासतों में मुसलमान ही भेजे जाते हैं। ये मुसलमान रियासतों में भी अपने साथ सारी धर्मान्धता और आर्यसमाज के प्रति उससे पैदा हुआ सारा पक्षपात ले जाते रहे हैं। हिन्दू रियासतों में भी ऐसे मुसलमानों ने कुछ कम उत्पात नहीं मचाये। लेकिन, मुसलमानी रियासतों में जा कर उनका दिमाग और भी अधिक चढ़ जाना सहज और स्वाभाविक है। हैदराबाद के निज़ाम जब अपनी रियासत को एक 'डुमिनियन' मान कर उसके स्वतन्त्र राज्य होने का

दावा करते हैं, तब वहां जाने वाले ऐसे मुसलमानों का दिमाग यदि आत्मान पर चढ़ जाय, तो इसमें आश्चर्य क्या है ? हैदराबाद में ऐसा ही हुआ । आवादी की दृष्टि से हैदराबाद की रियासत के हिन्दू रियासत होने पर भी वहां के शासक मुसलमान हैं । इसी लिए वहां इस्लामी प्रवृत्तियों का जोर है । उर्दू वहां की राजभाषा है । इस्लाम वहां का राजधर्म है । टर्की में स्वर्गीय कमालपाशा ने प्रजातन्त्र कायम करके जब खिलाफत, पाक इस्लाम और कुरान शरीफ को वहां से अर्धचन्द्र दे दिया था, तब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो निजाम को खलीफा का पद दे कर हैदराबाद में खिलाफत कायम करने के स्वप्न देख रहे थे । कहते हैं कि पदच्युत खलीफा की लड़कियों के साथ निजाम के लड़कों के विवाह-सम्बन्ध इसी कल्पना से किये गये थे । ऐसे राज्य में सरकारी अधिकारियों के दिल और दिमाग में आर्यसमाज के प्रति द्वेष एवं पक्षपात होना स्वाभाविक था । आर्यसमाज के प्रचार की लहर का रियासत के किनारों से जाकर टकराना था कि यह द्वेष तथा पक्षपात पूरे वेग के साथ जांग लठा और वहीं से वे परिस्थितियां पैदा होनी शुरू हुईं, जिनमें आर्यसमाज को अपने अस्तित्व, मान-प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा के लिए सत्याग्रह करना जरूरी हो गया ।

“यदि लोग बक्तियां बना कर भी हमारी अंगुलियों को जला दें, तो भी कोई चिन्ता नहीं । मैं वहां जाकर अवश्य सत्य का उपदेश करूंगा ।” — ये शब्द आचार्य दयानन्द ने शाहपुरा

से जोधपुर के लिए प्रस्थान करते हुए तब कहे थे, जब लोगों ने उनके सामने वहाँ के लोगों की निठुर प्रकृति का चित्र उपस्थित किया था। आचार्य की जीवनलीला का अन्त करने के लिए यद्यपि उनको जोधपुर में ही दूध में कांच मिला कर दिया गया था; तथापि वे बार-बार वहाँ गये और सत्य व धर्म के प्रचार से विमुख नहीं हुए। तब भला आर्यसमाजी हैदराबाद जाने से कैसे रुक सकते थे ? उनके मार्ग में रोड़े अटका कर रियासत ने उनको उसके लिये स्वतः ही लाचार किया। स्वमन्तव्यामन्तव्य के प्रकरण में ऋषि ने मनुष्य का जो लक्षण लिखा है, वह यदि आर्यसमाजियों पर पूरा नहीं उतरेगा, तो फिर किस पर पूरा उतरेगा ? ऋषि ने लिखा है कि “अन्यायकारी बलवान् से न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, अपने सर्व-सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुण-रहित ही क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण करे और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महा बलवान् और गुणवान् भी क्यों न हो, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे।” अपने विरुद्ध इस प्रकार का अप्रियाचरण करने के लिये हैदराबाद रियासत ने आर्यसमाज को किस प्रकार मजबूर किया, — इसका संक्षेप में विवेचन करना जरूरी है।

ख. आर्यसमाज पर सीधी चोट

हैदराबाद रियासत में भी अन्य रियासतों के समान एक ‘धर्म-विभाग’ है, जिसे वहाँ की भाषा में ‘महकमा अमूरये

मजहबी' कहा जाता है। इसे उससे भी अधिक विस्तृत और व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका आभास इसके नाम से होता है। मसजिदों के अलावा मन्दिरों, सार्वजनिक सभाओं, जलूसों, उत्सवों तथा धार्मिक कृत्यों पर इसका पूरा नियन्त्रण है। पुलिस, न्याय तथा अन्य महकमों पर भी इसका काफ़ी प्रभाव है। धर्मस्थानों की मरम्मत और उनमें घटती-बढ़ती करने आदि के लिये भी उसकी स्वीकृति लेनी होती है। कोई नया पूजा का स्थान इस महकमे की स्वीकृति के बिना नहीं बनाया जा सकता। पटेल और पटवारियों की भाँकत गांव-गांव में इस महकमे की इस आज्ञा का पालन बहुत सख्ती के साथ कराया जाता है। यहां तक कि यदि कोई नया धर्म-स्थान उनकी जान-कारी के बिना बना लिया जाय और वे उसकी ऊपर सूचना देना भूल जायं, तो उनको नौकरी तक से हाथ धोना पड़ जाता है। उन मठों को भी इस महकमे के आधीन कर दिया गया है, जिन्हें सिर्फ़ बतौर धर्मशाला के काम में लाया जाता है। राज-वाड़ा में बनवाई गई एक धर्मशाला में बालाजी का मन्दिर बना दिया गया, उसमें मूर्ति बिठाकर सभा मण्डप भी, जिसे पूजा-स्थान ही कहना चाहिये, बना दिया गया। धर्मशाला बनवाने वाले भारवाड़ी उसमें कथा-कीर्तन तथा भजन करने लगे। इसे साम्प्रदायिक झगड़े का कारण बताकर धर्मशाला से हटाने का हुक्म दिया गया और धर्मशाला को सिर्फ़ हिन्दुओं के प्रयोग के लिए सुरक्षित रखने पर भी आपत्ति की गई। निजी तौर पर घरों में देवालय बनाना भी इस प्रकार आपत्तिजनक ठहराया गया।

शहरों के हिन्दू नाम बदलकर मुसलमानी नाम रखे गये। मोहनाबाद, जहीनाबाद, करीमाबाद, मुहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, फतेहाबाद आदि नाम सब इन्हीं दिनों में रखे गये हैं। हरिजनों को इस्लाम की दावत देकर उनको मूँडने की ऐसी चेष्टायें की गई हैं, जो आपत्तिजनक हैं। ब्रिटिश सरकार की हिन्दुओं से हरिजनों को अलग करने की नीति का अवलम्बन यहां भी किया गया। पृथक् प्रतिनिधित्व का उनको प्रलोभन दिया गया। राजकीय कृपा के जाल में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। उनके लिये जो पृथक् स्कूल खोले गये, उनमें तबलीग का काम ज़ोरों के साथ किया गया। इसी विचार से मुसलमान अध्यापक नियुक्त किये गये। जिला करीमनगर के शिक्षा-सुपरिण्टेंडेंट मियाँ मुस्ताक अहमद बी० ए० ने एक पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि अछूत पाठशाला के आवे से अधिक बालक मुसलमान हो चुके हैं। इसलिये उन्हें मजहबी तालीम देने के लिए हिन्दू अध्यापक की जगह मुसलमान अध्यापक रखा जाना चाहिये। इस्लाम को स्वीकार करने वाले हरिजन बालकों की फ्रीस भी माफ़ कर दी जाती थी। जेल के कैदियों को भी मुसलमान बनाने की घटनायें मिलती हैं। आर्यसमाज गुलबर्गा के मन्त्री श्री लालसिंहजी जेल में सच्चा काट रहे थे। १९३८ की १८ अगस्त को निज़ाम साहब के जन्मदिन की खुशी में गुलबर्गा जेल में एक हिन्दू कैदी को मुसलमान बनाया गया। उन्होंने इसका विरोध किया, तो कुछ दिन बाद एक मुसलमान कैदी गुलजार खां (नं० ६७७७) ने उन पर भयानक हमला

क्रिया । उसे गिरफ्तार करने पर उसके पास दो छुरे भी निकले । लेकिन, उसे कोई सजा नहीं दी गई । नौकरियों का तो कहना ही क्या है ? हिन्दुओं की आवादी ८५ सैकड़ा और मुसलमानों की १०-१२ सैकड़ा होते हुए भी नौकरियों पर उनका एकाधिपत्य है, जैसा कि निम्न व्यौरे से प्रगट है :—

नाम महकमा	मुसलमान	हिन्दू
सेक्रेटरियेट	७०	१२
अर्थविभाग	३६	१८
करविभाग	२५७	५६
पुलिस व जेल	६०	१६
न्यायविभाग	१८६	२६
शिक्षा विभाग	२५६	७१

शिक्षा-विभाग में भी इसी नीति से काम लिया जाता है । १९११ के बाद से शिक्षा पर होने वाला व्यय १० लाख से १ करोड़ पर जा पहुँचा है । इस पर भी शिक्षितों की संख्या ४ सैकड़ा है । शिक्षा का अनिवार्य माध्यम उर्दू है । १९३५-३६ में पर्शियन पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या २०३५३, अरबी पढ़नेवालों की ३०८१ और संस्कृत पढ़नेवालों की सिर्फ ३६० थी । लगभग ३२००० गैरमुस्लिम विद्यार्थी भी सरकारी नौकरी की आशा से उर्दू पढ़ रहे थे । मुसलमान विद्यार्थियों के लिए कुरान की शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाता है, और जितना खर्च किया जाता है, उसका सौवां हिस्सा भी हिन्दू विद्यार्थियों

की धार्मिक शिक्षा पर नहीं किया जाता। १९३५-३६ में कुरान की शिक्षा पर ४६६२५ रु० और वैदिक शिक्षा पर केवल ६४४ रु० सालाना खर्च हो रहे थे। प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाकर उनको गैरकानूनी ठहरा दिया गया। लगभग ४०५३ प्राइवेट स्कूल थे, जो इस हुक्म के शिकार हो गये। कुछ इस्लामी स्कूल इस हुक्म के बाद भी चलते रहे। छात्रवृत्तियों में भी इसी नीति से काम लिया जाता रहा है। १९३५-३६ में १६२ प्रार्थना पत्रों में से हिन्दुओं के प्रार्थना पत्र सिर्फ २१ थे। १६ को गैरहैदरावादी बताकर रद्द कर दिया गया और पांच को अयोग्य ठहरा दिया गया। सारी छात्रवृत्तियां मुसलमान छात्रों को दे दी गईं। युरोप तथा मिश्र आदि के लिए दी जाने वाली सारी छात्रवृत्तियां भी मुसलमानों को ही दी गईं। उच्च शिक्षा के लिए जो कर्ज दिया गया, वह भी सब मुसलमान छात्रों को ही दिया गया। लार्ड इरविन को १९२६ में यह कहना पड़ा था कि “यह एक ऊंची राजनीति और गहरी बुद्धिमत्ता होगी कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नीति ऐसी बनाई जाय कि वह मुसलमानी प्रजा की तरह हिन्दू प्रजा को भी अपील कर सके।” कहना न होगा कि इसका निजाम की शिक्षा की नीति पर कोई असर नहीं पड़ा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के समान उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी इस्लाम और धर्मान्धता का एक गढ़ बन गई, जहां से भारतमाता की ‘वन्देमातरम्’ वन्दना करने पर लगभग एक हजार हिन्दू विद्यार्थी नियन्त्रण एवं अनुशासन के नाम पर बाहर निकाल दिये गए।

हिन्दू समाज और हिन्दू सभ्यता पर की गई इस चोट से भी अधिक गहरी और अधिक सीधी चोट आर्यसमाज पर की गई। वैसे तो आर्यसमाज ४०-५० वर्षों से हैदराबाद में काम कर रहा है। आर्यसमाजों की संख्या भी सत्याग्रह से पहले लगभग १५० थी। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत 'निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा' का संगठन कई प्रांतीय प्रतिनिधि सभाओं से अच्छा था। प्रचार का कार्य बराबर हो रहा था। कभी कभी शास्त्रार्थ भी हो जाया करते थे। इस प्रचार में पं० धर्मभिक्षुजी, पं० शान्तिप्रकाशजी, पं० सत्यदेवजी और शास्त्रार्थमहारथी पं० रामचन्द्रजी देहलवी ने जो भाग लिया, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पं० चन्द्रभानुजी सिद्धांत-भूषण, पं० बलदेवजी, पं० मङ्गलदेवजी, पं० पूर्णचन्द्रजी, पं० मुनीश्वरदेवजी, पं० धर्मेन्द्रनाथजी, पं० व्यासदेवजी शास्त्री और पं० बुद्धदेवजी विद्यालङ्कार की सेवायें भी इस सम्बन्ध में भुलाई नहीं जा सकतीं। लेकिन, हैदराबाद के धर्मान्ध मुस्लिम सरकारी अधिकारियों को आर्यसमाज का यह शान्त प्रचार भी सहन नहीं हुआ। उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का दिग्दर्शन हम आगे करेंगे। यहां हम उन फरमानों, गरितियों और हुक्मों की ही कुछ चर्चा करेंगे, जिनसे आर्यसमाज पर सीधी चोट की गई। उसके उत्सवों और जलूसों पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया; बल्कि समाज मन्दिर बनाने और हवन-कुण्ड तक खोदने पर आपत्ति की गई। आर्यसमाज की उपदेशकों

को इतना भयानक समझा गया कि उनका कहीं जाना-आना तक अधिकारियों को सहन नहीं हुआ। अहलेगांव आर्यसमाज के मन्त्री की उत्सव की दरखास्त पर लिखा गया कि 'यह संस्था पहिले कभी थी ही नहीं, इसलिए उत्सव का सवाल नहीं उठता। संस्था की स्थापना के लिए जब कोई स्वीकृति पहिले नहीं ली गई, तब इसके लिए भी आज्ञा नहीं दी जा सकती।' आर्यकुमार सभा उदगीर के मन्त्री श्री लक्ष्मणप्रसाद को वार्षिकोत्सव के लिये प्रार्थना पत्र देने पर लिखा गया कि "यह नयी आयोजना है। प्रार्थनापत्र एक मास पहिले आना चाहिये था। जिला अफसर से इसके लिए स्वीकृति लेनी चाहिए।" श्री श्यामलाल वकील मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य को आर्य सम्मेलन के लिये आज्ञा मांगने पर लिखा गया कि "अदालत और कोतवाली विभाग के निर्णय के अनुसार इसके लिये आज्ञा नहीं दी जा सकती।" किरानगंज में आर्यसमाज मन्दिर बनवाने के सम्बन्ध में उसके प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया कि "बिना सरकारी आज्ञा प्राप्त किये उसे क्यों बनवाया गया?" हवनकुण्ड बनवाने के सम्बन्ध में भी मन्त्री-आर्यसमाज टाका को लिखा गया कि "तुमने समाज और हवनकुण्ड आदि बिना स्वीकृति के बनवाया है, इसलिये नियमविरुद्ध है। यदि इस सबके लिये नियत अवधि में हुक्म न लिया गया, तो घाद में कुछ भी सुना न जायगा।" दसहरे के जलूस के लिये मांगी गई आज्ञा पर हल्लीखेड़ के तहसीलदार ने लिखा कि "दरखास्त दो सप्ताह पहिले दी जानी चाहिये थी।" फिर, आपत्ति की कि "यह नया धार्मिक

कृत्य है। इसलिये आज्ञा नहीं दी जा सकती।" शहर कोतवाली से श्री रघुनाथप्रसाद और श्री घनश्यामप्रसाद पर यह नोटिस तामिल किया गया कि "बिना आज्ञा प्राप्त किये आर्यसमाज की ओर से हवनकुण्ड नहीं बनाया जा सकता। ऐसा किया, तो कानूनी कार्यवाही की जायगी।" श्री भगवानराव आर्य को तिलानानगर में यह नोटिस दिया गया कि "तुम हनुमान के देवल में व्याख्यान दोगे, तो वह गैरकानूनी होगा। व्याख्यान होगा, तो कानूनी कार्यवाही की जायगी।" श्री रामचन्द्रराव राजेश्वरराव आर्य को दिवाली के दिन श्री वंशीलाल का अपने मकान पर व्याख्यान कराने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया और कहा गया कि "व्याख्यान कराने पर कानूनी कार्यवाही की जायगी।" सालेगांव में कुछ आर्यसमाजियों के जाने पर पुलिस को कहा गया कि "वह उनके बारे में यह पता दे कि ये लोग कब गांव में पहुंचे, किसके पास आए, उनके आने का मंशा क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनका मुखिया कौन है, उनको किसने बुलाया है, वे कबतक ठहरेंगे, क्या उनके पास कोई सरकारी द्रुक्म है, पुलिस पटेल ने उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, उसे तुरन्त तलब किया जाय और निगरानी रखी जाय कि वे कोई कानून तो भंग नहीं करते।" पं० बलदेव जी का व्याख्यान कराने पर श्री नरसिंह रैड्डी को हिन्दू-मुसलमानों में वैमनस्य पैदा करने का आरोप लगा कर नौकरी से अलग कर दिया गया। वह मौजा परागौल तालुका वारङ्गल में मुकद्दम पटवारी था। कलम आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव में शामिल होकर व्याख्यान सुनने के

अपराध में श्री भगवन्तराव पटेल और श्री गोविन्दराव पटवारी को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया । व्यायामशाला खोलने के लिये दी गई आज्ञायें भी लौटा ली गई । कसरसिसरी आर्यसमाज के मन्त्री श्री भीमशङ्कर, मुम्बोल वुजुर्ग आर्यसमाज के मन्त्री श्री चण्डाप्पा और तलगौर के श्री मङ्गतराम जी तथा श्री भगवन्तराव आर्य को व्यायामशाला खोलने के लिये दी गई आज्ञायें भी वापिस ले ली गई । मुहूर्तम के महीने में होमिनावाद के मानकनगर के आर्यसमाज में एक विवाह कर दिया गया । इस पर सब-इन्स्पेक्टर पुलिस द्वारा मन्त्री से जवाब तलब किया गया और विवाह करनेवाले का नाम व पता उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये पूछा गया । निलङ्गा आर्यसमाज के मन्त्री श्री रामराव वकील से कैसे विचित्र सवाल सब इन्स्पेक्टर पुलिस ने पूछे ? उसने पूछा कि “(१) तुम आर्यसमाज में कब शामिल हुए ? (२) तुमने सनातन धर्म कब छोड़ा ? (३) तुमको आर्यसमाज का मन्त्री किसने बनाया ? (४) मन्त्री के तौर पर तुम्हारे क्या काम हैं ? (५) ‘मन्त्री’ शब्द के क्या अर्थ हैं ? (६) तुम आर्यसमाज निलङ्गा में जो व्याख्यान देते हो, क्या उसके लिये तुमने आज्ञा प्राप्त की है ? यदि हां, तो उसकी नकल भेजो । यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? (७) तुमने किन-किन विषयों पर कितने व्याख्यान दिये हैं ? इनको लिखकर भेजो और भविष्य में भी कोई व्याख्यान दो, तो उसकी नकल बराबर भेजते रहो ।” उदगीर के पण्डित श्यामलाल वकील से भी इसी प्रकार के सवाल पूछे गये । उनसे पूछा गया कि (१) तुमने

किसके हुक्म से उत्सव किया ? (२) क्या तुम्हारे पास हुक्म है ? है तो उसकी नकल भेजो । (३) तुम्हारे साथ दो लड़के कौन हैं ? उनके नाम और पते लिखकर भेजो । (४) यदि तुमने हुक्म लिया है, तो किससे लिया है ।” नायब कोतवाल सी० आई० डी० पुलिस हैदराबाद ने सुलतानबाजार हैदराबाद के मन्त्री को लिखा कि “पं० देवेन्द्रनाथ वाहर के आदमी हैं । उनका व्याख्यान साप्ताहिक सत्सङ्ग में न कराया जाय । अन्यथा उसके लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा ।”

आर्यसमाजियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कठोर कार्यवाही की गई । जिसको भी ज़रा-सा उत्साही पाया गया, उसे किसी न किसी प्रकार कानून के शिकंजे में ज़रूर जकड़ा गया । कइयों पर सर्वथा निराधार और एकदम मिथ्या आरोप लगाये गये । सत्यनाम्ना नाम के हिन्दू का कातिल हसनखां तो लापता हो गया, उसकी जगह लगभग २८ आर्यसमाजियों को फंसा लिया गया । अम्बूर में मुसलमानों के विरुद्ध आर्यसमाजियों के शिकायत करने पर १५ आर्यसमाजियों को धारा १०४ में फंसा लिया गया और कई महीनों तक बिचारे अदालत की पेशियां भुगताते रहे । नल्दुर्ग में २० आर्यसमाजियों पर १०४ धारा के अनुसार मुकद्दमा चलाया गया । इनमें ७५ वर्ष के वृद्ध आर्यसमाजी से लेकर १२ वर्ष तक का बालक भी शामिल था । बेलार चितगोपा की अदालत में ५५, उजनी नल्दुर्ग में १५ और तावसी में ११ आर्यों एवं हिन्दुओं को गिरफ्तार करके उनके

विरुद्ध १०४ और २३६ धारा के मातहत मुकदमे चलाये गये । कुल मिलाकर ऐसे हिन्दू-आर्यों की संख्या दो हजार तक बताई जाती है । कितनों पर दो-दो साल तक मुकदमे ही चलते रहे ।

इसके बाद की घटनायें और भी अधिक भयानक हैं । लेकिन, वस्तुस्थिति का परिचय देने के लिए ये घटनायें भी पर्याप्त हैं । इनसे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि आर्यसमाजियों पर हैदराबाद में कैथोलिक शासन में प्रोटेस्टेंटोंके समान भीषण ज्यादतियां की जाती थीं । उनके लिए अपने धार्मिक कृत्यों का विशेषकर धर्म-प्रचार का कार्य करना प्रायः असंभव ही बना दिया गया था । ब्रिटिश भारत में भी आर्यसमाज को ऐसी ही आपत्तियों का सामना करना पड़ा था । बीसवीं शताब्दि के शुरू वर्षों में सरकार की नजरों में आर्यसमाज और आर्यसमाजी ऐसे ही भयानक माने गये थे । 'ओ३५' का झण्डा और आर्यसमाज का साइनबोर्ड तक सरकारी अधिकारियों को सहन नहीं होते थे । उसी की प्रतिक्रिया निजाम हैदराबाद में इन दिनों हुई प्रतीत होती है । लेकिन, जिन घटनाओं ने आर्यसमाज को सत्याग्रह के लिए प्रेरित और बाधित किया, वे इनसे भी अधिक भयानक हैं ।

ग. कुल्ल और भयानक चोटें

आर्यसमाज के कार्य और प्रचार में छोटी-मोटी बाधाओं के अलावा जो पहिला बड़ा प्रहार किया गया, वह था उसके

अपदेशकों, प्रचारकों और व्याख्याताओं को बाहरवाले बतकर उनकी गति-विधि में रुकावटें पैदा करना और उनको नाना प्रकार के बहाने बना कर रियासत से निर्वासित तक करना। पं० चन्द्रभानुजी सिद्धांतभूषण का मामला बड़ा ही रोचक है। वे १७ सितम्बर १९३२ को रियासत से निर्वासित किये गए। इन निर्वासितों के सम्बन्ध में रियासत के आर्यसमाजियों का एक शिष्टमंडल निजाम साहब से मिला। उसे बताया गया कि पं० चन्द्रभानुजी को आर्योपदेशक होने से नहीं, बल्कि भारत सरकार की इस आशय की रिपोर्ट पर निर्वासित किया गया है कि उनका सम्बन्ध किसी अवांछनीय राजनीतिक संस्था के साथ है। रियासत की पुलिस को उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन, पोलिटिकल विभाग से जब पूछा गया, तब उसने हैदराबाद के रेजीडेण्ट से पता करके यह जवाब दिया कि उनके निर्वासन के साथ ब्रिटिश सरकार का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। निजाम सरकार के पास भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग का यह जवाब भेज कर जब फिर पता लिया गया, तो उत्तर मिला कि "हमारे यहां यह मामला समाप्त किया जा चुका है। अब इस पर पुनर्विचार नहीं किया जायगा।" आर्यसमाज को सत्याग्रह की ओर प्रेरित करनेवाली पहिली घटना यही थी।

दूसरी घटना हल्लीखेड़ आर्यसमाज के उत्सव का ताल्लुकेदार द्वारा २१-मई १९३३ को रोकना था। उसे राजनीतिक उत्सव बताया गया था। प्रधानमंत्री से लिखा पढ़ी करने तक

उत्सव के लिए तो आज्ञा मिल गई, परन्तु नगर-कीर्तन के जलूस के लिए आज्ञा नहीं दी गई। १९३४ में यह उत्सव भी बंद कर दिया गया और १९३८ तक बराबर बंद रहा।

तीसरी घटना आग में घी का काम करने वाली साबित हुई। वह थी आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् शास्त्रार्थमहारथी पण्डित रामचन्द्रजी देहलवी पर बीदर के सबजज का समन, जो एक वर्ष पहिले सन् १९३३ में हल्लीखेड़-आर्यसमाज के उत्सव पर दिये गये व्याख्यान के आधार पर १९३४ में तब सामील किया गया था, जब आप हैदराबाद आर्यसमाज के उत्सव पर पधारे थे। समन में कहा गया था कि पण्डितजी ने अपने व्याख्यानों में इस्लाम की तौहीन की है। पण्डितजी तब विशेष निमित्त से हैदराबाद गये थे। मियां सिद्दीक दीनदार नाम के मुसलमान ने इस्लाम के प्रचार का नया तरीका ईजाद किया था। उसने अपने को लिंगायत सन्त चिनविश्वेश्वर का अवतार बता कर 'सरवरये आलम्' नाम की पुस्तक लिखी और लिंगायत लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। उसके इस प्रचार का भांडाफोड़ करने के लिये पण्डितजी को निमन्त्रित किया गया। उनके धुआंधार तीन व्याख्यान हुए। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये ही, लोगों का ख्याल है कि, बीदर का मुकद्दमा खड़ा किया गया। सारे आर्यजगत् में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया और चोभ की एक लहर चारों ओर दौड़ गई। सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ने तुरन्त

इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। निजाम साहबको एक तार देकर मुकद्दमा रोकने की प्रार्थना की गई और अनुरोध किया गया कि यदि मुकद्दमा चलाया ही जाय, तो ऐसे ट्रिब्यूनल के सामने चलाया जाय, जो पुलिस के प्रभाव से रहित हो और जिससे निष्पक्ष व्यवहार तथा विशुद्ध न्याय की आशा की जा सके। एक तार भारतसरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भी दिया गया। उसमें लिखा गया था कि “वह विश्वास किया जा रहा है कि हैदराबाद की पुलिस ने, जिसमें शत-प्रति-शत मुसलमान हैं, धर्मान्धता के वशीभूत होकर यह मुकद्दमा दायर किया है। वह आर्यसमाज के प्रचार को किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती।” मुकद्दमे के वापिस लेने अन्यथा स्पेशल ट्रिब्यूनल^१ नियुक्त करने की मांग करते हुए इस तार में आगे कहा गया था कि “भय है कि जो चोभ और रोप इस सम्बन्ध में प्रकट किया जा रहा है, वह कहीं आन्दोलन का रूप न धारण कर ले और चिन्ताजनक स्थिति पैदा करने का कारण बन जाय।” इस लिखापढ़ी के परिणामस्वरूप २ अगस्त १९३४ को मुकद्दमा तो उठा लिया गया, लेकिन, हैदराबाद में प्रवेश-निषेध की आज्ञा आप पर भी लागू कर दी गई।

इसी बीच सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रो० सुधाकर जी एम. ए. हैदराबाद गये। आपके वहां जाने का उद्देश्य परिस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना और अधिकारियों से मिलना था। आप वहां सरकारी अधिकारियों से

मिले। पोलिटिकल सदस्य ने स्वीकार किया कि आधोनाथ कर्म-
चारी उत्साह के अतिरेक में ये ज्यादतियां कर जाते हैं। इसे
जल्दी ही दूर कर दिया जायगा। शायद इस आशवासन की गूँज
अभी हलकी भी न पड़ी थी कि स्थानीय अधिकारियों का
उत्साह उन्माद में परिणत हो गया, पुलिस की निरंकुश। सीमा
पार कर गई और आर्यसमाज पर होनेवाले अत्याचार भी
अति तक पहुंच गए।

(घ) आर्यसमाज का मैगनाचार्ट

कोई और चार न देख सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि
सभा ने निजाम साहब से व्यक्तिगत अपील करने के विचार से
उनकी सेवा में ६ अगस्त १९३४ को एक मैमोरियल भेजा। इसे
हैदराबाद के सम्बन्ध में आर्यसमाज का मैगनाचार्ट ही कहना
चाहिये। इसमें आर्यसमाजियों पर किये गये अत्याचारों का
वर्णन करने के बाद उनसे निवेदन किया गया था कि:—

(१) पुलिस को स्पष्ट और असंदिग्ध रूप में हिदायतें दी
जायं कि अन्य मुसलमान और ईसाइयों की तरह आर्यसमाजियों
को भी अपने न्यायोचित धार्मिक कर्तव्यों के अनुष्ठान
करने का अप्रतिहत और निर्वाध अधिकार है, जिससे नीचे के
पदाधिकारी उनके विरुद्ध आचरण व व्यवहार न करें!

(२) रियासत में आर्योपदेशकों के स्वतन्त्र आवागमन पर
कोई प्रतिबन्ध न रहे।

(३) आर्यसमाज के धार्मिक जलूसों को उसी रूप में निका-

लने दिया जाय, जैसे अन्य मतावलम्बियों को अपने जलूसों के निकालने की स्वतन्त्रता है ।

(४) धार्मिक और भक्तिपरक साहित्य पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय । यदि लगाना आवश्यक समझा जाय, तो विना उचित जांच के वैसा न किया जाय । ऐसे प्रतिबन्धों के विरुद्ध अपील का अधिकार भी स्वीकार किया जाय ।

(५) सार्वजनिक सभायें, शास्त्रार्थ, भाषण तथा प्रचार करने का समग्र प्रजा तथा आर्यसमाज को अबाधित अधिकार हो ।

(६) आर्यसमाज मन्दिरों को अपमानित न किया जाय तथा उनमें सत्संग की आयोजना करने में कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय ।

(७) रियासत से निर्वासित किये गये आर्य-प्रचारकों के विरुद्ध लगाये गये प्रतिबन्धों को एक उच्च न्यायाधीश के सन्मुख विचारार्थ उपस्थित किया जाय और भविष्य में भी ऐसे प्रतिबन्धों पर इसी तरह के पुनर्विचार की व्यवस्था की जाय ।

इन मांगों के अलावा पं० रामचन्द्रजी पर से प्रतिबन्ध छठाने की भी मांग की गई थी और सूचित किया गया था कि एक कार्यसमिति का निर्माण किया गया है, जो इन शिकायतों को दूर कर इन मांगों की पूर्ति के लिए हर न्याययुक्त एवं उचित उपाय से काम लेगी । अन्त में यह आशा की गई थी कि निजाम साहब अपने हस्तक्षेप से प्रजा के असन्तोष को कृतज्ञता में परिणत कर देंगे ।

भारत सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी को भी इसकी

एक नकल भेजी गई थी। १३ अगस्त १९३४ को हैदराबाद के पोलिटिकल सदस्य के नाम भी मैमोरियल के साथ एक पत्र भेजा गया था, जिसमें संघर्ष की अवांछनीय स्थिति को पैदा न करने की इच्छा प्रगट की गई थी। इस मैमोरियल का तो कुछ उत्तर न मिला। लेकिन, ११ सितम्बर १९३४ को राज्य के पोलिटिकल सदस्य से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा गया था कि 'हैदराबाद राज्य में किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के अनुयायियों के मार्ग में किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं डाला जाता। निजाम महोदय की सरकार अपने प्रत्येक प्रजाजन के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग के हों, निष्पक्ष व्यवहार करती आई है। आर्यसमाजियों को कोई खास यन्त्रणा देने का कभी कोई विचार ही नहीं किया जाता।' सार्वदेशिक सभा ने इस पत्र की सचाई पर विश्वास किया और निजाम साहब का धन्यवाद मानते हुए पुरानी आज्ञाओं के रद्द होने और इस पत्र के विरुद्ध जारी किये गये हुक्मों के वापिस लिये जाने की आशा प्रगट की। लेकिन, इस पत्र-व्यवहार की स्याही भी न सूखने पाई थी कि हैदराबाद से वैसी ही शिकायतों का फिर तांता बंध गया। आर्यसमाजियों की हत्या तक किये जाने के भयानक समाचार मिलने शुरू हो गये।

पं० रामचन्द्रजी देहलवी के सम्बन्ध में अकारण ही एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया था कि उनके निर्वासन के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया है, वह सचाई के विरुद्ध होने के साथ साथ जातीय एवं साम्प्रदायिक

वैमनस्य पैदा करने वाला है। ऐसा प्रचार सरासर ईर्ष्यापूर्ण है। पुराने घावों को भरने के प्रयत्न करने तो दूर रहे, इस विज्ञप्ति ने उन पर नमक छिड़कने का काम किया। पण्डित जी ने इस आज्ञा को भंग करके अपने को निर्दोष साबित करना चाहा। लेकिन, सभा ने उनको वैसा करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन, निजाम सरकार की सचाई को परखने के लिये महात्मा नारायणस्वामी जी, आचार्य रामदेवजी और स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी को वहां भेजना जरूरी समझा गया। वे वहां गये। वहां उनके व्याख्यान हुए। आर्यसमाज का धूमधाम के साथ प्रचार हुआ। सरकार इस समय तो धिलकूल चुप रही; लेकिन, ये महानुभाव अभी दिल्ली लौटे भी न थे कि चितगुण, महाराज गंग और निलंगा आर्यसमाजों के वार्षिक-उत्सवों पर प्रतिबन्ध लगाने, निलंगा में एक हवन-कुण्ड के तोड़ने और आर्यसमाज की सम्पत्ति के जब्त करने के भी समाचार मिले। चारों ओर से कुछ-न-कुछ शिकायतें आने लगीं। सभा के तत्कालीन मन्त्री लाला देशबन्धु जी गुप्त ने निजाम सरकार के पोलिटिकल सदस्य को तार दिया और विस्तृत पत्र लिखा। भारत सरकार और रेजीडेंट को भी उनकी नकलें भेजी गईं। आर्यसमाजियों के यज्ञोपवीत तोड़ने, उनको पीटने, उन पर भूटे मुकदमे चलाने, उन्हें तंग करने की धमकियां देने और उनकी शिकायतों पर ध्यान न देने की बातें उनके ध्यानमें लाई गईं। उनके बारे में जांच करने की प्रार्थना की गई और उसके परिणाम से सूचित करने का अनुरोध किया गया। मानकनगर

होमिनाबाद में आर्यसमाज के जलूस पर पुलिस द्वारा किये गए दुर्व्यवहारे की ओर भी उनका ध्यान खींचा गया। इसमें अनेक आर्यसमाजी अपमानित किये जाकर घायल भी किये गए थे। २० मार्च १९३६ को हैदराबाद के तत्कालीन प्रधान मन्त्री महाराज सर किशनप्रसाद बहादुर जब दिल्ली पधारे, तब उनसे शिष्ट-मंडल ने भेंट की। इसमें अनेक आर्य नेताओं के अलावा केन्द्रीय असेम्बली और स्टेट कौंसिल के कुछ सदस्य भी शामिल हुए थे। पं० रामचन्द्रजी देहलवी पर से प्रतिबन्ध हटाने के साथ साथ प्रचार-सम्बन्धी अन्य सब मांगों भी उनके सामने पेश की गईं। लेकिन, परिणाम कुछ न निकला।

निजाम सरकार की इस उदासीनता से धर्मान्ध मुसलमानों को प्रेरणा मिली। उन्होंने देख लिया कि उनके विरुद्ध की गई आर्यसमाज की सारी शिकायतें अरण्यरोदन के समान हैं। वे हत्याकाण्डों पर उतर आए। दिसम्बर १९३७ में गंजोटी में वेदप्रकाश की निर्मम हत्या की गई। इसका कारण वहां आर्यसमाज की स्थापना होना था, जिसके विरुद्ध मुसलमानों ने ज़हाद बोल दिया था। जिला उदगीर के कुशानूर प्रदेश के हुपला ग्राम में दुपहर के ३ बजे २०० मुसलमानों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। उसमें माणिकराव आर्य, भीमराव पटेल और उनकी चाची की हत्या की गई। तीनों लाशें भी उसी मकान के एक कोने में जला दी गईं। बीदर जिले की तहसील अहमदपुर के तालागांव ग्राम के २२ वर्ष के बाबूराव पर पुलिस पटेल सैयद अमीर ने तलवार से हमला किया और उसका हाथ सदा

के ज़िये निकम्मा कर दिया गया । जिला उस्मानाबाद गोरकी वादी गांव के मारुती के पुत्र लिम्वाजी को आर्यसमाजी बनने के अपराध में इतना पीटा गया कि वह पागल होगया । १९३८ में निजामाबाद में वकर ईद पर किये गए गोवध के लिए शहर में हुई हड़ताल का सारा दोष आर्यसमाजियों के माथे मढ़ा गया । बिना वारण्ट चार आर्यसमाजी गिरफ्तार किये गये । उनके साथ पुलिस ने पाशचिक और पैशाचिक व्यवहार किया । इसी प्रकार गुलबर्गा में होली के पर्व पर हुए मगड़े का सारा दोष आर्यों के ऊपर डाला गया । चार आर्यसमाजियो को दो से दस वर्ष तक की सजायें दी गईं । अप्रैल १९३८ में धर्मान्ध मुसलमानों ने निजाम प्रतिनिधि सभा के प्रधान विनायकरावजी विद्यालङ्कार का मकान घेर लिया । अकस्मात् ही वह भीषण कांड श्री क्राप्सटन के उधर आ निकलने से टल गया । इन दिनों में शहर में हुई गड़बड़ का सारा दोष आर्यसमाजियों पर ही डाला गया । इसका सभा ने ज़बरदस्त प्रतिवाद किया । आर्य अभियुक्तों की पैरवी के लिए श्री नरीमन को आने की आज्ञा नहीं दी गई । श्री भूलाभाई देसाई को आने की अनुमति दी गई, तो उन्हें इस प्रकार अपमानित किया गया कि वे तुरन्त हैदराबाद से लौट गये ।

३० अप्रैल १९३८ को सभा की एक बैठक हुई, जिसमें हैदराबाद की स्थिति पर गम्भीर विचार करने के बाद प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें निजाम सरकार से अपनी तेरह मांगों की पूर्ति के लिए अनुरोध किया गया और कहा गया कि यदि निजाम सरकार आर्यसमाज के

प्रति अपनी नीति को बदलने को तैयार नहीं है, तो समस्त आर्यसमाजों को आव्हान किया जायगा कि वे सब वैध एवं शांत उपाय से, जिनमें सत्याग्रह भी शामिल हौगा, अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करें।”

आर्यसमाज को सत्याग्रह की ओर प्रेरित करने वाला आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का यह प्रस्ताव आर्य सत्याग्रह के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस लिए उसे यहां अविकल रूप में देना अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव निम्न प्रकार है:—

“यह सभा हैदराबाद रियासत में आर्यसमाज और आर्यसमाजियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी घोर निन्दा करती हुई उस रियासत के आर्य निवासियों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है। इस सभा को इस बात का विशेष दुःख है कि रियासत के उच्च अधिकारियों ने सभा के प्रतिनिधियों को बार-बार आश्वासन दिये हैं कि रियासत में आर्यसमाज के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जायेगा, परन्तु उन आश्वासनों को सदा ही तोड़ा गया है और स्थिति को अधिक से अधिक भयंकर होने दिया है। यह सभा समझती है कि अब दशा बहुत ही बिगड़ गई है और उसकी उपेक्षा करना असम्भव है।

सभा की हैदराबाद रियासत से मांग है कि :—

- १—गश्ती निशान ५४ को मन्सूख कर दिया जावे।
- २—कवायद तकरीबन मजहबी मन्सूख कर दिये जायें।
- ३—कानून अखाड़ा मन्सूख कर दिये जायें।

- ४—खानगी मदरसे की गश्ती मन्सूख कर दी जाये ।
- ५—फिर्केवारी दंगों के मुकद्दमे की तहकीकात निष्पत्त कमीशन द्वारा कराई जाये ।
- ६—बाहर के उपदेशकों पर इजाजत की पाबन्दी न लगाई जाये । कोई खिलाफ कानून काम करे तो मुकद्दमा चलाया जाये जिसका दाखिला बन्द है, खोल दिया जाये ।
- ७—पुस्तकें बिना जांच जप्त न की जावें ।
- ८—समाचारपत्र के निकालने की आज्ञा दी जाये ।
- ९—मुसलमान, हिन्दू और आर्य त्योंहार मिल कर आने पर उनके मनाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिये !
- १०—आर्यसमाज तथा हवन-कुण्ड के स्थापित करने के लिए इजाजत की जरूरत न रखी जाये ।
- ११—जेलखानों में कैदियों को मुसलमान न बनाया जाये और हमको उनमें प्रचार की आज्ञा हो ।
- १२—सरकारी नौकर जो आर्य हैं, उन पर आर्य होने के कारण सख्ती न की जाये ।
- १३—आर्यों को अपने घरों पर और आर्यसमाज पर झण्डा लगाने की स्वतन्त्रता दी जाये ।
- १४—गुलबर्गा, निजामाबाद, हैदराबाद के मुकद्दमों की तहकीकात निष्पत्त कमीशन द्वारा की जाये; क्योंकि सभा को दिये गये आश्वासनों की रियासत के अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की और सभा

यह भी आवश्यक समझती है कि सम्पूर्ण आर्य जनता को इस आवश्यक प्रश्न के सम्बन्ध में साथ लेना आवश्यक है। इस लिए सभा निश्चय करती है कि पांच मास के अन्दर-अन्दर मध्य-प्रदेश में अथवा महाराष्ट्र में किसी ऐसे केन्द्र में, जो हैदराबाद रियासत के समीप हो, एक आर्य महासम्मेलन किया जाये, जिसमें विशेषतया हैदराबाद की समस्या पर विचार हो।

सभा की सम्मति है कि यदि रियासत के अधिकारी शीघ्र ही अपनी नीति में परिवर्तन करने को तैयार न हों, तो सम्पूर्ण आर्यसमाज को सब उचित उपायों से, जिनमें सत्याग्रह भी शामिल है, अपने अधिकारों के लिये लड़ने को तैयार हो जाना चाहिये।

यह सभा आर्य-रक्षा समिति को आदेश देती है कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार आर्य महासम्मेलन के संगठन तथा अन्य सब आवश्यक उपायों को काम में लाकर हैदराबाद में आर्यसमाज के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न करे।

इस के बाद भी सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त पांच गांवों की मांग लेकर हैदराबाद गये। वहां वे अधिकारियों से मन्त्रणा कर ही रहे थे कि कल्याणी में २७ जून १९३८ को श्री धर्मप्रकाश को तलवार के घाट उतारा गया और १७ जुलाई १९३८ को अकोलागा ग्राम में श्री महादेव आर्य का वध कर दिया गया।

अगले पृष्ठों में पाठक देखेंगे कि देश की समस्त आर्य-समाजोंने अपनी शिरोमणि सभाके इस आव्हान पर कैसी निष्ठा एवं तत्परता का परिचय दिया । आर्यसमाजियों में तो धर्मकी इस पुकार पर त्याग, तपस्या, बलिदान और आत्मोत्सर्ग के लिये एक होड़ सी लग गई । आर्यसमाज के इतिहास के ये गौरवपूर्ण पृष्ठ सदा ही सुनहरी अक्षरों में लिखे जायेंगे और उनकी स्मृति यावच्चन्द्रदिवाकरौ बनी रहेगी ।



आर्य कांग्रेस शोलापुर और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिध सभा के अधिकारी और कार्यकर्ता। बाईं ओर से

श्री कृष्णानन्द, श्री रघुनाथप्रसादजी पाठक, प्रो० सुधाकरजी, महात्मा नारायण स्वामीजी, स्वामी

स्व. ज्ञानानन्दजी, श्री शिवचन्द्रजी, श्री प्रेमचन्द्रजी और श्री विरवनाथजी कनाले ।

१. सत्याग्रह का श्रीगणेश

क. उद्योगपर्व

शोलापुर में २५, २६ और २७ दिसम्बर १९३८ को हुई आर्य कांग्रेस को आर्य सत्याग्रह का किष्किन्धा काण्ड अथवा उद्योग पर्व ही कहना चाहिए। उसके लिये हैदराबाद में इतनी सामग्री अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दी गई थी कि सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा के पास सत्याग्रह के लिए आर्य जनता को आवाहन करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहा था। ६ अक्टूबर १९३८ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरङ्ग सभा की वह महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी ओर सारी आर्य प्रजा की आंखें लगी हुई थीं। उसमें निम्न महत्वपूर्ण निम्न प्रस्ताव स्वीकृत करके महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को आर्य सत्याग्रह के लिए प्रथम सर्वाधिकारी नियुक्त किया गया। प्रस्ताव यह है कि आर्य कांग्रेस की तिथि और स्थान के निर्णय तथा हैदराबाद की

समस्या के हल का विषय उपस्थित हुआ । हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज के धार्मिक अधिकारों पर जो आघात हो रहे हैं, उन का व्यौरा सुना गया । विचार के बाद सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करने के निमित्त श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को पूर्ण अधिकार दिए जायें और इस सम्बन्ध में जो ५०००) रुपये वजट में हैं वे स्वामी जी महाराज के सुपुर्द किए जायें और इनके अतिरिक्त ५०००) रुपये और श्री स्वामी जी महाराज के सुपुर्द किये जायें और इनके लिए स्वीकृति साधारण सभा से ले ली जाये । यह भी निश्चय हुआ कि उचित कार्यवाही के लिए यह निश्चय आर्य रक्षा समिति को भेजा जाये ।”

श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने शोलापुर में कांग्रेस करने का निश्चय किया । वहाँ किस उत्साह, लगन और तत्परता से उसके लिये तय्यारियां की गईं, उसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी । स्थानीय जनता का भी कल्पनातीत सहयोग मिला । कुछ ही दिनों में २५ एकड़ भूमि में नया नगर बसा दिया गया । देश के कोने कोने से आर्य प्रतिनिधि इस कांग्रेस के लिए शोलापुर पधारे । काश्मीर, सीमाप्रांत, पञ्जाब, बिहार, बङ्गाल, राजपूताना, मध्यप्रान्त, गुजरात और सिन्ध मद्रास आदि के अलावा निजाम हैदराबाद से भी पधारने वाले आर्यों की संख्या आशा से कहीं अधिक थी । आर्यसमाजों के ६०० प्रतिनिधि और लगभग २४ हजार दर्शक इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए होंगे । सत्याग्रह

के लिये आर्य जनता के उत्साह का परिचय सम्मेलन से मिल गया। लोकनायक श्रीयुत माधव श्रीहरि अण्णे एम. एल. ए. का सभापति पद से बहुत ही ओजस्वी और अत्यन्त विस्तृत भाषण हुआ। आपने हैदराबाद की शासन नीति और आर्यों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार की बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा की। हिन्दू विरोधी नीति की भी आपने तीव्र आलोचना की। आर्यसमाज की मांगों का आपने बहुत ही सुन्दर विरलेपण किया। हैदराबाद के मुसलमानों की धर्मान्धता का नग्न चित्र खींचते हुए आपने उन यातनाओं का वर्णन किया, जो आर्यसमाजियों को वहाँ भोगनी पड़ रही थीं। आर्यसमाज के लिए सत्याग्रह के मूलभूत तत्वों का भी आपने विवेचन किया। गीता के इस उपदेश को सामने रखकर आपने आर्यसमाज को बलिदान के मार्ग की ओर प्रेरित किया कि “यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥” वेद की इस वाणी के साथ आपने अपना भाषण समाप्त किया कि “अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु । अस्मानु देवा अवता हवेषु ।” “हमारे वीर विजयी हों। परमात्मा युद्ध में हमारी रक्षा करें।”

कांग्रेस में कुल इक्कीस प्रस्ताव पास हुये। यहाँ केवल सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्तावों की ही चर्चा करनी उपयुक्त होगी। प्रस्ताव ४ में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से मौलिक एवं जनसिद्ध अधिकारों की घोषणा की गई। वे निम्न प्रकार हैं—

- १—धार्मिक कृत्यों व उत्सव के करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।
- २—धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा तथा प्रवचन करने, व्याख्यान देने, भजन करने, नगर कीर्तन व जुलूस निकालने, आर्यमन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञशाला व हवनकुण्डों के बनाने, 'ओ३म् ध्वजा' फहराने, नये समाजों की स्थापना करने और वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।
- ३—राज्य अथवा राज कर्मचारियों को न तो तबलीग (शुद्धि) में भाग लेना चाहिये, न उसे प्रोत्साहित करना चाहिये, न जेलों में हिन्दू कैदियों तथा स्कूलों में हिन्दू बच्चों को मुसलमान बनाया जाना चाहिये और न हिन्दू अनाथ मुसलमानों के सुपुर्द किये जाने चाहियें ।
- ४—राज्य के धर्म विभाग (अमूरे मज्जहबी) को बन्द कर देना चाहिये अथवा हिन्दुओं और आर्यों की धार्मिक बातों तथा मन्दिरों पर इसका कोई प्रभुत्व नहीं रहने देना चाहिये ।
- ५—हिन्दुओं और आर्यों के मुकाबले में धर्मान्ध व साम्प्रदायिक मुस्लिम समाचार पत्रों एवं साहित्य को जो पक्षपातपूर्ण संरक्षण दिया जाता है, उसे बन्द कर देना चाहिये ।

- ६—विना मुकद्दमे चलाये अथवा अपराध के सिद्ध किये आर्य उपदेशकों पर रियासत में जाने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वे हटा दिये जावें ।
- ७—पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों द्वारा हिन्दुओं और आर्यों के मुकाबले में मुसलमानों की जो तरफदारी की जाती है, वह बन्द होनी चाहिये ।
- ८—आर्य व हिन्दू बालकों के लिए कम से कम प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षणालयों और वाचनालयों की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये ।

प्रस्ताव संख्या ५ में कहा गया था कि छः वर्षों से की गई प्रार्थनाओं एवं प्रयत्नों के निष्फल होने और सारे ही देश के आर्यों में घोर असन्तोष फैलने के बाद उनके निवारण के लिए आत्म-त्याग एवं कष्ट-सहन के अहिंसात्मक सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है । इसी प्रस्ताव द्वारा सत्याग्रह के संचालन के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया । प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज नियुक्त किये गये । समिति के निर्माण का अधिकार आपको ही दिया गया । सत्याग्रह के लिए निम्न मांगों नियत की गईः—

१—अन्य मतावलम्बियों के भावों का उचित सम्मान करते हुए वैदिक-धर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनुष्ठान की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये ।

२—नये आर्यसमाजों की स्थापना, नये आर्य-मन्दिरों व हवन-कुण्डों के निर्माण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए धर्म-विभाग (सीगये-अमूर ए-मज्जहवी) अथवा किसी अन्य विभाग की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

सत्याग्रह को स्थगित करने का अन्तिम अधिकार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के हाथों में रखा गया। प्रस्ताव छः में कहा गया कि सत्याग्रहियों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये मन, वचन, कर्म से सत्य एवं अहिंसा का पूरी तरह पालन करना होगा। प्रस्ताव सात में यह घोषणा की गई कि आर्यसमाज का यह आन्दोलन राजनीतिक या साम्प्रदायिक नहीं; बल्कि विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए है। प्रस्ताव आठ में कहा गया था कि निजाम की पुलिस एवं प्रबन्ध-विभागों पर से आर्य जनता का विश्वास उठ गया है और न्याय विभाग पर से उठता जा रहा है। प्रस्ताव द्वादह में कांग्रेस तथा देश की अन्य समस्त सार्वजनिक संस्थाओं से इसमें सहयोग देने की मांग की गई थी। प्रस्ताव तेरह में भारत-सरकार से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था।

आर्यसमाज के संगठन, कार्यशैली और कार्यनीति के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए थे। हैदराबाद के धर्मवीरों और शहीदों की पवित्र स्मृति में तथा दक्षिण में विशेषतः आर्यसमाज के प्रचार को सुसंगठित करने के लिए शोलापुर में आर्यसमाज मन्दिर बनाने का भी निश्चय किया गया।



स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज
(सरयाग्रह के 'फील्ड मार्शल')

कहना न होगा कि शोलापुर-कांग्रेस का यह आदेश विजली की तरह सारे देश में फैल गया। आर्य-जगत् में उत्साह की लहर दौड़ गई। सत्याग्रह के शुभ श्रीगणेश की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ की जाने लगी। लेकिन, निजाम सरकार और भारत-सरकार की निद्रा इस पर भी नहीं खुली।

स्व. युद्ध-पर्व

आर्य-सत्याग्रह का श्रीगणेश करने के लिये आर्यसमाज के सर्वमान्य नेता और वयोवृद्ध आर्य-संन्यासी पूज्य श्री नारायण-स्वामी जी महाराज से अधिक उपयुक्त व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता था। इसी प्रकार उनके साथ सत्याग्रह करने के लिये गुरुकुल-कांगड़ी के ब्रह्मचारियों के अलावा और अच्छे सिपाही कहां से मिल सकते थे ? 'गुरुकुल-कांगड़ी' आर्यसमाज का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आर्य-संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र होने के साथ-साथ वह आर्यसमाज की आशाओं का सब से बड़ा केन्द्र भी है। विशुद्ध शिक्षण-संस्था होने पर भी कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि देश, जाति एवं धर्म की पुकार का समुचित उत्तर इस केन्द्र से न मिला हो। फिर, यह पुकार तो आर्यसमाज की मान-प्रतिष्ठा, धार्मिक स्वतन्त्रता और धर्म-प्रचार के नाम पर की गई थी। गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग के पैंतीस ब्रह्मचारियों ने पहिली ही पुकार पर अपने को गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज के पंच-प्यारों के समान अपने आचार्य के चरणों में पेश कर दिया केवल १५ ब्रह्मचारियों को स्वामी जी के साथ सत्याग्रह

करने के लिये हैदराबाद जाने की आज्ञा मिली ।

२२ जनवरी १९३६ को आर्य-कांग्रेस के निश्चय के अनुसार सारे देश में "आर्य सत्याग्रह दिवस" मनाया गया और आर्यसमाज की मांगों को दोहराया गया । वाद में सत्याग्रह के जारी रहने तक प्रत्येक मास की २२ तारीख का दिन इसी रूप में मनाया जाने लगा । इस कार्यक्रम से सत्याग्रह को विशेष बल मिला ।

सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी के नाते पूज्य श्री नारायण स्वामीजी महाराज ने सत्याग्रह करने की सूचना निजाम सरकार को दी । सूचना की एक एक प्रति हैदराबाद के रेजिडेंट और भारत-सरकार के पोलिटिकल-विभाग को भी भेजी गई । स्वामीजी ने सत्याग्रह करने के लिये ३१ जनवरी १९३६ का दिन तय किया था । आपका विचार हवाई जहाज से हैदराबाद पहुंचने का था । लेकिन, ३० जनवरी को पता चला कि उसमें ६ फरवरी से पहले स्थान नहीं मिल सकेगा । इस लिये रात को ११। बजे की गाड़ी से आप विदा हुए । निजाम सरकार काफ़ी सावधान थी । उसने वाडी और गुलबर्गा के स्टेशनों पर सत्याग्रहियों की छानबीन के लिये बहुत कठोर प्रबन्ध किया हुआ था । सारी गाड़ियों को खूब टटोला जाता था और सन्दिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी । इस पर भी स्वामी जी हैदराबाद पहुंच गये और स्टेशन से आर्यसमाज मन्दिर भी पहुंच गए । वहां लगभग आध घण्टा तक आपको समाज-मन्दिर के बन्द होने से बाहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी । पुलिस

तो खोज में थी ही। खुफिया पुलिस का एक आदमी आ ही धमका। उसके पूछने पर स्वामी जी ने अपना नाम-धाम उसको बता दिया। उसके पुलिस स्टेशन चलने के आग्रह को जब आपने न माना, तब उसने स्वयं वहां जाकर आपके पहुंचने की सूचना दी। लंका में हनुमान जी के पहुंचने की-सी यह सूचना थी। पुलिस में भगदौड़ मच गई। हवाई-अड्डे पर स्वामी जी को न देख कर पुलिस वाले निश्चिन्त हो गये थे। स्वामी जी को सुपरिस्टेण्डेंट पुलिस के यहां ले जाया गया। वहां पहिली ही गाड़ी से हैदराबाद से बाहर हो जाने और वापिस न लौटने का आप पर हुक्म तामील किया गया। जब उसे मानने से आपने इन्कार किया, तो आपको हैदराबाद से ५१ मील की दूरी पर कामकोल के डाक बंगले में ले जाकर ठहरा दिया गया और दूसरे दिन ब्रिटिश सीमा के खानापुर स्थान पर ले जाकर लारी में बिठा कर शोलापुर पहुंचा दिया गया। पहलौ फरवरी १९३६ की दोपहर को दो बजे आप वहां के सत्याग्रह-शिविर में वापिस लौटा दिये गये।

स्वामीजी महाराज ने पुनः ४ फरवरी को हैदराबाद जाने का निश्चय कर गुलबर्गा के सूबेदार को वहां पहुंचने की सूचना दी। इस बार आपका विचार गुलबर्गा में सत्याग्रह करने का था। आप बीस सत्याग्रहियों के साथ चिदा हुए। बड़े उत्साह के साथ आपको बिदाई दी गई। दो बजे दुपहर को आप गुलबर्गा पहुंचे। पुलिस आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। उस द्वारा किये गए लौटने के आग्रह को स्वीकार न करने पर आप

सब को हवालात पहुंचा दिया गया । ५ फरवरी को एक-एक वर्ष की सख्त कैद की सजा सुना दी गई ।

स्वामी जी महाराज को ३१ जनवरी को प्रत्यक्ष सत्याग्रह का अवसर न मिलने पर भी अजमेर के स्वामी भास्करानन्द जी और गुरुकुल काङ्गड़ी के ब्रह्मचारी उस दिन सत्याग्रह करने में नहीं चूके । ब्रह्मचारियों के वहां पहुंचने और सत्याग्रह करने का वर्णन बहुत ही रोचक है । हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से वर्धा होकर पन्द्रह ब्रह्मचारियों का जत्या ब्रह्मचारी क्षितीश-कुमार के नेतृत्व में सिकन्दराबाद के लिए विदा हुआ । जैसे भी हो हैदराबाद पहुंच कर सुलतान बाजार में सत्याग्रह करने का उनको आदेश दिया गया था । वेशभूषा बदल कर सब वर्धा से विदा हुए । काञ्चीपेट में गाड़ी बदलनी थी । पुलिसवाले पीछे थे ही । काञ्चीपेट में सबके नाम पूछे गये और टिकिट भी ले लिये गये । लेकिन, सिकन्दराबाद में टिकिट लौटा दिये गये । वहां एक घर्मशाला में ठहरे । पुलिस को चक्रमा देकर हैदराबाद के सुलतान बाजार में पहुंचने का सवाल बहुत टेढ़ा था । लेकिन, नौजवानों की सूझ-बूझ तो पुलिस को भी चक्कर में डाल देती है । सिकन्दराबाद की सैर करने सब के सब निकले और हर चौराहे पर अलग अलग टोलियों में वंट जाते । पुलिस वाले कितनी टोलियों का पीछा करते । उनकी संख्या नियमित थी । महावीर मन्दिर से सुलतान बाजार बस में पहुंच गये । लेकिन, पहले दिन पांच ही नियत स्थान पर और नियत समय पर पहुंच कर सत्याग्रह कर सके । शेष नौ ने दूसरे दिन सत्याग्रह किया ।

ब्रह्मचारी चन्द्रगुप्त दूसरे दिन भी सत्याग्रह न कर सका। उसने वाद में किया। सबको ८ फरवरी को छः छः मास की सजा हुई और ब्रह्मचारी चन्द्रगुप्त को दो वर्ष की। ठीक छः माह बाद ८ अगस्त को समझौता होकर ब्रह्मचारी जेलों से बाहर आये। लेकिन ब्रह्मचारी रामनाथ को सदा के लिये ही पीछे छोड़ आये। निजाम सरकार की निर्मम जेलों के निर्मम एवं कठोर व्यवहार की अमानुष वेदनाओं की बलिवेदी पर उसका गौरवपूर्ण उत्सर्ग हो गया। शहीदों की पंक्ति में अपनी कुलभूमि के नाम को अङ्कित कराने का उज्ज्वल यश अमरशहीद रामनाथ ने प्राप्त किया।


निजाम की पुलिस के निश्चिन्त हो जाने पर भी हैदराबाद की जनता सत्याग्रह का श्रीगणेश देखने को अत्यन्त आतुर थी। सुलतान बाजार में उस दिन इतनी भीड़ थी कि रास्ता निकलना भी मुश्किल मालूम होता था। लोग इधर उधर उत्सुकता भरी आंखों से देख रहे थे कि सत्याग्रही किधर से आते हैं? आंखें चारों ओर से निराश हो ही रही थी कि कानों ने आकाशभेदी नारों की ध्वनि सुनी कि “महर्षि दयानन्द की जय”, “स्वामी श्रद्धानन्द की जय”, “आर्यसमाज जिन्दाबाद”। भीड़ में एकाएक उत्तेजना फैल गई और ‘सत्याग्रह आ गया’— ‘सत्याग्रह आ गया’ का चारों ओर शोर मच गया। दारोगा समेत पुलिस दल दौड़ा आया। सत्याग्रहियों के साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार किये गये। गेहूँ के साथ घुन पिसनेवाला काम हुआ।

इस सत्याग्रह का इस प्रकार श्रीगणेश होने से पहिले भी हैदराबाद में निजाम प्रान्तीय आर्य रक्षा समिति ने सत्याग्रह ८ अक्टूबर १९३८ से शुरू कर दिया था। २१ अक्टूबर १९३८ को पूना में अपना केन्द्र बना कर हिन्दू महासभा ने भी सत्याग्रह शुरू किया था। २६ अक्टूबर १९३८ से स्टेट कांग्रेस का भी सत्याग्रह शुरू हो गया था। लेकिन, स्टेट कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह इस लिये बन्द कर दिया कि आर्य सत्याग्रह से उसके सत्याग्रह के सम्बन्ध में कोई भ्रम पैदा न हो।

हिन्दू महासभा के सत्याग्रह का वृत्तान्त पृथक् प्रकाशित किया जा चुका है। आर्य रक्षा समिति के सत्याग्रह के श्री देवीलाल जी सबसे पहिले सर्वाधिकारी थे। दूसरे सर्वाधिकारी मुखेड़ आर्यसमाज के मन्त्री श्री श्रीराम जी चौधरी थे। आपका अपराध यह था कि आपने सरकारी कानून की अवज्ञा करके हवन किया था। तीन मास में लगभग ६१५ सत्याग्रही जेल जा चुके थे। श्री भिन्नाशंकर रेड्डी, श्री बलदेव तथा पं० नरेन्द्र जी आदि कितने ही आर्य उपदेशक और परिष्ठित सिर्फ आर्यसमाजी होने से गिरफ्तार किये गये थे। पं० नरेन्द्र जी को १५ अक्टूबर १९३८ को खुफिया पुलिस के एक अफसर ने अपने यहां भोजन के लिए बुलाया। वहां ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको काले पानी की सजा दी गई। ऐसी ही आपत्तियों के प्रतिकूल आर्यजगत् को अपनी शिरोमणि सभा सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में निजाम-सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह का यह संग्राम छेड़ने को लाचार होना पड़ा था।



श्री० चांदकरणजी शारदा
(दूसरे सर्वाधिकारी)



श्री० खुशहालचन्द्रजी खुरसंद
(तीसरे सर्वाधिकारी)

३. सत्याग्रह की प्रगति

क. दूसरे सर्वाधिकारी

राजस्थान केसरी श्री चांदकरण जी शारदा को श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । आप आर्यसमाज के उन परखे हुए कर्मनिष्ठ नेताओं में से हैं, जिन्होंने देश, जाति और धर्म की पुकार पर सदा ही अपने को सबसे पहिले पेश किया है । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराजकी आप पर सदा ही विशेष कृपा रही । होमरूल लीग और कांग्रेस में भी आप शामिल रहे । १९२० के सत्याग्रह में आप जेल भी गए और वकालत का भी परित्याग किया । स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ कांग्रेस का परित्याग करके आपने भी अपने को शुद्धि और सङ्गठन के काम में लगा दिया । राजस्थान की जागृति में भी आपका विशेष भाग है । मारवाड़ी समाज की, विशेषतः माहेश्वरियों की सामाजिक प्रगति में आप बराबर भाग

लेते रहे हैं। ऐसे कर्मनिष्ठ नेता को दूसरे सर्वाधिकारी के रूप में पाकर सचमुच ही आर्य सत्याग्रह को विशेष बल मिला। अजमेर से दिल्ली होकर आप ८ फरवरी को वम्बई पहुंचे। चौपाटी पर एक विशाल सार्वजनिक सभा में आपका भाषण हुआ। आपको एक थैली और मान पत्र भेंट किया गया। ६ फरवरी को सबेरे आप शोलापुर पहुंचे। आर्यसमाज के यशस्वी उपदेशक श्री बुद्धदेव मीरपुरी भी इसी दिन वहां पहुंचे। मीरपुरी भी प्रचार के कार्य में लग गये और शारदा जी ने सत्याग्रह के कार्यालय का काम संभाला। प्रकाशन और प्रचार का कार्य सुव्यवस्थित करके आपने सत्याग्रह को देशव्यापी बनाने में कुछ भी उठान रखा। ५ मार्च आपके सत्याग्रह का दिन नियत हुआ। लगभग एक मास में आपने प्रचार और प्रकाशन की धूम मचा दी। विज्ञप्तियों और बुलैटिनों के प्रकाशन पर आपने विशेष जोर दिया। आपने ७५ साथियों के साथ गुलबर्गा के लिए कूच की। गुरुकुल वृन्दावन के ब्रह्मचारियों का जत्था परिणित ब्रह्मदत्त जी आयुर्वेदशिरोमणि के नेतृत्व में और ज्वालापुर महाविद्यालय के १५ ब्रह्मचारियों का जत्था स्वामी विवेकानन्द जी के नेतृत्व में आपके इस जत्थे में शामिल था। अजमेर, अहमदाबाद और निजाम राज्य के सत्याग्रही भी आपके साथ थे। १५ मार्च को आपको सब साथियों के साथ १३-१३ मास की सजा सुना दी गई। मुकद्दमा जेल में ही हुआ। ३०० सत्याग्रही इस मास में सत्याग्रह कर चुके थे। कुल संख्या १५०० तक पहुंच गई थी। स्वामी परमानन्द जी के ६२ सत्याग्रहियों के जत्थे ने भी इसी बीच सत्याग्रह किया था।

(ख) तीसरे सर्वाधिकारी


पंजाब के सुप्रसिद्ध पत्रकार, 'मिलाप' के संचालक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि पंजाब के प्रधान और महात्मा हंसराज जी के उत्तराधिकारी पंजाब केसरी लाला खुशहालचन्द जी खुर्सेन्द आर्य सत्याग्रह के तीसरे सर्वाधिकारी नियुक्त हुए। १९०७ में आपने आर्यसमाज और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। "आर्य गजट" का २५ वर्षों तक योग्यतापूर्वक सम्पादन किया। मालाबार के दङ्गों के बाद वहां आपने सराहनीय काम किया। काश्मीर, गढ़वाल, कोहाट, कांगड़ा, राजपूताना, और डेरा-इस्माईल खां में आपने हिन्दू समाज की चिरस्मरणीय सेवा की। लाहौर में लोकनायक बापूजी अग्ने के सभापतित्व में सभा होकर आपको २० फरवरी को विदाई दी गई। दिल्ली में और बम्बई तक प्रायः हर स्टेशन पर आपका शानदार स्वागत किया गया। २४ फरवरी को आपके सम्मान में बम्बई में एक विशाल सभा हुई। २५ फरवरी को आप शोलापुर पहुँचे। यहां भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।

सत्याग्रह शिविर में २०-२२ दिन रहकर आपने उसके कार्य को व्यवस्थित किया और महाराष्ट्र में सत्याग्रह के सम्बन्धमें विशेष रूप से प्रचार किया। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के सभापतित्व में आपने "युद्ध-समिति" की भी स्थापना की। प्रो० शिवदयालु जी एम. ए., ला० देवीचन्द्र जी एम. ए., पण्डित ज्ञानचन्द्र जी बी. ए. और लाला वृजलाल जी को इसका सदस्य


बनाया । सत्याग्रह से पूर्व आपने अहमदनगर, मेवला आदि का दौरा किया । २२ मार्च को १५४ सत्याग्रहियों के साथ आपने सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया । महाविद्यालय जवालापुर का दूसरा जत्था भी आपके साथ था । गुलबर्गा स्टेशन पर पहुँचते ही आपको सब साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । २७ मार्च को आपके मुकद्दमे का फैसला हुआ । गुलबर्गा जेल इतना भर गया कि सत्याग्रहियों को वरामदों और कैम्पो में ठहरना पड़ा ।

ग. चौथे सर्वाधिकारी

चित्तराग स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज के प्रिय शिष्य, आजन्म ब्रह्मचारी रहकर देश, जाति एवं धर्म की सेवा में अपने को अनवरत लगा देने वाले और युक्तप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के तेजस्वी प्रधान राजगुरु श्री धुरेन्द्र जी शास्त्री को श्रीमान् खुर्सेन्द जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । व्याकरण, दर्शनशास्त्र और वैदिक साहित्य के आप प्रगाढ़ पण्डित हैं । आर्यसमाज और कांग्रेस के दोनों क्षेत्रों में आपने समान रूप से कार्य किया है । बिहार में राष्ट्र के लिए आपने जेल यात्रा तक की । मथुरा में जन्म होने पर भी आपका व्यक्तित्व एवं प्रतिष्ठा प्रान्तीयता से सर्वथा अलिप्त है । युक्तप्रान्त, बिहार, राजपूताना, सिन्ध, गुजरात और बङ्गाल, आदि प्रांतों में आपका एक समान प्रभाव है । भारतवर्षीय आर्यकुमार परिषद् के भी आप सभापति रह चुके हैं । धर्मप्रचार आपके जीवन का व्रत है । राष्ट्र की



राजगुरु श्री धुरेन्द्रजी शास्त्री
(चौथे सर्वाधिकारी)



श्री वेदव्रतजी वामनप्रभु
(पांचवें सर्वाधिकारी)

स्वतन्त्रता की आर्जना के लिये देश में सशस्त्र क्रांति है। तब ही
 एवं तपस्या को मानना देश में सशस्त्र क्रांति के लिये जीवन का प्रथम
 कदम है। सादगी, सरलता, पवित्रता, निरुद्धिर और सदाचार
 के सङ्गणों के आधार पर आपने अपने जीवन का निर्माण
 किया है। अनेक राजाओं, रईसों, श्रीमानों को आपने कीर्ति-
 धर्म की शिक्षा दी है। आपने सत्याग्रह के सर्वाधिकारी
 नियत होते ही आपने अपने पाँच का लक्ष्य ही हीरा शुरू किया।
 एक छोड़ सायाह में आपने लगभग २० हजार रुपया सत्याग्रह के
 लिए जमा किया। अरेब से दिल्ली पधारने पर भी आपके
 स्वागत का आयोजन किया गया और शोलापुर पहुँचने तक ४
 मास्य कितने स्थानों पर आपके पाँच जलता के अर्जालों
 आपत की। सौ सत्याग्रही सैनिकों के साथ आप २० मार्च को
 शोलापुर पहुँचे। वहाँ से आपने गुजरात पाँच का लक्ष्य किया।
 आत्मदान, सुरत, आनन्द आदि के अलावा आप पुजा की
 ओर भी गए। २२ अप्रैल को आपने "प्रज्ञासूत्र संस्था" से ४२५
 सत्याग्रहियों के साथ गुजरात के लिए प्रस्थान किया। सभी दिन
 लगभग २०० अन्य सत्याग्रहियों के प्रसाद, चाँदी, बेजवाहा तथा
 आत्मदानगर केन्द्रों से सत्याग्रह करते हुए विजय राज्य की
 सीमा में प्रवेश किया।

सत्याग्रह को प्रतना व्यापक एवं प्रबल बनाने का जो
 प्रयत्न आपने प्राप्त किया, उसका एक विशेष कारण था। सरकारी
 चर्चा तथा स्थान की जायगी। वहाँ प्रतना ही रचित करना प्रथम
 होगा कि २० मार्च को प्रतिस के प्रत्येकतर जनरल भी प्रसन्न हों

वालिनस, गुलबर्गा डिवीजन के कमिश्नर श्री यार जंग बहादुर और कलैक्टर श्री रिजवी और जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट आर्य नेताओं से गुलबर्गा जेल में मिले। उन्होंने सन्धि-चर्चा चलानी चाही। बाहर के आर्य नेताओं को भी सन्धि के सन्देश भेजे गये। इस सन्धि-चर्चा के भंग होने से आर्य सत्याग्रह को और भी अधिक वेग से व्यापक रूप में चलाने का निश्चय किया गया। उसी का परिणाम था कि चौथे सर्वाधिकारी के साथ इतने व्यापक रूप में सत्याग्रह हुआ। १६ अप्रैल को अजमेर से एक "राजगुरु-स्पेशल" अजमेर के कर्तव्यनिष्ठ नेता श्री जियालाल जी के उद्योग से रवाना की गई। इसमें तीन सौ के लगभग सत्याग्रही थे। यह स्पेशल व्यावर, आवू रोड, अहमदाबाद, बम्बई होती हुई २१ अप्रैल को शोलापुर पहुंची। २२ अप्रैल को यही 'राजगुरु स्पेशल' ५३१ सत्याग्रहियों को लेकर गुलबर्गा दोपहर को २ बजे पहुंचे। स्टेशन पर पुलिस और बाहर खड़ी जनता की अपार भीड़ ने आपका स्वागत किया। निजाम सरकार की प्रेरणा पर एक शिष्टमण्डल आपसे स्टेशन पर मिला, जिसने आपसे सत्याग्रह को बन्द करने का अनुरोध किया। आपने कहा कि ऐसा करने का अधिकार तो केवल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को है। स्टेशन से बाहर होते ही आप सबको स्टेशन से डेढ़ मील दूर कोतवाली ले जाया गया। वहां से जेल भेज दिया गया। इन सत्याग्रहियों में चौधरी शूरवीरसिंह जी, चौधरी महेन्द्रपालसिंह, आर्य मुसाफिर कुंवर सुखलाल जी भजनोपदेशक, ठाकुर अमरसिंह जी, ठाकुर लाखन-


सिंह जी और श्री महन्तराम जी, के नाम उल्लेखनीय हैं । २४ अप्रैल को सभी सत्याग्रहियों को दो-दो वर्ष की सजा सुना दी गई ।

घ. पांचवें सर्वाधिकारी

बिहार के सुप्रसिद्ध वानप्रस्थी, आर्य जगत् और राष्ट्रीय जगत् में समान रूप से प्रतिष्ठित, देश, जाति तथा राष्ट्र की समान रूप से सेवा करनेवाले और बिहार प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्राण श्री वेदव्रत जी के सिर पर पांचवें सर्वाधिकारी का कांटों का ताज रखा गया । युक्त प्रान्त के जिला वस्ती धोनखड़ा ग्राम के एक अमींदार के घर में जन्म लेने पर भी आपने त्यागमय और सेवामय जीवन विताने का संकल्प कर लिया । १९१३ में आपने आर्यसमाज में प्रवेश किया और १९१४ से बिहार में जम कर बैठ गये । कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन में आपको एक वर्ष के लिए जेलयात्रा भी करनी पड़ी । कांग्रेस के उत्तरदायी पदों पर रहकर भी आपने राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य किया । बिहार भूकम्प में आपने आर्यसमाज रिलीफ सोसायटी के प्रधान मन्त्री का काम किया । १९३५ में बिहार प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुये ।

बिहार से विदा होकर आप २१ अप्रैल को शोलापुर पहुँचे । २५ अप्रैल से आपने बरार प्रान्त का दौरा बम्बई से शुरू किया । अकोला अमरावती और नागपुर में आपके विशेष भाषण हुए । शोलापुर में सर सिकन्दर ह्यातखां के सभापतित्वमें

बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होकर जो परिस्थिति पैदा की गई और उसके परिणामस्वरूप किस प्रकार सत्याग्रह का केन्द्र शोलापुर से मनसाइ ले आना पड़ा,—इसका वर्णन यथास्थान दिया जायेगा। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन के कारण शोलापुर में सत्याग्रह की प्रवृत्तियां बन्द कर दी गईं। इसी से पांचवें सर्वाधिकारी के सत्याग्रह के लिये पुसद का केन्द्र निश्चित किया गया। वहां ५३४ सत्याग्रही आपके साथ सत्याग्रह करने को तैयार थे। पान गङ्ग के इस ओर ब्रिटिश सीमा थी और दूसरी ओर निजाम सरकार का राज्य फैला हुआ था। ५ मई को आपने सत्याग्रह किया। दोनों ओर आस पास की ग्रामीण जनता हज़ारों की संख्या में उस सुनहरी दृश्य को देखने के लिए लालायित थी। इस ओर वरार की पुलिस और दूसरी ओर निजाम सरकार की पुलिस के अधिकारी तथा नौजवान आप सब को विदाई देने और आपका स्वागत करने को तैनात थे। सायं बेली में सत्याग्रहियों ने अपने नेता की अधीनता में कूच बोल दी और पैदल नदी पार की। इन सैनिकों में आर्यसमाज के अनेक महारथी भी शामिल थे। जालन्धर के प्रो० ज्ञानचन्द्र जी एम० ए०, लायलपुर के पण्डित सोमदेव जी, जड़ावाला के श्री शिवनाथ जी, रोहतक के श्री० एस० एच० नौनिहालसिंह, हिसार के पं० बाबूराम, लाहौर के श्री विद्याचन्द्र जी आदि अनेक सेनानायक के रूप में इस जत्थे में शामिल हुये। शाहपुर रियासत के एक मुसलमान सज्जन सैयद फैजअली और पांच सिख बन्धु भी इसमें सम्मिलित थे।



श्री जगनेन्द्रजी मिथलान्तपुराय
(सातवें सर्वधिकारी)



महाराज कृष्णजी
(षष्ठे सर्वधिकारी)

पान गङ्गा से तीन मील दूर रूपगांव तक जत्थे को पैदल लाया गया। वृत्तों के नीचे डेरा लगाया गया। दूसरे दिन शाम को भोजन के लिए चुने हुये चनों का प्रबन्ध किया गया। वहीं उनके मुकदमे का नाटक रचा गया। सर्वाधिकारी का दो वर्ष और सैनिकों को डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा दी गई। हंदागांव से आप लोगों को नांदिड़ लाया गया। वहां से हैदराबाद ले जाकर भिन्न भिन्न जेजों में पहुंचा दिया गया।

६. छठे सर्वाधिकारी


पंजाब में आर्यसमाज के निर्माता और पुराने नेता महाशय कृष्ण जी वी० ए० के छठे सर्वाधिकारी नियुक्त होते ही पंजाब में अपूर्व उत्साह का संचार हो गया। आप सुप्रसिद्ध पत्रकार, उद्भट लेखक और प्रभावशाली वक्ता हैं। तैंतीस वर्ष हुए कि आपने 'प्रकाश' का प्रकाशन शुरू किया था। इस समय आप का दैनिक 'प्रताप' पंजाब के प्रमुख समाचारपत्रों में से एक है। पंजाब के प्रतिनिधि सभा के निर्माताओं में आपका प्रमुख स्थान है। सत्याग्रह के सर्वाधिकारी नियुक्त होते ही आपने पंजाब का दौरा शुरू किया और पंजाब से ४७५००) और एक हजार सत्याग्रही आपने एकत्रित किये। २७ मई को आपने लाहौर से प्रस्थान किया। दिल्ली की शाही नगरी में भी आपका शाही स्वागत किया गया। कोई दो दर्जन मान-पत्र और आठ हजार रुपए की थैलियां आपको भेंट की गईं। रास्ते में सब स्टेशनों पर भी आपका हार्दिक सम्मान किया गया। एक जून को ४२० सत्याग्रहियों के

साथ आप मनमाड़ पहुंचे। शोलापुर के बाद मनमाड़ में ही सत्याग्रह का केन्द्रीय शिविर बनाया गया था। २ जून को बम्बई पधार कर आपने वहां सत्याग्रह का शंख फूँका। ४ जून को मनमाड़ में एक विराट् सार्वजनिक समारोह का आपके सम्मान में आयोजन किया गया। ५ जून को आपने 'कृष्ण-स्पेशल' से मनमाड़ से औरंगाबाद के लिए प्रस्थान किया। ७८२ सैनिकों के साथ आप औरंगाबाद दुपहर को ३ बजे पहुंच गए। इसी दिन पुसद से १५०, अहमदनगर से ६०, वैजवाड़ा से ५०, चांदा से ६१, हैदराबाद से २४ और शोलापुर से २५ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। ११५० से अधिक ही सत्याग्रहियों ने इस दिन सत्याग्रह किया।

'कृष्ण-स्पेशल' के औरंगाबाद पहुंचते ही वहां के सूचेदार, ताल्लुकेदार, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा नाजिम आपके पास आए। आपसे सत्याग्रह न करने का अनुरोध किया गया और उसे बन्द करने की भी याचना की गई। आपने उत्तर दिया कि वैसा करने का अधिकार तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को ही है। आपने स्टेशन के बाहर आकर एक छोटा-सा भाषण दिया। आपने कहा कि यह सत्याग्रह निजाम या इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। आपको इस सभा को भंग करने का आदेश दिया गया। उसके पालन न करने पर सब को गिरफ्तार कर लिया गया। ५० से अधिक क्लर्क इनका चालान तैयार करने में बड़ी रात गई तक लगे रहे। बाद में सबको जेल पहुंचा दिया गया।



प्रो० सुधाकरजी एम० ए०
(आप सत्याग्रह के दिनों में प्रधान मन्त्री थे)



डॉक्टर विनायकरावजी विचालंकार
(आठवें सर्वाधिकारी)

च. सातवें सर्वाधिकारी

महाशय कृष्ण जी के बाद सप्तम सर्वाधिकारी का गौरव गुजरात को दिया गया और पण्डित ज्ञानेन्द्र जी सिद्धान्तभूषण को इसी दृष्टि से आपका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। आपका जन्म १९१० में गुजरात प्रान्त में हुआ था। उच्च धार्मिक-शिक्षा आपकी दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर में हुई। एक वर्ष आपने पंजाब में बिताया। गुरुकुल सूपा में भी कुछ दिन रहे। बाद में स्वतन्त्र रूप से गुजरात में प्रचार करने में लग गये। आपका जीवन सरल, सात्विक और निर्व्यसनी है। आपने ३१ जून को बम्बई से शोलापुर होते हुए गुलबर्गा के लिए प्रस्थान किया। आपके साथ १७० सत्याग्रही विदा हुए। ज्वालापुर महा-विद्यालय के ब्रह्मचारी, बड़ौदा, खाड़ाखेड़ी, कोटा, आनन्द, नागर, गंगानगर, मिरजापुर और हिसार के सत्याग्रही आपके साथ थे। गुलबर्गा में आप सब २३ जून को गिरफ्तार कर लिये गये। २५ जून को आप सब को ६—६ मास सख्त कैद की सजा सुना दी गई।

छ. आठवें सर्वाधिकारी

गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक, निजाम राज्य प्रति-निधि सभा हैदराबाद-सुलतानबाजार आर्यसमाज के प्रधान, वहाँ की हिन्दू-आर्य-प्रजा के अप्रतिद्वन्द्वी नेता और सुप्रसिद्ध पिता स्वर्गीय श्री केशवराव जी जज के सुयोग्य पुत्र श्री विनायकराव जी विद्यालंकार बैरिस्टर के सिर पर आठवें सर्वाधिकारी का

मुकुट रखा गया। आप शुरू से ही इस आन्दोलन के साथ तन्मय थे और उसकी सारी ही गति-विधि में प्रेरक हाथ आपका था। इस ज़िम्मेवारी के सिर पर आते ही आप दौरे पर निकल पड़े। उत्तर-भारत का आपने तूफानी दौरा पहिली जुलाई से शुरू किया। दिल्ली से होते हुए आप युक्तप्रान्त के कुछ स्थानों पर गये। इस दौरे में आपने युक्तप्रान्त और दिल्ली में तीस भाषण दिये। २२५० मील की यात्रा में आपको १६५००) रुपये की थैलियां भेंट की गईं।

इस समय तक कुल १२ हज़ार सत्याग्रही जेल जा चुके थे, जिनमें निज़ाम राज्य के ही लगभग ६ हज़ार थे। निज़ाम राज्य की ओर से ये संख्याएं ८ हज़ार और १६ सौ कहीं जाती थीं। ये संख्याएँ ही इस बात का खण्डन करने को बस थीं कि यह संघर्ष बाहरवालों का छेड़ा हुआ है। श्री विनायकराव जी के सर्वाधिकारी नियुक्त होने से और उनके साथ लगभग १२०० सत्याग्रहियों के सत्याग्रह के लिये तय्यार होने से, जिनमें अधिक संख्या निज़ाम राज्य के ही लोगों की थी, ऐसा कहने-वालों का मुंह एक दम ही बन्द हो गया। अहमदनगर में ये सैनिक शिविर डाले हुए थे, जहां कि निज़ाम राज्य से सत्याग्रह के लिए आने वालों का तांता ही बंधा हुआ था। पंजाब, युक्त-प्रान्त, बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत और मध्यप्रान्त में भी एक नई लहर पैदा हो गई थी। आशा की जाती थी कि २१ जुलाई को श्री विनायकराव जी लगभग १५०० सैनिकों के साथ सत्याग्रह करेंगे और अन्य केन्द्रों से भी बहुत बड़ी संख्या में

सत्याग्रही कूच करेंगे। लेकिन, एकाएक संधि चर्चा शुरू होगई। सत्याग्रहियों को जहाँ का तहाँ रोक दिया गया। श्री देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री अजमेर से एक स्पेशल ट्रेन में विदा हुए थे। उनके सैनिक खण्डघा में छावनी डाले पड़े रहे। ये सभ सैनिक आगे बढ़ने के लिये दिन गिन रहे थे कि घरों को लौटने का हुक्म होगया। दिल की दिल में रह गई। सहकमा 'उमूर ए मजहबी' के मुखपत्र 'वक्त' ने ७ जुलाई को ही लिख दिया था कि "२३ जुलाई से पहिले ही निजाम सरकार आर्चसमाज की मांगें स्वीकार कर लेगी। इस लिए पं० विनायकराव जी सत्याग्रह नहीं करेंगे।" वैसे ही हुआ भी।

सन्धि-चर्चा से पहिले सत्याग्रह के सम्वन्ध में कुछ और चर्चा कर लेना आवश्यक है।

सत्याग्रह की प्रगति

(क) जत्थेदार

सर्वाधिकारी के रूप में सत्याग्रह के लिए उम्मीदवार नेताओं की संख्या ४० तक पहुँच चुकी थी। लेकिन जब आठवें सर्वाधिकारी सब तैयारी करने के बाद भी जेल न जा सके, तब औरों की तो क्या ही वारी आनी थी? अनेक महानुभाव इतने उतावले थे कि उन्होंने सर्वाधिकारी के रूप में सत्याग्रह करने की प्रतीक्षा न करके जत्थेदार की हैसियत से ही इस धर्म-युद्ध में अपनी आहुति देना अपना अहोभाग्य समझा। उनके सम्बन्ध में भी कुछ पंक्तियाँ देना आवश्यक है। ऐसे सज्जनों की संख्या भी सौ से ऊपर थी। उनमें से कुछ का परिचय हम नीचे दे रहे हैं—

१. श्रीयुत आर. सी. मसानिया—वरार मध्यप्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री थे। बाद में उसके उप-

प्रधान भी चुने गए। पुसद केन्द्र के सञ्चालक का कार्य आपने योग्यतापूर्वक किया। वैरिस्टर श्री विनायकराव जी विद्यालंकार के बाद आप नौवें अधिकारी नियुक्त हो चुके थे। लेकिन जेल जाने का सौभाग्य आपको न मिल सका !

२. पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री—शास्त्रार्थ महारथी स्वनामधन्य पण्डित मुरारीलाल जी शर्मा के सुपुत्र और सिकन्दराबाद गुरुकुल के आचार्य पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री को जेल न जाने का जितना मलाल हुआ होगा, उतना शायद ही किसी और को रहा हो। जेल के मार्ग पर जाते हुए आपको जैसे रास्ते में ही रोक लिया गया था। युक्तप्रांत का तूफानी दौरा कर आपने तहलका मचा दिया और मानो एक-एक आदमी को भूकम्भोर कर खड़ा कर दिया। मानपत्रों और थैलियों की आप पर इस दौरे में वर्षा हुई। ३५० सत्याग्रहियों को साथ लेकर आपकी 'देवेन्द्र स्पेशल' अजमेर से रवाना हुई। लेकिन, १६ जुलाई को आपको खण्डवा में 'हाल्ट' करने का हुक्म मिला। सन्धि-चर्चा के समाप्त होने तक, लगभग तीन सप्ताह, आप वहाँ ही पड़ाव डाले रहे। आपको बुरी तरह! निराश होकर वापिस लौट आना पड़ा।

३. पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार—गुरुकुल विश्व-विद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार के सुयोग्य स्नातक, वैदिक साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित, सुप्रसिद्ध व्याख्याता एवं उपदेशक, धुन के पक्के, लगन के सच्चे और वैदिक धर्म के मतवाले पं० बुद्धदेव जी

विद्यालङ्कार आर्यसमाज की पुकार पर भला कैसे पीछे रह सकते थे ? आपका धर्मानुराग कुछ लोगों की दृष्टि में कट्टरता को और सादगी-सरलता एवं भावुकता पागलपन को भी मात कर गई हैं। खाने, पहिनने और रहने-सहने की चिन्ता करने की मानो आपको फुरसत ही नहीं है। युक्तप्रान्त और पंजाब के कुछ दिनों के कुछ ही जिलों से आपने २५ हजार रुपया आर्य सत्याग्रह के लिए जमा कर दिया। लाहौर के गुरुदत्त भवन में विशाल आयोजन आपकी विदाई के उपलक्ष्य में हुआ। इसी प्रकार दिल्ली से भी आपको शानदार विदाई दी गई। २८५ सत्याग्रहियों के साथ आप दिल्ली से विदा हुए। मनमाड़ से औरङ्गाबाद पहुंचकर २ जुलाई को आपने सत्याग्रह किया। सवा दो साल की आपको सजा हुई।

४. आचार्य मुक्तिरामजी—दर्शन और वैदिक साहित्य के आप माने हुए विद्वान् हैं। 'सन्त' शब्द आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र पर ठीक बैठता है। आप अविवाहित हैं। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी आपका जीवन-व्रत है। रावलपिण्डी के गुरुकुल पोठोहार के आप आचार्य हैं। आप अकेले ही हैदराबाद पहुंचे और वहां आपने आर्यसमाजों का दौरा करके धर्मप्रचार शुरू कर दिया। आप गिरफ्तार किये गये और छः मास की आपको सजा दे दी गई।

५. श्री ज्ञानचन्द्र जी एम. ए.—आर्यसमाज के शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम पैदा किया है, उनमें आपका

नाम जरूर लिया जा सकता है । जालन्धर डी ए. वी. कॉलेज के आप वायस-प्रेसिपल हैं । आपने ५ मई को १०० सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह किया और डेढ़ वर्ष की आपको सजा हुई । जेल में आपका स्वास्थ्य बिलकुल बिगड़ गया । वहाँ के कठोर जीवन का आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा ।

६. पालीरत्न पण्डित चन्द्रमणि जी विद्यालङ्कार—

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के दूसरे वैच के सुयोग्य स्नातक, वैदिक साहित्य के विशेषकर निरुक्त के उच्चतम विद्वान् और वेद के भूतपूर्व उपाध्याय श्री चन्द्रमणि जी विद्यालङ्कार पर गुरुकुल को काफ़ी गर्व है । कांग्रेस के सत्याग्रह में भी आपने जेल जाने का गौरव प्राप्त किया है । आपने सत्याग्रह के प्रारम्भ दिनों में ही १३ सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद के लिए प्रस्थान किया । स्थान २ पर प्रचार भी किया । ठीक हैदराबाद शहर में पहुँचकर आपने ४ अप्रैल को सत्याग्रह किया और एक वर्ष की आपको सजा हुई ।

७. स्वामी ब्रह्मानन्द जी—

बिहार में आपका जन्म हुआ; लेकिन, कार्यक्षेत्र बनाया आपने उत्तर भारत को । इस समय भी हरियाना में आप धर्म प्रचार करने में लगे हुए हैं । 'भारतमित्र'—कलकत्ता, वैदिक यन्त्रालय—अजमेर, 'सद्धर्म-प्रचारक'—जालन्धर आदि में आपने काम किया । गुरुकुल कांगड़ी में भी आपने अध्यापक का कार्य किया । गुरुकुल मङ्गल और भैँसवाल के आप मुख्याधिष्ठाता और आचार्य भी रहे ।

आपकी आयु इस समय ७५ वर्ष के लगभग है। आपने सौ सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद के लिए कूच की। जेल में भी आप प्रसन्नचित्त रहे।

८. पं० बुद्धदेव जी भीरपुरी—आप ऊंचे दर्जे के वक्ता, व्याख्यान और शास्त्रार्थ महारथी हैं। पुराण, महाभारत तथा वैदिक ग्रंथों की कथा आप बहुत ही प्रभावशाली ढङ्ग में करते हैं। शोलापुर में आपकी कथा हुई। लाहौर लौटकर ५० सत्याग्रहियों को साथ लेकर आपने गुलबर्गा में सत्याग्रह किया।

९. पं० रामदत्त जी ज्ञानी—करहानापुर ही में क्यों, सारे मध्यप्रांत में आर्यसमाज के प्रचार का आपको श्रेय है। कांग्रेस और आर्यसमाज के दोनों क्षेत्रों में आपने काम किया। वरार मध्यप्रांतीय प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र “आर्यसेवक” के भी आप सम्पादक रहे हैं। प्रांतीय सत्याग्रह समिति के आप मन्त्री थे। प्रांत के द्वितीय सर्वाधिकारी की हैसियत से १०० सत्याग्रहियों के सामने सत्तुर में ५ जुलाई का सत्याग्रह किया। आपके साथ रोहतक, अमरावती, वैतूल, दानापुर, कोसीकलां, गंगानगर और निवासपुर के सत्याग्रही थे। एक-एक वर्ष की सजा हुई।

१०. लाला मुरारीलाल जी—पंजाब के रिटायर्ड सैशन जज होते हुए भी आपने एक साधारण सत्याग्रही के रूप

में जल्से में शामिल होकर सत्याग्रह किया। आपका भेद अदालत में जाकर खुला। आपको एक वर्ष की सजा हुई।

११. चौ० शूरवीरसिंह जी—राजगुरु धुरेन्द्र जी शास्त्री ने आपको युद्ध समिति का सदस्य नियुक्त किया था और आपने सत्याग्रह शिविर शोलापुर में रहकर काफ़ी योग्यता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया था। २२ अप्रैल को आपने सत्याग्रह किया और सवा दो वर्ष की आपको सजा हुई।

० २. स्वामी आनन्दप्रकाश जी तीर्थ—आप ज्वालापुर महाविद्यालय के अन्यतम सहायक और आधारस्तम्भ हैं। अहोरात्र आपको उसी की चिन्ता रहती है। आपकी विद्वत्ता, भाषणशैली और कथाप्रणाली प्रभावोत्पादक हैं। आप बालब्रह्मचारी हैं। इस समय आपकी आयु लगभग ६० वर्ष है। ज्वालापुर महाविद्यालय के १४ सत्याग्रहियों के पहिले जत्थे का आपने नेतृत्व किया। हैदराबाद पहुँचने तक आपने स्थान २ पर प्रचार किया। २२ जून को गुलबर्गा में आपने सत्याग्रह किया, जिसका पुरस्कार आपको डेढ़ वर्ष की कठोर सजा के रूप में मिला।

१३. श्रीयुत अजीतसिंह जी सत्यार्थी—पंजाब आर्य-स्वराज्य सभा के संस्थापकों में से आप एक हैं और वर्षों उसके मन्त्री रह कर आपने कार्य किया। लाहौर में पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय जी की प्रस्तर मूर्ति स्थापित करने का श्रेय आपको ही है। आर्य स्वराज्य सभा का दूसरा जत्था लेकर आप आये

और ५ जून को आपने पाटन के मैदान में सत्याग्रह किया। जिसके लिए ३ वर्ष १ मास की आपको सजा हुई।

१४. श्री गणेशरंगनाथ भट्ट वी० ए० एल-एल० वी० जबलपुर में आपका जन्म हुआ। अभी वकालत का परित्याग कर आप वरार-मध्यप्रान्त के पहिले सत्याग्रही जत्थे के जत्थेदार नियुक्त किये गए। ३०० सत्याग्रहियों के साथ आपने कूच की। दो-दो वर्ष की आपको सजा हुई।

१५. ला० ठाकुरदामजी वानप्रस्थी—विज्नौर के पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में आपका प्रमुख स्थान है और आपका सारा ही घराना पक्का आर्यसमाजी है। कांग्रेस के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया और कई बार जेल भी गये। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक वर्ष रह कर आपने मुख्याधिष्ठाता का काम किया। इस समय आप वानप्रस्थाश्रम डवालापुर में एकान्त-जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ७ वानप्रस्थियों के जत्थों के साथ आपने ३ अप्रैल को गुलबर्गा में सत्याग्रह किया। आपको ६ मास की सजा हुई।

१६. ठाकुर अमरसिंह जी—बुलन्दशहर के आप 'निवासी' हैं। 'खुशहाल-वीर-सेना' नाम के जत्थे के साथ, जिसमें ५७ सत्याग्रही थे, आपने २२ अप्रैल को गुलबर्गा में सत्याग्रह किया। दो वर्ष एक मास की आपको सजा हुई। इस जत्थे के लश्कर निवासी सेठ गूजरमल जी जौहरी और ला० महन्तरामजी का नाम उल्लेखनीय है। दोनों लक्षाधिपति साहूकार हैं और आर्यसमाज के अन्यतम श्रद्धालु भक्त हैं।

१७. पं० प्रियरत्न जी आर्ष—वैदिक साहित्य के इनेगिने विद्वानों में से आप अन्यतम हैं । स्वाध्याय आपके जीवन का व्रत है । चारों वेदों का आपने पारायण किया है । वैदिक विषयों पर दर्जनों ग्रन्थ आपने लिखे हैं । आप अविवाहित हैं । २२ अप्रैल को १०४ सत्याग्रहियों के साथ उस्मानाबाद में आपने सत्याग्रह किया और दो वर्ष की आपकी सजा हुई ।

१८. आचार्य रामदेव जी—मिलिटरी की सेवा से स्तीफा देकर आप आर्यसमाज के सेवक और गुरुकुल मेलम के आचार्य बन गये । हृदगांव में ७७ सत्याग्रहियों के साथ आपने सत्याग्रह किया और डेढ़ वर्ष की आपको सजा हुई । जेल में अन्य कठोर कार्यों के साथ आपने पाखाना तक साफ करने का भी काम किया ।

१९. पं० पूर्णचन्द्र जी—भूइपुर जिला मेरठ के आप निवासी और पंजाब-प्रतिनिधि सभा के उपदेशक हैं । कांग्रेस के सत्याग्रहों में भी आप दो बार जेल गए । १९३६-३७ में आपने निजाम में आर्य-प्रचार किया । ५ जून को आपने ६५ सत्याग्रहियों के साथ औरंगाबाद में सत्याग्रह किया । आपको दो वर्ष एक मास की सजा हुई । जेल में पत्थर तोड़ने का आपसे काम लिया गया ।

२०. स्वामी विजयकुमार जी—मुलतान के आप लोकप्रिय सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं । राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप

कई बार जेल हो आए हैं। एक विशाल जत्थे के साथ आपने लातूर में सत्याग्रह किया था। जेल से अकारण छोड़ दिये जाने पर आपने दुबारा रायपुर में सत्याग्रह किया। आपके साथ अन्य कपूर्थला के रहने वाले सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला रामसरनदास जी भी थे। भाई परमानन्द जी के साथ आपने दस वर्ष काले-पानी में बिताये थे। शहीद भगतसिंह के साथ भी आप गिरफ्तार किये गये थे। आपने भी लातूर और रायचूर से दो बार सत्याग्रह किया। जेल में आपने दो बार भूख-हड़ताल भी की।

२१. महन्त जगन्नाथदास जी—सहारनपुर के आप मठाधीश हैं। रामदेवा में आपका एक आश्रम है। आश्रम सामाजिक एवं राजनीतिक हलचलों का केन्द्र है। अनेक सत्याग्रही इस आश्रम से प्रेरणा पाकर जेल गये। अन्त में आप २०० सत्याग्रहियों के साथ हैदराबाद के लिये बिदा हुए। लेकिन, पं० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री के समान आपको भांसी में रुकने का हुक्म मिला और वहीं से आपको लौट आना पड़ा। आपकी आकांक्षा मन की मन में रह गई।


इनके अतिरिक्त भी अनेक जत्थेदार हैं, जिनके नाम और काम का यहां उल्लेख किया जाना चाहिये। लेकिन उस सबके लिए तो कई ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से लिखे जाने चाहिये। हर प्रान्त का और प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा का ही नहीं; बल्कि हर आर्यसमाज का अपना ही इतिहास है। प्रथा यह थी कि हर जिले और प्रान्त में स्थानीय और प्रान्तीय सर्वाधिकारी नियुक्त किये

जाते थे। वे अपने जिले व प्रान्त में नियत समय तक कार्य करते थे। स्थानीय आर्यसमाजों के छोटे-छोटे जत्थे नदी-नालों की तरह अपने-अपने यहां से विदा लेते थे और केन्द्रीय शिविरों में जाकर महासागर में घिलोन हो जाते थे। वहां से उन को मिला कर बनाये गये महान् जत्थों में वे महासागर से उठने वाले बादलों की घटाओं की तरह निजाम राज्य की ओर कूच करते थे। ऊपर दिये गये कुछ नाम- ऐसे ही जत्थों के जत्थेदारों के हैं। यह सूची भी सर्वथा अधूरी है। उसे पूर्ण रूप से देना कठिन है, फिर भी प्राप्त नामों का यहां उल्लेख कर देना आवश्यक है।

राजस्थान केसरी श्री चांदकरण जी शारदा के बाद श्री भगवानस्वरूप जी राजस्थान के और राजगुरु जी के बाद श्रीयुत उमाशंकर जी वकील फतेहपुर युक्तप्रान्त के सर्वाधिकारी नियुक्त किये गये थे। श्री उमाशंकर जी प्रांतीय धारासभा के सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के कार्यों में भी आपने मुख्य भाग लिया है। आर्य स्वराज्य सभा के आप आधार स्तम्भ हैं। युक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री और उपप्रधान भी आप रहे हैं। गुरु-कुल वृन्दावन के स्वामी आनन्दघन जी एम० ए०, लखनऊ के श्री यदुनाथसिंह जी एम० ए०, लाहौर के चौधरी वेदव्रत जी कलकत्ता के श्री हरिपद चक्रवर्ती, श्री सुनीलराय चौधरी तथा श्री सतीशचन्द्र चौटर्जी और त्रावणकोर के श्री सुब्रह्मण्य ने भी जत्थेदार की हैसियत से सत्याग्रह किया। अन्य सज्जनों के नाम ये हैं :— पं० पृथ्वीराज जी—कमालिया आर्यसमाज के पुरोहित,

श्री काकाराम जी—कैथल (करनाल), श्री डोरीसिंह जी आजाद—
पीलीभीत, श्री वीरूमल जी आर्य टाण्डा (हैदराबाद सिन्ध),
श्री अमीचन्द जी—मण्डौ संगरूर, स्वामी श्रीकारदेव तीर्थ—
मेरठ, लाला मुरलीधर जी रईस—मवाना कलां (मेरठ),
ठाकुर अमरसिंह जी—आर्य प्रतिनिधि सभा लाहौर के उपदेशक,
बाबा काली कमलीवाले—गुरुकुल पिराकमी (मुजफ्फरनगर),
श्री लाखनसिंह जी—आर्यसमाज पिठारीपुर-पैटानी, श्री अमीर-
चन्द्र वी० ए०—अम्बाला, श्री भागीरथ जी—सक्कर, श्री
राजेन्द्रसिंह जी—अग्बाला, श्री दुलीचन्द जी—मिचानी, श्री
भालसिंह जी हिसार, श्री हरिदत्त जी मुजफ्फरनगर, श्री भंवर-
सिंह जी—मथुरा, श्री किशनस्वरूप जी—मेरठ, श्री नन्दलाल
जी—बरेली, श्री मोहनलाल जी—अबोहर, श्री खेमचन्द्रजी—
हिसार, श्री रामस्वरूप जी—अलीगढ़, श्री गंगाराम जी—बम्बई,
श्री भागीरथ जी—जलगांव, श्री श्यामसुन्दर जी—कानपुर, श्री
मिट्टनलाल जी—बहादुरगवाड (सहारनपुर), श्री बख्शीराम जी—
धीनानगर, श्री रामचन्द्र चौधरी—ग्वालियर, स्वामी विशुद्धानन्द
जी—खुर्जा, श्री अनन्तराम जी—सफीदों की मण्डी (जींद),
श्री मन्तराम—मिर्जापुर (हिसार), श्री रंगलाल जी—जोधपुर,
श्री मवासी—खांडा (हिसार), श्री पचीराम जी—रोफेले (सिन्ध),
स्वामी सस्यानन्द जी—बरोड (अलीगढ़), श्री बृजलाल जी—
कैथल (करनाल), श्री वसुराम जी—करनाल, श्री बालेश्वर-
दयाल जी—आर्य युवक संघ दिल्ली, श्री रामधारी जी—पानीपत,
श्री जालिमसिंह—देहरादून, श्री जीवानन्द जी सिद्धान्तभूषण—

लाहौर, श्री राजेन्द्रसिंह—अम्बाला छावनी, श्री रविदत्त जी—
 कालका, श्री ओम्प्रकाश जी कविराज | फ़ाजिलका, श्री जमुना-
 दास जी करतारपुर (जालन्धर), श्री जगन्नाथ पथिक—अमृतसर,
 श्री जयकिशनलाल—गायपुर (डिरागाञ्चीख़ां), श्रीकृष्णदेवजी—
 श्रीगोविन्दपुर, श्री रूपचन्द जी—भिवानी, श्री मीतसिंह जी—
 लायलपुर, श्री मंसाराम जी—समाना, श्री भन्तासिंह जी—
 मिलकपुर (हिसार), श्री हरीदत्त जी—बहलोकपुर (बुलन्दशहर),
 श्री भंवरसिंह जी—मथुरा, श्री किशनस्वरूप जी—हापुड़ (मेरठ),
 श्री बख्तावरसिंह जी गुरुकुल मटिएह, स्वामी सत्यानन्द जी—
 दिल्ली, स्वामी जगदीश्वरानन्द जी—पछाड़ (ग्वालियर), श्री
 वेदव्रत जी चौधरी—आर्य स्वराज्य सभा—लाहौर, ठाकुर कर्म-
 सिंह जी—सहारनपुर, श्री विश्वमित्रजी—गणेशगञ्ज (मिर्जापुर)
 श्री नेतराम जी सिरसा—(हिसार) श्री चटरोसिंह जी—भाप-
 ढौंदा (रोहतक), श्री केशवरावजी—अमरावती, श्री विन्दाप्रसाद
 जी—विलासपुर, श्री कन्हैयालाल जी वैतूल, श्री माधोसिंहजी—
 गङ्गानगर, (बीकानेर), श्री छेदीलाल जी धनुर्धर—आर्य भजनोप-
 देशक मण्डल—दिल्ली, श्री दुर्गाप्रसाद जी—जवलपुर, श्री
 प्यारेलाल जी आजाद—मर्थना (इटावा), श्री पृथ्वीपाल जी—
 मनकापुर (गोंडा), श्री शोभाराम जी—छारा (रोहतक), श्री
 मूलचन्द जी—आर्य सत्याग्रह समिति—इलाहाबाद, श्री राम-
 दुलारे जी—भीरगञ्ज (जौनपुर), श्री टेकचन्द जी—मऊ अकवर-
 पुर (रोहतक), श्री हरनारायण जी—सांपला (रोहतक), श्री
 भरतसिंह जी सांपला—(रोहतक), श्री गोंदा भगत—बलिया, श्री



लाला बेशवन्धुजी गुप्त एम. एल. ए.



श्री चन्द्रप्रियामसिंहजी गुप्त एम. एल. ए.

चौदू जी—वैतूल, श्री रघुनाथ जी तिवारी—नासिक।

नामों की यह सूची पूरी नहीं है। जितने भी नाम मिल सके, वें ऊपर दे दिये गये हैं। इनके अलावा निजाम राज्यसे भी अनेक जत्थेदार अपने जत्थों के साथ सत्याग्रह में शामिल हुए थे। उन में से कुछ नाम ये हैं :—श्री निवृत्ति रेड्डी वकील—अहमदपुर (बिहार), श्री इत्तात्रेयप्रसाद वकील—गुलबर्गा (अखिल भारतीय आर्य कांग्रेस के स्वगताध्यक्ष), श्री दिगम्बरराव—प्रधान आर्यसमाज लातूर, श्री दिगम्बरराव जी वकील, पं० बंसीलाल जी व्यास, श्री चन्द्रपाल जी, श्री सोहनलाल जी, श्री बलदेव जी, श्री शंकर रेड्डी, श्री देवीलाल जी और श्री शंकरलाल जी पटेल।

ख. नेता और कार्यकर्ता

जत्थेदारों और सर्वाधिकारियों के समान हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं की सेवा का भी इस सत्याग्रह में प्रमुख स्थान है। वे भले ही जेल नहीं गये; लेकिन, आन्दोलन का संचालन, नियन्त्रण और व्यवस्था करने में उन्होंने जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, वह सराहनीय है। इस इतिहास में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कर्तव्य की कठिन परीक्षा में ये भी किसी से पीछे नहीं रहे। वैसे तो, आर्यसमाज के संगठन की सारी ही मैशनरी और उसकी हर इकाई अथवा कल्पपुर्जा इसी को सफल बनाने में लग गया था; लेकिन, उन सबके नामों का उल्लेख करना कठिन है। कुछ ही नाम यहाँ दिये जा सकते हैं।

स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज—सबसे पहिले नाम इस सूची में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उस समय के उपप्रधान श्री स्वतन्त्रतानन्दजी महाराज का लिया जाना चाहिये, जो इस मोर्चे के 'फील्ड मार्शल' थे और जिन्होंने लगातार मोर्चे पर रहकर इस आन्दोलन का संचालन एवं नियन्त्रण किया। स्वामीजी आर्यजगत् के सुप्रसिद्ध संन्यासी हैं। आपकी दिव्य हृष्ट-पुष्ट मूर्ति आपके व्यक्तित्व की सहसा दूसरों पर छाप डाल देती है। पूज्य श्री नारायण स्वामीजी के बाद आपने उनके कार्य को पूरी तत्परता के साथ संभाला। आर्य रक्षा समिति और आर्य युद्ध समिति के आप अन्त तक सदस्य रहे। आपकी लगन, धुन, निष्ठा और तत्परता सराहनीय है। कभी आपने मारीशस में आर्यध्वजा को फहराया था। लाहौर का "दयानन्द वेद विद्यालय" आपकी ही कृति है। दीनानगर में आपने "दयानन्द मठ" की स्थापना की है। आप स्वाध्यायशील प्रवृत्ति के उच्च कोटि के विद्वान् हैं। सिख इतिहास का आपने विशेष रूप से मनन किया है। वैदिक साहित्य का भी आपने अनुशीलन किया है। अपना सर्वस्व आपने आर्यसमाज पर न्यौछावर कर दिया है। लाहौर में आप पर भी एक बार क्रांति-लाना हमला किया गया था और १९४१ के मार्च मास में लुहारू में आर्यसमाज के उत्सव पर निकाले गये नगर-कीर्तन में भी आप इतने सख्त घायल हुए थे कि कई दिनों तक दिल्ली के इरविन अस्पताल में आपका इलाज होता रहा था। अहोरात्र आपको आर्यसमाज की ही चिन्ता रहती है।

२. श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त—सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के नाते आपने सत्याग्रह के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। सत्याग्रह के प्रारम्भ होने के पहले से आप उसको टालने और निजाम राज्य के साथ बीच-बचाव का रास्ता ढूँढने में लगे रहे। जब भी कभी सन्धि-चर्चा का अवसर आया, उससे पूरा लाभ उठाने का आपने यत्न किया। इसी सिलसिले में सत्याग्रह शुरू होने से पहले और बाद में भी आप हैदराबाद निजाम और दिल्ली कई बार आये गये। निजामकी सुधार-घोषणा के बाद उसकी कमियों को दूर करानेके लिए भी आपने वहाँ के प्रधान मन्त्री सर अकबर के साथ बातचीत चलाई। गांधीजी और अन्य नेताओं की इस सत्याग्रह के लिये प्राप्त हुई सहायुभूति का आपको ही श्रेय है। आप बहुत पुराने राष्ट्रवादी आर्यसमाजी हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी के जीवन का आप पर काफी असर पड़ा। शुरुकुल के प्रारम्भिक दिनों में आपने वहाँ रहकर अध्यापक का भी कार्य किया। कांग्रेस के आन्दोलनों में आप बराबर भाग लेते रहे हैं और कई बार जेल भी हो आये हैं। बरार मध्यप्रान्त में कांग्रेसी सरकार कायम होने पर आप वहाँ की धारा सभा के स्पीकर चुने गये थे। इस सत्याग्रह के दिनों में भी आप स्पीकर के इस सम्मानास्पद पद पर आसीन थे।

३. ला० देशबन्धुजी गुप्ता, एम० एल० ए०—
दिल्ली के माने हुए राष्ट्रीय नेता, सुप्रसिद्ध एवं यशस्वी पत्रकार

और दैनिक 'तेज' के सफल संचालक ला० देशबन्धु जी सत्याग्रह शुरू होने से पहिले सन् १९३७-३८ में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री थे। सत्याग्रह की भूमि के तैयार होने में आपका विशेष हाथ रहा है। तब सरकारी अधिकारियों के साथ सारा पत्रव्यवहार आपने ही किया था। सत्याग्रह के दिनों में आप श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त के दाहिने हाथ रहे। सत्याग्रह के संचालन एवं नियन्त्रण में आपने विशेष भाग लिया। लोकमत को अनुकूल बनाने में जितना भाग आपके पत्र 'तेज' ने लिया था, उससे कहीं अधिक तेजस्वी भाग आपने लिया। कांग्रेसो क्षेत्रों पर आपके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा। सन्धि-चर्चा में भी आपने प्रमुख भाग लिया। दिल्ली के अलावा पंजाब के कांग्रेसी क्षेत्रों में भी आपका काफ़ी प्रभाव है। स्वामी श्रद्धा नन्दजी महाराज के व्यक्तित्व से प्रभावित एवं आकर्षित होकर आपने विद्यार्थी जीवन से ही एकदम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश लिया और जो क़दम एक बार आगे बढ़ा लिया, उसे पीछे नहीं किया। शुद्धि और संगठन के कार्य में आपने स्वामी जी को पूरा सहयोग दिया था। कांग्रेसके सभी आन्दोलनों में आप आगे रहे। इस समय भी आपको अहोरात्र देश, जाति और राष्ट्रकी ही लगन लगी रहती है। राष्ट्रवादी आर्यसमाजियों में आपका प्रमुख स्थान है।

४. प्रो० सुधाकरजी एम.ए.—आपने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री के नाते इस सत्याग्रह में रक्षा-मन्त्री (डिफेंस मिनिस्टर) के कर्तव्य का पालन बड़ी ही तत्परता

के साथ किया। सत्याग्रह की गति-विधि, रीति-नीति और कार्यशैली का निर्णय दिल्ली में होकर यहीं से उसका सञ्चालन किया जाता था। प्रो० सुधाकर जी ने इस कार्य का सञ्चालन बड़ी योग्यता के साथ किया। सत्याग्रह शिविरों के निरीक्षण के लिए भी आप कई बार युद्ध के मोर्चों पर गये। सन्धि-चर्चा के लिए भी आपको हैदराबाद कई बार जाना पड़ा। हिन्दी के “श्री मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक” के आप विजेता हैं। दर्शनशास्त्र के आप विद्वान् हैं। वैदिक साहित्य पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और वैदिक साहित्य के प्रकाशन के लिए ही आपने ‘शारदा मन्दिर’ की स्थापना की है। आप पुराने आर्यसमाजी हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक आप दर्शनशास्त्र के उपाध्याय रहे हैं। शाहपुरा के राजकुमारों के भी आप अध्यापक रहे। आप बहुत ही सरल, मिलनसार, निरभिमानी और गंभीर प्रकृतिके व्यक्ति हैं। आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के मन्त्री रहकर आपने आर्यसमाज की बहुत ठोस सेवा की है।

५. प्रो० शिवदयालुजी एम. ए.—आप लाहौर गवर्नमेंट कालेज से अवसर प्राप्त उपाध्याय हैं। पंजाब के प्रसिद्ध बयोवृद्ध आर्यसमाजी नेताओं में आप अन्यतम हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरङ्ग सभा के उपप्रधान और प्रधान आदि अनेक पदों पर रहे हैं। वृद्धावस्था में भी आप नवयुवकों के से उत्साह के साथ लाहौर से विदा हुए, परन्तु शोलापुर पहुंचने पर सत्याग्रह के सञ्चालकों ने आपको शिविर में ही रोक लिया। श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्दजी की अध्यक्षता में जिन

सत्याग्रह समिति की योजना खुरसन्दजी ने की थी, उसके आप सदस्य नियुक्त किये गये थे। कार्यालय के पत्र-व्यवहार, प्रकाशन और प्रचार के कार्य को आपने बहुत तत्परता के साथ किया। शोलापुर से शिविर के मनमाड आजाने के बाद भी आप शोलापुर में ही रहे।

६. श्रीरामदत्तामलजी एम. ए. — डी० ए० वी० कालेज रावलपिण्डी के आप भूतपूर्व प्रिन्सिपल हैं। वहांसे आप भी एक थोड़ा सैनिक के रूप में विदा हुए थे। लेकिन, आपको भी सत्याग्रह न करने देकर शिविर में ही रोक लिया गया। अन्त तक आप वहां कार्य करते रहे।

७. प्रिंसिपल देवीचन्द जी एम. ए.—आप डी० ए० वी० कालेज होशियारपुर के अवसर-प्राप्त प्रिंसिपल हैं। आप आर्यसमाजके एक अत्यन्त उत्साही एवं कर्मिष्ठ कार्यकर्ता तथा नेता हैं। एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही आपकी योग्यता को देखते हुए सरकार ने आपको डिपुटी कलक्टर का कार्य सौंपना चाहा, परन्तु वैदिकधर्म के प्रचार की लगन आपके मन में पबल थी। आपने अपना जीवन आर्यसमाज की सेवा में अर्पित कर दिया। डी० ए० वी० कालेज में उपाध्याय एवं प्रिंसिपल का उत्तरदायी कार्य करने के साथ साथ आपने 'दयानन्द दलितोद्धार सभा' और 'दयानन्द साल्वेशन मिशन' नाम की प्रसिद्ध संस्थाओं को जन्म दिया। आपके प्रचार का ढङ्ग सर्वथा मौलिक और प्रभावात्मक है। इन संस्थाओं के लिए आपने लाखों रुपया एकत्र

किया और दलित भाइयों के उद्धार एवं संरक्षण के अतिरिक्त नारी रक्षा, बाल रक्षा, अनाथ पोषण और हिन्दू धर्म की दीक्षा आदि अनेक कार्यों में व्यय किया। सत्याग्रह आरम्भ होते ही आपने अपनी इन विशाल संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की सेवार्थ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को सौंप दी। आप स्वयं शोलापुर सत्याग्रह समिति एवं रक्षासमिति के सदस्य रहे और सत्याग्रह के प्रचार का कार्य करते रहे।

८. श्री त्रिजलालजी वी० ए०, एल-एल० वी०—

आप महात्मा हंसराजजी की प्रेरणा पर अपनी वकालत छोड़ कर आर्यसमाज की सेवा के क्षेत्र में उतरे थे। कई वर्षों तक डी० ए० वी० कालेज कमेटी के मंत्री रहे। डी० ए० वी० स्कूलों और कालेजों में धार्मिकशिक्षा विभाग की व्यवस्था का श्रेय आपको ही है। वर्षों से आप इस विभाग के निरीक्षक हैं। मनमाड में युद्ध-समिति के सदस्य के रूप में आप कार्य करते रहे। निजामराज्य की जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की जांच आपने की। आपकी लेखन-शैली से प्रभावित होकर लाहौर के 'सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' जैसे पत्र ने भी 'हैदराबाद पर एक नज़र' नाम की लेखमाला प्रकाशित की थी।

९. श्री स्वामी शुक्लानन्दजी—ऋषिकेश वैदिकाश्रम के संस्थापक आप चयोवृद्ध सन्यासी हैं। रूग्ण और वृद्धावस्थामें भी आपने कर्मिष्ठ कार्यकर्ता की भांति अपने कर्तव्य का पालन किया। आप शोलापुर कैम्प के अध्यक्ष का कार्य सफलतापूर्वक करते रहे।

१०. पं० ज्ञानचन्द्रजी वी० ए० आर्य-सेवक—
पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा स्थापित दयानन्द सेवासदन के
आजीवन सदस्य रहे हैं। आपने अपना जीवन आर्यसमाज को
अर्पित कर दिया है। आप व्यवस्था के कार्य में अत्यन्त कुशल
हैं। आप युद्ध-समिति के सदस्य और वाद में मंत्री रहे।
शोलापुर और मनमाड़ के शिविरो की व्यवस्था का अधिकतर
भार आपके ही सिर पर था।

११. पं० वंसीलालजी—आर्य प्रतिनिधि सभा
निजाम राज्य के मंत्री हैं। आपका परिवार रियासत के उन गिने-
चुने परिवारों में से हैं, जिसने कि वहां की हिन्दू जनता को
दुःखों से मुक्ति दिलवाने के लिए तप, त्याग और साहसपूर्वक
उसका नेतृत्व किया है। सत्याग्रह आन्दोलन के प्रथम हुतात्मा
स्वर्गीय पं० श्यामलाल जी वकील आपके ही छोटे भाई थे।
आप स्वयं भी वहां के नामी वकील रहे। रियासत के हिन्दुओं
की दुर्दशा देख कर आपने अपने जीवन का ध्येय वैदिक धर्म
का प्रसार करना बना लिया। अपनी कर्त्तव्य-परायणता एवं
विशुद्ध सेवाभाव के कारण आप अपने उद्देश्य में सफल रहे।
इसी से धर्मान्ध मुसलमानों की दृष्टि में आप और आपका परि-
वार खटकने लगा। आप सदा ही विपत्तियों और कष्टों से घिरे
रहे। सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण स्वामीजी की
आज्ञा से आप जेल से बाहर रह कर रियासत की हिन्दू जनता
का नेतृत्व करते रहे। सत्याग्रह की सफलता के लिए रियासत

की हिन्दू जनता का संगठन, नियंत्रण और नेतृत्व भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। वह आपने पूरी तत्परता के साथ किया।

१२. श्री शिवचन्द्रजी—सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की रक्षा समिति के आप उत्साही मंत्री थे। हैदराबाद की समस्याओं में भी आपने गहरी दिलचस्पी ली। निजाम सरकार ने आपके रियासत-प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी थी।

१३. श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी वी० ए० वी० टी०—
दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर के मुख्य कार्यकर्ता थे। युद्धसमिति ने आपको प्रकाशन-विभाग का कार्य सौंपा। अन्य अंग्रेजी समाचारपत्रों में प्रकाशन के अतिरिक्त अंग्रेजी में दैनिक 'दिग्विजय' का सम्पादन आप करते रहे। वम्बई के पत्रकारों को सत्याग्रह की प्रगति के सम्बन्ध में सूचित रखने का भार आप पर ही रहा। आपने जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले दुर्न्यवहार का बड़ी चतुराई से पता लगाया और उसका प्रकाशन भी किया।

१४. श्री करणसिंह छोंकर—मथुरा के एक प्रसिद्ध टैकेदार, आर्यसंभाज के प्रधान और गुरुकुल वृन्दावन के मुख्याधिष्ठाता हैं। शोलापुर, आर्य - कांग्रेस के अवसर पर शिविराध्यक्ष रहे। सत्याग्रह आरम्भ होने पर मथुरा से एक विशाल जत्था लेकर सत्याग्रह के लिए मनमाड पहुंचे। यहां स्वामी स्वतंत्रानन्द जी ने मनमाड के शिविराध्यक्ष

का कार्य करने के लिए आपको रोक लिया। सत्याग्रह के अन्त तक आपने यहां तत्परता से कार्य किया।

१५. श्री जुगलकिशोरजी—आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के एकाउन्टेन्ट हैं। सत्याग्रह शिविर शोलापुर में आपने अपना कार्य बड़ी योग्यता से किया। आपने गुलबर्गा जाकर श्री पांडुरंग और श्री माधवराव की मृत्युओं की जांच का काम भी किया था।

१६. श्री उदयभानु वकील—हैदराबाद हाईकोर्ट के सफल वकील एवं आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ता हैं। आपने शोलापुर एवं अहमदनगर में शिविराध्यक्ष का कार्य बहुत योग्यता के साथ किया था।

१७. श्री डी० आर० दास—लातूर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं आर्यसमाज के प्रधान थे। आप हैदराबाद रियासत के प्रमुख आर्य-नेता हैं। वार्शी और अहमदनगर में शिविराध्यक्ष का कार्य करते रहे।

१८. श्री परशुरामजी—आप गुलबर्गा के प्रसिद्ध धनाढ्य हैं। मिलनसार एवं नम्र स्वभाव के हैं। शोलापुर एवं अहमदनगर में आप भोजनाध्यक्ष का कार्य करते रहे।

१९. पं० रामदेव शास्त्री—आर्य प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के मुखपत्र 'द्विग्विजय' के सम्पादक रहे।

२०. श्री कृष्णदत्तजी विद्यार्थी—आपने भी कुछ समय तक 'दिविजय' का सम्पादन किया ।

२१. पं० धर्मवीरजी वेदालंकार—आप गुरुकुल विश्व-विद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक एवं अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्ट देहली के सफल मंत्री थे । सत्याग्रह के प्रारम्भ में आप ट्रस्ट के रांची केन्द्र में कार्य कर रहे थे और वहां न्युनिसिपल कमिश्नर भी थे । सत्याग्रह के लिए आपने वहां से त्यागपत्र दे दिया । आप चांदा केन्द्र में शिविराध्यक्ष का कार्य करते रहे ।

२२. पं० देवप्रकाशजी—पंजाब के एक उत्साही कार्यकर्ता हैं । सत्याग्रह से तीन वर्ष पहले से मध्यभारत के भीलों में बड़ा उपयोगी कार्य कर रहे थे । आपने पुसद और मनमाड केन्द्रों में कार्य किया ।

२३. पं० देवराजजी—दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर के उत्साही कार्यकर्ता एवं प्रभावशाली व्याख्याता हैं । वाशिम में आपने शिविराध्यक्ष का कार्य किया ।

२४. श्री गुरुदत्तारामजी धी० ए० एल-एल० बी०—लायलपुर के वयोवृद्ध वकील एवं आर्यसमाज के पुराने सेवक थे । आपने औरंगाबाद में रह कर सत्याग्रह के सम्बन्ध में कार्य किया । पंजाब से आप सत्याग्रह के लिये विदा हुए थे । लेकिन आपको भी सत्याग्रह करने से रोक लिया गया था ।

२५. श्री प्रभाकरजी वैद्यराज—आपने मनमाड केन्द्र में चिकित्सक का कार्य किया। 'सत्याग्रह-समिति' को १००० की औपधियां दान में दीं।

२६. डा० अमीचन्द्रजी—आपने दो महीने तक मनमाड-केन्द्र में चिकित्सक का कार्य किया।

२७. बा० श्रीरामजी—आगरा के वयोवृद्ध आर्य नेता हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता, संयुक्तप्रांतीय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व उपप्रधान हैं। आपने मनमाड केन्द्र में बड़े उत्साह से कार्य किया।

२८. श्री चिरंजीलाल वानप्रस्थी—पंजाब के पुराने आर्यसमाजी हैं। श्रीनगर (काश्मीर) आर्यसमाज के प्रधान रहे हैं। आपने वैजवाड़ा में शिविराध्यक्ष का कार्य बड़ी तत्परता के साथ किया।

२९. पं० सुधीन्द्रजी सिद्धान्तभूषण—गुरुकुल विश्व-विद्यालय वृन्दावन के सुयोग्य स्नातक व नवयुवक व्याख्याता हैं। सत्याग्रह के प्रारम्भ में आप उक्त गुरुकुल में ही उपाध्याय थे। वहां से सैनिक के रूप में मनमाड पहुंचे। परन्तु आपको भी मनमाड में रोक लिया गया। यहां आप दो महीने तक भोजनाध्यक्ष का कार्य करते रहे। बाद में आपने येवला कैम्प में भी कार्य किया।

३०. पं० लक्ष्मणराव ओगले वी. ए.—आप महाराष्ट्र निवासी हैं। वम्बई आर्यसमाजके उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं। वम्बई प्रान्त में आपने सत्याग्रह का प्रचार किया और मनमांड केन्द्र में भी कार्य किया।

३१. पं० ईश्वरचन्द्रजी दर्शनाचार्य—दयानन्द उपदेशक विद्यालय के आप दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हैं। आपने महाराष्ट्र में सत्याग्रह का खूब प्रचार किया। मनमांड केन्द्र में रहकर दो महीने कार्य किया।

३२. पं० मदनमोहन वेदालङ्कार—गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। मद्रास प्रान्त में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक थे। आपने वैजवाड़ा में सत्याग्रह सम्बन्धी आन्दोलन खूब किया।

३३. श्री परिणत धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति—आप गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। आप सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से गत १६ वर्ष में मद्रास प्रांत में वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे हैं और सभा के सबसे पुराने कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित विद्वान् हैं। मद्रास प्रान्त में सत्याग्रह आन्दोलन की ज्योति जागृत करने और तत्सम्बन्धी कार्य की सम्यक व्यवस्था का कार्य आपने बड़े परिश्रम और मनोयोग से किया था। इस समय आप सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री हैं।

२५. श्री प्रभाकरजी वैद्यराज—आपने मनमाड केन्द्र में चिकित्सक का कार्य किया। 'सत्याग्रह-समिति' को (१०००) की औपधियां दान में दीं।

२६. डा० अमीचन्द्रजी—आपने दो महीने तक मन माड-केन्द्र में चिकित्सक का कार्य किया।

२७. वा० श्रीरामजी—आगरा के वयोवृद्ध आर्य नेता हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन के भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता, संयुक्तप्रांतीय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व उपप्रधान हैं। आपने मनमाड केन्द्र में बड़े उत्साह से कार्य किया।

२८. श्री चिरंजीलाल वानप्रस्थी—पंजाब के पुराने आर्यसमाजी हैं। श्रीनगर (काश्मीर) आर्यसमाज के प्रधान रहे हैं। आपने वैजवाड़ा में शिविराध्यक्ष का कार्य बड़ी तत्परता के साथ किया।

२९. पं० सुधीन्द्रजी सिद्धान्तभूषण—गुरुकुल विश्व-विद्यालय वृन्दावन के सुयोग्य स्नातक व नवयुवक व्याख्याता हैं। सत्याग्रह के प्रारम्भ में आप उक्त गुरुकुल में ही उपाध्याय थे।। वहां से सैनिक के रूप में मनमाड पहुँचे। परन्तु आपको भी मनमाड में रोक लिया गया। यहां आप दो महीने तक भोजनाध्यक्ष का कार्य करते रहे। बाद में आपने येवला कैम्प में भी कार्य किया।


३०. पं० लक्ष्मणराव ओगले वी. ए.—आप महा-
गाष्ट्र निवासी हैं। बम्बई आर्यसमाजके उत्साही कार्यकर्ता रहे हैं।
बम्बई प्रान्त में आपने सत्याग्रह का प्रचार किया और मनमाड
केन्द्र में भी कार्य किया।

३१. पं० ईश्वरचन्द्रजी दर्शनाचार्य—दयानन्द उप-
देशक विद्यालय के आप दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
आपने महाराष्ट्र में सत्याग्रह का खूब प्रचार किया। मनमाड केन्द्र
में रहकर दो महीने कार्य किया।


३२. पं० मदनमोहन वेदालङ्कार—गुरुकुल विश्व-
विद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। मद्रास प्रान्त में
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक थे। आपने
बैजवाड़ा में सत्याग्रह सम्बन्धी आन्दोलन खूब किया।

३३. श्री पण्डित धर्मदेवजी विद्यावानस्पति—आप
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं। आप
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से गत १६ वर्ष मे
मद्रास प्रांत में वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे हैं और सभा के
सबसे पुराने कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित विद्वान् हैं। मद्रास प्रान्त
में सत्याग्रह आन्दोलन की ज्योति जागृत करने और तत्सम्बन्धी
कार्य की सम्यक व्यवस्था का कार्य आपने बड़े परिश्रम और
मनोयोग से किया था। इस समय आप सार्वदेशिक आर्य प्रति-
निधि सभा के उपमन्त्री हैं।

यह सूची भी पूरी नहीं है। वैसे तो आर्यसमाज का हर सभासद इन दिनों में सत्याग्रह के लिए कार्यकर्ता बना हुआ था। अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम भी इस सूची में देने से रह गए होंगे। लेकिन, सेवाभाव से कार्य करने वालों को नाम की इच्छा कब होती है ? हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे महानुभावों को उनके नाम इस सूची में न दिये जाने की शिकायत न होगी।



शहीद स्वामी सत्यानन्दजी



शहीद स्वामी कल्याणानन्दजी

४. बलिवेदी पर

क. जेलों में

ब्रिटिश भारत की जेलों में श्रेणी-विभाग की व्यवस्था हो जाने से काफी सुधार हो जाने पर भी देसी राज्यों की जेलों की हालत वैसी ही बनी हुई है, जैसी पहिले थी। ब्रिटिश भारत में होने वाली राजनीतिक एवं वैधानिक प्रगति का जैसे देसी राज्यों के स्वच्छन्द और एकतन्त्र शासन पर कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही देसी राज्यों की जेल-व्यवस्था पर भी यहां होनेवाले जेल-सुधार का कोई असर नहीं पड़ा है। देसी राज्यों के जेल मैन्यूएल में कुछ भी अंतर नहीं आया है। इसलिए इस सत्याग्रह में गिरफ्तार होनेवाले सत्याग्रही हैदराबाद की जेलों में साधारण कैदी ही माने जाते थे और उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही होता था। कुछ अंशों में और भी अधिक कठोर व्यवहार होने की शिकायतें आम तौर पर सुनने में आती थीं। बेशभूषा, रहन-सहन

श्रीर खान-पान के अलावा जेल के अधिकारियों का व्यवहार भी अत्यन्त रूखा, कठोर और हृदयहीन होता था। इसीलिये इस सत्याग्रह के आठ महीनों में जेलों में लगभग एक सौ बार भूख हड़तालें हुई होंगी। साधारण सत्याग्रहियों पर, उनको प्रभावशाली व्यक्तियों से अलग रखकर, माफी मांगने के लिए काफी जोर डाला जाता था। कुछ को कई प्रकार के प्रलोभन भी दिये जाते थे। अनेक बार सत्याग्रहियों पर सत्याग्रह करते हुए हमले भी किये गये। तुलजापुर में ६ अप्रैल को सत्याग्रही दल पर बहुत ही कमीना भीषण हमला किया गया था। १० अप्रैल को जेल व पुलिस विभागों के इन्स्पेक्टर जनरल मि० हालिन्स ने जेलों का दौरा किया था। कहते हैं कि उसके बाद बहुत अधिक सख्ती होने लगी। उससे ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले व्यवहार में बदले की भावना से काम लिया जा रहा हो। यह जरूर है कि सत्याग्रहियों की संख्या बहुत अधिक होने से जेलों की साधारण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी। चौथे सर्वाधिकारी श्री राजगुरु जी ने जब सत्याग्रह किया था, तब तक उससे छःगुना अधिक सत्याग्रही जेलों में जा चुके थे, जितने कि सारी जेलों में रखे जा सकते थे। राजगुरुजी और उनके जत्थे को पहिले तो खुले मैदान में रखा गया। बाद में उनको टीन के बने हुए छोटे छोटे घरों में रखा गया। छठे सर्वाधिकारी महाशय कृष्णजी के जत्थे ने जब सत्याग्रह किया, तब अधिकारी हक्केबक्के रह गये। वे उसके ठहराने और खाने-पान का समुचित प्रबंध नहीं कर

सके। पहिले तो उसे दूटे-फूटे और गन्दे अस्तबल में ठहराया गया। जब जेल में भेजा गया, तब चौबीस घण्टों तक उसे कुछ भी भोजन नहीं दिया जा सका। पानी, कपड़ों और वर्तनों तक का टोटा पड़ गया। इस तङ्गी से जेलों का कठोर व्यवहार और भी अधिक असह्य हो गया। उसके विरुद्ध आवाज उठाने पर लाठी से बात की जाती। इस निष्ठुर व्यवहार का वर्णन माननीय श्री माधव श्रीहरि अणे के शब्दों में ही देना अधिक ठीक होगा।

औरंगाबाद जेल में ६ मई १९३६ को हुए लाठीकाण्ड पर अणेजी ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें लिखा था कि—

“यह जान कर कि श्री एल० बी० भोपटकर की अवस्था जेल में चिन्ताजनक है, मैं उनसे मिलने के लिए औरंगाबाद आया। मेरी इच्छा अन्य सत्याग्रही वन्दियों से भी मिलने की थी। ‘केसरी’ के श्री वी० डी० गोखले, अनाथ विद्यार्थी गृह के श्री केलकर और श्री भोपटकर के पुत्र भी मेरे साथ थे। १२ जून की प्रातः ६।। बजे हम लोग औरंगाबाद पहुंचे। वहां मैं औरंगाबाद के कुछ वकीलों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों से मिला। वहां यह जान कर मैं निश्चिन्त हुआ कि श्री भोपटकर की हालत चिन्ताजनक नहीं है। वहीं पर मुझे यह समाचार मिला कि ७ व ८ जून को अनेक सत्याग्रही वन्दियों पर लाठी-प्रहार किया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत से सत्याग्रहियों को चोटें आई थीं। यह आक्रमण जेल के अधिकारियों के हुक्म से हुआ था। घायलों में श्री धोंधूमाया साठे का नाम विशेष रूप से लिया जा रहा था। उन्हें इतनी सख्त चोटें आई थीं कि वे बिना दूसरे

की मदद के उठ बैठ भी न सकते थे। यह भी बताया गया कि उन्हें जेल की कोठरी से अस्पताल में पहुंचाया गया है।

“१२ जून को अदालत में कुछ सत्याग्रहियों के मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने थी। हम सब भी वहां गये। अदालत के बरामदे में लगभग २० सत्याग्रहियों को बैठे हुए देखा। हमें यह देख कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि उनमें से कितने ही हथकड़ी-वेड़ी पहने थे। इनमें से श्री शंकरराव दाते बी० ए० तथा श्री बापत एल० एल० बी० को मैंने तथा श्री गोखले ने चटपट पहचान लिया। दोनों ही अभियुक्त अत्यन्त सभ्य, सुशिक्षित और सज्जन हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि उन्होंने कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, जिससे उन्हें हथकड़ी-वेड़ी डालने की आवश्यकता हुई होती। यह सच्चा उन २५ सत्याग्रहियों को ही दी गई थी, जिनका स्वास्थ्य अन्य सत्याग्रहियों से अच्छा था। यहां पर मैंने लाठी-प्रहार की कुछ अधिक खबरें प्राप्त कीं।

“५ जून को महाशय कृष्ण के साथ ७०० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे। इतने व्यक्तियों के एकाएक आ पहुंचने से जेल के अधिकारी घबरा गये और उनके लिये उनके रहन-सहन और भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो गया। इनको पहिले तो एक सराय में ठहराने का प्रबन्ध किया गया। सराय को जेल बना कर जैसे-तैसे ठहराने का प्रबन्ध तो कर दिया गया; मगर, इतने कैदियों के भोजन की व्यवस्था वे नहीं कर सके। कहा जाता है कि गिरफ्तार हो जाने के ३० घंटे बाद, उनको व्जार की सिर्फ़ आधी-आधी रोटी दी गई। इस के विरुद्ध असन्तोष होना

स्वाभाविक था। असन्तोष फैला तो जेलर ने मुंह बन्द करना चाहा। उसे सफलता नहीं मिली। इस पर वह झुल्ला उठा। उसने पुलिस को लाठी चलाने की आज्ञा दी। पुलिस ने हाथ खोल कर लाठीचें चलाई और बाद में घायलों को घसीट-घसीट कर कोठरियों में बन्द कर दिया गया। यहां यह कह देना आवश्यक है कि यह नया जेलर अनुभवहीन है और व्यवहारकुशल नहीं है। यह कुछ दिन पहिले ही यहां बदल कर भेजा गया है। यह घटना ८ जून की है। ७ जून को श्री धर्मधूमामा साठे आदि कई बन्दियों ने जेल-अधिकारियों से यह शिकायत की कि उन्हें पानी यथेष्ट नहीं मिलता और पाखाने कई दिन से साफ नहीं किये गये। जेल-अधिकारी पहिले ही बबराये हुए थे। यह नई शिकायत सुनकर और बौखला उठे। उनका मुंह लाठी से बन्द करने का हुक्म उन्होंने सिपाहियों को दिया। खूब लाठियां बरसाई गईं। श्री साठे धुरी तरह घायल हुए। अगले दिन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यह भी पता चला कि सत्याग्रहियों को दी गई रियायतें भी वापिस ले ली गईं।

“तालुकेदार से आज्ञा प्राप्त कर मैं महाशय कृष्ण तथा श्री भोपटकर से जेल में मिलने के लिये गया। तालुकेदार सभ्य व्यक्ति हैं। जब हमने उसे यह बताया कि कितने ही अभियुक्तों को भी हथकड़ी-बेड़ी डाल दी गई हैं, तो वह अचम्भे में पड़ गया। उसने कहा कि मैं फौरन हथकड़ी-बेड़ी उतारने का हुक्म भेजता हूँ। जब हम श्री भोपटकर व म० कृष्ण से मिले, तब महाशयजी ने हमें यह वताना शुरू किया ही था कि उन्हें दिन-

भर भोजन नहीं मिला है कि पास खड़े हुए जेल-कर्मचारी एका-एक घबरा उठे और उन्होंने हमारी मुलाकात वहीं रोक दी। इस लिये हम लोग उनसे सिर्फ पांच ही मिनट मिल सके।

“हमें यह भी पता चला कि अभियुक्तों के मामले देर से निपटाये जाते हैं। जानबूझ कर देर लगाई जाती है। इन सब हालात को देखते हुए मैं हैदराबाद सरकार को कुछ सलाहें देना आवश्यक समझता हूँ। मैंने देखा कि:—

(१) सत्याग्रही कैदियों के रहने की व्यवस्था सर्वथा असन्तोषजनक है।

(२) जेलों में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इस लिये लाठी-प्रहार आदि की दुर्घटना हो जाती हैं।

(३) औरंगाबाद जेल का नया जेलर उस पद के लिये अयोग्य है। यदि यह कुछ भी समझदारी से काम लेता, तो ७-८ जून का लाठी-काण्ड न हुआ होता।

(४) जेल के अधिकारी लाठी-काण्ड से कतई इन्कार करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि श्री साठे को इतनी चोटें कैसे लगीं ?

(५) एक जेल-अधिकारी इस मामले का कारण कुछ दूसरा ही बताता है। उसका कहना है कि इस लाठी-प्रहार का मूल कारण भोजन आदि की शिकायत नहीं; बल्कि सत्याग्रहीं कैदियों की जान-बूझ कर की हुई शरारत है।

(६) मेरी राय में सिविलसर्जन द्वारा उन सत्याग्रहियों

की जांच कराई जावे, जिन्हें लाठी-प्रहार से जख्मी हुआ बताया जाता है।

(७) श्री सुनहरा की मृत्यु बड़ी संदिग्ध अवस्था में हुई है। कहा जाता है कि उनके शव पर चोटों के चिन्ह थे। अब तक जो दस मौतें जेलों में हो चुकी हैं, वे सब रहस्यपूर्ण हैं। कहा जाता है कि सभी के जिस्म पर चोटों के घाव व निशान थे।

(८) ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध करे। चाहे कैदी ही क्यों न हों, मगर उन्हें एक आधीनस्थ रियासत में इस तरह जलील न होने दे। मैं वायसराय महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और हैदराबाद पर जोर दें कि वह इस मामले की एक निष्पक्ष कमेटी से जांच कराये।”

इस विस्तृत वक्तव्य की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यह जेलों में सत्याग्रहियों के साथ होनेवाले व्यवहार की कहानी बताने के लिए काफी है। यहां यह कहना भी कुछ अनुचित न होगा कि जेल-अधिकारियों के मजहबो पक्षपात ने भी उनको काफी मदान्ध बना दिया था। उनका हृदय इतना कलुषित था कि वे अश्लील से अश्लील गालियों के बिना बात न करते थे और बात-बात में अमानुषिक व्यवहार पर उतर आते थे। गंजी, डबल गंजी और कोड़ों तक की सजा साधारण साधारण बातों पर दी जाती थी। जेल में उनसे हर प्रकार का कठोर

और निष्ठुर काम लिया गया। पाख़ाने तक साफ़ कराये गये। कड़ी धूप में पत्थर ढोने आदि की कठोर मेहनत-मजूरी कराई गई। इन यातनाओं की वजह से जेलों में सत्याग्रहियों का बीमार पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन, उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध असन्तोषजनक और असमाधानकारक था। आन्त्र ड्वर, विषम ड्वर, अतिसार आदि पेट की बीमारियों से काफ़ी सत्याग्रही पीड़ित रहे। यही वजह थी कि जेलों में सत्याग्रहियों की मृत्यु-संख्या असाधारण थी। जितने सत्याग्रहियों का जेलों में इस सत्याग्रह में स्वर्गवास हुआ, उतनों का इससे पहिले किसी भी सत्याग्रह में नहीं हुआ। कांग्रेस के देशव्यापी सत्याग्रहों में साठ सत्तर हजार और एक लाख तक सत्याग्रही जेलों में गये; लेकिन, उनमें इतने शहीद नहीं हुए। हैदराबाद सरकार ने इन मौतों को भी साधारण बताने का यत्न किया; किन्तु मनुष्य के जीवन की कीमत को साधारण बताने के साथ उपहास करनेवाला अपने कठोर व्यवहार और अत्याचार को छिपा नहीं सकता। आर्यजगत् में ही नहीं; बल्कि समस्त भारत में उसके प्रति, क्षोभ घृणा और तिरस्कार प्रकट किया गया। लेकिन, हैदराबाद सरकार के कानों पर जूँ तक न रेंगी। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान की ओर से रियासत को लिखा गया कि किसी भी सत्याग्रही के अधिक अस्वस्थ होने पर उसकी सूचना सभा के कार्यालय में दे देने से जनता में अधिक भ्रम फैलने का कोई कारण न रहेगा। लेकिन, इस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। ३० अप्रैल से २५ जुलाई तक जेलों में उसके इस

निर्मम व्यवहार पर १५ शहीद अपनी बलिवेदी दे चुके थे। इसी अवधि में लगभग सौ बार लाठीकाण्ड हुए होंगे और इतनी ही बार भूख हड़तालें हुई होंगी। ३५०० सत्याग्रही उदर विकारों से पीड़ित थे। जेल की अन्य सजाओं का हिसाब लगाना मुश्किल है। कहना न होगा कि ये सब ज्यादतियां आर्य प्रजा के धार्मिक विश्वास और उत्साह को कम करने में सर्वथा असफल रहीं। उन्होंने उसमें घी डालने का ही काम किया। इस त्याग, तपस्या और बलिदान के बल पर चलनेवाले सत्याग्रह ने इतना उग्र रूप धारण किया कि लाहौर के “ट्रिव्यून” ने लिखा था कि “हजारों सत्याग्रहियों के जेल चले जाने के बाद भी उनका प्रवाह जारी है।” इलाहाबाद के “लीडर” ने तो यहां तक लिखा था कि “हैदराबाद के सत्याग्रह की ओर जिस रूप में देश की आंखें खिंच गई थीं, उस रूप में कांग्रेस के सत्याग्रह की ओर भी नहीं खिंच सकी थीं।”

ख. हमारे शहीद

जेलों के इस नृशंस एवं अमानुष दुर्व्यवहार की वेदी पर बलि देनेवाले धर्मवीरों के पुण्य स्मरण के बिना यह प्रसंग अधूरा ही बना रहेगा। इसलिये संक्षेप में यहां उनका परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है।

१. पं० श्यामलाल—इन धर्मवीरों में सबसे पहिला स्थान पण्डित श्यामलालजी का है। हैदराबाद के सुप्रसिद्ध आर्य नेता पण्डित बंसीलालजी के आप छोटे भाई थे। आपका

जन्म हैदराबाद राज्य के बीदर जिले के आलकी नाम के गांव में पं० भोलानाथजी के कट्टर सनातनी एवं पौराणिक घर में हुआ था। पैतृक परम्परा के अनुसार श्री श्यामलालजी का विश्वास और श्रद्धा श्री मारुति और माणिक प्रभु के मन्दिरों में विशेष रूप से थी। लेकिन, जब उस विश्वास और श्रद्धा ने पलटा खाया, तब वे वैसे ही दृढ़ आर्यसमाजी बन गये। शरीर से जितने निर्बल थे, मन और हृदय से उतने ही बलवान् थे। कई बार प्राकृतिक सङ्घटों से ऐसे वच निकले थे; मानो उनके जीवन का उत्सर्ग धर्म की ही वेदी पर होना था। सांप के काटने और नदी में डूबने से बचने का और क्या प्रयोजन था? शिक्षा-समाप्ति के बाद उद्गीर में आपने बकालत शुरू की थी। लेकिन, आप जन्मसिद्ध उपदेशक थे। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में आपकी विशेष अभिरुचि थी। अपने जिले और रियासत में ही नहीं; बल्कि बम्बई तक में आप अपने धर्मप्रेम और उत्साह के लिये प्रसिद्ध हो चुके थे। हैदराबाद राज्य में १९३१ में आर्य-समाजों की प्रतिनिधि सभा स्थापित होने पर आप तीन ही वर्ष बाद उसके मन्त्री चुने गये। मन्त्रित्व की जिम्मेवारी को आपने जिस तत्परता के साथ निभाया, उससे आप हैदराबाद के धर्मान्ध अधिकारियों की आंखों का कांटा बन गए। आपको किसी न किसी जाल में फंसाने का षड्यन्त्र रचा जाने लगा। १९३८ में आप पर कुछ बदमाशों ने घातक हमला भी किया। आप बाल बाल बच गये। उद्गीर में इसी वर्ष हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। इसमें अन्य १५ हिन्दुओं के साथ आपको भी फंसा लिया गया।

जेल में आपका स्वास्थ्य गिरने लगा। आंखों का आपरेशन कराने के बाद भी उनकी व्याधि से आपको छुटकारा न मिला था। इस लिए आपको सिर्फ दूध और केले के मेवन की सलाह दी गई थी। जेल के अधिकारियों ने बार बार प्रार्थना करने पर भी यह पथ्य जेल में न चलने दिया। ज्वार की रोटी पर आपका निर्भर रहना कठिन था। कई बार आपने अनशन भी किया। अन्त में १६ दिसम्बर १९३८ को आपका स्वर्गवास हो गया। बड़ी कठिनाई से आपका शव प्राप्त किया गया और दाह-संस्कार के लिए शोलापुर लाया गया। वह जेल की व्याधियों की वजह से कङ्कालमात्र रह गया था। शोलापुर के डाक्टर श्री नीलकण्ठ-राव एल. एम. एस., के. एल. ओ. (वियाना) ने शव की परीक्षा करने के बाद लिखा था कि “पेट सिकुड़कर पीठ से जा लगा था। हाथ के नाखून काले पड़ गये थे। दाईं टांग के गिट्टे के पास आध इञ्च घेरे का एक घाव पाया गया। दाईं टांग पर भी एक लम्बा घाव था।” कुछ और घावों का भी डाक्टरजी ने उल्लेख किया था। यह सन्देह किया जाता था कि ये कोड़ों की मार के घाव थे। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि आपका बलिदान जेल की कठोर यातनाओं की बलिवेदी पर हुआ। इन दिनों में शोलापुर में आर्य कांग्रेस की तैयारियां हो रहीं थीं। बड़ी शान के साथ वैदिक रीति से आपका अन्त्येष्टि संस्कार किया गया।

२. स्वामी सत्यानन्दजी—युक्तप्रांत में जन्म लेने पर भी संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद लगभग २० वर्षों तक

आप दक्षिण में प्रचार करते रहे थे। बङ्गलौर में आपने अमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम पर एक आश्रम की भी स्थापना की थी। १८ वानप्रस्थियों के जत्थे के साथ आपने गुलवर्गा में सत्याग्रह किया। वहां से आपको चञ्चलगुड़ा जेल भेजा गया। २७ अप्रैल को वहां आपका स्वर्गवास होगया। सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा था कि २३ अप्रैल को जेल में जब आप आए, तो आपको तेज बुखार था। २६ अप्रैल को उस्मानिया अस्पताल में भेजने पर भी अगले ही दिन आपका हार्ट फेल हो जाने से आपकी मृत्यु होगई। सरकार ने सरकारी रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा था कि आपके शव पर किसी प्रकार का घाव न था। आपका शव देते हुए ली गई रसीद में भी सरकार का कहना है कि ऐसे किसी घाव का उल्लेख नहीं किया गया था और उसको ऐसी कोई सूचना दिए बिना ही उनका दाह-संस्कार कर दिया गया। लेकिन, डा० अंचोलीकर एम. वी. वी. एस. ने आपके शव की परीक्षा करके जो रिपोर्ट दी, वह सरकार के इस कथन से सर्वथा विपरीत थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्वामी जी के बाएं कान के पीछे घाव और आस-पास खून जमा बताया था। बाएं कान के आसपास भी जमा हुआ खून बताया था। आंख के पास और पीठ तथा बाहुओं के ऊपर कुछ काट के निशानों के चिन्ह भी आपने बताया थे। पं० श्रीराम शर्मा मन्त्री आर्यसमाज सुलतान बाजार ने अपने २६ अप्रैल के पत्र में लिखा था कि “स्वामीजी ने हवन न करने देने पर २३ सत्याग्रहियों के साथ भूख हड़ताल की हुई थी।” इसी आशय का एक और

गुमनाम पत्र भी जेल से मिला था, जिसमें हवन न करने देने के विरोध में अनशन करने, स्वामी जी की मृत्यु होने और श्री नरहरि तथा श्री हरिगोविन्द की अवस्था के चिन्ताजनक होने का समाचार लिखा था। जेल से शव को लेने वाले श्री चन्द्रपाल ने भी अपने एक वक्तव्य में सिर में कान व आंख के पास घाव होने का उल्लेख किया था। पं० धर्मदत्त, श्री मोहनलाल वर्मा और श्री पुमानराय, श्री जिन्दाराब, श्री मानिकचंद ने भी श्री चन्द्रपाल वक्तव्य का समर्थन किया था।

३. श्री परमानन्दजी—तीस वर्ष का हृष्टपुष्ट युवक श्री परमानन्द हरिद्वार के श्री गोकुलप्रसाद का पुत्र था। २० सत्याग्रहियों के साथ राजूर में सत्याग्रह करके वह जेल गया। गुलबर्गा में उसे चञ्चलगुडा जेल भेजा गया। वहां १ अप्रैल को उसका देहांत हो गया। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि "मेडिकल अस्पताल में साधारण अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी देह पर घाव के कोई निशान न थे।" लेकिन, अन्य साक्षियों से सरकार की इस विज्ञप्ति का समर्थन नहीं होता। उसकी मानसिक दशा खराब होने की इससे पहिले कोई सूचना जेल के अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई थी। उसके शव को देखने पर भी ऐसा कोई सन्देह नहीं होता था। डाक्टर फडके एम० बी० वी० एस० ने कान के पास चोट होने और नाक से खून निकलने की बात कही थी। पं० धर्मदत्तजी और श्री चन्द्रपालजी ने अनेक वक्तव्यों में बताया कि किस कठिनाई से उन्होंने परमानन्द का शव जेल से प्राप्त किया। उसके लिए उनको एच०

हालिनस तक के पास जाना पड़ा। उसकी दाईं बांह पर चोट के तीन निशान और छाती पर भी घाव होने की बात उन्होंने कही थी। डा० फड्डे की परीक्षा के अनुसार दाईं भुजा पर तीन इंच लम्बा एक तिरछा घाव था। दाईं कोहनी और छाती पर भी आपने घावके चिन्ह बताए थे। नाक और मुंह से परीक्षा के समय भी खून निकलने का आपने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। आपकी सर्गति में शव का विस्तृत पोस्टमार्टम होना आवश्यक था।

४. श्री विष्णु भगवन्त तन्दुरकर—तीस वर्ष की आयु के नौजवान श्री तन्दुरकर हैदराबाद के तन्दुर स्थान के निवासी थे। गुलबर्गा में गिरफ्तार होने के बाद आपको हैदराबाद जेल भेजा गया। वहां १ मई को आपका देहान्त हो गया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आप उदर रोग से पीड़ित थे, जिसके लिए आपको उस्मानिया अस्पताल में ३० अप्रैल को भेजा गया और १ मई को हार्ट फेल हो जाने से आपकी मृत्यु हो गई। २ मई को शाम को ५-३० बजे आपका शव आर्यसमाज के प्रतिनिधियों को दिया गया। सरकार ने अपने को सर्वथा निर्दोष बताने के लिये उनके सम्बन्ध में भी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। लेकिन, डा० अंत्रोलीकर एम० बी० बी० एस० और डा० फड्डे की रिपोर्ट सरकारी विज्ञप्ति के विपरीत है। श्री विनायकराव विद्यालंकार, श्री नरसिंहराव और हनुमन्तरावजी ने होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री अजहरहुसेन से शव की परीक्षा करने का अनुरोध किया। लेकिन, वे न तो स्वयं आये और न किसी और को ही

उन्होंने भेजा । इन महानुभावों ने अपने वक्तव्यों में शहीद के शव पर चोटों के अनेक निशान होने की बात कही है । अन्य भी अनेक सज्जनों ने इसी आशय के वक्तव्य दिये थे ।

५. श्री छोटेलालजी—युक्तप्रान्त के जिला मैनपुरी के अलालपुर गांव के निवासी आप अपने पिता के इकलौते बेटे थे । राजगुरुजी के साथ आप स्पेशल ट्रेन से गये थे और उन्हीं के साथ गुलवर्गा में सत्याग्रह करनेवाले ५३१ सत्याग्रहियों में से आप एक थे । २ मई को आप बीमार पड़े । बीमारी में धूप में काम करने से आपको लू लग गई । बेहोश होकर आप दुपहरी में गिर पड़े । आपको एक छत के नीचे लिटाया गया । वहां आपको दस्त और उल्टी हुई । आधी रात तक भी जब आपकी दशा न सुधरी, तब आपको अस्पताल पहुंचाया गया । वहां ३ मई की सवेरे ६। वजे आपका देहान्त हो गया । जेलवालों ने स्वयं ही आपका अन्त्येष्टि संस्कार करने का निश्चय किया । २० सत्याग्रहियों को साथ में जाने की आज्ञा दी गई । शव का फोटो भी नहीं लेने दिया गया । कुछ दिन बाद सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर आपकी मृत्यु के बारे में भी लीपापोती करने का यत्न किया । लेकिन, वह इससे इन्कार नहीं कर सकी कि उनसे बीमारी में भी धूप में काम लिया गया, उनका उचित औषधोपचार नहीं किया गया और श्री राजगुरुजी तथा अन्य सत्याग्रहियों को उनकी सेवाशुश्रूषा नहीं करने दी गई । राजगुरुजी के हृदय पर छोटेलालजी की इस मृत्यु की इतनी गहरी चोट लगी थी कि वे जेल से मुक्त होने के बाद उनके गांव गये और

उनकी माता को ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न करने पर उन्होंने बधाई दी ।

६. श्रीयुत नानूमलजी—चरार के अमरावती शहर के निवासी श्री नानूमल की आयु ५२ वर्ष की थी । चञ्चलगुडा जेल में २६ मई को आप बीमार पड़े और २६ मई को उस्मानिया अस्पताल में निमोनिया से आपका स्वर्गवास हो गया । आपकी मृत्यु और शव का किसी को पता तक न दिया गया । श्री हरि-श्चन्द्रजी विद्यार्थी अधिकारियों से मिले । श्रीमती सरोजिनी नायडू की मार्फत भी यत्न किया गया । सब बेकार गया । दिल्ली से सार्वदेशिक आर्थे प्रतिनिधि सभा की ओर से दिये गये तार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । अन्त में वह स्थान ढूँढ निकाला गया, जहां शव दाह के लिये लाया गया था । यह नई बात थी कि शव को इस प्रकार छिपाकर दाह के लिये ले जाया जाय । यह सरकार की नैतिक कमजोरी का ही सूचक था ।

७. श्री माधवरावजी—हैदराबाद के उस्मानाबाद जिलेके लातूर के निवासी श्री माधवरावजी की आयु ३० वर्ष की थी । गुलबर्गा जेल में तीव्र ज्वर और लू के आप शिकार हुए । २१ मई को बीमार पड़ने के बाद २६ मई को आपका देहान्त हो गया । जेल वालों ने कुछ सत्याग्रहियों की उपस्थिति में गुलबर्गा में आपका दाह-संस्कार कर दिया । सत्याग्रह समिति ने मृत्यु के कारणों की जांच के लिये एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जो गुलबर्गा जाकर अधिकारियों से भी मिला । लेकिन,

किसी ने कुछ पता न दिया। शव का फोटो लेने और श्मशान तक साथ जाने की भी अनुमति नहीं दी गई।

८. श्री पांडुरंग—अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट शरीर के २२ वर्ष के युवक श्री पांडुरंग उस्मानावाद के निवासी थे। गुलबर्गा में आपको इन्फ्लूएंजा हुआ और योग्य चिकित्सा न होने से आपकी अवस्था विगड़ती गई। जेल-अस्पताल में भी आपका ठीक तरह औपधोपचार न हुआ। २५ मई को अवस्था अत्यन्त नाजुक होने पर आपको जेल के बाहर अस्पताल में भेजा गया। वहां २७ मई को आपका स्वर्गवास हो गया। समाचार शहर में फैलते ही अस्पताल पर अपार भीड़ जमा होगई। लेकिन, लोगों को शव देना तो दूर रहा, उसको देखने और उसका फोटो तक लेने का अवसर नहीं दिया गया। शव वापिस जेल भेजा गया। कुछ सत्याग्रहियों और पुलिस के एक दस्ते के साथ उसको श्मशान-भूमि में पहुंचा कर उसकी अन्त्येष्टि कर दी गई। ५ जुलाई को सरकार ने उनका देहान्त होना स्वीकार किया।

९. श्री सुनहरा—पंजाब के रोहतक जिले के वुटाना ग्राम के चौधरी जगराम का वह पुत्र था। अत्यन्त सुडौल शरीर का वह सर्वथा स्वस्थ नौजवान था। महाशय कृष्णजी के साथ औरंगाबाद में ५ जून को वीर युवक गिरफ्तार किया गया था। उसी समय उसको ज्वर हो गया। ज्वर ने शीघ्र ही भयानकरूप धारण कर लिया और उसकी घगल में एक फोड़ा भी निकल आया। ज्वर १०५ तक जा पहुंचा। तब उसको सिविल अस्पताल

भेज दिया गया। फोड़े का विष शरीर में फैल गया और उसको सन्निपात हो गया। मर्ज बढ़ता ही गया। ८ जून की सवेरे ७। बजे वह बीमारी मृत्यु का कारण बन सुनहरा के देह को हर ले गई। सरकारी डाक्टर ने मृत्यु का कारण बीमारी को कहते हुए उसे स्वाभाविक बताया। लेकिन, यह तथ्य है कि मृत्यु उचित औषधोपचार के अभाव में हुई। महाशय कृष्णजी तथा अन्य सत्याग्रहियों को कई घण्टों बाद मृत्यु की सूचना दी गई। शव का फोटो नहीं लेने दिया गया। जेल से छूटने के बाद पंजाब-केसरी श्री खुशहालचन्द जी खुरसंद शहीद के गांव गये। उसके पिता को वधाई देते हुए वहां उन्होंने उसके स्मारक में आर्य-मन्दिर की आधार-शिला की स्थापना की।

१०. महाशय फकीरचन्द्रजी—जिला करनाल तहसील कैथल के गांव शारधा के आप निवासी थे। आयु आपकी ३५ वर्ष थी। आपने भी महाशय कृष्णजी के साथ ५ जून को औरंगाबाद में सत्याग्रह किया था। उदर-विकार से पीड़ित होने पर आपको जेल-अस्पताल में भरती किया गया। उदर-पीड़ा ने शीघ्र ही 'अपेण्डीसाइटिस' का रूप धारण कर लिया। इससे आपको सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। ३० जून को आपका अपरेशन किया गया। आशा थी कि आप संभल जायेंगे। लेकिन, १ जुलाई की सवेरे ७ बजे आपका देहान्त हो गया। अपरेशन के बाद आपकी समुचित देख-संभाल न हो सकी।



शहीद मलखानसिंहजी



शहीद सुनहरासिंहजी

११. श्री मलखानसिंह—युक्तप्रान्त के सहारनपुर जिले के रुड़की शहर के आप निवासी थे । आयु आपकी भी ३५ वर्ष थी । पंजाव के रोहतक जिले के समान युक्तप्रान्त में सहारनपुर जिले को सब से अधिक सत्याग्रही भेजने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह आपके ही परिश्रम का परिणाम था । आप कांग्रेस के आन्दोलन में भी कई बार जेल हो आए थे । रुड़की से एक जत्था ले कर आपने प्रस्थान किया और पुसद में सत्याग्रह किया । नांदेड़ में सजा होने पर आपको चंचलगुडा जेल भेज दिया गया । १ जुलाई को आपका स्वर्गवास हुआ और जेल के श्मशान में ही आपका दाह-संस्कार कर दिया गया । आपकी बीमारी और मृत्यु के समाचार को बहुत छिपा कर रखा गया ।

१२. स्वामी कल्याणानन्दजी—मुजफ्फरनगर के निवासी वयोवृद्ध आर्य संन्यासी कल्याणानन्दजी की ७५ वर्ष की आयु थी । इस वृद्धावस्था में भी आप में जो उत्साह था, वह युवकों को भी लजाने वाला था । ८ जुलाई को थोड़े ही समय की बीमारी के बाद आपका स्वर्गवास हो गया । १० जुलाई को सरकारी तौर पर आपकी मृत्यु की सूचना दी गई । लेकिन, उसका कारण कुछ भी बताया न गया ।

१३. श्री शान्तिप्रकाश—नईदिल्ली स्टेशन के टिकट-कलैक्टर श्री रामरत्न शर्मा के सुयोग्य पुत्र शान्तिप्रकाश की आयु केवल १८ वर्ष की थी । जिला गुरुदासपुर के कलानौर अकबरी

में युवक का जन्म हुआ था। घर से वह चुपचाप गायब हो गया और बम्बई पहुँच कर सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो गया। १ मई को गंगौरी में सत्याग्रह करने के बाद उस्मानाबाद जेल में उसको रखा गया। जेल का कठोर परिश्रम उसको सहन नहीं हुआ। बीमार पड़ने पर उसे सिविल अस्पताल में भेजा गया। उस पर क्षमा मांगने के लिये काफ़ी जोर डाला गया। लेकिन, वह अपने धर्म-पथ से विचलित नहीं हुआ। उस ने डरपोक व्यक्ति के समान माफ़ी मांग कर जेल से बाहर आने की अपेक्षा जेल में मरना ही पसंद किया। सिविल अस्पताल से जेल भेजे जाने पर पुरानी बीमारी और भी भयानक रूप में प्रकट हुई। उसे फिर अस्पताल में भेजा गया। बीमारी जब असाध्य प्रतीत होने लगी, तब उसके पिता को तार द्वारा सूचना दी गई। पिता उस्मानाबाद पहुँचे। अपने विवहल पिता के सामने शान्तिप्रकाश ने वीर हकीकत का आदर्श पेश किया और क्षमा मांगने के लिए आग्रह करने का पिता को साहस ही नहीं हुआ। २७ जुलाई को उस वीर बालक ने अमर-पद प्राप्त किया। शहर में विजली की तरह यह समाचार फैल गया। शहर में हड़ताल भी हुई। लोगों को शहीद का शव देना तो दूर रहा, उसके साथ श्मशान जाने तक की आज्ञा नहीं दी गई। कुछ सत्याग्रहियों के साथ अर्थी श्मशान भेजी गई और वहाँ २८ जुलाई की सुबेरे वैदिक-विधि से दाह-संस्कार कर दिया गया।

१४, श्री बदरसिंह—जिला सहारनपुर के मुजफ्फर-
पुर

चाद ग्राम में श्री ठा० टीकासिंह के घर में इस १८ वर्ष के वीरयुवक का जन्म हुआ था। वह भी अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता ने अपनी सख्त बीमारी में पुत्र को हैदराबाद जाने से नहीं रोका। श्री राजगुरुजी के अनुरोध को भी पिता ने न माना। बड़े करूणापूर्ण दृश्य में पिता ने पुत्र को दृढ़ रहने का आशीर्वाद देते हुए विदाई दी। १७ जून को वेजवाड़ा में उसने सत्याग्रह किया और बारंगल जेल में उसको रखा गया। भ्रान्त-स्वर से पीड़ित होकर जेल अस्पताल में भेजे जाने पर २४ अगस्त को वह इस संसार से कूच कर गया। डेढ़ मास बाद पिता का भी स्वर्गवास हो गया।

१५. श्री ताराचन्द्र—सिर्फ १६ वर्ष के आर्यकुमार ताराचन्द्र का जन्म मेरठ जिले के लुम्बे ग्राम में चौधरी केहरसिंह के घर में हुआ था। घर वालों ने उसे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ विदाई दी। २० अप्रैल को वह अपने जत्थे के साथ तुलजापुर पहुंचा। यही वह जत्था था, जिस पर पुलिस ने लाठी-चार्ज किया था। नल-दुर्ग में २१ अप्रैल को उस जत्थे को रखा गया। वहां से जत्थे के सत्याग्रहियों को विभिन्न जेलों में भेजा गया। ८ अगस्त को जेल से मुक्त होकर ताराचन्द्र चांदा शिविर में पहुंचा और वहां बीमार पड़ गया। नागपुर में डा० लक्ष्मणराव परांजपे के यहां उसका औषधोपचार किया गया। अंत में सिविल अस्पताल में भी उसको रखा गया। उसके चाचा चौधरी रामचन्द्रजी ३० अगस्त को नागपुर आ पहुंचे। लेकिन, प्रभु की

इच्छा बलवान् थी। २ सितम्बर की सवेरे ५ बजे वह इस लोक से विदा हो गया। आर्यसमाज और हिन्दूसभा ने मिल कर उस का दाह-संस्कार किया।

१६. श्री अशरफीप्रसाद—बिहार के चम्पारन जिले के नरकटियागंज के निवासी श्री अशरफीप्रसाद की आयु २२ वर्ष की थी। पिता का नाम श्री फिरंगीशाह था। २२ मार्च को वह गिरफ्तार हुआ था। जेल का भोजन उसके अनुकूल न था। इस लिये जेल में वह प्रायः बीमार ही रहा। क्षमा मांगने के लिये उसे तैयार न देख कर २३ अगस्त को उसे रिहा कर दिया गया। घर आकर भी वह बीमार बना रहा। चिकित्सा का कोई लाभ न हुआ। २६ अगस्त को उसके इस नश्वर शरीर ने इस संसार से विदा ले ली। वृद्धा माता, युवा पत्नी और गोद के एक बच्चे को वह अपने पीछे छोड़ गया।

१७. ब्रह्मचारी रामनाथ—अहमदाबाद में जन्म लेने वाले इस ब्रह्मचारी को महात्मा नारायण स्वामीजी के साथ सत्याग्रह करने के लिये बुलाया गया था। गुरुकुल कांगड़ी से अपने १३ साथी ब्रह्मचारियों के साथ उसने जिस प्रकार प्रस्थान किया था, उसका विवरण पीछे दिया जा चुका है। अपने साथियों में भी इसे सबसे पहिले सत्याग्रह करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। जेल की अमानुष कठोरता की और नृशंस मारपीट की निर्दय कहांनी जेल से बाहर आने पर वह स्वयं अपने मुंह से कई बार सुनाया करता था। उसकी टांगों और पीठ पर

उसके कई घाव भी बने हुए थे। जेल से रुग्ण होकर बाहर आने वाला शरीर तुरन्त वीमारी का शिकार हो गया और वही वीमारी उसके थके हुए शरीर को हर ले गई।

१८. श्री सदाशिवराव पाठक—शोलापुर के तडवाल ग्राम के निवासी श्री विश्वनाथराव के घर में श्री सदाशिवराव का जन्म हुआ था। वह भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। पत्थर होने का कठोर काम उससे लिया गया। वीमारी की हालत में भी उसको इस कठोर परिश्रम से मुक्ति नहीं मिल सकी। बस यही कठोर परिश्रम उसकी मृत्यु का कारण था।

१९. श्री गोविन्दराव—जिला बीदर के नलगौर ग्राम में जन्म लेने वाले श्री गोविन्दराव की मृत्यु हैदराबाद सेण्ट्रल जेल में रोगग्रस्त होने के बाद जिन रहस्यपूर्ण अवस्थाओं में हुई, उसका भेद आज तक नहीं खुला।

२०. श्री मातूराम—हिसार जिले के मिलिकपुर गांव के निवासी श्री मातूराम की आयु ४५ वर्ष की थी। औरंगाबाद जेल में आप वीमार पड़े और श्वासज्वर से आप पीड़ित रहे। २७ जुलाई को रुग्ण अवस्था में आपको जेल से रिहा किया गया। पुलिस आपको मनमांड स्टेशन लाकर छोड़ गई। उसने सत्याग्रही शिविर तक में आपको पहुंचाने का कष्ट न उठाया और न इस बारे में कोई सूचना ही दी। शिविर में सूचना पहुंचने पर आपको स्टेशन से वहां लाया गया और एक ही दिन बाद २९ जुलाई को आप शिविर में ही वीरगति को प्राप्त हो गए।

२१. श्री रतीराम—सांपला जिला रोहतक निवासी श्री रतीराम को भी भीषण बीमारी में जेल से छोड़ा गया और घर पहुंचने पर आपका स्वर्गवास हो गया ।

२२. श्री अरोडामल—सरगोधा—पंजाब के निवासी श्री अरोडामल को भी अत्यन्त रुग्ण अवस्था में जेल से रिहा किया गया । घर जाते हुए लाहौर में ही आपका देहान्त हो गया ।

२३. श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी—आप चुरहानपुर के रहने वाले थे । रुग्ण अवस्था में जेल से मुक्त हुए और घर लौटने पर स्वर्गवासी हो गये । ऐसे कई और वीर सत्याग्रही होंगे जो इस गौरवपूर्ण गति को प्राप्त हुए होंगे, परन्तु हमें इतने ही वीरों के परिचय प्राप्त हो सके हैं ।

वीर शहीदों के बलिदान की यह गौरवपूर्ण कहानी अपनी कथा स्वयं कह रही है । कोई शिकायत पेश करके उसके गौरव को हम कम नहीं करना चाहते । लेकिन, इतना कहे बिना भी नहीं रह सकते कि जेल से अस्पताल में भेजने के बाद दो-चार दिन में ही सत्याग्रही की मृत्यु हो जाना विस्मयजनक है । जेलों के साथ साथ रियासत के अस्पतालों की असन्तोषजनक अवस्था पर भी इससे काफ़ी प्रकाश पड़ता है । दूसरी बात यह भी विस्मयजनक है कि रियासत के अधिकारी इन सब शहीदों की मृत्यु के बारे में किसी निश्चित नीति को काम में नहीं ला सके । पहिले तो शव देने बन्द किये गये । फिर, उनकी मृत्यु के

सम्बन्ध में विज्ञप्तियां तक प्रकाशित करनी बन्द कर दी गई। बाद में दाह-संस्कार भी गुप्त ढंग से किये जाने लगे। कुछ दाह-संस्कार जेलों में भी किये गए। बाहर की जनता को श्मशान में जाने तक का अवसर नहीं दिया गया। यह सब रहस्यपूर्ण है। बीमारी की सूचना घरवालों को भी न देने का कारण समझना कठिन है। अन्त में रोगियों को मुक्त करने की नीति जरूर अपनाई गई। लेकिन, बीमारी के असाध्य हो जाने पर उसको अपनाना कोई अर्थ नहीं रखता था। श्री मातूराम के साथ कैसा हृदयहीन व्यवहार किया गया ? लगभग ८ मास की अवधि में दो दर्जन (एक कम) शहीदों का बलिदान भी इस सत्याग्रह का एक शानदार रिकार्ड है, जिससे समस्त आर्य जाति का गौरव एवं गर्व के साथ साथ ऊंचा हो गया है। आर्यजाति ने इन वीरों की स्मृति को अमिट बनाने के लिए कई प्रयत्न किए हैं। कई तरह का साहित्य इनके सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया है। आर्यसमाज मन्दिरों में इनकी पुण्य स्मृति में शहीदी प्लेटें लगाई गई हैं। सबसे बड़ा काम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से यह किया गया है कि इनके निराश्रित घरवालों की आर्थिक सहायता करने के लिये स्थायी पेंशन का प्रबन्ध किया गया है, जो नियमपूर्वक मासिक रूप में दी जाती है। आर्य जाति के पास इनके प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रगट करनेके लिये इससे अधिक और था भी क्या ? श्रावणी के शुभपर्व पर विजय महोत्सव में प्रति वर्ष इन धर्मवीरों के प्रति विशेष रूप से जो श्रद्धाञ्जलि अर्पित की जाती है, उसमें किस गौरव के साथ इन सब का पुण्य-

स्मरण किया जाता है। समस्त आर्य नरनारी एक स्वरं से निम्न पद्यों में उनका स्मरण करते हैं—

“श्यामलालजी, महादेवजी, रामाजी श्री परमानन्द ।
 माधवराव विष्णु भगवन्ता, श्री स्वामी कल्याणानन्द ॥
 स्वामी सत्यानन्द महाशय-मलखाना श्री वेदप्रकाश ।
 धर्मप्रकाश रामनाथजी, पाण्डुरङ्ग श्री शान्तिप्रकाश ॥
 पुरुषोत्तमजी ज्ञानी लक्ष्मणराव सुनहरा केंकराव ।
 भक्त अरूड़ा मातुरामजी, नन्हूसिंह श्री गोविन्दराव ॥
 बदनसिंहजी रतीरामजी, मान्य सदाशिव ताराचन्द ।
 श्रीयुत छोटेलाल अशर्फीलाल तथा श्री फकीरेचन्द ॥
 माणिकराव भीमरावजी, महादेवजी अर्जुनसिंह ।
 सत्यनारायण, वैजनाथ ब्रह्मचारी दयानन्द-नरसिंह ॥
 राधाकृष्ण सरीखे निर्भय अमर हुए इन वीरों का ।
 स्मरण करें विजयोत्सव के दिन, सब ही वीरों धीरों का ॥”


इन धर्मवीरों के प्रति श्रद्धाञ्जलि इन पद्यों में अर्पित की जाती है—

“श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हम, करके उन वीरों का मान !
 धार्मिक स्वतन्त्रता पाने को, किया जिन्होंने निज बलिदान ॥
 परिवारों के सुख को त्यागा, युवक अनेकों वीरों ने ।
 कष्ट अनेकों सहन किये पर, धर्म न छोड़ा धीरों ने ॥
 ऐसे सभी धर्मवीरों के, आगे सीस मुकाते हैं ।
 उनके उत्तम गुणगण को हम, निज जीवन में लाते हैं ॥

अमर रहेगा नाम जगत में, इन वीरों का निश्चय से ।
 उनका स्मरण बनाएगा फिर, वीर जाति को निश्चय से ॥
 करें कृपा प्रभु आर्य जाति में, कोटि कोटि हों ऐसे वीर ।
 धर्म देश हित जो कि खुशी से, प्राणों की आहुति दें धीर ॥
 जगदीश्वर को साक्षि जानकर, यही प्रतिज्ञा करते हैं ।
 इन वीरों के चरण चिन्ह पर, चलने का व्रत धरते हैं ॥
 सर्व शक्तिमय दें बल ऐसा, धीर वीर सब आर्य बनें ।
 पर उपकार परायण निशि दिन, शुभ गुणधारी आर्य बनें ॥”



शहीद ब्रह्मचारी दयानन्द



शहीद ब्रह्मचारी रामनाथ

६. सत्याग्रह की प्रतिक्रिया

क. निज़ाम सरकार के विरोधी प्रयत्न

पहिली श्रेणी की अत्यन्त शक्तिसम्पन्न और साधनसम्पन्न मुस्लिम-रियासत से लोहा लेना आसान काम न था। लेकिन, जागृत और सङ्गठित प्रजा की शक्ति के सामने बड़े से बड़े सम्पन्न राजाओं और शासकों को भी हार माननी पड़ी है। आर्यसमाज एक जागृत संस्था है। उसका प्रतिनिध्यात्मक संगठन कितना मजबूत है,—इसका परिचय इस सत्याग्रह से मिले गया। निज़ाम राज्य में भी आर्यसमाज का काफी खोर था। वहाँ की प्रतिनिधि सभा का स्वतन्त्र संगठन था। लेकिन, आर्यसमाज के धार्मिक प्रचार और सामाजिक कार्यों में रोड़े अटका कर निज़ाम सरकार ने समस्त आर्य-जगत् और हिन्दू-जनता को एक चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई चारा न रहा था। पंजाब, दिल्ली, युक्तप्रान्त, बिहार, बङ्गाल और राजपूताना

आदि सभी प्रान्तों से काफ़ी दूर दक्षिण में बसी हुई रियासत के विरुद्ध सत्याग्रह का श्रीगणेश करते हुए जो कठिनाइयां रास्ते में आसकती थीं, उनकी कल्पना पहिले ही कर ली गई थी। उन सब भौतिक कठिनाइयों से बड़ी कठिनाई यह थी कि मुसलमानों ने इस धार्मिक सत्याग्रह को, जिसका लक्ष्य हिन्दू-आर्य-जनता के सिर्फ़ धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों का प्राप्त करना था, अपने विरुद्ध समझ लिया। निज़ाम सरकार की ओर से भी उनमें ऐसी भावना पैदा करने के यत्न किये गये। केवल मुसलमानों में ही नहीं, रियासत की ओर से हिन्दुओं और हरिजनों में भी विरोधी प्रचार करने में कोई बात उठा न रखी गई। इस सत्याग्रह को “बाहर वालों का मुसलमानों के दुर्ग पर हमला” बताया गया। हर आन्दोलन को सफलता तक पहुंचाने के लिये उपेक्षा, उपहास और विरोध में से होकर गुजरना पड़ता है। तीन सर्वाधिकारियों के जेल जाने तक रियासत के अधिकारियों की मनोवृत्ति उपेक्षा एवं उपहास करने की ही बनी रही। सन्धि के लिए भी एक साधारण-सी चर्चा सम्भवतः यही जानने को चलाई गई कि आर्यसमाज कितने गहरे पानी में है? आर्यसमाज के लिये इसका परिणाम बहुत शुभ हुआ और सत्याग्रह को उससे इतनी प्रेरणा व चेतना मिली कि उसकी किसी को कल्पना भी न थी। इस लिये निज़ाम सरकार और उसके अधिकारियों को विरोधी प्रयत्नों में लगने के लिए लाचार होना पड़ा। सनातनी भाइयों और हरिजन समाज को आर्यसमाज के विरुद्ध बरगलाने की कोशिश की गई। ऋषिकेश के किसी

‘नित्यानन्द गिरी’ को शंकराचार्य बना कर रियासत में इस लिए निमन्त्रित किया गया कि वे सनातनी भाइयों को आर्यसमाज से अलग करने की कोशिश करें। राजा सर किशनप्रसाद बहादुर सरीखों से विरोध में निकलवाये गये वक्तव्य में जिस कमीनी मनोवृत्ति से काम लिया गया था,—उसे स्पष्ट करने के लिए ही यहां उस वक्तव्य की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। उसमें कहा गया था कि—“ये आर्यसमाजी हिन्दू धर्म के महान् अवतारों की निन्दा करने में नहीं चूकते। मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक सनातनधर्मी आर्यसमाज द्वारा किये गए भगवान् कृष्ण के अपमान को कैसे सहन कर सकता है ? जरा ठण्डे दिमाग से सोचो कि यदि किसी मुसलमान के मुख से ये शब्द कहे गये होते, तो उनका तुम पर क्या प्रभाव पड़ता ? मैं स्वर्गीय महाराज चन्दूलालजी का उत्तराधिकारी हूँ। इस लिये एक सनातनधर्मी होने से मुझे तब बहुत लज्जा अनुभव होती है, जब मैं यह देखता हूँ कि इन धर्मान्ध आर्यसमाजियों के बहकावे में आकर जो हिन्दू धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों तक को स्वीकार नहीं करते, कुछ सनातनधर्मी भाई भी उनके भूटे आन्दोलन एवं प्रचार में गुप्त रूप से सहायक बने हुए हैं।” निजाम सरकार द्वारा प्रकाशित “हैदराबाद में आर्यसमाज” नामक पुस्तक में भी इसी भेद नीति से काम लिया गया था। उसमें सनातनी भाइयों को उकसाने के लिए कहा गया था कि “सोहनलाल ने संसार प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक भगवद्गीता को गन्दी पुस्तक बताया, भगवान् कृष्ण को उसने चोर वृत्तार कहा, और कहा कि दूसरों की खिचियों से :

कल्पित सम्बन्ध रखने वाले को भगवान् का अवतार नहीं माना जा सकता।” सनातनी भाइयों और सनातन धर्म के प्रति आर्यसमाज के प्रचार का यह चित्र खींचकर रियासत की ओर से यह बताने का यत्न किया गया कि वह इसी को रोकने के लिये उसके प्रचार को रोकना चाहती है और आर्यसमाज इसी प्रचार के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार हरिजनों को भी बरगलाने की कोशिश की गई। उनके नये नये नेता तैयार किये गये और उनसे खूब मनमाना प्रचार कराया गया। कुछ समाचार पत्रों को भी अपना हस्तक बनाया गया। मार्च १९३६ में हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख रुपया देने की घोषणा भी सम्भवतः यही दिखाने के लिये की गई थी कि आर्यसमाज द्वारा निजाम राज्य पर हिन्दू-विरोधी होने का जो आरोप लगाया जाता है,—वह कितना मिथ्या है।

इन सब प्रयत्नों में निजाम सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पं० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय के मिलने पर महामना मालवीयजी ने आर्य-सत्याग्रह के प्रति बहुत गहरी दिलचस्पी प्रगट की और कई घण्टों तक उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त की। श्री नित्यानन्द गिरी को ऋषिकेश से बुलाने पर भी कोई प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। निजाम राज्य के हरिजनों के गुरु स्वामी सिद्धरामजी महाराज ने गिरीजी की पोल खोलते हुए १० अप्रैल के ‘दिग्बिजय’ में एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया था। सर-किशनप्रसाद बहादुर का वक्तव्य भी अरण्यरोदन के

समान सर्वथा निरर्थक ही साबित हुआ। निजाम राज्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान वैरिस्टर विनायकरावजी विद्यालङ्कार और निजाम राज्य के आर्य नेता श्री वंसीलालजी ने उनके वक्तव्य का मुंहतोड़ जवाब दिया ही था। सुप्रसिद्ध सनातनी नेता पं० नेकीरामजी शर्मा भी उस पर चुप नहीं रह सके। “लीडर” में २७ अप्रैल को आपने एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि “आज मैंने ‘रहबरे दक्कन’ में निजाम राज्य के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महाराज सर किशनप्रसाद बहादुर का एक वक्तव्य पढ़ा। मुझे दुःख है कि उन्होंने सचाई को अपने बुढ़ापे के आंचल में छिपाने की कोशिश करते हुए नौकरशाही नीति का सहारा लिया है और आर्य-समाजियों और सनातनधर्मियों को आपस में लड़ाने का प्रयत्न किया है; किन्तु मेरा विचार है कि यह प्रयत्न सफल न होगा। सम्भवतः सर किशनप्रसाद को इस बात का पता नहीं है कि देहली के शिवमन्दिर सत्याग्रह में कितने ही प्रसिद्ध आर्यसमाजी कार्यकर्त्ताओं ने सनातनधर्मियों से भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महाराज सर किशनप्रसाद उसी आर्यसमाज को सनातनधर्मियों का शत्रु बता रहे हैं। मुझे दुःख है कि इस समय जब कि भारतभर में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त किए जा रहे हैं और तमाम लोग आपस में भेदभाव मिटा रहे हैं, तब एक बड़ी रियासत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हिन्दुओं में फूट डालने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि फूट पैदा करने का यह प्रयत्न सनातन धर्म के नाम पर किया जा रहा है।”

निजाम सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका में भगवान्

कृष्ण और गीता को लेकर आर्यसमाजियों के सम्बन्ध में जो भ्रम एवं ईर्ष्या-द्वेष पैदा करने की निन्दनीय चेष्टा की गई थी, उसका प्रतिवाद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से तुरन्त किया गया और "निजाम सरकार की सफाई की जांच और उसका प्रत्युत्तर" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। समाचार पत्रों पर अपने प्रभाव को जमाने में भी निजाम राज्य को सफलता नहीं मिल सकी। राष्ट्रीय पत्रों के अलावा गोरे-अधगोरे पत्रों तक में आर्यसमाज के पक्ष का समर्थन किया जाने लगा। लाहौर के 'सिविल मिलिटरी गजट' तक में उसके समर्थन में लेख प्रकाशित हुए। इस प्रकार भेदनीति से काम लेने का यह प्रयत्न बिलकुल ही निष्फल साबित हुआ।

इस सिलसिले में जनाब एस० एम० अहसन साहब के नेतृत्व में फरवरी मास में उत्तर-भारत का दौरा करने के लिये भेजे गये शिष्ट-मण्डल का उल्लेख करना भी आवश्यक है। यह शिष्ट-मण्डल रियासत के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं के नाम से यह प्रचार करने के लिए भेजा गया था कि रियासत में हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्ध परस्पर बहुत अच्छे हैं और यह सत्याग्रह अकारण ही शुरू कर दिया गया है। यह शिष्ट-मण्डल उत्तर में पेशावर तक गया। दिल्ली और लाहौर के समाचारपत्रों में इसकी ओर से कुछ वक्तव्य और मुलाकातें भी प्रकाशित हुईं। लुधियाना में फरवरी मास में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद् के वार्षिक अधिवेशन और त्रिपुरी में मार्च मास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भी इस शिष्ट-मण्डल के सदस्य

शामिल हुए। कहना न होगा कि इस शिष्ट-मण्डल को अपने अर्थवत्नों में सफलता प्राप्त न हुई। वह सत्याग्रह के विरुद्ध कुछ भी चालावरण पैदा न कर सका।

ख. मुसलमानों में

वह मानना होगा कि मुसलमानों को धर्मसमाज के विरुद्ध बरगलाने में निजाम सरकार और उसके गुर्गों को जरूर सफलता प्राप्त हुई। 'इस्लाम खतरे में' और 'मुसलमानों के दुर्ग पर बाहर वालों का हमला' आदि शोर मचा कर धर्मान्ध मुस्लिम जनता को यहां तक उभाड़ दिया गया कि जगह जगह पर आर्य सत्याग्रहियों पर हमले तक किये जाने लगे। आर्यसमाज के इस सत्याग्रह को ऐसे मुसलमानों ने अपने विरुद्ध मानने में भी संकोच नहीं किया। निजाम सरकार के उच्चतम प्रमुख कर्मचारी बहादुर यारजङ्गबहादुर तक ने २५ अप्रैल को मुसलमानों की एक विशाल सभा में आर्य सत्याग्रहियों को गोली से उड़ा देने तक का समर्थन किया था। दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद, खण्डवा आदि में आर्य सत्याग्रहियों पर किये गये हमले इसी उत्तेजना के परिणाम थे। इस प्रकरण के अन्तमें उनकी कुछ विस्तार के साथ चर्च की जायगी। इससे भी अधिक दुःख और लज्जा की बात यह है कि निजाम राज्य में भी स्थान स्थान पर आर्य सत्याग्रही जत्थों पर नृशंस एवं जघन्य आक्रमण पुलिस की नाक के सामने, उसकी उपस्थिति में, उस द्वारा उनको गिरफ्तार किये जाने के वाद भी किये गये। इन हमलों में लाठी, चाकू, कुल्हाड़ी और बलवार तक से काम लिया गया। बुलजापुर

में ६ अप्रैल को किया गया हमला बहुत ही भयानक था। जत्थे के प्रायः सभी सत्याग्रही घायल हुए और दो की अवस्था बहुत ही चिन्ताजनक हो गई थी। वयोवृद्ध श्री संतरामजी के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने अपार धैर्य, साहस और सहिष्णुता का अलौकिक परिचय दिया। लातूर में जाने वाला कोई भी सत्याग्रही-जत्था ऐसे धर्मान्ध और उत्तेजित मुसलमानों के हमले से बच नहीं सका। जिनके नेतृत्व में यहाँ के जत्थे भेजे गये, उनमें लाहौर के श्री प्रीतमचन्दजी, श्री मंगतरामजी और स्वामी विजयकुमारजी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

मुसलमानों में पैदा की गई इस उत्तेजना का बहुत ही स्पष्ट परिणाम तब सामने आया, जब पंजाब के प्रधानमंत्री सर सिक्न्दर हयातखां के सभापतित्व में बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन मई के पहिले सप्ताह में शोलापुर में यह जानते हुए किया गया कि वही आर्य-सत्याग्रह का केन्द्र था और वहाँ ही उसका मुख्य शिविर कायम था। सभापति-पद से दिये गये भाषण में सर सिक्न्दर तक ने जिस उत्तेजनापूर्ण भाषा से काम लिया, उसका परिचय इन पंक्तियों से लगता है। आपने कहा था कि—
 “राजनीतिक अथवा धार्मिक अधिकारों के अपहरण के नाम पर हिन्दुस्तानी रियासतों में घुसने के तथाकथित अहिंसात्मक एवं शान्त उपायों को काम में लाते हुए भी देश के भीतर या बाहर की जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। मुसलमान को अपना मजहब, अपनी तहज़ीब और अपना सम्मान अपने जीवन से भी अधिक प्यारा है। खुदा बचाये, यदि इनमें से एक भी खतरे

में पड़ गया तो हम उसकी जरूर रक्षा करेंगे, भले ही उसके लिये हमें दीवार के साथ पीठ लगा कर ही क्यों न लड़ना पड़े ! मुसलमानों की सब से बड़ी रियासत के विरुद्ध जारी किये गये इस आक्रमणकारी आन्दोलन से सारे देश के, खास कर मेरे प्रान्त के, मुसलमानों को बेचैन कर रखा है। यदि इसे न रोका गया, तो आपसी झगड़ों के चारों ओर फैल जाने का भारी अन्देश है। मेरी आदत कोरी धमकियां देने की नहीं है। एक हिन्दुस्तानी और मुसलमान होने के नाते यह मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं उनको, जिनका इससे सम्बन्ध है, पुकार कर यह कह दूं कि वे स्थिति की गम्भीरता को समझें और इसे जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करें। ऐसा न हो कि कहीं यह सब उनके हाथ के बाहर की बात हो जाय।”

सर सिकन्दर हयातखां का यह रचैया अचरज में डाल देने वाला था। अपने को हिन्दू-मुस्लिम-एकता का हामी बताने वाले सर सिकन्दर सरीखे लोग भी जब अपने को न संभाल सके और मुसलमानोपन में इस बुरी तरह बह गये, तब दूसरों का तो कहना ही क्या है ? ‘मौडर्न रिव्यू’ सरीखे गम्भीर एवं निष्पक्ष पत्र के लिये भी यह विस्मयजनक था कि निजाम-सरकार का पक्ष लेकर मुसलमान इस नंगी साम्प्रदायिकता पर उतर आए और स्थान-स्थान पर उन्होंने आक्रमणात्मक कार्यवाहियां भी शुरू कर दीं। लाहौर के ‘ट्रिव्यून’ ने ८ मई के मुख्य-लेख में लिखा था कि “जब सर सिकन्दर हयात खां मुस्लिम-लीग के झण्डे के नीचे अपनी नैया खेने लगते हैं, तब वे अपना समस्त नियन्त्रण

और गम्भीरता हवा में उड़ा देते हैं। शोलापुर में उन्होंने यही किया। मुसलमानों की यातनाओं के सम्बन्ध में मुस्लिम-लीग ने जो किताब तैयार की है, वह कल्पनामात्र है। कांग्रेस सरकारों की ओर से बार-बार चुनौती दी जाने पर भी उसमें लिखी गई बातों को सत्य सिद्ध करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि सर सिकन्दर हयातखां अपने सहधर्मियों की मजहबी उत्तेजना को भड़काना न चाहते, तो वे इस तरह कभी भी बह न जाते। साम्प्रदायिक भिन्नता की दुहाई देने से ही संतुष्ट न हो कर उन्होंने रियासतों में एकतन्त्र शासन और जागीरदारी प्रथा तक का पक्ष लिया। वे रियासतों की मध्यकालीन व्यवस्था में परिवर्तन होने देना भी नहीं चाहते। तब भी वे अपने को प्रजा-तन्त्रवादी कहते हैं? वे कहते हैं कि "हैदराबाद का आन्दोलन हिन्दू महासभा और कांग्रेस के कपटपूर्ण प्रबन्ध का परिणाम है।" वे और भी आगे बढ़ कर यह कहते हैं कि "उसका उद्देश्य 'इस्लामी-सभ्यता के मुख्य दुर्ग' को नाश करना है। आर्यसमाज के हैदराबाद आन्दोलन से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। भ्रम और सन्देह के पैदा न होने देने के लिये उसने अपने राजनीतिक आन्दोलन को भी बन्द कर दिया। आर्यसमाज हैदराबाद में जो आन्दोलन चला रहा है, उसका उद्देश्य हिन्दुओं के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है। यदि वे वास्तव में यह मानते हों कि भारतीय जाति को बनाने वाले दो पृथक् वर्गों की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषतायें किसी भी अवस्था में नष्ट न होनी चाहियें, तो उन्हें रियासत को परामर्श

देना चाहिये कि वह आर्यसमाज की मांगों स्वीकार कर ले। यदि उसमें रहने वाले हिन्दुओं को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता के उपभोग करने का पूर्ण अधिकार रहे, तो भारत की इस्लामी सभ्यता का मुख्य दुर्ग नष्ट नहीं हो सकता। यदि हैदराबाद का वर्तमान धार्मिक और सांस्कृतिक आन्दोलन ऐसी शक्ति पैदा कर दे कि एकतन्त्र शासन के स्थान पर प्रजातन्त्र शासन स्थापित हो जाय, तो उन्नति एवं प्रगति के शत्रुओं के सिवा और किसी को भी दुःख न होगा।” इसी प्रकार १० मई को इलाहाबाद के ‘लीडर’ ने अपने मुख्य-लेख में लिखा था कि “सर सिकन्दर का हैदराबाद-सम्बन्धी भाषण उस उदार और सहनशील भावना को प्रगट नहीं करता, जैसी उन सरीखे व्यक्ति से आशा की जा सकती थी। ऐसा जान पड़ता है कि वे कान्फ्रेंस के उस मजहबी वायुमण्डल में डूब गये, जिसमें वे भाषण दे रहे थे। सत्याग्रह में हमारा विश्वास नहीं है, परन्तु हैदराबाद में जो आन्दोलन चल रहा है, उसमें न्याय आर्यसमाज की ओर जान पड़ता है। जैसे उन्होंने कांग्रेसी सरकारों के सामने अपने प्रान्त का उदाहरण पेश किया, ठीक वैसे ही यदि वे हैदराबाद के सामने भी उसे पेश कर सकते, तो कहीं अधिक न्याय होता। क्या वे या उनकी सरकार यह आशा करती है कि हैदराबाद में आर्यसमाज के समान यदि किसी वर्गविशेष को उसके धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाय, तो वे अपने प्रान्त के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के लोगों में परस्पर सद्विच्छा, सद्विभाषना, सहिष्णुता एवं शान्ति कायम कर सकेंगे। सर सिकन्दर को इतनी अप्रासंगिक बातें करने की

क्या आवश्यकता है कि हैदरावाद एक रियासत है, मुस्लिम-रियासत है और इस्लामी सभ्यता का दुर्ग है, जब कि आर्यसमाज ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी है कि उन्हें राजनीतिक और साम्प्रदायिक प्रश्नों से कुछ भी वास्ता नहीं है और नवाब साहब के विरुद्ध भी किसी तरह की राजद्रोही भावना उनमें नहीं है। वे तो इतना ही मांगते हैं कि अन्य धर्मानुयायियों की तरह आर्यसमाजियों को भी धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिये। सर सिकन्दर हयातखां सरीखी उत्तरदायी स्थिति वाले व्यक्ति को, ऐसे मामले में, जिसके कारण हजारों व्यक्ति जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, कुछ अधिक निष्पक्ष रह कर न्याय-बुद्धि का परिचय देना चाहिये था।”

इस संगठित और सुव्यवस्थित उत्तेजना का जो परिणाम हो सकता था, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं था। आर्यसमाज ने दूरदर्शिता से काम लिया और अधिवेशन से पहिले ही शोलापुर में सत्याग्रह का कार्य स्थगित कर दिया। जत्थों का शोलापुर आना-जाना भी इन दिनों में रोक दिया गया। शहर का वातावरण शान्त हो जाने के बाद ही सत्याग्रह का कार्य फिर से शुरू किया गया। परन्तु शरारतपसन्द लोग तो मौके की इन्तजार में थे। २१ मई को मुरादावाद के पांच सत्याग्रहियों का एक जत्था अपने नियत मार्ग से स्टेशन से शिविर को आ रहा था कि अशूरखाना और खटिक मसजिद के बीच में उन पर कुछ वदमाशों ने हमला कर दिया। नायक को बुरी तरह पीटा गया। बात की बात में शहर में साम्प्रदायिक दंगे की आग भड़क


उठी। छः व्यक्ति जान से मारे गये और अनेक घायल हो गये। सारा दोष सत्याग्रहियों के माथे मढ़ा गया और २२ मई को सत्याग्रह समिति को जिला मजिस्ट्रेट ने निम्न हुकम दिया कि "शहर और जिले में साम्प्रदायिक दंगा हो जाने, उसको आर्य-समाज द्वारा निजाम राज्य के विरुद्ध किये गये सत्याग्रह से और अधिक उत्तेजना मिलने की संभावना होने और बाहरी सत्याग्रहियों की यहां कायम की गई छावनी एवं उसकी हलचलों से अधिक भय एवं त्रास पैदा होने से मैं इस तरह के जत्थों के सारे सदस्यों, सत्याग्रहियों एवं स्वयंसेवकों को अपने जत्थे भंग करने की आज्ञा देता हूँ और इस सूचना के मिलने के बारह घण्टों के भीतर भीतर उनको जिले की सीमा से बाहर होने का हुकम देता हूँ। उनको जल्दी से जल्दी यहां से अपने घरों को रवाना हो जाना चाहिये।"

शोलापुर के मजिस्ट्रेट ने इस दिन की घटनाओं के सम्बन्ध में निम्न आशय का प्रेस-वक्तव्य प्रकाशित किया था:—

"२१ मई की शाम को शोलापुर में ७-१५ बजे एक बलवा होगया, जो आधे घण्टे तक जारी रहा। पुलिस की जांच से निम्न विवरण मिल सका है कि पांच आर्यसमाजी सत्याग्रही ६-३० बजे की गाड़ी से शोलापुर पहुँचे और शिविर के तीन सत्याग्रही रेलवे स्टेशन पर उनसे मिले। ७ बजे वे खटीक मसजिद पहुँचे, जबकि नमाज जारी थी। उन्होंने नारे लगाये, जिससे दो मुसलमान चुन्ध हो गये। खटीक मसजिद से निकलकर वे उनके पास पहुँचे और उन्हें मसजिद के पास नारे लगाने

मे रोका । चूँकि सत्याग्रहियों ने तत्काल ही नारे लगाना बन्द न किया, एक मुसलमान ने एक सत्याग्रही की बांह और पीठ पर लाठी चलादी । यह देखकर कि भीड़ इकट्ठी हो गई हैं और उसमें पुलिस, जमादार, सिटी मजिस्ट्रेट का सरिश्तेदार जो पास ही थे, शामिल हैं, दोनों मुसलमान भाग गये । ज़ख्मी समेत चारों आर्य सत्याग्रहियों ने 'ए' डिविजन पुलिस स्टेशन पर घटना की शिकायत की, परन्तु ज़ख्म साधारण होने से ज़ख्मी सत्याग्रही ने अस्पताल में जाना पसन्द न किया । जबकि उनकी शिकायतें पुलिस स्टेशन पर लिखी ही जा रही थीं कि ४०-५० आर्यसमाजी, जिन्हें स्पष्ट ही इस घटना का पता लग चुका था, आर्य शिविर की ओर से दौड़ते हुए आए । लाठियों उनके हाथ में थीं और वे नारे लगा रहे थे । पुलिस स्टेशन पर तैनात पुलिस ने उन्हें मानक चौक की तरफ जाने से रोका । यहां उन्होंने फिर नारे लगाये । 'ए' डिविजन थाने के जमादार ने उन्हें वैसा करने से मना किया । तब अन्दरूनी मारुति से उन्होंने नारे लगाए, जिनमें 'आर्यसमाज जिन्दावाद' और 'मुस्लिम लीग मुरदावाद' के भी नारे थे । मुसलमानों ने इसका तीव्र विरोध किया । पुलिस हैड कान्स्टेबल ने उन्हें ऐसे नारे लगाने से मना किया, परन्तु वे न माने । अपितु एक आर्य ने एक मुसलमान पनवाड़ी की दुकान में पत्थर फेंका । आर्य हज़ूम की तरफ सोडावाटर की बोतल फेंक कर मुसलमान ने तुरन्त उत्तर दिया । खुला दङ्गा शुरू हो गया । पास खड़े पुलिस दस्ते ने उसे रोका । इस समय तक मुस्लिम 'वागवानों' ने लाठियों सम्भाल ली थीं । दोनों दल

शहीद बिष्णुशंकर



शहीद फकीरचन्द्र जी

गलियों में घुस गये और इक्के दुक्के पर हमला करने लगे। मुसार गली के हिन्दू भी आर्यों के साथ मिल गये और दोनों ओर से किसी भी अकेले विरोधी को, जो उनके रास्ते में पड़ा, न छोड़ा गया। दंगे के क्षेत्र की सब दुकानें बन्द हो गईं और जल्दी ही गलियें खाली दीखने लगीं। पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुँची और उसने तत्काल स्थिति को संभाल लिया। संदिग्ध स्थानों पर पुलिस-दस्ते तैनात कर दिये गए और घूमने फिरने वालों को उनके घर भेज दिया गया। दो आदमी जान से मारे गये। चार बुरी तरह घायल हुए, जो अस्पताल में भरती हैं। २६ घायलों के मामूली जखमों की मरहमपट्टी की गई। इस समय स्थिति बश में है। ४२ वीं धारा लागू कर दी गई है। हथियार और लाठी लेकर निकलने की मनाही कर दी गई है।”

आर्य सत्याग्रह समिति की ओर से इस घटना के सम्बंध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें “आर्यसत्याग्रह युद्ध समिति ने कल के हिंसात्मक दंगे की निन्दा करते हुए और अपने को इससे पृथक् रखते हुए जनता को शांत रहने का आदेश दिया था। आर्य आंदोलन के अहिंसात्मक और असाम्प्रदायिक स्वरूप पर इसमें विशेष जोर दिया गया था और उस शान्त वातावरण को बनाये रखने का अनुरोध किया गया था, जो पिछले महीनों से शहर में बना हुआ था। शोलापुर निवासियों में भी भेदभाव पैदा करने वाले प्रदर्शनों से आर्यों के दूर रहने की बात कहते हुए इसमें कहा गया था कि दुर्घटना पर अत्यन्त खेद प्रकाशित करते हुए हम किसी भी सम्प्रदाय के प्रति

कोई अनिष्ट इच्छा नहीं रखते। रियासत में रहने वाले मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बाहरवालों और शोलापुरवालों से भी नहीं है, न हो ही सकती है। हमने अपने प्रत्येक कार्य में अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन किया है और हम फिर घोषित करते हैं कि भविष्य में भी उसको अनुष्ण रखा जायगा।” अन्त में वक्तव्य में मृत और घायल व्यक्तियों के प्रति समवेदना प्रकट की गई थी।

‘आर्य सत्याग्रह समिति ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ३० मई की अन्तरङ्ग सभा के सम्मुख इस दुर्घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट पेश की थी:—

“पिछले बड़े दिनों में शोलापुर में हुए आर्य सम्मेलन में समस्त भारत के आर्य सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी धार्मिक मांगों के स्वीकार न किये जाने की अवस्था में हैदराबाद सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। इसके लिये नियत की गई अवधि के बाद आर्यसमाज ने अपने प्रमुख नेता तथा संन्यासी श्री नारायण स्वामीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह का श्रीगणेश किया और आपने प्रथम सर्वाधिकारी की हैसियत से ३० जनवरी को सत्याग्रह के लिये अपने को प्रस्तुत किया। शोलापुर को निष्पन्न रियासत के अत्यन्त निकट होने से आन्दोलन का केन्द्र बनाया गया। तब से आन्दोलन बिना किसी विघ्न-बाधा के अत्यन्त शान्ति के साथ चल रहा था। अप्रैल के अन्त तक, जब कि ६ से ८ मई तक होने वाले मुस्लिम-लीग के अधिवेशन के लिये प्रचार प्रारम्भ हुआ, यही अवस्था रही। यह

स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन सत्याग्रह आन्दोलन का, जो कि समस्त भारत में खूब प्रबल हो चुका था, प्रत्युत्तर था। पंजाब के प्रधानमंत्री सर सिकन्दर हयातखां इसके प्रधान थे। शोलापुरनिवासी मुसलमानों के विशेषतः और साधारणतः समस्त भारतीय मुसलमानों की मजहबवी भावनाओं को उत्तेजित करने की भावना से शोलापुर में आर्यसमाज के विरुद्ध भड़कीले भाषण दिये गये। यहां तक कि सभापति का भाषण भी वैसा ही था। यह एक प्रगट रहस्य है कि शोलापुर के अधिवेशन को हैदराबाद के अधिकारियों की पूरी सहायता प्राप्त थी। यह उस में उपस्थित हैदराबाद के अनेक अधिकारियों और लोगों की उपस्थिति से भी प्रगट है। नवाब बहादुर यारजंग भी इसमें उपस्थित थे।

“सम्मेलन का प्रबन्ध करने के लिए रियासत के खाकसार स्वयंसेवक और इन्तिहादे-मुसलमीन के कट्टर साम्प्रदायिक सदस्य भी बहुत बड़ी संख्या में पधारे थे। यद्यपि इसको बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहा जाता था, परन्तु इसमें बाते अधिकतर हैदराबाद सत्याग्रह के ही सम्बन्ध में की गई थीं।

“आर्य नेता संघर्ष की साधारण-सी संभावना से भी बचने के लिए मई के पहिले दो सप्ताहों में केन्द्रीय शिविर के सारे काम-काज को शोलापुर से हटा कर पुसद् ले गये थे। सर्व साधारण में इसकी घोषणा कर दी गई थी और स्थानीय तथा प्रान्तीय अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा भी की थी।

“लीग के इस अधिवेशन का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम नेता जल्दी ही जोश में आ जाने वाले शोलापुरनिवासी अपने धर्म-बन्धुओं के मजहबी जोश को, विशेषतः आर्यों के और साधारणतः हिन्दूमात्र के विरुद्ध भड़काने में सफल हो गये। अधिवेशन अभी मुश्किल से समाप्त ही हुआ था कि प्रमुख हिंदुओं और आर्यों के नाम धमकी के पत्र आने लग गये। ‘दिग्विजय’ के सञ्चालक के नाम ६ मई को किसी मुसलमान का गुमनाम पत्र मिला, जिसमें धमकी दी गई थी कि यदि उनका एजेन्ट बीजापुर चौक में आवेगा, तो जान से मार डाला जायगा। वह पोस्टकार्ड उसी दिन पुलिस के हाथ में दे दिया गया था। जब दूसरे दिन प्रातःकाल एजेन्ट अपने दौरे पर निकला, एक मुसलमान ने उस पर आक्रमण किया। इसका नाम भी पुलिस को बता दिया गया। एक पुलिस का सिपाही चिकित्सा के लिये एजेन्ट को अस्पताल पहुंचा कर आया। स्थानीय हिन्दू सभा के प्रधान के नाम भी ऐसा ही एक धमकी का पत्र आया था। संभवतः यह धारणा थी कि इन धमकियों और आक्रमणों से आर्यों में भय छा जायगा। १६ मई तक यही अवस्था रही। इस दिन एक प्रभावशाली स्थानीय पञ्च के पुत्र श्री वाचूराव बागटे को वावा दादेरी मसजिद के पास एक मुसलमान ने पीटा। इससे शहर में उद्योजना फैलने पर भी अवस्थाओं ने भयानक रूप धारण न किया। पुलिस अधिकारियों को इन घटनाओं की सूचना विस्तार के साथ दी जाती रही।

— “इस पवित्र आन्दोलन में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले

शहीदों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने के लिये समस्त भारत में २१ मई को 'शहीद-दिवस' मनाने का निश्चय किया गया ।

“२० मई को ६-३० बजे लगभग १०० सत्याग्रही ट्रेन से उतरे, जिन्हें शोलापुर शिविर तक जलूस में लाया जा रहा था । कितने ही नगरवासी भी उनके साथ थे । संशोधित नारे लगाते हुए जलूस खटीक मसजिद के पास के बाज़ार में से निकल रहा था । पुलिस ने सत्याग्रहियों के लिए यही मार्ग नियत किया था और जब से शोलापुर में शिविर स्थापित किया गया था, वे इसी मार्ग से आया करते थे । मुसलामानों ने कभी विरोध नहीं किया था । २१ मई को उसी ट्रेन से पांच सत्याग्रहियों का एक छोटा सा जत्था आया और पहले दिन की तरह स्थानीय सत्याग्रही स्टेशन पर उसका स्वागत कर उसी मार्ग से उन्हें ला रहे थे । जब वे खटीक मसजिद के पास अशूरखाना के पास से शोधित नारों को लगाते जा रहे थे, उनको कुछ मुसलमान मिले । वे उनको गालियां देने लगे । जब वे मसजिद के पास पहुँचे, तो कुछ और मुसलमान उनके साथ आकर मिल गये । यहां सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया । उन्होंने आक्रमण का कोई उत्तर न दिया । मार्ग में एक पुलिस स्टेशन पड़ता था । वहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी । यह ध्यान रखने की बात है कि उस समय कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी और उत्तेजित होने का कोई प्रश्न ही न था । दावानल की तरह यह समाचार शहर में फैल गया और तत्काल दुकानें घन्द होना शुरू हो गईं । स्थानीय हिन्दुओं को बहुत दुःख हुआ, जब उन्होंने इस दुर्घटना का समाचार सुना ! जब सत्याग्रही-

शिविर में इस दुर्घटना के समाचार पहुँचे, वहाँ थोड़े से ही सत्याग्रही उपस्थित थे, चूँकि शेष अपने नायक के साथ नहर पर गये हुए थे, जहाँ कल आये हुए नये सत्याग्रहियों का फोटो लिया जाना था। जो शिविर में थे, वे घटना के सग्वन्ध में जानकारी प्राप्त करते और अपने साथियों को शिविर तक सुरक्षित लाने के लिए घटना स्थल पर पहुँचे। पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन से पहिले मार्ग में ही रोक लिया। उन्हें बताया गया कि उनके नये आये हुए साथी यहीं थे। उन्होंने अपने वयान लिखवा दिये हैं और वे शिविर को चले गये हैं। इस समय तक छुटपुट हमले आरम्भ हो गये थे और कुछ सत्याग्रहियों पर भी, जो शहर में रह गये थे, आक्रमण किये जा चुके थे। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ सत्याग्रहियों ने दो आदमियों की, जो छुरा भोंकने से मरे हुए पाये गए थे, हत्या की है। परन्तु यह आरोप सर्वथा निराधार था; चूँकि किसी भी सत्याग्रही के पास कभी भी छुरा नहीं रहने पाया था। साधारण प्रथा यह थी कि सब सत्याग्रही जब वे शिविर में आते थे, अपना सामान सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास जमा करा देते थे और ७००० में से एक के पास भी घातक छुरा न मिला था।

“जब आर्य नेता नहर से लौटे, तो उनको सारी घटना सुनाई गई। उन्होंने तत्काल सत्याग्रहियों का शिविर से बाहर जाना बन्द कर दिया। शिविर पर पहरा भी बिठा दिया गया। एक एम्बुलेन्स कार बुलवाई गई और घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया। कुछ देर तक शान्ति रही, परन्तु आध घंटा

घाद, शहर के दूसरे भाग में दंगा होने के समाचार सुन पड़े और छुटपुट आक्रमण जारी हो गये। आधी रात तक लगभग बीस घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया बताया जाता था। २२ मई की प्रातः तक सख्या २ मौतों और २७ घायलों तक जा पहुँची थी। सब दुकानें बन्द रहीं और छुटपुट आक्रमण जारी रहे। २२ मई को लगभग तीन बजे जिला मजिस्ट्रेट डी०एस०पी० के साथ आर्य सत्याग्रह-कार्यालय में पधारे। उन्होंने नेताओं को अपना हुक्म सुना दिया और बारह घण्टे के भीतर शिविर खाली कर देने का हुक्म दिया। उसने बताया कि हुक्म अन्तिम है और उन्हें अधिक से अधिक रात की दो बजे की ट्रेन से यहां से चले जाना चाहिये। ६-३० बजे लिखित आज्ञा भी आ गई। बैक बन्द हो चुके थे और कारोबार सारा बन्द था। नेताओं ने जिला मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करके कुछ अधिक समय देने की अनुमति चाही; परन्तु वे टस से मस न हुए। जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा का पालन करते हुए अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। चूंकि संयोजकों की हुक्म का विरोध करने की कोई इच्छा न थी, जैसे जैसे हुक्म बजाया गया और रातभर में समस्त शिविर खाली कर दिया गया। आर्य सत्याग्रह का मुख्य केन्द्र होने के कारण शोलापुर हैदराबाद सरकार की आंखों में खटक रहा था और रियासत के अधिकारी देर से इसे बन्द करा देने की चिन्ता में थे। सब कोशिशोंके बेकार हो जाने पर उन्हें अपने कतिपय पथ-भ्रष्ट धर्म-बन्धुओं को हिन्दू-मुसलिम दंगा कराने के लिये उभारने में सफलता मिल ही गई। पिछले महीनों में

स्थानीय मुसलमानों के साथ हमारे सम्बन्ध सर्वथा मैत्रीपूर्ण रहे थे। मुसलमानों की भावनाओं में यह आक्रामक परिवर्तन मुस्लिम लीग के अधिवेशन के बाद ही हुआ था। अपने उच्चेज-नात्मक भाषणों और दूसरे उपायों से बाहर के मुसलमान नेताओं ने शोलापुर के मुसलमान भाइयों में जिस तरह साम्प्रदायिकता का विष फैला दिया था, उसका परिणाम इस उपद्रव के रूप में सामने आ चुका था। वास्तविक दंगे तभी से प्रारम्भ हुए और २१ तारीख की शोचनीय दुर्घटना के साथ उनका अन्त हुआ।”

आर्य सत्याग्रह समिति के इस वक्तव्य के बाद शोलापुर के इस अप्रिय काण्ड के बारे में कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। यह कितना विस्मयजनक है कि शोलापुर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन तो होने दिया गया; लेकिन, उसकी सजा दी गई आर्यसमाज को। चाहिये तो यह था कि शोलापुर में मुस्लिम लीग का यह सम्मेलन न होने दिया जाता। आर्यसमाज को सर्वथा निर्दोष साबित करने के लिये यहां उस जांच कमेटी का उल्लेख करना जरूरी है, जिसकी नियुक्ति महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई थी और जिसके सदस्यों में कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य श्री शंकरराव देव और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नेता रावसाहब पटवर्धन भी शामिल थे। शोलापुर में दो दिन रह कर समिति ने पचास व्यक्तियों के बयान लिये थे। आर्य-समाज के आन्दोलन का बहुत सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण एवं अध्ययन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन, समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित

हुआ था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रान्तीय कमेटी के प्रधान के सामने पेश कर दी थी। उसमें उद्योग पैदा करने या फैलाने के दोष से आर्य-सत्याग्रहियों को सर्वथा निर्दोष माना गया था। जिला मजिस्ट्रेट के व्यवहार पर काफी आपत्ति की गई थी।

अन्त में प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी इस आज्ञा को वापिस ले लिया था। लेकिन, आर्य नेताओं के लिये यह सर्वथा उचित ही था कि वे इसके विरोध में उलझ कर अपने निश्चित मार्ग से विचलित न होते। उन्होंने शोलापुर के केन्द्र का कार्य बन्द करके एकाएक मनमाड़ में केन्द्रीय कार्यालय कायम कर लिया और सत्याग्रह को और भी अधिक उत्साह, वेग और प्रगति के साथ चलाया जाने लगा। मनमाड़ में केन्द्रीय शिविर बनने के साथ चारों ही ओर से निजाम राज्य पर सत्याग्रहियों के धावे होने शुरू हो गये। लेकिन, मुसलमानों में पैदा की गई इस संगठित उद्योग के परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारत में भी शोलापुर के समान अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों पर आक्रमण किये गये। उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि वे किसी पड्यन्त्र के ही परिणाम थे। कहना न होगा कि सर सिकन्दर हयातखान का प्रान्त इनमें भी बाज्जी मार ले गया। रोहतक और कैथल में जो हुआ, वह किसी भी सभ्य सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगाने को काफी है। गुरुकुल भैंसवाल का एक जत्था वहाँ के कुलपति स्वामी ब्रह्मानन्दजी के नेतृत्व में जब सत्याग्रह के लिये विदा हो रहा था, तब १३ मई को उन्हें रोहतक में मातृपत्र दिया जाने वाला था। भगत फूलसिंहजी

के नेतृत्व में बहुत से सत्याग्रही इस समारोह में शामिल होने के लिये आये थे । वे आर्यसमाज मन्दिर में पहुँचे ही थे कि मुसलमानों के एक गिरोह ने लाठियों और कुल्हाड़ियोंसे उनपर हमला बोल दिया । गुरुकुल के दस ब्रह्मचारी और वाईस सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुये । २५ जून को बैथथ में जो काण्ड हुआ, वह और भी अधिक शर्मनाक और भयानक था । स्थानीय अधिकारियों ने उसका जो विवरण प्रान्तीय सरकारके पास भेजा था, उसमें कहा गया था कि "हैदराबाद जानेवाले ६५ हिन्दू-सिख सत्याग्रहियों के जत्थे का जलूस आर्यसमाज मंदिर से निकाला गया था । उनके कटरा कलां में पहुँचने पर २००० मुसलमानों की भीड़, लाठियां और कुल्हाड़ियां लिये हुए उनपर टूट पड़ी । तुरंत कटरे के दरवाजे बन्द कर देने से मारपीट नहीं हुई । सब डिविजनल अफसर और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के आने तक जत्था वहाँ ही रुका रहा । उन्होंने जैसे तैसे जत्थे को आर्यसमाज वापिस पहुँचा दिया । इधर कस्बे में छुटपुट हमले होने शुरू हो गये । आबकारी महकमे का एक सिख भी पीटा गया । ग्यारह को अस्पताल में भरती किया गया, जिनमें पांच की अवस्था चिन्ताजनक है । करनाल के डिप्टी कमिश्नर दूसरे दिन सबेरे कैथल पहुँचे । उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों के शिष्ट मण्डल मिले । शहर तथा अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया ।" आर्यसमाज के प्रधान लाला गणपतरायजी वी. ए. एल. ए. बी. ने अपने वक्तव्य में इस दुर्घटना पर विस्तृत प्रकाश डाला था । उन्होंने बताया था कि जब जलूस कटरे में पहुँचा, तो दो हजार

हथियारबंद मुसलमानों ने उसपर हमला किया। कटरे के दर-चाजे बंद करने पर उनको तोड़ने की कोशिश की गई। ऊपर से ईंटें भी फेंकी गईं। २५ की रात को सशस्त्र पुलिस के साथ जत्थे को स्टेशन पहुंचाया गया। अन्त में मुसलमान नेताओं ने अपने साथियों की ओर से दुर्घटना के लिये खेद प्रगट किया और मामला रफा-दफा हो गया।

इसी प्रकार की घटनायें अन्य अनेक स्थानों पर भी हुईं। अहमदाबाद के पास दरियापुर में आजमेर से गये हुए एक जत्थे पर हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस की सतर्कता से कोई भीषण काण्ड न हो पाया। हमीरपुर-राट के श्री नवलकिशोर के नेतृत्व में जाने वाले बीस सत्याग्रहियों के जत्थे दर १७ मई को बार्शी से पटाण्डा जाते हुंये सौ मुसलमानों ने हमला किया। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। बीस के बीस सत्याग्रही बुरी तरह घायल किये गये। २२ मई को मेरठ में मनाये गये हैदराबाद दिवस की सभा में मुसलमानों ने उत्पात मचाने का यत्न किया; लेकिन, डी. एस. पी. ने तुरन्त स्थिति को संभाल लिया। खण्डवा में श्री देवेन्द्रनाथजी शास्त्री का जत्था रुका हुआ था। उस पर ७ अगस्त को हमला करने की कोशिश की गई। तीन सत्याग्रही घायल हुये। कराची, बरेली, लखनऊ और जोधपुर में भी ऐसी दुर्घटनायें हुईं। इन सबके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही थी, उसको स्पष्ट करने के लिये १३ जुलाई के 'रहबरे दक्कन' में मौलाना रानीशाद निज़ामी के पत्र को दिये बिना हम नहीं रह सकते। उसमें लिखा गया था कि "हिन्दुस्तान के मुसलमान

आर्यों के ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार को देखते हुये लहू के घूट पीते रहे। वे शक्तिभर उनको सावधान भी करते रहे। सैकड़ों सभाओं में प्रस्ताव भी पास किये गये। अफसरों को भी खबरें दी गईं। लेकिन, जब कहीं से हमदर्दी प्रगट न की गई, तो मुसलमानों ने अपनी कमरों कस लीं। कानपुर, देहली, बनारस, लखनऊ, जोधपुर, शोलापुर आदि के स्वामिमानी मुसलमानों ने इनकी सरे बाजार खूब खबर ली। उनके जलूसों को सरेराह घेर लिया गया, जख्मी किया गया और खुद भी जख्मी हुये; लेकिन, हैदराबाद की शान रखली।” इस सारी प्रतिक्रिया की आर्यसमाज पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसी का यह परिणाम समझना चाहिये कि सत्याग्रह को और भी अधिक उत्साह एवं प्रेरणा मिली।

ग. देसी राज्यों में

ब्रिटिश भारत की प्रजा में होने वाली जागृति का जो स्वाभाविक प्रभाव देसी राज्यों की प्रजा पर पड़ता है, उस से वहां के शासक, अधिकारी एवं नरेश या नवाब काफी चिन्तित रहते हैं। इस लिये उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा कायम करने की चर्चा आम तौर पर सुनने में आती रहती है। फिर, यह सत्याग्रह तो सबसे बड़ी रिथासत के विरुद्ध किया जा रहा था। धर्मान्ध मुसलमानों ने जैसे इसको ‘इस्लाम के दुर्ग पर बाहरवालों के हमले’ के रूप में लिया, वैसे ही देसी राज्यों ने भी इसको अपने विरुद्ध बाहरी हमला मान कर उसके प्रतिरोध में अपने यहां तरह-तरह की कार्यवाहियां कीं। कई तरह के हुकम जारी

किये गये। भूपाल में ४ जून को एक हुकम जारी किया गया, जिससे किसी भी सत्याग्रही अथवा उनके जत्थे का राज्य की सीमा में प्रवेश करना रोका गया। अनेक कार्यकर्ताओं को, जिनमें सर्वश्री भैरोंप्रसादजी वकील और जमनाप्रसादजी मुखरैय्या के नाम उल्लेखनीय हैं, कोतवाली में बुलाकर सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ भी कार्य न करने की चेतावनी दी गई। स्टेशन पर जत्थों का स्वागत आदि करना भी रोका गया। आर्य-समाज मंदिर या कहीं भी सत्याग्रहियों का ठहराना बन्द किया गया। यह भी कोशिश की गई कि रियासत से कोई भी सत्याग्रह में शामिल न होने पावे। पालनपुर एक छोटी-सी मुस्लिम रियासत है। वहां के श्री चतुरलालजी वकील पर इसी लिये हमला किया गया कि वे उधर से होकर जाने वाले सत्याग्रहियों का स्वागत किया करते थे। हमला करने वाला रियासत के पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया जाता है। जोधपुर में २४ जुलाई को सरकार की ओर से एक हुकम जारी करके अपने को निष्पक्ष बनाते हुए भी सत्याग्रह-सम्बन्धी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई थी। विशेषकर जत्थे भेजने, प्रभात फेरी तथा जलूस निकालने और सभाएं करने की सख्त मनाही की गई थी। उसकी अवज्ञा करने पर मारवाड़-पीनल कोड की धारा १८८ के अनुसार सजा देने का भी इसमें उल्लेख किया गया था। बीकानेर के महाराज भला कब पीछे रह सकते थे ? कोई स्पष्ट आज्ञा जारी न करके भी सत्याग्रह के लिए सहानुभूति रखने वालों को दबाया गया। बीकानेर शहर और गङ्गानगर के

आर्य सत्याग्रहियों को सत्याग्रह के लिए कार्य करने से रोका गया। ग्वालियर राज्य के महाराज ने हैदराबाद के साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देते हुए अपने राज्य में ऐसे सब कामों को करने से रोका था, जो आपस के इस सम्बन्ध में खलल पैदा करने वाले थे। लेकिन, महाराज सिन्धिया ने अपने इस लम्बे हुक्म में अपने राज्य की प्रजा में परस्पर जिस धार्मिक सद्भावना एवं सहिष्णुता होने की बात कही थी, उसकी ओर निजाम साहब का ध्यान नहीं खींचा था। पटियाला महाराज ने २५ मई को अपने राज्य में जो हुक्म जारी किया था, उसमें कहा था कि जो कोई इस आन्दोलन में भाग लेगा, उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जायगा। इन्दौर में भी ८ अगस्त को एक हुक्म जारी करके वहाँ की प्रजा को ऐसे कार्य करने से सावधान किया गया था, जो हैदराबाद के साथ उसके सम्बन्धों को खतरे में डालने वाले हों। धार्मिक सभाओं पर कोई प्रतिबन्ध न होते हुए भी सातवें सर्वाधिकारी का माणिक चौक में भाषण नहीं होने दिया गया था। रामपुर और खैरपुर सरीखी रियासतों में भी इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये थे।

भिन्न भिन्न राज्यों में जारी किये गये इन हुक्मों की शब्दरचना में हैदराबाद के साथ जिन दोस्ताना सम्बन्धों की चर्चा की गई है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि निजाम राज्य की ओर से ही उनके लिए मांग की गई हो। चाहे यह मांग न भी की गई हो, तो भी यह प्रगट है कि ये प्रतिबन्ध आर्य सत्याग्रह के वेग को रोकने में सफल नहीं हो सके। गंगा की

धारा की तरह उसका वेग अच्युत बना रहा। उसकी प्रगति को ऐसी हरकतों से बल और प्रेरणा ही मिली। अपने इन प्रयत्नों में निजाम राज्य के दोस्त या साथी सफल नहीं हो सके।

घ. ब्रिटिश भारत में

देसी राज्यों के समान ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में भी हैदराबाद राज्य की सहायता के लिए तरह तरह की कार्यवाहियां की गईं। इनमें पहिला स्थान पञ्जाब का रहा। पञ्जाब में आर्यसमाज का सबसे अधिक जोर होने से इस सत्याग्रह के लिये भी वहां सबसे अधिक उत्साह था। फिर, सर सिकन्दर हयातखां शोलापुर में जो घोषणा करके आये थे उसके अनुसार उनको अपने प्रांत में कुछ तो करना ही चाहिए था। शोलापुर से लौटते ही आपने समाचार पत्रों को सत्याग्रह-सम्बन्धी समाचार सावधानी के साथ प्रकाशित करने की चेतावनी दी। अन्तमें कहा गया कि यह सरकारी हुक्म या चेतावनी नहीं थी, केवल एक सलाह या परामर्श था। २३ जून को सारे प्रांत में एका-एक नरेन्द्र रक्षा कानून की ४ से ७ तक धारार्ये एक वर्ष के लिये लागू कर दी गईं। इन्हें लागू करते हुए भी साहस से काम नहीं लिया गया। उस लम्बी विज्ञप्ति को हम यहां नहीं देना चाहते, जिसमें एक भूठ को छिपाने के लिये सौ भूठ बोलने के समान पञ्जाब सरकार को हैदराबाद के सत्याग्रह पर लगाये गए प्रतिबन्ध के लिए दस और बहाने पेश करने पड़े थे। वह वक्तव्य पञ्जाब सरकार की दयनीय स्थिति का द्योतक था। वास्तविक

प्रयोजन जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसे अधिकार देना था, जिनसे वे अपने जिलों से होकर रियासतों की ओर जाने वाले जत्थों को रोक सकते थे और भाषणों तथा सभाओं पर भी रोक लगा सकते थे। हैदराबाद में किए जाने वाले आर्यसमाज के सत्याग्रह के साथ साथ बहावलपुर के विरुद्ध किये जाने वाले मजलिसे अहरार के आंदोलन, पटियाला के विरुद्ध किये गए जिला लुधियाना के सम्मेलन और उसके विरुद्ध फिरोजपुर, लुधियाना तथा अम्बाला होकर शिमला में रेजीडेण्ट से मिलने जाने वाले सिखों के शिष्ट मण्डल, वीकानेर के विरोध में मार्च मास में हिसार जिले में किये गये सम्मेलन और चम्पा रियासत के विरुद्ध लाहौर के किसी पत्र में हुए आंदोलन का भी उल्लेख किया गया था। हैदराबाद के आन्दोलन से साम्प्रदायिक दंगे होने की सम्भावना को प्रवृत्त बनाते हुए मुसलमानों की विरोधी भावनाओं के गम्भीर परिणाम होने का भय भी बताया गया था और प्रान्त की शान्ति को अच्युत बनाये रखने पर जोर दिया गया था।

पंजाब सरकार के इस कार्य की इतनी तीव्र आलोचना हुई कि लाहौर का सरकारपरस्त 'सिविल मिलिटरी गजट' तक चुप न रह सका। उसने लिखा था कि इस कानून का ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्यसमाज की धार्मिक स्वाधीनता के मार्ग में बाधा डालने को उसने पंजाब की उदार सरकार के लिये अनुचित बताया था। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सभापति डाक्टर सैफुद्दीन किचलू



शहीद छोटेलाजी



शहीद शान्तिप्रकाशजी

ने भी कड़ी आलोचना करते हुए इस पर अचरज प्रगट किया कि सारे देश में सब से पहिले पंजाब सरकार को ही यह कानून क्यों लागू करना पड़ा ? इसका अर्थ आपने यह किया था कि उमे प्रजा की अपेक्षा नरेशों से अधिक प्रेम है । वह प्रजा की सरकार होने का दावा नहीं कर सकती । वह प्रजा के लिए प्रजा की नहीं; बल्कि 'नरेशों के लिए नरेशों की सरकार' है । सरदार सम्पूर्णसिंह एम. एल. ए. और सरदार सन्तसिंह एम. एल. ए. ने भी पंजाब सरकार को इसके लिये आड़े हाथों लिया था । हिंदुस्तान भर में पंजाब सरकार की तीव्र निन्दा की गई । पंजाब के 'ट्रिब्यून', 'प्रताप', 'मिलाप', दिल्ली के 'हिंदुस्तान-टाइम्स' 'तेज', 'वीर अर्जुन', 'हिंदुस्तान', तथा 'हिंदू', इलाहाबाद के 'लीडर' तथा 'भारत', कलकत्ता के 'अमृतवाज्जार पत्रिका' आदि सभी पत्रों में उसकी आलोचना की गई । आर्यसमाजी क्षेत्रों में भी इसपर काफी चर्चा की गई । एक बार तो यह भी सोचा गया कि पहिले ही के समान जत्थे बराबर निकलते रहें और यहां गिरफ्तारियां हों, तो उनकी भी परवा न की जाय । लेकिन, ऐसा करने पर आर्यसमाज की शक्ति दो ओर बट जाती और हैदराबाद के मुख्य मोर्चे को सम्भवतः हानि भी पहुंचती । इस लिये ऐसा नहीं किया गया । लेकिन, पंजाब सरकार आर्यसत्याग्रह के वेग को अपनी इन हरकतों से भी रोक नहीं सकी । उसे स्वयं वदनामी का शिकार होना पड़ गया ।

साधारणतया अन्य प्रान्तों की सरकारों का रवैया न्याय-पूर्ण रहा, यद्यपि बम्बई में शोलपुर और युक्तप्रान्त में देहरादून में

संभवतः राज्य-कर्मचारियों की भूल वा अदूरदर्शिता के कारण कुछ बाधाएं जरूर पहुंचाई गईं। मद्रास में सत्याग्रहसम्बन्धी साहित्यके प्रकाशन, सत्याग्रहियोंकी गतिविधि, सभाओं एवं जलूसों आदि पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे। इसकी भी काफी आलोचना हुई। लखनऊ के कांग्रेसी पत्र 'नेशनल हैरल्ड' तक ने उसे नागरिक अधिकारों को कुचलने वाला बताया था। 'हिन्दुस्तान-टाइम्स', 'हिन्दुस्तान', 'वीर अर्जुन' आदि में भी उसका विरोध किया गया। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने मद्रास सरकार के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचार्य की सेवा में आवेदन पत्र भेजे। लेकिन, उस भूल को सुधारना तो दूर रहा, मद्रास सरकार ने १४४ धारा के अनुसार मद्रास में सत्याग्रह-सम्बन्धी सभाओं पर भी रोक लगा दी। तब सभा की ओर से फिर विरोध किया गया। प्रधान मंत्री को सभा की ओर से दिये गये तार में कहा गया था कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सरकार आर्य-समाज तथा उसके शान्त, न्यायोचित एवं अहिंसात्मक आन्दोलन को कुचलने पर तुली हुई है। आपकी यह घातक नीति जनता के नागरिक अधिकारों पर सीधी चोट है।' सारे देशमें मद्रास सरकार की इस नीति का तीव्र विरोध किया गया। लेकिन, राजाजी की सरकार टस से मस न हुई।

७. इंग्लैराड में गूँज

आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठन देशव्यापी होने के साथ साथ विदेशों भी जा फैला है। इसलिये विदेशों में जहाँ भी कहीं आर्यसमाजी निवास करते हैं, वहाँ उसके इस सत्याग्रह की प्रतिक्रिया की गूँज होना स्वाभाविक था। दक्षिण अफ्रीका में आर्यसमाज का काफ़ी जोर है, वहाँ तथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर हुई प्रतिक्रिया की चर्चा यथास्थान की जायगी। इस प्रसंग में हम सिर्फ इंग्लैण्ड में हुई प्रतिक्रिया की ही चर्चा करना चाहते हैं। अपने धन-वैभव और ऐश्वर्य के लिये निजाम साहब सारे जगत् में प्रसिद्ध हैं। विदेशों खासकर इंग्लैण्ड में उनकी इसी के लिये प्रसिद्धि है। देशी राजाओं के शासन की रीति-नीति की अपेक्षा उनके वैभव की ही वहाँ अधिक चर्चा होती है। इसलिये हैदराबाद की शासन-नीति के विरुद्ध किये जाने वाले इस सत्याग्रह की वहाँ चर्चा होना एक नई बात थी। हैदराबाद सिविल लिबरटिज़ कमेटी, उसके प्रधान श्री० पी०

सुब्बाराव और मन्त्री श्री डी० वी० थामनकर, पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यों और 'माचिस्टर गार्जियन' पत्र ने इस सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी दिखाई। उन्हीं की वजह से आर्यसमाज का यह सत्याग्रह वहाँ सार्वजनिक चर्चा का विषय बन सका।

सबसे पहिले २० जून को सर नेपटने सेण्डेमन ने कामन्स सभा में कुछ सवाल-जवाब किये। उन्होंने पूछा कि भारतीय रियासतों में आन्दोलन करने के उद्देश्य से एकत्रित होनेवाले लोगों को रोकने के लिये प्रान्तीय सरकारों ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

भारत उपमन्त्री कर्नल मूरहेड ने कहा कि शोलापुर में लगाये गये प्रतिबन्ध के सिवा किसी अन्य प्रान्त में ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता वहाँ की सरकारों को अभी प्रतीत नहीं हुई जान पड़ती। पूरक प्रश्नों के उत्तर में आपने कहा कि निरसंदेह कुछ रियासतों में बाहरी हस्तक्षेप अवश्य हुआ है; लेकिन, वह इतना अधिक नहीं है कि प्रान्तीय सरकारें उसके विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी समझतीं।

कर्नल वेजवुड ने पूछा कि हैदराबाद में नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये चल रहे सामूहिक आन्दोलन में गत छः मास में कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ? कर्नल मूरहेड ने मई के अन्त तक गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या पांच हजार बताई और उनके साथ होनेवाले व्यवहार की आलोचना करना अपने अधिकार से बाहर बताया।

कर्नल वैजवुड वेन ने गिरफ्तार होने वालों को अपने शासन में रहने वाली प्रजा बता कर उनकी जेल की अवस्था के बारे में जांच करने पर जोर दिया । कर्नल मूरहैड ने भारतमन्त्री लार्ड जटलैण्ड के नाम से विशेष जांच करने या कराने से इंकार किया और कहा कि फिर भी रेजिडेण्ट इस सम्बन्ध में हैदराबाद-सरकार के साथ विचार-विनिमय कर रहे हैं ।

कर्नल वैजवुड वेन ने २६ जून को फिर इस विषय की चर्चा छेड़ी । इस पर कर्नल मूरहैड ने रेजिडेण्ट की रिपोर्ट के आधार पर जेलों में किये जाने वाले व्यवहार को विशेष जांच का विषय बनाने से इंकार किया और जब तक कोई गम्भीर आरोप न लगाए जाएं, तब तक वर्तमान प्रथा के अनुसार रियासत के आन्तरिक प्रबन्ध की जांच करने में असमर्थता प्रगट की और यह कहा कि जेलों के निरीक्षण करने का सीधा अधिकार सरकार को नहीं है । केवल रिपोर्ट भी विशेष अवस्थाओं में ही मांगी जा सकती है ।

कर्नल वैजवुड—क्या इसका यह अर्थ माना जाय कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट के पास होने के बाद हमें इन स्वतन्त्र भारतीय रियासतों को उनके अत्याचारों से रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है ? कर्नल मूरहैड ने इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में दिया ।

ये प्रश्नोत्तर काफी भ्रमपूर्ण थे । इस लिये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री की ओर से भारतमन्त्री लार्ड

जटलैण्ड और कर्नल वैजवुड वेन को विशेष तार दिये गये ; कर्नल वैजवुड वेन को कामन्स सभा में पूछे गये प्रश्नों के लिये धन्यवाद दिया गया और उनसे आशा की गई कि वे उचित एवं न्याय्य पक्ष का इसी प्रकार समर्थन करते हुए सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेंगे । इसके अलावा दोनों के नाम दिये गये तारों में कहा गया था कि "गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या दस हजार तक पहुँच गई है । इनमें अधिकांश रियासत की ही प्रजा हैं । जेल में होने वाला व्यवहार बहुत ही अशिष्ट एवं कठोर है । भोजन और रहन-सहन की व्यवस्था अत्यन्त असन्तोषजनक और अस्वास्थ्यकर है । भयानक धूप में कड़ी मेहनत कराई जाती है । दुर्व्यवहार का विरोध करने पर भीषण लाठी-प्रहार किये जाते हैं । खुली जांच के लिये की गई मांग पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । अब तक जेलों में दस मृत्यु हो चुकी हैं । वायसराय की सेवा में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से एक आवेदन भेजा गया है । उसमें भी जांच की मांग की गई है ।"

फिर, ६ जुलाई को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से एक और तार पार्लमेण्ट के सदस्य ग्रीनफौल, कर्नल वैजवुड, वैजवुड वेन और विरोधी दल के नेता श्री एटली को भेजा गया था । इसमें जेलों की दयनीय अवस्था और भोजन की सर्वथा अपर्याप्त एवं असन्तोषजनक व्यवस्था का उल्लेख विशेष रूप से करते हुए कहा गया था कि जेलों में किये जाने वाले व्यवहार के पीछे बदले की भावना काम कर रही है । औषधोपचार का

प्रबन्ध सर्वथा असन्तोषजनक एवं दोषपूर्ण है। अब तक तेरह सत्याग्रही जेलों में मर चुके हैं। दस हजार से ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें आधे से अधिक हैदराबाद के निवासी हैं। सरकारी हस्तक्षेप और खुली जांच के लिए भी इस तार में आग्रह किया गया था।

श्री डी० आर० ग्रीनफील्ड का एक पत्र 'मांचेस्टर गार्जियन' में ११ जुलाई को प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने जेलों के सम्बन्ध में खुली जांच करने से की गई इन्कारों के लिये खेद प्रगट किया था और ऊपर के तार को उद्धृत करते हुए उसके लिए एक बार फिर अनुरोध किया था। 'हैदराबाद में आर्यसमाज' पुस्तिका और श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर के एक वक्तव्य का उल्लेख करते हुए आपने लिखा था कि इस समय बारह हजार हिन्दू निजाम की जेलों में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। हैदराबाद के हिन्दुओं को साधारण नागरिक स्वाधीनता, भाषण-लेखन एवं संगठन आदि की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। मुसलमानी त्यौहार पर हिन्दू का विवाह तक नहीं हो सकता। मानकनगर के समाज के मन्त्री के नाम पुलिस इन्स्पेक्टर का वह पत्र भी आपने उद्धृत किया था, जिसमें ऐसे विवाह को सरकारी आज्ञा के विरुद्ध बताया गया कि उसे क्यों रोका नहीं गया और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये उसका नाम व पता आदि भी पूछा गया था। अन्त में आपने लिखा था कि ऐसी अवस्था में हैदराबाद राज्य के प्रबन्ध के सम्बन्ध में तत्काल जांच करने के लिए किसी और प्रमाण की

प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद के एक भूतपूर्व रेजीडेंट सर डब्ल्यू० पी० वर्टन ने ७ अगस्त को 'मांचेस्टर गार्जियन' में ग्रीनफील्ड के पत्र के प्रतिवाद में एक पत्र प्रकाशित कराके निजाम राज्य की प्रशंसा के पुल बांधे गये थे और दुर्व्यवहार की शिकायतों को अत्युक्तिपूर्ण बताया गया था और विचाराधीन शासन-सुधारों की योजना की प्रतीक्षा करने पर जोर दिया गया था। इसका मुंहतोड़ उत्तर १२ अगस्त के 'मांचेस्टर गार्जियन' में हैदराबाद सिविल लिबरटिज कमेटी के मंत्री श्री डी० पी० धामनकर ने प्रकाशित कराया था। आपने अपने उत्तर में ला० देशबन्धु गुप्ता एम० एल० ए० और पूना के वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के अध्यक्ष श्री विश्वेश्वरराव के उन तारों को भी उद्धृत किया गया था, जिनमें उन्होंने निजाम राज्य का कच्चा चिट्ठा ही लिख दिया था।

इस कमेटी की ओर से "हैदराबाद का नाजी शासन" नाम से एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई थी। उसके कुछ उदाहरण यहां दिये बिना हम नहीं रह सकते। उसमें लिखा गया था कि "ब्रिटिश समाचार पत्र नाजियों द्वारा यहूदियों पर किये गये अत्याचारों, आस्ट्रिया में होने वाली क्रूरताओं और चेकोस्लोवाकिया में किये गये दमन की कहानियों से भरे रहते हैं। परन्तु हैदराबाद में होने वाले महान् आन्दोलन के सम्बन्ध में एक भी शब्द इनमें प्रकाशित नहीं होता।" प्रस्तावित शासन-सुधारों की विस्तृत आलोचना करते हुये हिन्दू प्रजा की शिकायतों का विश्लेषण इन दोन विभागों में किया गया था:—

(क) रियासत में बनाये जाने वाले कानूनों या निजाम महोदय के फ़रमानों में हिंदुओं तथा उनके धर्म के साथ सदा भेदभाव का व्यवहार करने की प्रवृत्ति रहती है। अतः ये कठिनाइयें या शिकायतें जो ऐसे कानूनों से पैदा हुई हैं।

(ख) ऐसी शिकायतें जो मुसलमानों के इस अभिमान से पैदा हुई हैं कि इस्लाम इस रियासत का राजधर्म है।

(ग) वे कठिनाइयाँ या शिकायतें, जो शासन के सभी विभागों में मुसलमानों का आधिक्य होने के कारण पैदा हुई हैं।

जब तक इन कठिनाइयों का मूल कारण नष्ट नहीं कर दिया जाता, चिर शान्ति की आशा करना कठिन है। यहाँ मुसलमानों के साथ सदा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है, जिससे उनकी भावनायें दिन प्रतिदिन आक्रमणकारी बनती जा रही हैं। गत कुछ वर्षों में गुलबर्गा, नांदेड़, परभनी, पूर्णा तथा अन्य स्थानों पर होने वाले दंगे इसी का परिणाम हैं। मुसलमानी उद्दण्डता का बंगाल प्रदर्शन पिछले मास हैदराबाद नगर में भी किया गया था, जबकि हिन्दू नागरिकों और व्यवसायियों के मकानों और दुकानों को लूटा गया था। पुलिस या तो दंगायों को रोक न सकी या वह जान बूझकर उनके उपद्रवों के सामने चुप हो गई। यह ध्यान देने योग्य है कि निजाम-सरकार के शासन को उसके सहधर्मों खुले तौर पर मुस्लिम-सम्प्रदाय का शासन बताते हैं। हैपरावाद की शासनव्यवस्था का आधार-भूत सिद्धान्त हिन्दुओं को मुसलमानों की इच्छाओं का दास बनाना है।

इसके बाद औरंगाबाद जेल में हुए भीषण लाठीकाण्ड की चर्चा करने के बाद आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के मंत्री का तार उद्धृत करते हुए कर्नल मूरहेड के कामन्स सभा में दिये गये वक्तव्य को मिथ्या साबित किया गया था। इस तार का अर्थ यह था कि "हैदराबाद के जेलों में बहुत तेजी से भीड़ बढ़ रही है। ७० वर्ष के वृद्ध श्री कल्याणानन्दजी की भी पीछे मृत्यु हो चुकी है। जबरदस्ती लोगों से पाखाने साफ करने का काम लिया गया है। हैदराबाद के आर्यसमाजी था तो जेलों में हैं अथवा रियासत छोड़ कर बाहर चले गये हैं। हैदराबाद के मूल निवासी और हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज के सुपुत्र वैरिटर विनायकराव शंभर ही रियासत के पांच सौ सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार होने जा रहे हैं। शासन सुधारों को स्थगित किया जा रहा है। जेल में कैदियों को पानी, कपड़े और सफाई के अभाव की भी क्लिफायत है। अबस्था दिन पर दिन बिगड़ रही है।" इस कमेटी की ओर से लन्दन में सार्वजनिक सभाओं का भी आयोजन किया गया था।

एक प्रसंग की चर्चा किये बिना यह प्रकरण अधूरा ही रह जायगा। निजाम साहब की ऊंची दूकान के फीके पकवान बताने के लिये इसकी चर्चा करना आवश्यक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पेरिस में होनेवाले विश्व धर्म सम्मेलनके लिये निजाम साहब ने अपना एक लम्बे देश भेजा था, जिसे सर फ्रांसिस चंग हसवैड ने वहाँ पहुँच कर सुनाया था। उसमें निजाम साहब ने फरमाया था कि "इस समय जब कि परस्परविरोधी आदर्शवाद जातियों

और मनुष्यों को अधोगति की ओर ले जा रहे हैं, तब विभिन्न मतों के आदर्शों को मानने वालों में उदार सहनशीलता और सहानुभूतिपूर्ण समझौते की परम आवश्यकता है । मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व धर्म सम्मेलन इस सत्यविचार को संसार में फैलाने के लिये प्रेरणा देगा ।” सचमुच उनके लिए यह सन्देश विस्मयजनक था, जिन्हें हैदराबाद में धार्मिक स्वतन्त्रता एवं सहिष्णुता के अभाव का कुछ थोड़ा-सा भी ज्ञान था और जो उसके लिए होने वाले सत्याग्रह को कुछ थोड़ी सी भी जानकारी रखते थे । लाहौर के “ट्रिब्यून” ने लिखा था कि “सचमुच ये त्रिचार बड़े उदार हैं । परन्तु यह भी एक आश्चर्य ही है कि इन्हीं दिनों में निजाम साहब की प्रजा को उनकी रियासत में अपने धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये कितना कटु आन्दोलन करना पड़ रहा है ?” दिल्ली के ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ने और भी अधिक स्पष्ट भाषा में पहिले अपना इलाज करने की सलाह देते हुये लिखा था कि “जहां तक आर्यसमाज के साथ किये जाने वाले व्यवहार का सम्बन्ध है, विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा गया निजाम साहब का उदारतापूर्ण सहिष्णुता का संदेश इस समय अत्यन्त अनोखा प्रतीत होता है । आर्य लोग इससे अधिक कुछ नहीं मांग रहे हैं कि उन्हें अपनी विधि से पूजा करने का अधिकार दिया जाय । निजाम साहब परस्परविरोधी आदर्शवादी को जातियों और मनुष्यों के पतन की ओर ले जाने वाला बताते हैं और विभिन्न सम्प्रदायों में सहानुभूतिपूर्ण समझौते का उपदेश देते हैं । उन पाश्चात्य देशवासी धार्मिक व्यक्तियों के हृदय पर,

जो हैदराबाद की अवस्थाओं से थोड़ा भी परिचित हैं. यह अपील अवश्य भ्रनपूर्ण प्रभाव डालेगी । निजाम साहब की अपनी व्यक्तिगत उदारता और सहृदयता के प्रचार की दृष्टि से संदेश का शायद कुछ मूल्य हो सकता है, परन्तु भारत में रहने वाले मनुष्य तो, जो आये दिन हैदराबाद की हरकतों को देख रहे हैं, यही कहना च हेंगे कि “ चिकित्सक, पहिले अपना तो इलाज करो !” सर फ्रान्सिस यंग हसवैण्ड भी, जिन्होंने सम्मेलन में यह संदेश पढ़ कर सुनाया था; इससे अपरिचित न रहे होंगे कि हैदराबाद में क्या हो रहा है ?

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी निम्न आशय का तार विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष को भेजा था कि “विभिन्न आदर्शों में पारस्परिक उदारता, सहिष्णुता और सहानुभूतिपूर्ण समझौते के जिस संदेश की निजाम महोदय ने कालत की है, क्रिया रूप में वह उनके गज्य में सर्वथा असत्य सिद्ध होती है । बारह हजार आर्य और तीन हजार हिन्दू इसी के लिये उनकी कैद में पड़े हैं । उनको तीन तीन साल का सपरिश्रम दण्ड दिया गया है और उनमें से बारह की मृत्यु हो चुकी है । इनमें से कुछ मृत्युओं तो अत्यन्त संदिग्ध एवं दुःखपूर्ण हैं और उनकी जांच रोक दी गई है । कृपया निजाम को समझाइये कि वे अपनी हिन्दू प्रजा को प्राथमिक धार्मिक अधिकार देकर अपने इस संदेश को पहले अपनी ही रियासत में चरितार्थ करें ।”

निजाम साहब के ‘पर उपदेश कुशल बहुतेरे’ के इस आचरण पर कोई टीकाटिप्पणी करने को जखरत नहीं है । आर्य-

समाज ने निजाम राज्य की पोल खोलने में कोई कसर नहीं रहने दी। विदेशों में भी उसने उसका असली रूप खोलकर रख दिया। इस दृष्टि से विदेशों में आर्य सत्याग्रह की जो प्रतिक्रिया हुई, वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।



हुतात्मा श्यामलालजी



शहीद धर्मप्रकाशजी

८. सत्याग्रह-यज्ञ में आहुतियाँ

धार्मिक-भावना से प्रेरित होकर इस सत्याग्रह में अपने को सर्वतोभावेन लगा देने वाली आर्य जनता के लिये यह धर्म-युद्ध एक यज्ञ के समान था, जिसमें यथाशक्ति और यथासम्भव अपने तन-मन-धन एवं सर्वस्व की आहुति डालने में कोई भी आर्यसमाजी पीछे नहीं रहा। समस्त हिन्दू जनता ने जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में साथ दिया, वह कल्पनातीत और वर्णनातीत है। महिलाओं को यद्यपि सत्याग्रही होकर हैदराबाद जाने की अनुमति नहीं थी; लेकिन, जिस श्रद्धापूर्ण उत्साह, लगन और प्रेम का उन्होंने परिचय दिया, वह अद्भुत और चमत्कारपूर्ण था। अनेक स्थानों पर महिलाओं ने पुरुषों से होड़ लगाई और उनको नीचा दिखाने में कुछ भी उठान रखा। आर्यसमाज की इस देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी फैली हुई संगठन की अपूर्व शक्ति, अलौकिक जागृति और अद्भुत त्याग की भावना को देख कर उसके आलोचक एवं विरोधी भी चकित रह गये।

आटे में नमक की तरह जिनकी संख्या है, उन आर्यसमाजियों ने दिखा दिया कि उनकी शक्ति एवं प्रभाव भी नमक के ही समान है। सारा आर्य जगत् एक व्यक्ति के समान उठ कर खड़ा हो गया और उसके सामने अपने को 'इमिनियियन' मानने वाली देश की सब से बड़ी रियासत को और संसार में सब से अधिक सम्पन्न माने जाने वाले उसके मालिक निजाम साहब को भी घुटने टेक देने को लाचार होना पड़ गया।

इस सफल, शानदार और महान् सत्याग्रह-यज्ञ में डाली गई आहुतियों का पूरा विवरण देना कठिन है। यज्ञ में डाली गई आहुति के समान अपने को होम देने वाले कब यह चाहते हैं कि उनके त्याग का कोई व्यौरा लिखा जाय, उसकी कोई कहानी या इतिहास बनाया जाय ? वे तो लुपके से अपने कर्तव्य का पालन कर जाते हैं। इसी प्रकार से आर्य-जगत् ने अपने कर्तव्य का पालन पूरी तत्परता के साथ किया। यत्न करने पर प्राप्त किया गया जो विवरण नीचे दिया जा रहा है, वह पूरा नहीं है। वह तो उस महान् त्याग का परिचय देने के लिए ही दिया जा रहा है, जिसके धूल पर इस महान् यज्ञ को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करके इतनी गौरवास्पद सफलता प्राप्त की जा सकी।

क. दक्षिण अफ्रीका

विदेशों में आर्यसमाज का सबसे अधिक प्रभावशाली संगठन दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ की नैरोबी की आर्य प्रतिनिधि सभाके तत्वावधान में वहाँ की आर्य-हिन्दू-जनता ने वैसे ही

साहस. उत्साह, श्रद्धा और प्रेम का परिचय दिया, जैसा कि यहाँ की जनता ने दिया। दारेसलम, जंजीवार, काम्पला, इण्ड्रे रेण्ट, किसूमू, मुम्बासा और तकरू आर्यसमाजों ने सत्याग्रह के लिये विशेष उत्साह दिखाया। कोने-कोने में हर संस्था और समाज में, हर वाचनालय और पुस्तकालय में सत्याग्रहसम्बन्धी साहित्य पहुँचाया गया। आन्दोलन की वास्तविकता समझाने और उसके लिये सशानुभूति पैदा करने के निमित्त से सुसंगठित प्रचार किया गया। प्रतिनिधि सभा के उपदेशक गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक पं० सत्यपाल जी सिद्धांतालंकार ने इसके लिये अनथक प्रयत्न किया। १५ हजार शिल्पिग लगभग १२ हजार रुपया इसके लिए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को भेजा गया। स्त्री-आर्यसमाज ने भी विशेष उत्साह का परिचय दिया। गुरुकुल सूपा का शिष्ट-मण्डल भी इन दिनों में वहाँ गया हुआ था। इसमें आचार्य पं० प्रियव्रत जी विद्यालंकार, पं० शंकरदेव जी विद्यालंकार, पं० रणवीरजी विद्यालंकार और पं० केशवदेवजी विद्यालंकार 'ज्ञानी' शामिल थे। इस शिष्ट-मण्डल ने भी प्रचार में विशेष सहयोग दिया। 'केनिया डेली मेल', 'कालोनियल टाइम्स' आदि पत्रों की सेवाएं भी सराहनीय हैं। आर्थिक सहायता देने और दिलाने वालों में सर्वश्री एम० डी० पुरी एण्ड. सन्स, मांचाकोस, ए० प्रीतम, के० डी० कपिला, बी० आर० भल्ला और एस० पी० चनादास के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रचार-कार्य में सर्वश्री आर० सी० मंगल, आर० पी० शर्मा और डा० आर० शर्मा ने सराहनीय सहयोग दिया। श्री डी० डी० पुरी के सभा-

पतित्व में एक वृहद् आर्य सत्याग्रह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। पं० सत्यपाल जी सिद्धांतालंकार के नेतृत्व में एक जत्था भेजने का भी निर्णय किया गया था। लेकिन, सार्व-देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने यह देख कर कि यहां ही सत्याग्रहियों की कोई कमी नहीं है, इतना अधिक व्यय एक जत्थे पर करना उचित नहीं समझा और जत्थे को वहां ही कार्य करने का परामर्श दिया। अफ्रीका के आर्य-हिन्दू-भाइयों के उत्साह का यहां अच्छा नैतिक प्रभाव पड़ा।

ख. पंजाब

पंजाब में आर्यसमाज का सबसे अधिक जोर है। इस लिए इस आर्य सत्याग्रह को भी पंजाब से ही सबसे अधिक जोर मिला और मिलना भी चाड़िये था। आर्यसमाज का पंजाब एक तरह से केन्द्र है और यहां से सत्याग्रह को वैसा और उतना ही बल मिला, जितना और जैसा कि किसी केन्द्र से मिलना चाहिए था। आर्यसमाज के प्रान्तीय संगठन की दृष्टि से पंजाब में 'आर्य प्रतिनिधि सभा' और 'आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा' नाम से दो संगठन हैं। इस सत्याग्रह में दोनों संगठनों ने मिल कर एक संस्था के समान कार्य किया और दोनों ने अपनी सारी शक्ति एवं साधन इसको सब प्रकार से सफल बनाने में लगा दिये। आर्य प्रतिनिधि सभा ने सम्बत १९६६-६७ विक्रमी की रिपोर्ट में अपने कार्य का संक्षिप्त व्यौरा दिया है और आर्य-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान श्री केशोरामजी की ओर

से भी उसके कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया गया है। दोनों के कार्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पंजाब की आर्य-प्रजा ने अपने त्याग, तपस्या एवं बलिदान का उत्कृष्ट परिचय देते हुये अपने गौरव के सर्वथा अनुकूल ही कार्य किया।

सत्याग्रह की सार्वजनिक चर्चा के श्रीगणेश का श्रेय एक प्रकार से लाहौर को ही प्राप्त है। बच्छोवाली-आर्यसमाज के ६१वें वार्षिक-उत्सव पर १९३८ के नवम्बर मास में इसके बारे में पहिली बार सार्वजनिक चर्चा हुई। महाशय कृष्णजी, श्री चिरंजी-लालजी वानप्रस्थी और प्रो० शिवदयालु आदि डेढ़ सौ आर्य-सज्जनों ने अपने नाम सत्याग्रह के लिये दिये। अमृतधारा के मालिक पण्डित ठाकुरदत्तजी शर्मा ने २५०) मासिक सहायता देने का वचन दिया। सब उपदेशकों और भजनीकों को आदेश दिया गया कि वे सत्याग्रह के आन्दोलन को अपने प्रचार का मुख्य विषय बना कर लोकमत को जागृत करें और तन-मन-धन से इसकी सहायता करने के लिये आर्य-हिन्दू-प्रजा को प्रेरित करें। पंजाब को यह सच्चा गौरव-प्राप्त है कि 'फील्ड-मार्शल' का कार्य करने वाले स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज तथा मुख्य केन्द्र तथा अन्य केन्द्रों में भी 'कमाण्डर' अथवा 'सेनापति' का काम करने वालों में इस प्रान्त के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। पं० ज्ञानचन्द्रजी, प्रो० शिवदयालजी, श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी, ला० देवीचन्द्रजी, ला० बृजलालजी, आचार्य शामलालजी, वयोवृद्ध गुरुदत्तामलजी, श्री युगलकिशोरजी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरे और छूटे सर्वाधिकारी इसी प्रान्त के थे।

जत्थेदारों में भी इस प्रान्त के लोगों की संख्या बहुत काफी थी। जत्थे भी यहां से खूब गये। जैसे का तो कहना ही क्या है? पांचों नदियों के प्रवाह की तरह सत्याग्रहियों का और सिन्धु के प्रवाह की तरह जैसे का प्रवाह बराबर जारी रहा। प्रथम सर्वाधिकारी पूज्य श्री नारायण स्वामीजी महाराज के साथ इसी प्रान्त के गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के पन्द्रह ब्रह्मचारियों के जत्थे का चुनाव किया गया था। लाहौर का दयानन्द उपदेशक विद्यालय ही संभवतः एक ऐसी संस्था थी, जिसके सारे ही विद्यार्थियों को इस सत्याग्रह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आर्य प्रतिनिधि सभा के आधीन प्रान्त की अन्य सब शिक्षण-संस्थायें भी, गुरुकुल, कालेज और स्कूल आदि सब ने इस सत्याग्रह में अपने को लगा दिया। गुरुकुल पोठोहार, भेलम, भैंसवाल, भटिण्डू आदि में से कोई भी संस्था इस धर्म-युद्ध में पीछे नहीं रही। हैदराबाद राज्य के सुप्रसिद्ध आर्य नेता पं० दत्तात्रेयप्रसाद जी वकील ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में इस सभा की ओरसे सारे प्रांत का दौरा किया, जिसमें आन्दोलन को खूब बल मिला। सत्याग्रह के प्रचार, आन्दोलन एवं संचालन के लिये स्थान स्थान पर सत्याग्रह समितियों की स्थापना करना आवश्यक समझा गया। दोनों विभागों के आर्यसमाजों और आर्यसमाजियों के लिये इन समितियों में मिलकर काम करना सुगम हो गया। मध्य पंजाब के लिये अथवा लाहौर के लिए गुरुदल में 'पंजाब सत्याग्रह समिति' की स्थापना की गई, जिसके प्रधान थे, पं० ठाकुरदत्तजी शर्मा अमृतधारा और मन्त्री थे सभाके सुयोग्य

मन्त्री पं० भीमसेनजी विद्यालंकार । पं० शिवदत्तजी, पं० विश्वनाथजी और पं० यशपालजी सिद्धान्तालंकार ने कार्यालय का कार्य संभाला । हरियाना प्रान्त में शहीद भक्त फूलसिंहजी की प्रधानता में बनाई गई सत्याग्रह समिति ने खूब काम किया । दक्षिण पंजाब के लिये लायलपुर में स्थापित की गई सत्याग्रह समिति ने भी अच्छा काम किया । यहां के सेठ रामनारायणजी विरमानी और सेठ दीवानचन्दजी विरमानी प्रतिमास सौ रुपया समिति को देते रहे । परिचमोत्तर प्रदेश के लिये रावलपिण्डी में बनाई गई सत्याग्रह समिति बहुत जोरदार रही । वहां लाला रामलालजी साहनी का आर्थिक सहयोग सराहनीय रहा । सीमांत प्रदेश में पेशावर की सत्याग्रह समिति ने भी सराहनीय कार्य किया । यहां के लाला अमीरचन्दजी की उदार आर्थिक सहायता उल्लेखनीय है । टुआचा के लिए जालन्धर में सत्याग्रह समिति स्थापित की गई । वटाला और नवांशहर ने भी खूब उत्साह का परिचय दिया । लुधियाना के श्री लख्मणरामजी नय्यड़, अम्बाला छावनी के रायसाहब अमृतरायजी, लायलपुर के ला०गुरुदित्तामल जी, श्रीनगर के आर्य नेता श्री चिंजीलालजी धानस्थी आदि वृद्ध आर्यजनों ने युवकों को भी लजाने वाले उत्साह का परिचय दिया । सभा के पुराने भजनोपदेशक पं० माथूरशर्मा जी प्रचार के लिये शोलापुर पहुंच गये । पुराने आर्य संन्यासी अमृतवर्षी स्वामी सत्यानन्दजी महाराज भी मैदान में उतर आये । प्रचार एवं आन्दोलन में आपके ओजस्वी एवं तेजस्वी भाषणों से नवजीवन का संचार हो गया ।

प्रायः सभी भजनीक, उपदेशक एवं प्रचारक जत्थेदार की हैसियत से बड़े बड़े जत्थे लेकर सत्याग्रह के लिये विदा हुए । पं० पूर्णचन्द्रजी सिद्धान्तभूषण हरिहाना से, पं० इन्द्रजीतजी मियाँ-चन्नू से, पं० मुकुन्दरामजी पिण्डी भट्टियां से, पं० प्रीतमचन्द्रजी और श्री सदाशिवजी लाहौरसे, पं० फकीरचन्द्रजी (वर्तमान स्वामी स्वरूपानन्दजी) और पं० अमरनाथजी अमृतसर से विदा हुये । महाशय कृष्णजी के सर्वाधिकारी नियुक्त होने की घोषणा १४ अप्रैल को हुई । आप उसी दिन प्रान्त के दौरे पर निकल पड़े । पंजाब में जहां भी आप गये, आर्य प्रजा ने आप पर थैलियों की वर्षा कर दी । ५३ हजार रुपया आपने सत्याग्रह के लिये जमा किया । २८ मई को आप लाहौर से सौ सत्याग्रहियों के साथ विदा हुए और ५ जून को औरंगाबाद में ७८२ सत्याग्रहियों के साथ आपने सत्याग्रह किया इसी प्रकार आर्यसमाज के प्रकाण्ड पण्डित श्री बुद्धदेवजी विद्यालंकार ने भी जत्थेदार की हैसियत से पंजाब का तूफानी दौरा किया और आर्य प्रजा ने आपकी भोली भी ३० हजार रुपयों से भर दी । आप दोनों के ये सफल दौरे पंजाब के आर्य-इतिहास की उल्लेखनीय घटनाएं हैं ।

पंजाब का केन्द्रीय शहर होने से लाहौर पर सत्याग्रहियों के भोजन, विश्राम एवं स्वागत का भी काफी भार रहा, जिसे पूरी तत्परता के साथ निभाया गया ।

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से भी इसी प्रकार की तत्परता का परिचय दिया गया । सभा के प्रधान श्री खुशहाल-


चन्द्रजी खुरसंद शोलापुर में आर्य कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। आपने वहाँ ही यह घोषणा कर दी थी कि वे और उनके सब साथी तथा संस्थायें इस सत्याग्रह में सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधिमभा के साथ हैं। अपने सारे कार्यों को, यहाँ तक कि महात्मा हंसराज मैमोरियल के महत्वपूर्ण कार्य को भी स्थगित करके सभा के सभी अधिकारी, उपदेशक, प्रचारक तथा कार्यकर्ता सत्याग्रह के कार्य में जुट गये। दक्षिण भारत, विशेषतः शोलापुर में प्रचार के लिए पं० बुद्धदेवजी मीरपुरी को विशेषरूप से भेजा गया। उन्होंने प्रचार की धूम मचा दी। महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज के सत्याग्रह करने पर शोलापुर में शिविर के कार्य का भार जब श्री चांद्रकरणजी शारदा ने संभाला, तब तीसरे सर्वाधिकारी के नाते प्रादेशिक सभा के प्रधान श्री खुरसन्दजी ने प्रचार का कार्य अपने हाथों में ले लिया। पंताव में आप के दौरे से विजली का संचार हो गया। दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय और दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी आपके साथ ही सत्याग्रह के लिए विदा हुए। सभा की ओर से लगभग दो हजार सत्याग्रही सत्याग्रह में शामिल हुए। सत्याग्रहियों के किराये आदि पर सभा ने ६४ हजार रुपया खर्च किया और ८० हजार रुपया भिन्न भिन्न समाजों ने दिया। दयानन्द साल्वेशन मिशन के कार्यकर्ता भी सत्याग्रह में लग गये। सभा के उपदेशकों में पं० बुद्धदेवजी, ठाकुर अमरसिंहजी, पं० सोमदेवजी लायलपुरी, म० सत्यपालजी, म० मस्तरामजी, ठाकुर नरपतसिंहजी, पंडित सोमदत्तजी जालन्धरी, स्वामी सत्यानन्दजी और पं० नन्दलालजी

आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। दयानन्द कालेज जालन्धर के प्रो० ज्ञानचन्द्रजी एम० ए०, दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज लाहौर के प्रो० देवप्रकाशजी, दयानन्द इण्डस्ट्रियल स्कूल के पं० बंशीलाल जी, दौलतपुर के ला० मुल्कराजजी वी० ए० वी० टी०, पण्डित लक्ष्मीदत्तजी दीक्षित और डा० गिरधारीलालजी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। अनेक सभाओं के पुरोहित, प्रधान एवं मन्त्री भी छोटे-बड़े जत्थों के साथ सत्याग्रह के लिये विदा हुए। उनमें पं० ब्रह्मानन्दजी, म० सन्तरामजी, पं० सत्यदेव, पं० खुशीराम, म० महन्तराम, सेठ गण्डूशाह, म० दीवानचंद, पं० पद्मदेव और चौ० दीवानचन्द्र के नामों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जेल न जाकर सत्याग्रह के युद्ध-क्षेत्र में अपनी सेवायें अर्पित करने वाले लाला देवीचंदजी, लाला वृजलालजी, प्रो० गोवर्धनलाल जी एम० ए०, श्री मेहरचन्दजी महाजन, ला० रामदित्तामल, ला० मेहरचन्द तथा प्रो० दीवानचन्द्रजी की सेवायें भी सराहनीय रहीं। महता सावनमल, म० ठाकुरसिंह और म० राजपाल ने मध्य प्रदेश वरार में प्रचार-कार्य में हाथ बटाया। पं० वाचस्पति जी एम० ए० ने पंजाब में प्रचार की धूम मचा दी। आप ऽ अग्रस्त को सत्याग्रह के लिये एक हजार सत्याग्रहियों के साथ विदा होने वाले थे। सात सौ के नाम भी दर्ज हो चुके थे। लेकिन, सत्याग्रह के स्थगित हो जाने से इन सबके अरमान पूरे न हो सके।

सत्याग्रह के बाद सभा के पास जो धन शेष रहा, संसका विनियोग दक्षिण के लिए ही किया गया। हैदराबाद के



शहीद व्यंकटराव



शहीद ताराचन्दी

विद्यार्थियों के लिये दस छात्रवृत्तियां रखी गई हैं। तीन उपदेशक हैदराबाद में निजाम राज्य आर्यप्रतिनिधि सभा के आधीन कार्य कर रहे हैं। दयानन्द कालेज कमेटी की ओर से शोलापुर में दयानन्द कालेज भी खोला गया है। कमेटी ने दो लाख रुपया इस कालेज के लिए दिया है। प्रो० गोवर्धनलालजी एम० ए० ने कालेज का कार्य संभाला है।

विजयदशमी पर २२ नवम्बर को सारे प्रांत में सत्याग्रहियों को सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा के निश्चय के अनुसार प्रशस्ति-पत्र दिये गये। प्रांत की उन आर्यसमाजों के कार्य का ही व्यौरा नीचे दिया जा रहा है, जिनका कि प्राप्त हो सका है। आर्य जनता के प्रेम, श्रद्धा और उत्साह को व्यक्त करने के लिये यह पर्याप्त है।

ज़िला रोहतक

१. जिला सत्याग्रह समिति— हैदराबाद-सत्याग्रह में सुचारु रूप से सहायता देने और सारे रोहतक जिले में उसके लिए प्रयत्न करने के निमित्त से जिला सत्याग्रह समिति संगठित की गई थी। इस समिति में ३५ गाँव तथा कस्बे सम्मिलित थे। इसके पदाधिकारी निम्नलिखित थे— प्रधान— शहीद भगत फूलसिंहजी, उपप्रधान—ला० गणेशीलालजी, मन्त्री—महाशय जयसिंह, श्री रत्निरामजी—उपमन्त्री, लाला राजारामजी—क्रोपाध्यक्ष तथा श्री जगन्नाथजी चादली आय-व्यय

निरीक्षक । इस समिति की ओर से सत्याग्रह के लिए ५८६२१)॥ व्यय किए गए । समिति की ओर से समय-समय पर ५५२ सत्याग्रहियों के १२ जत्थे मोर्चे पर भेजे गए । इन जत्थों का नेतृत्व पण्डित हरिश्चन्द्र जी शास्त्री (२६ सत्याग्रही), चौधरी नौनन्दसिंहजी (२६ सत्याग्रही), स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज (१०० सत्याग्रही), पण्डित सत्यप्रियजी विद्यालङ्कार (२६ सत्याग्रही), पं० सोहनलालजी (६० सत्याग्रही), चौ० बटलावर-सिंहजी (२६ सत्याग्रही), चौधरी ज्ञानसिंहजी (३१ सत्याग्रही), चौधरी भरतसिंहजी (३१ सत्याग्रही), चौ० लहरीसिंहजी (२४ सत्याग्रही), म० टेकचन्दजी तथा मेठ काशीरामजी (१०३ सत्याग्रही), चौधरी स्वरूपलालजी (६२ सत्याग्रही) और चौधरी छत्रसिंहजी (२६ सत्याग्रही) के नेतृत्व में भेजे गए थे । अंतिम और बारहवां जत्था चौधरी छत्रसिंह के नेतृत्व में दिल्ली तक ही पहुंच पाया था कि समझौता होजाने के कारण उसे यहीं से वापिस लौट आना पड़ा । स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज के जत्थे पर रोहतक में धर्मन्धि मुसलमानों द्वारा किये गए हमलों का वर्णन पीछे दिया जा चुका है ।

२. आर्यसमाज भापड़ौदा—इस समाज की ओर से ८५३॥) की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और ५५ सत्याग्रहियों के दो जत्थे भेजे गए । इन जत्थों का नेतृत्व चौधरी ज्ञानसिंह तथा चौधरी लहरीसिंह ने किया । चौधरी मानीराम ने धन-संग्रह में प्रशंसनीय सहायता दी ।

३. आर्यसमाज वेरी—इस आर्यसमाज ने अपने आसपास के हुवडधन, माजरा, जहाजगढ़, बहरोड, चीमनी, बाघपुर आदि स्थानों में सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रचार-कार्य किया और ३२७) चंदा जमा किया। दस सत्याग्रहियों का एक जत्था भी भेजा, जिसका नेतृत्व बाघपुर के चौ० सीसराम ने किया।

४. आर्यसमाज खरहर—यहां से १३ सत्याग्रहियों का एक जत्था भेजा गया।

५. आर्यसमाज रिठोली—इसकी ओर से बारह सत्याग्रही जिला रोहतक के सत्याग्रहियों के जत्थों में सम्मिलित हुए। सत्याग्रह आन्दोलन के निमित्त ६२।। व्यय किए।

६. आर्यसमाज सोनीपत—सत्याग्रह के निमित्त २२६) का चंदा जमा किया और दो सत्याग्रही भेजे।

७. आर्यसमाज भगवतीपुर—चौधरी सोल्हूरामजी के नेतृत्व में नौ सत्याग्रहियों का एक जत्था हैदराबाद गया और १००) चंदा इकट्ठा किया गया। पं० श्रीरामजी का प्रयत्न सराहनीय रहा।

८. आर्यसमाज निन्हौटी—यहां से २०१) जमा किया गया और पांच सत्याग्रही भेजे गए। चौधरी अभयराम ने सराहनीय उद्योग किया।

९. आर्यसमाज भुञ्जर—सत्याग्रह आन्दोलन के लिए

२००) व्यय किया गया, जिनमें ५०) श्रीमती गुलाबदेवी ने दिये। यहां से एक जत्था भी भेजा गया।

१०. आर्यसमाज सांपला—अनावृष्टि के कारण आसपास में त्राहि-त्राहि मची हुई थी, फिर भी सत्याग्रह की सहायता के लिए बारह सौ रुपये जमा किए गए। पांच जत्थों में ६६ सत्याग्रही जत्थेदार चौधरी ज्ञानचन्दजी आर्य, चौधरी लहरीसिंहजी, चौधरी सीसरामजी, चौधरी हरनारायणजी और चौधरी भरतसिंहजी के नेतृत्व में भेजे गये।

११. आर्य पाठशाला मिर्जापुर खेड़ी—यह ५०-६० घरों का एक छोटा-सा गांव है। यहां से धर्मशाला के मन्त्री भक्त जियालालजी के नेतृत्व में सात सत्याग्रही हैदराबाद गये और १८६-१) जमा किये गये। चौधरी न्यादरसिंह ने १०७) दिया।

जिला हिसार

१. आर्यसमाज हिसार—इस समाज के अन्तर्गत हरियाणा वेद प्रचार मण्डल ने एङ्ग्लो संस्कृत स्कूल के पंडित मुरारीलालजी शास्त्री के मंत्रित्व और वक्शी श्री रामकृष्णजी एम० ए०, एल-एल० बी० के प्रधानत्व में बहुत सराहनीय कार्य किया। आन्दोलन के लिए २२००) व्यय किया गया। १८ सत्याग्रहियों के १४ जत्थे भेजे गये। हरियाणा केसरी दल का भी संगठन इस समिति की ओर से किया गया था। जत्थों का

व्यौरा काफी मनोरंजक है । इसमें छोटे छोटे समाजों के भी उत्साह का परिचय मिलता है । वह व्यौरा निम्न-लिखित है —

तारीख	आर्यसमाज	संख्या	सत्याग्रही	जत्थेदार
२८ मई	मिरजपुर	३५	चौ०	गोकुलचन्द
"	मलिकपुर	१८	"	गंगाराम
१५ जून	मिरजपुर	२०	"	मन्नूराम
"	मलिकपुर	६	पं०	भारतमित्र
"	बुडाणा	२१	चौ०	सरूपसिंह
"	हंडाखेड़ी	२०	"	जयराम
१५ जुलाई	फूटकलां	१२		स्वामी विद्यानंद
"	कल्हेरी	१२	चौ०	कुरडाराम
"	पेटवरड़	८	"	अमरसिंह
"	मालकोस	४		स्वामी रामजीलाल
"	राजथल	१२	चौ०	निवासीराम
१८ अप्रैल	मानेडू	११	"	भूराराम
	रात्रोरावास	११	पं०	पतराम
	हिसार	६

२. आर्यसमाज चाहारवाला—यहां ३६१(=) जमा किये गये और ४८ सत्याग्रहियों के दो जत्थे हैदराबाद भेजे गये ।

३. आर्यसमाज बदलाड़ा मंडी—आठ सत्याग्रहियों के दो जत्थे भेजे गये, जिनका नेतृत्व श्री मंगतरामजी तथा श्री

लक्ष्मीनारायणजी ने किया। यहां से ५००) की सहायता भी भेजी गई।

४. आर्यसमाज सिरसा—इस समाज ने आन्दोलन के लिये ४२२) व्यय किये। यहां से १३ सत्याग्रहियों के ४ जत्थे भेजे गये। सत्याग्रहियों में मा० गंगानन्द जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने पोस्ट-आफिस की सरकारी नौकरी से स्तीफा दे कर इस आन्दोलन में भाग लिया।

५. आर्यसमाज बरवाला सैयदान—७०) संग्रह किये गये। ४०) स्त्री-आर्यसमाज की ओर से लाला पुष्करराज की धर्मपत्नी ने दिये। एक सत्याग्रही हैदराबाद भेजा गया।

ज़िला गुड़गावां

इस जिले में सत्याग्रह सम्बन्धी कार्य बल्लभगढ़ आर्यसमाज की देखरेख में हुआ। आर्य-सत्याग्रह-समिति की स्थापना की गई। १६४०)॥ संग्रह करके सत्याग्रह के सम्बन्ध में व्यय किये गये। ८६ सत्याग्रहियों के १० जत्थे हैदराबाद भेजे गए। इनका नेतृत्व स्वामी मुक्तानन्दजी, स्वामी ओमनन्दजी, स्वामी कृष्णानन्दजी, स्वामी मंगलानन्दजी, भवानीसिंहजी, पं० आत्मानन्दजी, पं० कृष्णचन्द्रजी यात्री और स्वामी रघुबरदासजी ने किया। इनमें बल्लभगढ़, रिवाड़ी, गदपुरी आश्रम, लीखी, गुड़गावां, मितरौल, होडल, हसनपुर, भमरौला, बड़ा, असावरा, भिड़की, सुलतानपुर आदि स्थानों के सत्याग्रही भी शामिल थे। आर्यसमाज तावड़— ५५), आर्यसमाज समरसट्टा—२५०), आर्यसमाज बिलावलपुर—

१६१) की सहायता की। आर्यसमाज दीनानगर से ३५ सत्याग्रही भेजे गये और एक हजार रुपया खर्च किया गया।

ज़िला करनाल

आर्यसमाज करनाल की ओर से ३० सत्याग्रहियों के ३ जत्थे हैदराबाद भेजे गये, जिनका नेतृत्व चौधरी ज्ञानीराम, श्री प्यारेलाल वैश्य और श्री आशाराम ने किया। आर्य समाज (कालेज विभाग) की ओर से सत्याग्रह समिति स्थापित करके सत्याग्रह-खंबन्धी कार्य किया गया। १८ सत्याग्रहियों का एक जत्था श्री आशारामजी तथा महाशय रनिरामजी के नेतृत्व में हैदराबाद गया। ३२१८॥ हैदराबाद कोष में भेजे गये। आर्यसमाज ढोल ने १४३ सत्याग्रह के लिये व्यय किया और ३ सत्याग्रही भेजे। आर्यसमाज पानीपत ने १६१३॥ इस आन्दोलन के निमित्त व्यय किये और ६८ सत्याग्रहियों के ३ जत्थे हैदराबाद भेजे, जिनका नेतृत्व सर्व श्री शुगनचन्द्रजी रईस, पं० देवीमल जी शास्त्री और पं० रामधारीजी ने किया था। आर्यसमाज दाइपुर ने २३॥ और आर्यसमाज रादौर ने १२६) की सहायता दी और १ सत्याग्रही भेजा। आर्यसमाज जगाधरीने ३३४॥), आर्यसमाज सुल्तानपुर ने २१) और आर्यसमाज फतहपुर ने ८०) की सहायता दी और एक सत्याग्रही भेजा। आर्यसमाज पंडरो ने आन्दोलन के निमित्त ११६-॥ व्यय किये।

ज़िला अम्बाला

आर्यसमाज (गुरुकुल-विभाग) अम्बाला छाननी ने इस

आन्दोलन के निमित्त १४७५५) व्यय किये और ४६ सत्याग्रही हैदराबाद भेजे। सत्याग्रह आन्दोलन के प्रचार, बड़े बड़े जत्थों तथा सम्माननीय व्यक्तियों के स्वागत-सत्कार में भी काफी दिल-चस्पी दिखाई। यहां की आर्यकुमार सभा ने भी प्रशंसनीय कार्य किया। जत्थे आदि के स्वागतसत्कार का सारा कार्य प्रायः आर्य कुमारों ने ही किया।

अम्बाला शहर के आर्यवीर-दल की ओरसे ६० सत्याग्रही भेजे गये तथा ११६॥=)॥ सत्याग्रह के निमित्त व्यय किये गये। आर्यसमाज डेरावसी की ओर से ६ सत्याग्रही भेजे गये तथा १०७।) व्यय किये गये, जिनमें से ४५) आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को भेंट किये गये। आर्यसमाज फतहपुर ने ३ सत्याग्रही भेजे और २५) आन्दोलन में व्यय किये। आर्यसमाज मोरिण्डा ने ५०६।=) और आर्यसमाज नारायणगढ़ ने ३६) खर्च किया।

ज़िला शिमला

शिमला में आर्य-सत्याग्रह-समिति का संगठन करके आन्दोलन का कार्य चलाया गया। ३२२२।=)। व्यय किये गये। इस धनराशि में शोलापुर, लाहौर और दिल्ली को भेजा हुआ धन भी सम्मिलित है। चौधरी दीवानचन्द जी और कविराज पं० पद्मदेवजी के नेतृत्व में २७ सत्याग्रहियों के जत्थे भी भेजे गये। यंग आर्यन लीग का संगठन करके शिमला के आर्ययुवकों ने अपने उत्साह का परिचय दिया। प्रचार-सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त लीग की ओर से ३५) की एक थैली दूसरे जत्थे के नेता

कविराज पं० पद्मदेवजी को भेंट की गयी । आर्यसमाज कालका ने १५०) और आर्यसमाज कसौली ने ३५०) के लगभग चन्दा जमा किया । स्त्री आर्यसमाज ने भी कसौली में अच्छा काम किया ।

ज़िला लुधियाना

आर्यसमाज दाल बाज़ार ने ११०४)॥ व्यय किये । इनके अतिरिक्त एक हजार रुपया जिले के अन्य आर्यसमाजों ने और ३५००) इस समाज ने छूटे सर्वाधिकारी म० कृष्णजी को भेंट किया । ३५ सत्याग्रहियों के तीन जत्थे पं० जयदेवजी तथा म० सरचनदास के नेतृत्व में भेजे गये । आर्यसमाज लुधियाना की ओर से स्वामी धीरानन्द सत्याग्रह के लिए भेजे गये और स्वामी भास्करानन्द जी ने शोलापुर शिविर में कार्य किया । तीन सौ रुपया भी चन्दे में जमा किया गया ।

जिला जालन्धर के आर्यसमाज कर्तारपुर की ओर से ५०८) और १३ सत्याग्रही भेजे गये । नवां शहर की ओर से ७७८) जमा किये गये और ७ सत्याग्रही भी भेजे गये ।

जिला अमृतसर के आर्यसमाज लारेन्स रोड ने १८१५) जमा किये । ४३ सत्याग्रहियों के चार जत्थे प्रो० ज्ञानचन्द, पं० मोहनलाल, पं० सत्यानन्द चिद्यालंकार और ब्र० जगन्नाथजी पथिक के नेतृत्व में भेजे गये । म० गुरुदित्तामल जी मंत्री आर्यसमाज ने प्रशंसनीय कार्य किया । आर्यसमाज ननकाना साहब ने ५००) सत्याग्रहके निमित्त व्यय किया । २००) स्त्री-आर्यसमाज

ने भी दिया। दो सत्याग्रही भी भेजे। आर्यसमाज डेरा बाबा नानक ने आन्दोलन में ३२) व्यय किये।

गुजरात जिले के गुजरात आर्यसमाज की ओर ७५०) और ४ सत्याग्रही भेजे गये। आर्यसमाज डिंगा ने ५३०) व्यय किया और ४ सत्याग्रही भेजे। महाशय रामलाल चड्ढा ने प्रशंसनीय कार्य किया। आर्यसमाज दौलतनगर—७८), आर्यसमाज लुहारां—२०॥—), सनातन धर्म सभा करनाना ने १६) इस आन्दोलन के लिये दिये।

फिरोजपुर जिले की मलोटमण्डी आर्यसमाज ने २५४॥—) व्यय किये और ६ सत्याग्रहियों के दो जत्थे महाशय विद्याचन्द्र रथी और महाशय वेदप्रकाश के नेतृत्व में भेजे। आर्यसमाज सलीना ने १००) व्यय किया और ४ सत्याग्रही भेजे। भटिंडा आर्यसमाज ने ४०००) चन्दा किया। स्त्रीसमाज और कुमार सभा ने ४००) पैसा फण्ड में इकट्ठा किया। १२ सत्याग्रही भी भेजे गये।

आर्यसमाज मण्डी ताली (गुजरांवाला) ने १७८) व्यय किये और ३ सत्याग्रही भेजे।

स्थालकोट आर्यसमाज ने ३०००) व्यय किये और १४ सत्याग्रही भेजे गए। ब्रह्मचारी राजेन्द्रपाल की माता ने आंदोलन के प्रति जनता में उत्साह भरने में विशेष प्रयत्न किया। आर्यसमाज छावनी—१५०), आर्यसमाज बहोमल्ली ने ५००) जमा किए और १० सत्याग्रही भेजे। श्री ओम्प्रकाश आढ़ती ने

सराहनीय उर राह का परिचय दिया। आर्यसमाज नारीवाल ने ८५८) और आर्यसमाज डरका ने १६५) व्यय किये।

आर्यसमाज भंग ने ४००) व्यय किये और ८ सत्याग्रही भेजे। आर्यसमाज टांचीवाली (वन्तू) ने ३४५) आंदोलन के निमित्त व्यय किया। आर्यसमाज मरी ने लगभग ४००) व्यय किये।

आर्यसमाज शाम चौरासी (होशियारपुर) ने ११८) व्यय किए और समाज के पुरोहित पं० रविदत्ताजी ने ५००) एकत्रित करके सत्याग्रह समिति होशियारपुर को भेजे। आर्यसमाज कौट सिद्धना (मुलतान) ने ५४) व्यय किये और ४ सत्याग्रही भेजे। आर्यसमाज किला सोभासिंह ने २००), आर्यसमाज जहानियां मण्डी (मुलतान) ने १६५।), आर्यसमाज बड़ेवासा (मुलतान) ने ८४०) व्यय किये। महाशय उत्तमचंदजी के नेतृत्व में ४ सत्याग्रही भी भेजे गये। महाशय फकीरचन्द तथा श्रीमती द्रोपदीदेवी ने आंदोलन के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया।

आर्यसमाज हाफिजाबाद ने ६००) के लगभग संग्रह करके आर्य प्रादेशिक सभा को भेजा और कई सत्याग्रही भी भेजे, जिनमें आर्यसमाज के प्रधान लाला काशीराम कपूर के सुपुत्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आर्यसमाज बटाला (कालेज-विभाग) ने अपने यहां के अन्य आर्यसमाजों के सहयोग से ३२७) आन्दोलन के निमित्त व्यय किए और २४ सत्याग्रही भेजे।

आर्यसमाज चुनियां (लाहौर) की ओर से ३ सत्याग्रही भेजे गए । महाशय खुशीराम का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

आर्यसमाज गुजरात की ओर से ७५०) व्यय किए गए और ४ सत्याग्रही भेजे गए ।

लायलपुर जिले के आर्यसमाज चक नं० १६२ ने ५०) व्यय किया और दो सत्याग्रही भेजे । यहां आर्यसमाजियों की संख्या केवल १० है । सरगोधा के आर्यसमाज भलवाल ने ५४५) व्यय किए और ३ सत्याग्रही भेजे । आर्यसमाज मुजफ्फरगढ़ ने २००) की सहायता की और ६ सत्याग्रही भेजे ।

पंजाब के देसी राज्यों की आर्यसमाजों भी इस यज्ञ में योगदान करने में पीछे न रहें । वहावलपुर के आर्यसमाज उच्च शरीफ ने २२६), पटियाला राज्य के आर्यसमाज मानसा ने ५४०) और १४ सत्याग्रहियों, आर्यसमाज सरहन्द ने १२३॥=) और १ सत्याग्रही और आर्यसमाज वरनाला ने ६००) की आहुतियां यज्ञ इस में दीं । आर्यसमाज वरनाला के प्रधान श्री चिरंजीलाल जी प्रति मास २५) मासिक और मन्त्री श्री चाननरामजी अपना सारा ही वेतन देते रहे । कपूरथला के आर्यसमाज सुलतानपुर लोदी ने ६१०) और ५ सत्याग्रहियों के एक जत्थे को भेंट में दिया । जम्मू-काश्मीर के आर्यसमाज कोटली ने १६००) और ७ सत्याग्रही प्रदान किये ।

ग. दिल्ली प्रांत

१. आर्य सत्याग्रह समिति—आर्यसमाज की शिरो-मणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्यालय

दिल्ली में होने से दिल्ली पर आर्य-सत्याग्रह के नाते विशेष भार और जिम्मेवारी स्वतः ही आ पड़ी थी। फिर, दिल्ली भारत-सरकार की राजधानी होने से भी यहाँ की आर्य-हिन्दू-जनता पर एक विशेष नैतिक भार था। इस जिम्मेवारी और भार को दिल्ली के आर्यसमाजों और आर्य-हिन्दू-जनता ने पूरी तत्परता के साथ निभाया। कोई ४०-५० हजार रूपया आर्य सत्याग्रह में यहाँ से एकत्रित हुआ होगा। सत्याग्रही भी काफी संख्या में यहाँ से गये। यहाँ आर्यसमाजों और आर्य-संस्थाओं की संख्या लगभग दो दर्जन है। सनातनी भाइयों की संस्थाओं की संख्या उससे भी अधिक है। प्रायः इन सभी संस्थाओं ने आर्य-सत्याग्रह में योगदान दिया। लेकिन, शीघ्र ही एक केन्द्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। रेलवे-यातायात की दृष्टिसे भी दिल्ली बहुत बड़ा केन्द्र है। उत्तर-भारत के अधिकांश प्रान्तों के सत्याग्रही जत्थों को प्रायः दिल्ली होकर ही शोलापुर या मनमाड़ के लिये विदा होना पड़ता था। पांच-छः सर्वाधिकारियों को दिल्ली से ही हार्दिक विदाई दी गई थी। महाशय कृष्णजी, पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, और पं० विनायकरावजी विद्यालंकार को दी गई विदाई का समारोह बहुत ही भव्य एवं शानदार हुआ। इन सबके स्वागत-समारोह, आतिथ्य-सत्कार और विदाई-समारम्भ के लिए भी एक ऐसी संस्था की नितान्त आवश्यकता थी। पहिले यह सारा कार्य दीवान-हाल आर्यसमाज की ओर से शुरू किया गया था। लेकिन, अकेले उसके सिर पर इस भारी काम को डाले रखना उचित प्रतीत नहीं हुआ। इसी लिये प्रत्येक आर्यसमाज

तथा अन्य संस्थाओं के दो-दो प्रतिनिधि लेकर इसका संगठन किया गया। श्री ठाकुरदत्त जी एम० ए० इसके सभापति और श्री देवव्रतजी धर्मेन्दु इसके प्रधान मन्त्री नियुक्त किये गये। पंजाब, सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त के पूर्वीय जिलों से जाने वाले सत्याग्रहियों को यहां से होकर गुजरना पड़ता था। उनके भोजन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था करना साधारण काम न था। प्रतिदिन पचासों सत्याग्रही आते और जाते रहते थे। उनके स्वागत एवं सत्याग्रह के प्रचार के लिये जलूसों, सार्वजनिक-सभाओं तथा अन्य समारोहों का आयोजन करना भी एक बहुत बड़ा काम था। सत्याग्रह-समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और दीवानहाल-आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं सर्वश्री रामचन्द्रजी पुरोहित, वीरेन्द्रजी, बट्टीदत्तजी, हरिदत्तजी आदि की तत्परता सराहनीय रही। अर्थ-संग्रह और प्रचार के गुस्तार कार्य में स्वामी सत्यानन्दजी महाराज की सहायता उल्लेखनीय है। आपने दिल्ली के भिन्न भिन्न हिस्सों में दर्जनों भाषण दिये और दर्जनों समारोहों का नेतृत्व एवं सभापतित्व किया। आर्यसमाज के वयोवृद्ध स्वनामधन्य नेता लाला नारायणदत्तजी ठेकेदार, प्रो० सुधाकरजी, ला० देशबन्धुजी एम० एल० ए० और चौधरी देसराजजी की सेवार्य भी मुलाई नहीं जा सकती। लगभग ग्यारह हजार रुपया समिति की ओर से सत्याग्रह के लिये खर्च किया गया और तीन हजार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को भेंट किया गया। १२ जत्थे भी सत्याग्रह के लिये भेजे गये। सर्वाधिकारियों के विदाई-समारोह के लिये किये गये आयोजनों

में पन्द्रह से पच्चीस हजारतक जनता सम्मिलित हुआ करती थी । सत्याग्रह की समाप्ति पर सर्वाधिकारियों के स्वागत में की गई सभा एवं नगर-भोज का आयोजन दिल्ली के इतिहास की अनोखी घटनायें थीं । नगर-भोज में चार-पांच हजार लोग शामिल हुए होंगे ।

२. दीवानहाल आर्यसमाज—दिल्ली के आर्यसमाजों में आर्यसमाज दीवानहाल सब से प्रमुख है । उसका विशाल भवन और धर्मशाला सत्याग्रहियों से सदा ही घिरे रहते थे । ३६७४।।। सत्याग्रह के लिये व्यय किये गये । सत्याग्रह-समिति को दो हजार और सर्वाधिकारियों को कोई साढ़े चार हजार की थैलियां भेंट की गईं । पं० गुमानीरामजी के नेतृत्व में अठारह सत्याग्रहियों का एक जत्था भी भेजा गया । बाद में सब सत्याग्रही आर्य सत्याग्रह समिति की ओर से भेजे जाते रहे । इसी आर्य-समाज के भवन में समिति का कार्यालय था ।

३. नयावास आर्यसमाज—इस आर्यसमाज ने भी इस धर्म-युद्ध में सराहनीय आर्थिक सहायता प्रदान की । सर्वाधिकारियों को थैलियों के रूप में तो १६६८ रुपये भेंट किये ही गये; लेकिन, सत्याग्रहियों के स्वागत-सत्कार के लिये भोजन-सामग्री का इस समाज ने दरिया बहा दिया । १२ मन आटा, ३१ मन चावल, ३३ मन दाल, ६।। मन घी, १०।। मन चीनी, २ मन बेसन, १।।। मन नमक, आध मन मिर्चा और १ मन साबुन दिया गया । दो सौ रूपया फुटकर व्यय के लिये सत्याग्रह समिति

को दिया गया। सर्वाधिकारियों आदि की जिदार्ई में विशेष समारोह एवं भोज आदि का भी आयोजन किया गहा। “हैदराबाद में दमन चक्र” नाम की पुस्तिका की दस हज़ार प्रतियां बांटी गईं।

३. आर्यसमाज हनुमानरोड़ नई दिल्ली—की ओर से ३३०१) सर्वाधिकारियों को थैलियों एवं सत्याग्रह समिति को दी गई सहायता के रूप में व्यय किया गया। नई दिल्ली में सत्याग्रह के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये हेवलेक स्ववेयर में कई आयोजन किये गए। कई आयोजन सर्वाधिकारियों के सम्मान में भी किये गये।

४. आर्यसमाज करौलवाग—जिस श्रद्धा और प्रेमका परिचय इस धर्म-यज्ञ में इस आर्यसमाज के सभासदों ने दिया, वह सराहनीय है। २०५७॥१)॥ सत्याग्रह के लिये खर्च किये गए। दो जत्थे भी भेजे गए। किशनगंज स्टेशन पर सत्याग्रहियों के स्वागत का विशेष प्रबन्ध किया। स्त्री समाज का सहयोग भी प्रशंसनीय रहा।

५. आर्यसमाज सब्जीमंडी—आर्यपुरा सब्जी मण्डी का यह आर्यसमाज दिल्ली में बहुत पुराना है। इसकी ओर से एक हजार रूपया थैलियों आदि के रूप में भेंट किया गया। श्री किशनलालजी के नेतृत्व में ५ सत्याग्रहियों का एक जत्था भी भेजा गया।

६. आर्यसमाज सदर बाजार—(८४शा॥) और ४ सत्याग्रही भेंट किये ।

७. आर्यसमाज विरला लाइन्स—(८२०) व्यव किया और १२ सत्याग्रहियों का एक जत्था श्री -टेकचन्द्रजी शर्मा तथा १४ सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था श्री रामवृत्त शर्मा गहमरी के नेतृत्व में भेजा गया । आसपास के गावों में आर्य-सत्याग्रह का विशेष प्रचार किया गया ।

८. आर्यसमाज तिमारपुर—(३६१॥) की आर्थिक-सहायता दी और दो सत्याग्रही भेंट किये ।

९. आर्यसमाज पहाड़गंज—(११८२) भेंट किये । श्री गुमानीरामजी को सत्याग्रह के लिये भेजा गया ।

१०. आर्यसमाज सोहनगंज—(१७२) ।

११. आर्यसमाज श्रद्धानन्द नगरी—(३१॥) ।

१२. आर्यसमाज सरायमौर—(१५३) तथा आर्य-कुमार सभा ने २१) ।

१३. आर्यसमाज रघुनाथ बगीची—(१५०) और १४ सत्याग्रही भेंट किये ।

१४. आर्यसमाज नरेला—(२६ सत्याग्रही भेंट किये और आसपास के गांवों में धुआंधार प्रचार किया ।

१५. आर्यसमाज बाजार सीताराम— लगभग

२८००) सत्याग्रह के लिए खर्च किया । सर्वाधिकारियों को थैलियां भेंट कीं और जत्थों का शानदार स्वागत किया । समाज के प्रधान लाला घासीरामजी, मन्त्री लाला सांवलदासजी, श्री श्यामलालजी आर्य, मास्टर ईश्वरदासजी, मास्टर रूपलालजी श्री श्यामलालजी गोरवाल और श्री बालकिशनदासजी ने इकट्ठा करने में विशेष सहायता प्रदान की ।

अन्य संस्थायें—सत्याग्रह समिति किशनगंज, जिसमें दिल्ली क्लथ मिल आर्यसमाज भी शामिल था, वैदिकधर्म प्रचारक मण्डल खारीबावली, आर्य भजनोपदेशक मण्डल, गुरुकुल-कांगड़ी के स्नातक मण्डल की स्थानीय शाखा, आर्ययुवक मण्डल तथा श्री तन्तुवाय वैश्य सभा आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं । नई दिल्ली के स्त्री-आर्यसमाज ने भी सराहनीय काम किया । श्रीमती विद्यावतीजी और श्रीमती शकुन्तलादेवीजी ने अथक कार्य किया । सत्याग्रह समिति किशनगंज ने ६६६।।३) व्यय किया और अपने क्षेत्र में प्रचार का कार्य विशेष उत्साह के साथ किया । वैदिकधर्म प्रचारक मण्डल ने भोजन-सामग्री एवं वरतन आदि संग्रह करने के अलावा ४५) व्यय किये और ४ सत्याग्रही भी भेजे । आर्य भजनोपदेशक मण्डल ने प्रचार की धूम मचा दी । आर्य मुसाफिर श्री रामस्वरूपजी शर्मा के नेतृत्व में ८ सत्याग्रहियों का पहिला जत्था और अपने प्रधान श्री छेदीलालजी धनुर्धर के नेतृत्व में १७ सत्याग्रहियों का दूसरा जत्था विदा किया गया । स्थानापन्न प्रधान प्रो० जयप्रकाशजी धनुर्धर के नेतृत्व में २५ सत्याग्रहियों का तीसरा जत्था विदा होने को था कि सत्या-

ग्रह समाप्त हो गया । दिल्ली प्रान्तीय गुरुकुल स्नातक मण्डल की ओर से लगभग ४५०) भेंट किये गये और प्रचार-कार्य में हाथ बटाया गया । दिल्ली के उन दिनों के दोनों हिन्दी दैनिकों 'वीर अर्जुन' और 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक गुरुकुल कांगड़ी के सुथोग्य स्नातक थे । इन पत्रों से सत्याग्रह को सफल बनाने में जो सहायता मिली, उसकी चारों ही ओर सराहना हुई । तन्तुवाय वैश्य सभा ने ८५) भेंट किये ।

घ. संयुक्त प्रांत

आर्यसमाज के संगठन एवं प्रभाव की दृष्टि से प्रान्तों में दूसरा स्थान युक्तप्रांत का है । इस यज्ञ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों ने, जो भाग लिया, उसकी दृष्टि से भी युक्तप्रांत को दूसरा स्थान दिया जा सकता है । सत्याग्रहियों एवं शहीदों की संख्या और आर्थिक सहायता की दृष्टि से भी प्रांत ने अपने गौरव को बढ़ा नहीं लगने दिया । इस धर्म-युद्ध के प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज का प्रान्त भला कब अपनी शान को घटा लगने दे सकता था ? न केवल आर्यसमाजियों, परन्तु समस्त आर्य हिन्दू जनता ने ही इसे अपना कर अपने कर्तव्य का पालन जिस तत्परता के साथ किया, उसका कुछ परिचय नीचे के विवरण से मिल सकता है ।

१. जिला देहरादून

आर्यसमाज देहरादून की ओर से ३८ सत्याग्रहियों के तीन जत्थे भेजे गये । 'नारायणी-सेना' के अधिनायक श्री सत्यार्थी

के नेतृत्व में गये हुए जत्थे में भी दो सत्याग्रही भेजे गये। इस समाज ने २००) मासिक सहायता देने का निश्चय किया हुआ था और कुल ३५००) रुपया भेजा गया। इसमें वह रकम भी सम्मिलित है, जो पं० धुरेन्द्र शास्त्री, श्री सत्यार्थी, श्री ज्ञानचन्द्र, बाबा गदनसिंह तथा बाबा निर्मलदास को रथली के रूप में भेंट की गयी थी। इस धन के संग्रह में स्त्री-आर्यसमाज, कन्या गुरुकुल, आर्यसमाज भसूरी, आर्यसमाज चोहड़पुर, आर्यसमाज डोईवाला, ने सराहनीय सहायता प्रदान की। आर्यसमाज भसूरी ने प्रचार-कार्य के अतिरिक्त ५०८) की अर्थिक सहायता दी।

२. ज़िला सहारनपुर

आर्यसमाज देवबन्द ने ३१ सत्याग्रहियों के ४ जत्थे भेंट किये और सात सौ रुपये की आर्थिक-सहायता दी। आर्यसमाज बहादुराबाद ने ५ सत्याग्रही और ३१६), आर्यसमाज नकुड़ ने २ सत्याग्रही और १८०), आर्यसमाज लक्सर ने दो सत्याग्रही और ११६), वानप्रस्थ-आश्रम ज्वालापुर से प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायण स्वामीजी के अतिरिक्त १० वानप्रस्थी सत्याग्रही, आर्यसमाज चिलकियाना ने १३१), आर्यसमाज खेड़ा-अफगान ने ७५), आर्यसमाज औरंगाबाद ने दो सत्याग्रही और ४२), आर्यसमाज अम्बहटा ने २१५), आर्यसमाज गंगोह ने १० सत्याग्रही और ७५१) भेंट में दिये। प्रेम-सेवाश्रम रणदेवी ने १२६ सत्याग्रही और २५००) रुपया व्यय किया। गुरुकुल

कांगड़ी और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के कार्य का व्यौरा शिक्षण-संस्थाओं के व्यौरे के साथ दिया जायगा ।

३. ज़िला मेरठ

आर्य सत्याग्रह समिति मेरठ की ओर से १८७०) और आर्यसमाज मेरठ नगर से २२ सत्याग्रही तथा २४५०) के लगभग आर्थिक सहायता भेंट की गई । सत्याग्रह समिति हापुड़ ने १४ सत्याग्रही और ११३६) के लगभग व्यय किये । इनके अतिरिक्त चेम्बर आफ कामर्स की ओर से घोषित किये गये १०००) में से ५००) शोलापुर भेजे गये । आर्यसमाज गढ़मुक्तेश्वर ने तीन सत्याग्रही भेंट किये और १०६), आर्यसमाज मवानाकलां ने १२ सत्याग्रही और १७००), आर्यसमाज रुस्तमपुर महावतपुर चावली ने एक जत्था और ३२७), आर्यसमाज वरजिदपुर (बडौत) ने ३ सत्याग्रही, आर्यसमाज परीक्षितगढ़ क्षेत्र के बहलोलपुर गांव ने ४३), आर्यसमाज धक्सर ने ६ सत्याग्रही और १४५), आर्यसमाज वेगमाबाद ने १ सत्याग्रही और ६८), आर्यसमाज गाजियाबाद ने ४ सत्याग्रही और १४५५) व्यय किये । ५६) स्त्री-समाज और ६२॥) आर्यकुमार सभा ने प्रदान किए । व्यापारियों के चेम्बर तथा दलाल एसोसिएशन ने भी आर्थिक सहायता देकर अपने कर्तव्य का पालन किया ।

४. ज़िला बुलन्दशहर

आर्यसमाज जेवर ने १० सत्याग्रही और ७०८), आर्यसमाज सैदपुर ने ४०), आर्यसमाज ईसापुर ने २१), आर्यसमाज

गुलावठी ने पं० धुरेन्द्र शास्त्री को २०) की थैली, आर्यसमाज अरनियों ने ६०), आर्यसमाज आराजियात स्ट्रीट ने २७८), आर्यसमाज दनकौर ने १ सत्याग्रही और ५२), आर्यसमाज जहांगीराबाद ने ३ सत्याग्रही और १६६), आर्यसमाज सिकन्दराबाद ने श्री देवेन्द्र शास्त्री के साथ १६ सत्याग्रही और ४२६) आर्यसमाज खुर्जा ने १३ सत्याग्रही और ५०८) तथा आर्यसमाज चिलसौना ने १००) और दो सत्याग्रही भेंट किये ।

५. ज़िला अलीगढ़

आर्यसमाज बांद अब्दुलहईपुर ने ७५), आर्यसमाज करौली ने ७५), आर्यसमाज इगलास ने १४२), आर्यसमाज जलाली ने ६ सत्याग्रही और १८३), आर्यसमाज काजिमाबाद ने ६७), आर्यसमाज अतरौलीने २ सत्याग्रही और १०१), आर्यसमाज खैर ने ४ सत्याग्रही और १३०), आर्यसमाज कौड़ियागंज ने ४ सत्याग्रही और १०२) की आहुति अर्पित की ।

६. ज़िला मुजफ्फरनगर

आर्यसमाज शामली ने २२ सत्याग्रही और २४१६), आर्यसमाज भिम्भाना ने १००) और आर्यसमाज वैरसा ने ७ सत्याग्रही और ७७५) भेंट किये ।

७. ज़िला मथुरा

आर्यसमाज खाथरा ने २ सत्याग्रही और १०) मासिक, आर्यसमाज कोसीकलां ने ११ सत्याग्रही और २१७), आर्यसमाज

दरबै ने ४ सत्याग्रही (और ३००) तथा १५) मासिक और आर्य-समाज सोख ने ६५) की आहुति दी ।

८. जिला आगरा

इस जिले में तीन समितियों ने सत्याग्रह का कार्य किया, जिनमें हैदराबाद सत्याग्रह समिति आगरा ने ३५ सत्याग्रही और १४७५), हैदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति आगरा छावनी ने एक सत्याग्रही और ४२०) और भाग्यनगर सत्याग्रह समिति अछनेरा ने ३०५) की सहायता प्रदान की ।

९. जिला एटा

आर्यसमाज सोरो ने ६ सत्याग्रही और २५), आर्यसमाज पिलुधा ने १५), आर्यसमाज अलीगंज ने २ सत्याग्रही और ३८१), आर्यसमाज कासगंज ने १ सत्याग्रही और १२७) और आर्यसमाज राजा का रामपुर ने २६०) की सहायता प्रदान की ।

१०. जिला मैनपुरी

आर्यसमाज जगतपुर ने ७ सत्याग्रही और ३६६), आर्यसमाज कुसमरा सिटी ने ६०), आर्यसमाज केसरी ने ४ सत्याग्रही और ७६), आर्यसमाज मकखनपुर ने ८६), आर्यसमाज शिकोहाबाद ने ८ सत्याग्रही और ११००) की भेंट चढ़ाई ।

११. जिला भांसी

भांसी में हैदराबाद सत्याग्रह युद्ध समिति का संगठन कर के आन्दोलन का संचालन किया गया । यहाँ से २० सत्याग्रही

भेजे गये । झांसी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और उत्तरीय तथा भारत के अन्य कई भागों से हैदराबाद जाने वाले सत्याग्रहियों को अनिवार्य तौर पर यहीं से होकर जाना पड़ता था अतः उनके स्वागत तथा भोजन आदि का यह समिति विशेष ध्यान रखती थी । सत्याग्रह के दिनों में दुपहर और शाम को पहुंचने वाली सभी ट्रेनों पर सत्याग्रहियों के भोजन की व्यवस्था रखी जाती थी । समिति की ओर से नगर के तीनों समाजों में 'ऋषि लंगर' खुले हुए थे । पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री, महाशय कृष्णजी, पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार, पं० विनायकराव विद्यालंकार बार-पट-त्ता आदि सर्वाधिकारियों को थैलियां भी भेंट की गईं ।

आर्यसमाज मऊ रानीपुर ने ११ सत्याग्रही और ३७५), आर्यसमाज हमीरपुर ने ५ सत्याग्रही और ८७) प्रदान किये ।

१२. जिला बांदा


आर्यसमाज बांदा ने ३० सत्याग्रही और ८८६), आर्यसमाज बवेल् ने ४ सत्याग्रही और १०६) तथा आर्यसमाज उरई (जालौन) ने २ सत्याग्रही और ३८३) की सहायता प्रदान की ।

१३. जिला फर्रुखाबाद

आर्यसमाज फर्रुखाबाद ने १ सत्याग्रही और १४६) तथा आर्यसमाज कांथमगंज ने २ सत्याग्रही और २५॥) की भेंट चढ़ाई ।

१४. जिला इटावा

आर्यसमाज इटावा ने ३ सत्याग्रही और लगभग ८००),



शहीद पुरुषोत्तमदास झांसी



शहीद अशरफ़ीलालजी

आर्यसमाज औरैया ने एक सत्याग्रही (स्वामी पूर्णानन्दजी) और ३२५), आर्यसमाज भर्थना ने श्री प्यारेलाल आजाद के नेतृत्व में ५ सत्याग्रही और १६६) तथा आर्यसमाज अजीत-महल ने एक सत्याग्रही (स्वामी गणेशानन्दजी) और ७५) की आर्थिक सहायता प्रदान की ।

१५. जिला कानपुर

आर्यसमाज कानपुर ने आर्यसत्याग्रह समिति की स्थापना करके आन्दोलन सम्बन्धी कार्य किया । ६ जून् भेजे और ६००) व्यय किये । ३०७८) की सहायता प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की मार्फत की गई । आर्यसमाज कालपी ने २ सत्याग्रही भेजे और १७६) प्रदान किये ।

१६. जिला फ़तहपुर

इस जिले की फतहपुर सिटी, विपहर, जहानाबाद, खागा, गाजीपुर, हस्वा, बहुआ, हथगाम, शाह, बहरामपुर, गौरा, असोथर, अर्जुनपुर गढ़ा, विन्दकी और अमौली आर्यसमाजों ने हृदराबाद सत्याग्रह समिति संगठित करके सारे जिले में कार्य किया । १४ सत्याग्रही भेजे गये और १५४॥) का चन्दा जमा किया ।

१७. जिला इलाहाबाद

श्री आर्यसमाज अतसुइया ने १७३) और आर्यसमाज रानीमण्डी ने ४ सत्याग्रही और २५६) प्रदान किये ।

१८. ज़िला बनारस

हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने हैदराबाद सत्याग्रह के प्रति विशेष उत्साह दिखाया। मौलवी महेशप्रसाद के साथ डाक्टर परमात्माशरण, प्रो० केदारनाथ तथा प्रो० जीवनशंकर याज्ञिक ने विशेष प्रयत्न करके ३५१ की आर्थिक सहायता भेजी। आर्यसमाज मुगलसराय ने ५ सत्याग्रही भेजे।

१९. ज़िला गोरखपुर

आर्यसमाज गोरखपुर की ओर से ७ सत्याग्रहियों के दो जूते भेजे गए और १३६ व्यय हुए। यहां जलूसों, सभाओं और विज्ञप्तियों द्वारा विशेष प्रचार किया गया।

२०. ज़िला जौनपुर

आर्यसमाज जौनपुर ने २६ सत्याग्रही और ८०२), आर्यसमाज केराकलने २ सत्याग्रही और ५५), आर्यसमाज खेतासराय ने १ सत्याग्रही और ५८), आर्यसमाज मीरगंज ने २ सत्याग्रही और ८८), आर्यसमाज शाहगंज ने २ सत्याग्रही और २००) तथा चौक आर्यसमाज जौनपुर ने १ सत्याग्रही और २३८) प्रदान किए।

२०. ज़िला बस्ती

आर्यसमाज कलवारी ने ६ सत्याग्रही और ३०) तथा आर्यसमाज बड़नी ने १ सत्याग्रही और ३८) की सहायता दी।

२१. जिला उन्नाव

आर्यसमाज पुरवा ने ४५) और आर्यसमाज पाठकपुर ने ५ सत्याग्रही तथा ६८) भेंट किये ।

२२. जिला लखनऊ

आर्य सत्याग्रह समिति का संगठन करके उसकी संरक्षकता में आन्दोलन का कार्य किया गया । २७ सत्याग्रहियों के ३ जत्थे भेजे गये, जिनका नेतृत्व पं० श्रीरामजी, श्री विष्णुस्वरूपजी तथा पं० धर्मन्द्रजी शास्त्री ने किया । ३२२०) रुपये सत्याग्रह के लिए इकट्ठे किये गये । आर्यसमाज चौक (लखनऊ) ने १३०), आर्यसमाज सिविल लाइन्स ने १७६), आर्यसमाज आर्यनगर ने २१६) और आर्यसमाज छावनी (सदर बाजार) ने दो सत्याग्रही और २७६) की सहायता प्रदान की ।

२३. जिला गोंडा

आर्यसमाज गोंडा ने फैजाबाद के एक सत्याग्रही सहित छः सत्याग्रही भेजे और १७३), आर्यसमाज उतरौला ने ५ सत्याग्रही और ६२) तथा आर्यसमाज मनकापुर ने २१ सत्याग्रही और ५) मासिक शोलापुर भेजे ।

२४. जिला बहराइच

आर्यसमाज बहराइच ने ३ सत्याग्रही और एक हजार रुपये और आर्यसमाज नानपारा ने १ सत्याग्रही और १०५) भेंट किये ।

२५. जिला सुल्तानपुर

इस जिले के मम्बारा आर्यसमाज की ओर से एक सत्याग्रही पं० विद्यादीन सत्याग्रह के लिये गये और १५२) का चन्दा जमा किया गया ।

२६. जिला बाराबंकी

इस जिले के तिन्दोला आर्यसमाज की ओर से एक सत्याग्रही और २००) की सहायता की गई ।

२७. जिला सीतापुर

इस जिले में आंदोलन के प्रति जनता में विशेष सहानुभूति देखी गयी । कमलापुर के राजासाहब श्री सूरजबख्शसिंह जी तथा बनियामऊ के तालुकेदार श्री चित्रकेतुसिंह की दिलचस्पी विशेष उल्लेखनीय है । आर्यसमाज सीतापुर की संरक्षकता में यहां से २१ सत्याग्रही भेजे गये और १७८२) व्यय किया गया ।

२८. जिला हरदोई

यहां भी जनता का सहयोग प्रशंसनीय रहा और उसका परिचय २१ सत्याग्रहियों का एक विशाल जत्था भेज कर दिया गया और १६१) व्यय किये गये । गोला गोकर्ननाथ (खीरी) ने ४ सत्याग्रही भेजे और ६३३) की आर्थिक सहायता दी ।

२९. जिला गढ़वाल

आर्यसमाज लैंसडाउन ने १५), आर्यसमाज काठारा ने

सत्याग्रहियों के ३ जत्थे और आर्यसमाज रिंगवाडी ने ५६) की सहायता दी ।

३०. जिला नैनीताल

आर्यसमाज नैनीताल ने ४ सत्याग्रही भेजे । ५३५) सहायता दी । महाशय कर्मरामजी का उल्लेख करना आवश्यक है । आप सत्याग्रह के सम्बन्ध में जेल भुगत रहे थे कि इस वीच आपकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और वह उनके अन्तिम दर्शन भी न कर सके । आर्यसमाज काशीपुर ने लाला शान्तिप्रसाद को सत्याग्रह के लिए भेजा और २२१) की सहायता दी । आर्यसमाज हलद्वानी ने २७ सत्याग्रही भेजे और ४४६) व्यय किये । आर्यसमाज भुवाली ने २ सत्याग्रही और ३३) तथा आर्यसमाज जसपुर ने ८५) की सहायता दी ।

३१. जिला अल्मोड़ा

इस जिले में जनता में जागृति उत्पन्न करने और आंदोलन के प्रति सहानुभूति आकर्षित करने का कार्य विशेष रूप से हुआ । आर्यसमाज अल्मोड़ा की ओर से ४ सत्याग्रही और ५४५) दिये गये ।

३२. जिला शाहजहाँपुर

आर्यसमाज तिलहर ने दो सत्याग्रही और ११०) की और आर्यसमाज खुदागंज ने ७५) की सहायता दी ।

३३. जिला पीलीभीत

आर्यकुमारी सभा पीलीभीत ने ८०) की आर्थिक सहायता दी । आर्यसमाज पूरनपुर ने ४६०) प्रदान किये ।

३४. जिला वरेली,

हैदराबाद आन्दोलन के संचालन के लिये वरेली नगर में सत्याग्रह समिति का संगठन किया गया और उसकी ओर से ३५० सत्याग्रहियों के १० जत्थे भेजे गये। ८०३४) के लगभग आर्थिक सहायता दी गई। आर्यसमाज भूड वरेली ने १२ सत्याग्रही और १७५०) दिये। आर्यसमाज विलसी ने ५ सत्याग्रही भेजे और १८४) व्यय किये। आर्यसमाज नगरिया पशो ने ५१) और आर्यसमाज फरीदपुर ने २३५) की सहायता दी।

३५. रियासत रामपुर

६ सत्याग्रही भेजे और ७०५) की आर्थिक सहायता दी। राज्याधिकारियों की ओर से आन्दोलन के विरुद्ध कई कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये थे।

३६. जिला वदायूं

आर्यसमाज वदायूं ने २८ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे तथा ८००) दिये। स्त्री आर्यसमाज वदायूं ने १५०), आर्यसमाज सहस्रवान ने १३६), आर्यसमाज दातागंज ने ४ सत्याग्रही और १५२), आर्यसमाज नवादा मधुकर ने २ सत्याग्रही और १५), आर्यसमाज उम्हानी ने ८ सत्याग्रही और ३३६), आर्यसमाज बिसौली ने ७ सत्याग्रही और २३६), आर्यसमाज गवां ने ६१) की सहायता दी।

३७. मुरादाबाद

आर्यसमाज गंज स्टेशन रोड ने २२ सत्याग्रही और

८८१), आर्यसमाज कुन्दरकी ने १ सत्याग्रही-और १३०), आर्य-समाज सम्भल ने १ सत्याग्रही और ३०३), आर्यसमाज मण्डी धनौरा ने २ सत्याग्रही और १६१), आर्यसमाज मुरजनपुर ने ३६॥), आर्यसमाज सराय तरीन ह्यातपुर ने एक सत्याग्रही और ३५५), आर्यसमाज वहजोई ने एक सत्याग्रही और १८४), आर्यसमाज मसेवी ने ६०), आर्यसमाज सिरसी ने ५६) और एक सत्याग्रही, आर्यसमाज ठाकुरद्वारा ने २ सत्याग्रही और ६८), आर्यसमाज कांठ ने १५ सत्याग्रहियों के दो जत्थे और ३७८), आर्यसमाज चन्दीसी ने ६ सत्याग्रही तथा स्त्री आर्यसमाज चन्दीसी ने २०१) की सहायता दी ।

३८. बिजनौर

आर्यसमाज धामपुर की ओर से १२ सत्याग्रही भेजे गए । जत्थेदार पं० ऋषिरामजी और मुकुन्दरावजी का नाम उल्लेखनीय है । ४४८) भी इस आर्यसमाज की ओर से खर्च किया गया । पं० शान्तिस्वरूपजी वेदालंकार पं० कान्तिचन्द्रजी, म० नत्थारामजी और म० मुकुन्दरावजी ने प्रचार कार्य में सहायता दी । आर्यसमाज सिवहारा ने १३४) व्यय किये और दो सत्याग्रही भेजे । आर्यसमाज ऊमरी ने ३०), आर्यसमाज जाटपुरा ने महन्त ब्रह्मानन्दजी के नेतृत्व में ७ सत्याग्रही और ६४३), आर्यसमाज नागल ने १६३॥) तथा आर्यसमाज नगीना ने ३००) सत्याग्रह के लिये भेजे । पं० ऋषिदेवजी विद्यालंकार ने प्रचार कार्य में विशेष उत्साह का परिचय दिया ।

६. अजमेर, राजपूताना, मालवा व मध्यभारत

१. हैदरावाद सत्याग्रह समिति— अजमेर मेरवाड़ा तथा राजपूताना में आर्य सत्याग्रह का प्रचार तथा उसके सम्बन्ध में सारी व्यवस्था करने के लिये 'हैदरावाद सत्याग्रह समिति' का संगठन किया गया। अजमेर की आर्य प्रतिनिधि सभा के आधीन राजपूताना के अतिरिक्त मालवा तथा मध्यभारत के आर्यसमाज भी हैं। अतः इस समिति की देखरेख में मालवा तथा मध्यभारत का भी कार्य था। इस क्षेत्र के आर्य पुरुषों और महिलाओं ने उत्साह और परिश्रम के साथ समिति को जो सहयोग दिया, वह इस सत्याग्रह के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। देवास वाले पं० मुरलीधर, शाहपुरा के श्री कस्तूरचंद, मुंभनूवाले श्री जुगलकिशोरजी, वहरोड़-अलवर के श्री गणपति शर्मा आदि जत्थेदारों के अतिरिक्त पं० भगवत्-स्वरूपजी न्यायभूषण, श्री महेन्द्रजी शास्त्री, श्री शिवचरणलालजी, श्री मूलचन्द्रजी, श्री नथमलजी, श्री बनवारीलालजी, बा० हरजीतलालजी आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। समिति की ओर से ३२६ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। चौथे जत्थे में ५० सत्याग्रही भेजे गये थे, परन्तु पुसद के मोर्चे पर पहुंचते-पहुंचते उनकी संख्या १२० तक पहुंच गयी। ३० मई को ५५ सत्याग्रहियों का जो सातवां जत्था भेजा गया था, उसमें भी मार्ग में सत्याग्रही सम्मिलित होते गये और उनकी संख्या अन्त में ६६ तक पहुंच गई। इससे पता लगता है कि हिन्दू-जनता में इस आन्दोलन के

प्रति कितना उत्साह और आकर्षण था। समिति की ओर से लगभग ७५००) इस सत्याग्रह के लिये व्यय किये गये।

इस सत्याग्रह समिति के कार्यक्षेत्र में ब्रिटिश भारत का प्रदेश बहुत ही थोड़ा था। अधिकतर प्रदेश देसी राज्यों के आधीन है। इन देसी राज्यों का सत्याग्रह के प्रति जो रुख था रखा था, उसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। फिर भी आर्य हिन्दू जनता ने जिस साहस, उत्साह, श्रद्धा और प्रेम का परिचय दिया, उससे इस प्रान्त के भी गौरव की रक्षा हो गई। अन्य प्रान्तों के समान इस प्रान्त के भी सब समाजों के कार्य का व्यौरा नहीं मिल सका। जो व्यौरा मिल सका, वह नीचे दिया जा रहा है और प्रान्त की जनता के उत्साह का परिचय देने के लिये वह पर्याप्त है। प्रान्त में अजमेर के बाद दूसरा स्थान व्याचर का है। यहां से ७००) और ११ सत्याग्रही भेजे गये।

जयपुर सिटी आर्यसमाज ने १० सत्याग्रही भेजे और १०) मासिक सहायता प्रदान की। आर्यसमाज बारां कोटा ने ४ सत्याग्रही भेजे और ५३०) की आर्थिक सहायता दी। आर्यसमाज उदयपुर ने १३५) प्रदान किये।

जोधपुर शहर आर्यसमाज ने ३७ सत्याग्रही और २२००) की आहुति भेंट की। कुल्लू मुसलमानों ने सत्याग्रह का विशेष विरोध किया। महाशय जयनारायणजी उनकी धर्मान्धता के शिकार हुए। सरकार की ओर से भी प्रतिबन्ध लगाया गया। आर्यसमाज नागौर ने कई सत्याग्रहियों और ३३५) की सहायता प्रदान की।

भरतपुर आर्यसमाज ने २८ सत्याग्रही भेजे और ३६४) प्रदान किये। सरकारी प्रतिबन्ध के कारण अधिक कार्य न हो सका। भूपाल में भी सरकार का रुख बहुत कठोर था। श्री महीपाल सरकारी प्रतिबन्ध की अवज्ञा करके सत्याग्रह करने गये। १६०) चंदा किया गया। दर्जनों जत्थों का स्टेशन पर स्वागत-सत्कार किया गया।

इन्दौर से आर्यसमाज महीदपुर और नारायणगढ़ की ही रिपोर्टें मिली हैं। दोनों समाजों ने क्रमशः ७६) और १०१) की आर्थिक सहायता प्रदान की। नारायणगढ़ से ७ सत्याग्रही भी भेजे गये।

ग्वालियर राज्य में भी सरकारी प्रतिबन्ध रहा। फिर भी धर्म-प्रेमी जनता अपने कर्तव्य-पालन में पीछे न रही। ग्वालियर शहर से ४२ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। जत्थेदार पं० महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री, बाबु जानकीप्रसादजी, प्रधान श्री गिरिजासहायजी, मन्त्री श्री शंकरलालजी, श्री रामचन्द्रजी चौधरी और श्री महावीरप्रसादजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मुसलमान सज्जन श्री इनायत अलीखां भी यहां से सत्याग्रह में शामिल हुए। जयाजीराव काटन मिल्स के धर्म-प्रेमी मजदूरों और कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद युद्ध समिति का संगठन करके उसके लिये कार्य किया। आर्यसमाज अम्बाठ ने २२५) और बड़नगर ने ३२५) की आर्थिक सहायता प्रदान की। यहां लश्कर को सुप्रसिद्ध आर्य व्यापारी 'पाल ब्रदर्स' के मालिक लाला गुज्जरमलजी जौहरी का उल्लेख करना आवश्यक है। आप फिरोजपुर

के निवासी हैं। अमृतसर के गोंदवाल गांव में आपका जन्म हुआ। आप फिरोजपुर के लाला महन्तरामजी की 'खुशहाल-ची (सेना)' के सिपाही बन कर हैदराबाद के लिए २ अप्रैल को विदा हुए थे। २२ अप्रैल को राजगुरु धुरेन्द्रजी के साथ आपने गुलबर्गा में सत्याग्रह किया। लश्कर एवं स्वालियर में सत्याग्रहियों का जो स्वागत-सत्कार होता था, वह आपके उत्साह का ही परिणाम था।

च. मध्यप्रान्त

सत्याग्रह के लिये बचाए गए मोर्चों की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद मद्रास और मध्यप्रान्त का स्थान है। मध्यप्रान्त मद्रास से भी इस लिए बाजी ले गया कि हैदराबाद जाने वाला रेल का मार्ग इसी प्रान्त से होकर जाता है और इस प्रान्त की सीमा बहुत दूर तक हैदराबाद राज्य के साथ मिली हुई है। इसी लिए इस प्रान्त पर उत्तरदायित्व भी कुछ कम न था। यहाँ की आर्य हिंदू जनता ने उसको बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ पूरा किया। सुद-केन्द्र के कारण चांदा जिला सत्याग्रह का केन्द्र बना रहा। चांदा जिले के बल्हारशाह स्थान में भी विशेष उत्साह था। यहीं से निजाम राज्य की सीमा शुरू होती है। इस लिए निजाम राज्य के अनेक सत्याग्रहियों ने भी यहाँ से सत्याग्रह किया। १०७ सत्याग्रहियों के दो जत्थे यहाँ से भेजे गये।

अमरावती आर्यसमाज की संरक्षकता में आर्य सत्याग्रह समिति का संगठन किया गया। बाहर प्रान्तों से आने वाले

सत्याग्रहियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक शिविर भी खोला गया । १३०० के लगभग सत्याग्रहियों ने इस शिविर में भोजन व मिश्राम आदि किया । ७५ सत्याग्रहियों के ७ जत्थों और १६००) की आर्थिक सहायता की भेंट भी चढ़ाई गई ।

जवलपुर आर्यसमाज ने १८ सत्याग्रहियों के ५ जत्थे भेजे । हिन्दू सभा की ओर से ६७ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह में भाग लिया । सागर आर्यसमाज ने १० सत्याग्रही और ६०८), आर्यसमाज कामटी ने एक जत्था और ११७), आर्यसमाज विलासपुर ने ६ सत्याग्रही और १३२६), आर्यसमाज चिचोली (वेतूल) ने ४४), आर्यसमाज होशंगावाड़ ने ३ सत्याग्रही और आर्यसमाज बुरहानपुर ने १२ सत्याग्रही भेंट किये । इटारसी और खण्डवा को आर्य सत्याग्रहियों के सम्मान का विशेष गौरव एवं अवसर प्राप्त हुआ । खण्डवा आर्यसमाज ने १६६ सत्याग्रहियों के २४ जत्थे और ४३२५) भेंट दिए । इटारसी पर सत्याग्रहियों के भोजन का विशेष भार रहा, जिसे वहां की हिन्दू जनता ने घर-घर पर वांट लिया । २५-२५ और किसी ने १०० सत्याग्रहियों के भोजन का भार अपने ऊपर ले लिया । १५८) की आर्थिक सहायता भी दी गई ।

छ. विहार-प्रान्त

विहार-प्रान्त की आर्य हिन्दू जनता ने भी सत्याग्रह के प्रति काफी दिलचस्पी दिखाई और प्रान्त के प्रायः सभी आर्य-समाजों ने अपनी स्थिति के अनुरूप और किसी ने उससे भी

अधिक सहयोग और सहायता दी। इस प्रान्त के प्रसिद्ध आर्य-विद्वान् पं० वेदव्रतजी वानप्रस्थी सर्वाधिकारी नियुक्त हुए।

आर्यसमाज पटनाने ५ सत्याग्रही और ८५०), आर्यसमाज चाढ़ ने ६ सत्याग्रही और १५७), आर्यसमाज नगर बोटसा ने ९ सत्याग्रही और १३६), आर्यसमाज आग ने २२ सत्याग्रहियों के ४ जत्थे, आर्यसमाज वारसली गंज (गया) ने २ सत्याग्रही और १०१) और आर्यसमाज नरकटिया गंज (चम्पारन) ने १० सत्याग्रही और २८४) की आर्थिक सहायता दी। सत्याग्रही श्री. वैजनाथप्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। आप जेल से रुग्ण अवस्था में रिहा किये गये और वहां से आने के बाद बेतिया अस्पताल में आपका देहान्त हो गया। अन्य आर्यसमाजों के कार्य का व्यौरा प्रप्त नहीं हुआ।

ज. बङ्गाल तथा आसाम प्रान्त

बङ्गाल तथा आसाम प्रांत में सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रचार तथा अन्य कार्य करने के लिये आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल-आसाम के आधीन हैदराबाद आर्य सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई। इस समिति की संरक्षकता में सारे प्रांत में प्रचार तथा लोकमत जागृत किया गया। मिदनापुर में प्रांतीय आर्य सम्मेलन तथा कई अन्य स्थानों पर विराट संभाएं करने का आयोजन किया गया। हिन्दी, अंग्रेजी तथा बंगला पत्रों का सहयोग प्राप्त करके काफी जागृति उत्पन्न की गई। समिति ने २५० सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे और कुछ साहित्य भी प्रकाशित किया।

आर्यसमाज जलपाईगुडी ने ४ सत्याग्रही और ४१८), कुर्सियांग—दार्जिलिंग तथा सिलीगुडी आर्यसमाज ने १६१); आर्यसमाज शिवपुर ने २ सत्याग्रही और २५), आर्यसमाज खडगपुर ने ११ सत्याग्रही और ७६२) के अतिरिक्त ५०) मासिक, आर्यसमाज बिलियाघट्टा ने ११६) के अतिरिक्त १०) मासिक, आर्यसमाज ब्रिरलापुर (चीन्नीस परगना) ने २ सत्याग्रही और ११७), आर्यसमाज कुलटी (वर्दवान) ने ७ सत्याग्रही, आर्यसमाज रेलपार (आसनसोल) ने १ सत्याग्रही और ३७०) की आर्थिक सहायता प्रदान की।

इन समाजों के अतिरिक्त बंगाल-आसाम प्रांत के प्रायः सभी समाजों ने सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भाग लिया। लेकिन, उसका व्यौरा नहीं मिल सका।

म. सिन्ध

सिन्ध प्रांत में आर्यों की संख्या बहुत कम है। परन्तु उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन के प्रति जो उत्साह और प्रेम दिखाया, वह प्रशंसनीय है। कराची की समस्त आर्य संस्थाओं की एक सम्मिलित 'कराची आर्य-सत्याग्रह-समिति' संगठित की गई, जिसमें किमाडी-आर्यसमाज ने विशेष भाग लिया। यहां से ६६ सत्याग्रहियों के ६ जत्थे भेजे गये। आंदोलन के निमित्त ४००) व्यय किये गये, जिनमें से ५०) मासिक किमाडी आर्यसमाज ने दिये। धर्मान्ध मुसलमानों की ओर से पांचवें जत्थे पर आक्रमण किया गया और उसके जत्थेदार पं० स्वरूपदयाल जी घायल हुए। आर्य

सत्याग्रह समिति मुखिकी सिटी ने ५७ सत्याग्रहियों के ८ जत्थे और २२४०) के लगभग आर्थिक सहायता प्रदान की ।

ट. दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में आर्यसमाज का संगठन इतना व्यापक और दृढ़ न होने पर भी उसका प्रचार काफी रहा है । अमरशहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज ने दक्षिण में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की संरक्षकता में जिस सुव्यवस्थित प्रचार की नींव डाली थी, वह आज तक जारी है । इस लिए दक्षिण में इस सत्याग्रह का प्रधान क्षेत्र होने से दक्षिण भारत की आर्य-जनता पीछे नहीं रह सकती थी । मैसूर राज्य तथा कर्नाटक में पं० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति, आन्ध्र में पं० मदनमोहनजी विद्याधर वेशलंकार, मलवार में श्री कर्मचन्द्रजी भल्ला और तामिल नाड में दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर के श्री सोम-दत्तजी ने प्रचार की धूम मचा दी । जहां तहां स्थानीय आर्य-भाइयों ने भी प्रचार में पूरा सहयोग दिया । कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा मैसूर की ओर से हैदराबाद सत्याग्रह सहायक समिति बनाई गई । इसके प्रधान पं० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति थे । प्रचार के अलावा धन-संग्रह का कार्य भी खूब उत्साह के साथ किया गया । पं० धर्मदेवजी ने सारे प्रान्त का दौरा किया । सहायक समिति ने अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में पुस्तिकाएं एवं साहित्य भी प्रकाशित किया । सत्याग्रह के लिये लगभग २०००) रुपया इकट्ठा करके शोलापुर भेजा गया और सौ सत्या-

ग्रही भी तय्यार किये गये। वैजवाड़ा में कायम किये गये सत्याग्रह शिविर के संचालन में दक्षिण की आर्य-जनता ने पूरा सहयोग दिया। मद्रास आर्यसमाज की ओर से दो स्पेशल ट्रेनें सत्याग्रहियों की भेजी गईं। कार्कल आर्यसमाज के उत्साही मन्त्री श्री केशव रामचन्द्र शैले, सेठ ईश्वरीप्रसादजी, श्री रघुनन्दन-प्रसादजी के नाम उल्लेखनीय हैं। कट्टर से कट्टर सनातनी भाइयों ने भी पूरा सहयोग दिया। बंगलौर के वृद्ध आर्य संन्यासी स्वामी सत्यानन्दजी महाराज ने तो इस धर्म-युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर अमरपद प्राप्त किया।

ठ. शिक्षण संस्थायें

शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज ने चमत्कार कर दिखाया है। जहां कहीं भी आर्यसमाज का जोर है, वहां उसकी ओर से कोई न कोई शिक्षण संस्था अवश्य कायम है। गुरुकुलों के अलावा उसके उपदेशक विद्यालयों तथा साधारण स्कूलों का प्रायः जाल ही बिछा हुआ है। यह सम्भव न था कि आर्यसमाज के लिए परीक्षा का अवसर उपस्थित होने पर उसकी शिक्षण-संस्थायें पीछे रहतीं। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार बलिदान करने में कोई भी संस्था पीछे न रही। उनमें से जिनका विवरण प्राप्त हुआ है, उसे यहां दिया जा रहा है—

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी—आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज (महात्मा

मुंशीरामजी) द्वारा संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी का विशेष महत्व एवं स्थान है। जत्र भी कभी देश, धर्म एवं जाति पर कोई संकट आया, इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने सदा ही त्याग, तपस्या एवं बलिदान का परिचय दिया। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए इस गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा की गई सहायता उन दिनों की एक ही घटना थी। इस सत्याग्रह में प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायण स्वामीजी के साथ सत्याग्रह करने का गौरव इसी संस्था को प्राप्त हुआ था। उसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। इसके अलावा ब्रह्मचारियों ने अपने भोजन एवं वस्त्र आदि के खर्च को कम करके लगभग ६००) जमा किया, जो सत्याग्रह के लिये थैलियों आदि के रूप में भेंट किया गया। अनेक जत्थों एवं सत्याग्रहियों का गुरुकुलमें हार्दिक स्वागत भी किया गया। हैदराबाद दिवस बराबर मनाये गये। गुरुकुल की अन्य सब शाखाओं के ब्रह्मचारियों ने भी इसी प्रकार अपने धर्मप्रेम का परिचय दिया। जगद् जगद् फैले हुए उसके स्नातकों ने भी यथाशक्ति और यथासम्भव इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। निजाम राज्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान वैरिस्टर विनायकराव जी विद्यालंकार ने न सिर्फ आठवें सर्वाधिकारी के रूप में, बल्कि सत्याग्रह के शुरू से अन्त तक उसके संचालक के रूप में ही काम किया। पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार के कार्य का उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। पालीरत्न पण्डित चन्द्रमणिजी विद्यालंकार ने अपने कामकाज को तिलाञ्जलि देकर देहरादून से जत्थे के साथ प्रस्थान किया और ठीक हैदराबाद शहर में पहुँच कर अपने

सत्याग्रह किया। पं० जगत्प्रियजी विद्यालंकार हरियाना से और पं० सत्यानन्दजी विद्यालंकार अमृतसर से जत्थे लेकर गये। आपने पूसद केन्द्र से सत्याग्रह किया। पं० केशवदेवजी वेदालंकार भट्टिण्डा से एक दलको लेकर गए। औरंगाबाद से आप जो वीमारी लेकर लौटे, उसने अबतक भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। श्री जगन्नाथजी पथिक के अमृतसर के जत्थे की भी खूब धूम रही। गुरुकुल के अर्थशास्त्र के उपाध्याय पं० केशवदेवजी विद्यालंकार और श्री अनन्तानन्दजी आयुर्वेदालंकार पं० बुद्धदेवजी के जत्थे के साथ त्रिलकुल साधारण स्वयंसेवकों की तरह इतने नुपचाप गये कि सत्याग्रह करने के बाद ही आप दोनों का आप के साथियों को ठीक ठीक परिचय मिल सका। पं० धर्मवीर जी वेदालंकार ने चांदा एवं पूसद केन्द्र में और श्री मदनमोहन विद्याधर वेदालंकार ने वेजवाड़ा शिविर में अध्यक्ष के रूप में सराहनीय कार्य किया। दक्षिण में पं० धर्मदेवजी विद्यावाचस्पति और श्री मदनमोहनजी वेदालंकार ने प्रचार की धूम मचा दी। पं० सत्यपालजी सिद्धान्तलंकार ने दक्षिण अफ्रीका में कर्तव्यपालन का सराहनीय परिचय दिया। 'वीर अर्जुन' दिल्ली, 'हिन्दुस्तान' नई दिल्ली और 'नवराष्ट्र' बम्बई के सम्पादकों के नाते स्नातकों ने प्रकाशन कार्य में जो सहयोग दिया, उसकी सब ओर मुक्त कण्ठ से सराहना की गई। पं० विद्यानिधि जी सिद्धान्तालङ्कार ने आगरा के 'सैनिक' की सेवा छोड़कर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रकाशन का कार्य संभाला और इस इतिहास की अधिकतर सामग्री जुटानेका श्रेय भी आपको ही

है। पं० जगन्नाथजी वेदालंकार ने भी अपनी सेवार्ये सभा को समर्पित कीं। पं० धर्मपालजी विद्यालंकार और पं० निरंजनजी आयुर्वेदालंकार ने वदायूं में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य रहते हुए पं० सोमदत्तजी विद्यालंकार ने करनाल में, पं० प्रियव्रतजी और पं० यशपालजी ने पंजाब विशेषकर लाहौर में, गुरुकुल मटिहड्ड के मुख्याधिष्ठाता के रूप में पं० निरंजनदेवजी विद्यालंकार ने हरियाना में, पं० रामचन्द्रजी सिद्धान्तालंकार ने बम्बई में, पं० अर्जुनदेवजी विद्यालंकार ने अम्बाला छावनी में, पंडित हरिश्चन्द्रजी विद्यालंकार, पं० कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार, पं० मनोहरजी विद्यालंकार और पं० सुधन्वाजी विद्यालंकार ने दिल्ली में सराहनीय कार्य किया। जो स्नातक जहां भी था, वहां उसने अपने कर्त्तव्य का पालन कर कुलमाता को गौरवान्वित कर आर्यसमाज के प्रति अपने ऋण को अदा करने का यत्न किया। सबके नामों का यहां उल्लेख करना संभव नहीं है। सत्याग्रही पं० चितीशजी वेदालंकार ने 'गुरुकुल की आहुति' नाम से एक सुन्दर पुस्तिका इस सम्बन्धमें प्रकाशित की है। निजाम राज्य के जेलों के नारकीय जीवन का उसमें जो रोमाञ्चकारी वर्णन किया गया है, वह हृदय दहला देने वाला है।

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर—निश्शुल्क शिक्षा

के प्राचीन आदर्श की रक्षा करते हुए इस संस्था की स्थापना की गई है। इस लिये इसके सामने आर्थिक संकट सदा ही बना रहता है। उसकी कुछ भी परवा न कर संस्था के धर्मप्रेमी

संचालकों ने एक प्रकार से सत्याग्रह के लिए सारी ही संस्था की वाजी लगा दी थी। १८ वर्ष से कम आयु के ब्रह्मचारियों को निराश रह जाना पड़ा, क्योंकि उनको सत्याग्रह में जाने की आज्ञा नहीं मिल सकी। ४१ सत्याग्रहियों के तीन जत्थे यहां से गये और गुरुकुल के ३१ स्नातक अथवा भूतपूर्व ब्रह्मचारी भिन्न भिन्न स्थानों से गए। १७ सत्याग्रहियों का पहिला जत्था १६ फरवरी को स्वामी विवेकानन्दजी के नेतृत्व में, दूसरा ११ का १६ मार्च को और १३ का तीसरा १५ जून को आचार्य स्वामी आनन्दतीर्थजी के नेतृत्व में विदा हुआ। पहिले जत्थे ने दूसरे सर्वाधिकारी श्री चांदकरणजी शारदा, दूसरे ने तीसरे सर्वाधिकारी श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसन्द और तीसरे ने सातवें सर्वाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्रजी के साथ सत्याग्रह किया। महाविद्यालय के मुखपत्र 'भारतोदय' के विशेषांक के रूप में इन जत्थों की राम कहानी और सत्याग्रह का संक्षिप्त इतिहास प्रकाशित किया जा चुका है, जो एक उपयोगी संग्रह है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दावन—की ओर से २१ ब्रह्मचारियों के ४ जत्थे गये और ब्रह्मचारियों ने भोजन आदि में बचत करके ६००) जमा किये। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के ब्रह्मचारियों ने इसी प्रकार ५६६) जमा किये। गुरुकुल मटिण्डू और गुरुकुल भैंसवाल ने भी विशेष उत्साह का परिचय दिया। गुरुकुल मटिण्डू की ओर से सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई थी और हरियाना केसरी दल का संगठन किया गया था।

भैंसवाल से २६ सत्याग्रहियों का पहला जत्था आचार्य परिषद हरिश्चन्द्रजी शास्त्री सिद्धान्तशिरोमणि और ६८ का दूसरा जत्था आचार्य स्वामी ब्रह्मानन्दजी के नेतृत्व में भेजा गया। गुरुकुल सिकन्दराबाद के आचार्य पं० देवेन्द्रनाथजी शास्त्री ३५० सत्याग्रहियों के साथ स्पेशल ट्रेन से विदा हुए थे। स्नातक श्री दयानन्द जी भी १० सत्याग्रहियों का जत्था लेकर गये थे। आर्य महाविद्यालय किरठल ने २७ ब्रह्मचारियों के २ जत्थे भेजे। दिल्ली के श्रीमद्दयानन्द वेद विद्यालय की ओर से ६३ सत्याग्रहियों के ३ जत्थे भेजे गए, जिनमें संस्था के विद्यार्थी भी शामिल थे। २५० का चन्द्रा भी जमा किया गया। अजमेर के श्री विरजानन्द विद्यालय की ओर से ५ विद्यार्थियों का एक जत्था गया। चित्तौड़गढ़ गुरुकुल से ३ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह में भाग लिया। लाहौर के ब्राह्म महाविद्यालय से ११, उपदेशक विद्यालय से ११ और आयुर्वेद कालेज से १६ विद्यार्थी सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। गुरुकुल अयोध्या से विद्याभास्कर पं० वाचस्पतिजी शास्त्री के नेतृत्व में १० ब्रह्मचारी सत्याग्रह के लिये गये। शास्त्रीजी इतने रोगी होकर लौटे कि आपके बचने की आशा नहीं रही थी। दूसरा जत्था आर्यसमाज मार्यंग मम्फारार के प्रधान श्री विन्ध्यादीनजी के नेतृत्व में गया। दर्जनों संस्थाओं का विवरण प्राप्त न होने से नहीं दिया जा सका।

६. सत्याग्रह की समाप्ति

क. असफल सन्धि-चर्चा

केवल डेढ़ मास के थोड़े से समय में ३५०० सत्याग्रहियों के जेल चले जाने और पर्वत के शिखर से बहने वाली नदी की धारा के समान सत्याग्रहियों का प्रवाह जारी होने से 'सर्वशक्ति-सम्पन्न' मानी जाने वाली निजाम रियासत हिल-सी गई। उसे आर्यसमाज की शक्ति का आभास इतने से ही मिला गया। सरकारी अधिकारियों की मार्फत सन्धि के पैगाम फरवरी के अन्तिम सप्ताह से ही भेजे जाने शुरू हो गए। गुलबर्गा के डिविजनल कमिश्नर और कलैक्टर की मार्फत वहां की जेल में महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज के साथ चर्चा चलाई गई। २७ मार्च को पुलिस व जेलों के डाइरेक्टर जनरल मि० एस० टी० हालिन्स, गुलबर्गा डिविजन के कमिश्नर यार जंगबहादुर, कलैक्टर मि० रिजवी तथा जेल के सुपरिण्टेण्डेंट महात्मा



अहमदनगर से आठवें सर्वाधिकारी श्री विनायकरावकी विद्यालङ्कार के साथ सत्याग्रह करने के लिये तैयार जट्ये का भव्य दृश्य । इसी चित्र से ग्रन्थ जर्णों का भी अतुमान लगाया जा सकता है ।

नारायण स्वामीजी, श्री चांदकरणजी शारदा, श्री खुशहालचन्द्रजी खुरसंद तथा स्वामी विवेकानन्दजी से जेल में मिले। उन्होंने कुछ निश्चित प्रस्ताव आर्यनेताओं के सम्मुख सन्धि-वर्षा के लिये पेश किये। उनमें कहा गया था कि "ओश्म का झण्डा फहराने, हवन-कुण्ड एवं यज्ञशाला बनाने में राज्य को कुछ भी आपत्ति न होगी और न उसके लिए आज्ञा लेनी ही आवश्यक होगी। जितने भी इस समय आर्यसमाज मन्दिर हैं और जो बिना आज्ञा लिए भी बनाए गए हैं, वे सब बिना आपत्ति के स्वीकार कर लिए जायेंगे। नये मन्दिरों के लिए स्वीकृति मिलने में पन्द्रह दिन से अधिक का समय नहीं लगा करेगा। धर्म-प्रचार के लिए भी दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पूरी आजादी रहेगी।"

सत्याग्रह के प्रारम्भ करने और उसको प्रभावशाली, बल-शाली एवं सफल बनाने का अधिकार सर्वाधिकारियों को अवश्य दिया गया था। लेकिन, उसको समाप्त करने का अधिकार तो केवल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के ही हाथों में रखा गया था। इस लिये इन प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से कुछ कार्यवाही करने का अधिकार उसी को था। जब श्री हालिन्स के सामने यह परिस्थिति पेश की गई, तब उन्होंने विचार-विनिमय के लिए हैदराबाद में सभा के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की सम्मिलित सभा करने और उसके लिए गुलबर्गा से तीनों सर्वाधिकारियों को वहां बुलाने का भार अपने ऊपर लिया।

सत्याग्रह समिति के प्रधान स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महं-

राज की मार्फत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के पास यह पैगाम पहुंचाया गया। विचार-विनिमय होकर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरङ्ग-सभा की बैठक ६ अप्रैल को शोलापुर में बुलाई गई। ४ अप्रैल को गुलबर्गा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट का एक पत्र भी आर्य सत्याग्रह समिति के प्रधान को मिला, जिसमें सूचित किया गया था कि सभा के प्रतिनिधि हैदराबाद न जाकर गुलबर्गा जेल में ही अपने नेताओं से मिल लें। फिर, ८ अप्रैल को रियासत के अधिकारियों से हैदराबाद में मिलें। तार द्वारा इस पत्र का जवाब मांगा गया था।

इधर यह सन्धि-वार्ता चल रही थी और दूसरी ओर कुछ और ही नाटक रचा जा रहा था। ४ अप्रैल को समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि “निजाम सरकार की ओर से सन्धि-चर्चा चलने या चलाने का समाचार सर्वथा निराधार है।” यह समाचार सचमुच ही विश्वमयजनक था। माननीय श्री अणु को भी इस सन्धि-चर्चा के लिए शोलापुर पधारने का निमन्त्रण दिया गया था। वे इस समाचार को पढ़ कर स्तब्ध रह गए और उन्होंने शोलापुर जाने का विचार एकदम ही त्याग दिया। एक वक्तव्य में उन्होंने ऐसी अवस्था में शोलापुर जाना व्यर्थ बताते हुए इस सन्धि-चर्चा के भंग हो जाने पर खेद प्रगट किया। इसी वक्तव्य में आपने कहा था कि —

“ ३ अप्रैल तक प्राप्त होने वाली विश्वसनीय सूचनाओं से यह विदित होता था कि निजाम सरकार के कतिपय उच्च अधिकारी इस प्रशासनीय उद्योग में पूरी तरह लगे हुये थे कि

हैदराबाद जेलों में सजा काटते हुये कुछ सत्याग्रही कैदियों से आर्यसमाज की मांगों का ज्ञान प्राप्त किया जाय और वे यह भी समझते थे कि सरकार ऐसे अबसर को पसन्द करेगी, जिसमें कि आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रमुख सदस्यों और हिन्दू सिविल लिबरटीज यूनियन की युद्ध समिति तथा सरकारी अधिकारियों के बीच में सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य किसी समझौते तक पहुँचने के उद्देश्य से खुली और स्पष्ट बातचीत की जा सके। ऐसे समझौते का परिणाम यह होता कि रियासत की जेलों में बन्द समस्त सत्याग्रही कैदियों के मुक्त हो जाने से उन सुधारों पर, जिनकी कि शीघ्र ही घोषणा करने की प्रतिज्ञा सर अकबर हैदरी कर रहे हैं, शान्त विचार करने का अत्यन्त अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता। लेकिन, सन्धि-चर्चा चलाने के समाचार को निराधार घताने से सर्वसाधारण पर उसका बहुत ही विपरीत, प्रतिकूल एवं हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार को ऐसा समाचार प्रकाशित करने की मन्त्रणा दी गई, जिससे उसमें और हिन्दू प्रजा में सम्मानपूर्ण समझौते की आशा यदि असंभव नहीं, तो अत्यन्त कठिन जरूर बना दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि अब भी अधिकारी जल्दी ही अपनी भूल को अनुभव कर उसे सुधारने का यत्न करेंगे। इस समाचार का अर्थ तो यह हुआ कि रियासत को उचित और न्याययुक्त बात की अपेक्षा अपनी मान-प्रतिष्ठा का ही अधिक ध्यान है। मैं आशा करता हूँ कि हैदराबाद सरकार की इस अविचेकपूर्ण हरकत से महाराष्ट्र और

पंजाब में सत्याग्रह आन्दोलन और भी तीव्र होगा । मेरे सरीखा शान्तिप्रिय व्यक्ति इसके लिये दुःख ब्रगट करने के सिवा और क्या कर सकता है ।”

अणोजी ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पास भी एक तार शोलापुर भेजा था, जिसमें इस समाचार के बाद समझौते की चर्चा न चला कर सत्याग्रह को पूरे वेग के साथ चलाने का सभा से अनुरोध किया गया था ।

निजाम सरकार का इस प्रकार मन पलटने का कारण यह बताया जाता था कि वहाँ की स्टेट कौंसिल में दो पार्टियाँ थीं । एक पार्टी सुलह या समझौता करके इस सत्याग्रह को समाप्त करने के पक्ष में थी और दूसरी उसके विरुद्ध थी । विरुद्ध पार्टी की ओर से ही समाचार पत्रों में वह समाचार भेजा गया था । संधि-चर्चा के खटाई में पड़ जाने के बाद भी ६ अप्रैल को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की बैठक शोलापुर में की गई । वीर सावरकरजी भी इस में सम्मिलित हुये । निजाम सरकार का मन टठोलने के लिये स्वामी स्वतंत्रानन्द जी महाराज ने आर्य सत्याग्रह समिति की ओर से निम्न आशय का तार गुलबर्गा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को दिया कि “आपके २६६७ संख्या के पत्र के लिये धन्यवाद । प्रतिनिधिगण प्रातः मेल से मुलाकात के लिये गुलबर्गा पहुंच रहे हैं !” उत्तर मिला कि “केवल दो प्रतिनिधियों प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त और मन्त्री प्रो० सुधाकरजी को ही मिलने की स्वीकृति दी जा सकती

है।" आप दोनों के साथ लाला देशबन्धुजी गुप्ता भी गये और ७ अप्रैल को आप लोग गुलबर्गा में श्री हालिन्स से भी मिले। वहाँ यह स्पष्ट हो गया कि निजाम सरकार का हृदय सन्धिचर्चा से पूरी तरह पलट गया है।

इससे सत्याग्रह को दुगना बल मिला। सरकार सम्भवतः यह जानना चाहती थी कि आर्यसमाज कितने पानी में है; लेकिन, आर्यसमाज को यह पता चल गया कि सरकार के पैर दो-तीन महीनों में ही उखड़ गये हैं। इसीलिए चौथे सर्वाधिकारी राजगुरु श्रीधुरेन्द्रजी शास्त्री की ओर से आर्य जनता के नाम यह उद्बोधक अपील प्रकाशित की गई थी कि "कुछ लोगों में न मालूम यह कैसे फैल गया है कि आर्य सत्याग्रह स्थगित हो रहा है। यह धारणा विलकुल मिथ्या है। जनता को भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि सत्याग्रह तभी स्थगित होगा, जब कि निजाम सरकार आर्यसमाज की समस्त मांगों स्वीकार कर लेगी।..... प्रत्येक आर्यसमाजी का कर्तव्य है कि वह सब प्रकार का सन्देह त्याग कर मैदान में कूद पड़े। आजकल हमारे सत्याग्रह के सम्बन्ध में विरोधियों की ओर से निराधार प्रचार किया जा रहा है। उससे सावधान रहना चाहिये।"

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरङ्ग सभा ने भी ८ अप्रैल को सत्याग्रहियों के त्याग और साहस की प्रशंसा करते हुये सत्याग्रह को और भी अधिक तेजीके साथ चलाने का निश्चय किया। उस में स्वीकृत प्रस्तावों में कहा गया था कि

“ अन्तरंग सभा का यह अधिवेशन महात्मा नारायणस्वामी जी के प्रति, उनके उस नेतृत्व के लिये, जिसके उत्तर में हिन्दुओं विशेषतः आर्यसमाजियों ने सत्याग्रह आन्दोलन के लिये इतना उत्साह प्रदर्शित किया है, सम्मान प्रकट करता है। यह कुंवर चांदकरण शारदा, लाला खुशहालचन्द्र खुरसन्द तथा हैदराबाद निवासी तथा बाहर के समस्त वीर सत्याग्रहियों को बधाई देता है, जिन्होंने अपने इस आन्दोलन में त्याग, अहिंसा और कष्टसहन की भावना को इतने उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित किया है।

“ सार्वदेशिक सभा की अंतरङ्ग सभा आर्यसमाजों, आर्य जनता तथा अन्य सभी सहायकों के उस सहयोग की सराहना करता है, जो उन्होंने आर्यसमाज के इस पवित्र युद्ध में दिया है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।

“ साथ ही अंतरङ्ग सभा आन्दोलन के संयोजकों की सतर्कता और सत्याग्रहियों की स्तुत्य नियन्त्रण की भावना के प्रति भी संतोष प्रगट करती है, जो उन्होंने हर तरह की उत्तेजना के रहते हुए भी आन्दोलन को पूर्ण अहिंसात्मक बनाये रखने में प्रगट की है।”

ख. सुधारों की घोषणा

सत्याग्रह की इस बला से छुटकारा पाने के लिए निजाम-सरकार कोई न कोई मार्ग खोजने में लगी हुई थी। उसके लिए सुधार-योजना की घोषणा करने का मार्ग खोज निकाला गया। यह सोचा गया कि इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से आन्दोलन

अथवा सत्याग्रह करने वालों को भी कुछ न कुछ सन्तोष अवश्य हो ही जायगा। जून मास से सुधारों की घोषणा का समाचार सुना जाने लगा। अप्रगट रूप से भी कुछ लोग आर्यसमाज और निजाम सरकार के बीच समझौता कराने का यत्न करते रहे। अन्त में १७ जुलाई को एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया और दो दिन बाद १६ जुलाई को सुधारों की भी घोषणा कर दी गई। इस वक्तव्य और इस घोषणा का बाहरी रूप बहुत सुन्दर और आकर्षक था। उनमें जिस शब्दाडम्बर से काम लिया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि आर्यसमाज और स्टेट-कांग्रेस दोनों की ही शिकायतें दूर कर उनकी मागें भी पूरी कर दी गई हों। लेकिन, घोषणा इतनी अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी कि छानबीन करने पर पता चला कि उस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। उनका स्पष्टीकरण कराना आवश्यक समझा गया। घोषणा के कुछ अंशों को यहां देना आवश्यक प्रतीत होता है। इनसे उसके स्वरूप को आसानी से समझा जा सकता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता के लिये ब्रिटिश भारत को आदर्श मानते हुए कहा गया था कि निजाम सरकार की नीति भी उससे भिन्न नहीं है। घोषणा के शब्द ये थे कि—“शांति और व्यवस्था के लिए सर्वोत्तम साधन के रूप में ब्रिटिश भारत में यह नीति प्रचलित है कि बिना किसी भेदभाव के सब को पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता और उसके उपभोग का भी अधिकार होना चाहिए। निजाम सरकार की नीति भी किसी भी रूप में इससे भिन्न

नहीं है। इस नीति के पालन करने या कराने के लिये जो नियम बनाये गये हैं, उनका लक्ष्य धार्मिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धान्तों पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं; बल्कि प्रजा की शान्ति को सुरक्षित बनाए रखना है। ऐसी एक भी शिकायत पेश नहीं की जा सकती, जिसमें किसी तरह के भेदभाव के कारण किसी स्कूल को खोलने की आज्ञा न दी गई हो अथवा बिना आज्ञा लिये खोले गये स्कूल के लिये कोई मुकद्दमा चलाया गया हो। इस विधान में कतिपय सलाहकार कमेटियों के लिये मसविदा तय्यार किये जाने का उल्लेख है, जो सरकार के कतिपय विभागों से सम्बन्ध रखेंगी।”

नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में इस घोषणा में कहा गया था कि “सरकार द्वारा नियुक्त की गई सुधार कमेटी ने उचित सीमा तक नागरिक स्वतन्त्रता देने की भी सिफारिश की है। लेकिन, विरोधी भावनाओं में समभाव और जनता के जीवन को प्रगतिशील बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि भाषण, लेखन एवं संगठन की स्वतन्त्रता पर कुछ तो नियन्त्रण जरूर रखा जाय। कुछ नियन्त्रण तो इस स्वतन्त्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिये दण्ड के रूप में होगा और कुछ ऐसा होगा, जिस का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जायगा। इस नियन्त्रण को स्वीकार करते हुए भी सरकार ने उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसके अनुसार राजनीतिक अथवा सार्वजनिक सभा के आयोजन के लिये पहिले आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। अब ऐसी सभा करने की सूचनामात्र देना आव-

शक्य होगा। यदि अधिकारियों को किसी सभा के होने में राजद्रोह अथवा साम्प्रदायिक द्वेष को प्रोत्साहन मिलने या सार्वजनिक शान्ति के भंग होने का सन्देह होगा, तो वे ऐसी सभा को रोक सकेंगे। यदि सभा के रोकने की ऐसी कोई सूचना अधिकारियों की ओर से नहीं दी जायगी, तो वह सभा की जा सकेगी। ऐसे प्रतिबन्ध के प्रतिकूल सरकार के पास अपील भी की जा सकेगी। सभा-सम्बन्धी सूचना देने के नियम बहुत सरल एवं सुविधाजनक होंगे। आशा है कि इस सरलता एवं सुविधा का दुरुपयोग दोनों बड़े बड़े सम्प्रदायों की ओर से साम्प्रदायिक द्वेष को बढ़ाने के लिए नहीं किया जायगा।”

धार्मिक स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया था कि “सुधार कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि धार्मिक-कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाले नियमों एवं विज्ञप्तियों की जांच के लिए एक कमीशन विठायी जाय और वह शिक्षायतों को रफा-दफा करने के लिये उचित उपायों को प्रस्तुत करे। सरकार का मत है कि इस अस्थायी कमीशन के वजाय एक स्थिर कमेटी कायम कर ली जाय, जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर सरकार को सलाह-मशवरा देती रहे। सम्प्रदायों की ओर से पेश की जाने वाली दरखास्तों पर भी यही कमेटी विचार करेगी। इस कमेटी में दोनों सम्प्रदायों का विश्वास होना जरूरी है। उनमें उनका और सरकार का प्रतिनिधित्व भी समान रूप से होना चाहिए।

लेखन एवं मुद्रण की स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया था

कि ब्रिटिश भारत के समान यहां भी एक कानून बनाया जायगा। लेकिन, यह तभी बनाया जा सकेगा, जब सुधार-सम्बन्धी अन्य कार्य किये जा सकेंगे।

इस प्रकार घोषणा की शब्द-रचना और भाषा इतनी सुन्दर और लचकीली थी कि जिन्होंने उसको एकाएक ऊपरी दृष्टि से देखा, वह सहसा यह मान बैठे कि निजाम-सरकार ने आर्यसमाज की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन, आर्य नेताओं ने सहसा कोई निर्णय न करके उसका सूक्ष्म अध्ययन किया और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घन-श्यामसिंहजी गुप्त को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है। सब से मुख्य आपत्ति यह थी कि इस घोषणा में असन्तोष को, मूल कारण महकमा-उमूर ए मजहबी की गरितियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, जिनका कि रद्द किया जाना ज़रूरी था। इस लिए निजाम-सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करना आवश्यक समझा गया। फिर भी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय ने निश्चय किया कि:— (१) सत्याग्रही-जत्थे जहां हैं, वहीं रोक दिये जायं। उन्हें भंग तो न किया जाय; लेकिन, वे आगे कूच भी न करें। आवश्यकता हुई, तो उनको कूच करने का आदेश दिया जायगा। (२) परिस्थिति पर विचार करने के लिये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरङ्ग सभा की बैठक २४-२५ जुलाई को बुलाई जाय। एक ओर सर अकबर हैदरी से तार द्वारा पत्र-व्यवहार शुरू किया गया और दूसरी ओर महात्मा

गान्धी से परामर्श किया गया। गान्धीजी तब सीमाप्रान्त के दौरे पर गये हुए थे। सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त लाला देशबन्धु गुप्ता के साथ उनके पास ऐत्रटावाद गये और उन्होंने भी आर्यसमाज की स्पष्टीकरण की मांग का समर्थन करते हुए सर अकबर हैदरी को तार दिया। इस घोषणा के बाद इतना परिवर्तन तो जरूर हुआ कि जो निजाम सरकार अपनी रियासत के बाहर की किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति से बातचीत अथवा पत्रव्यवहार तक करने को तैयार न थी और सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा के पत्रों तारों, एवं आवेदनों की पहुंच तक देनेमें अपनी हेठी समझे हुए थी, उसने पहली बार सभा के प्रधान के तारों का जवाब दिया और स्पष्टीकरण के लिए की गई मांग पर ध्यान दिया। यह भी कोई कम महत्त्वपूर्ण बात न थी।

दिल्ली में २४-२५ जुलाईको सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरंग की महत्त्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सदस्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक महानुभावों को भी निमन्त्रित किया गया था। खूब गम्भीर मन्त्रणा के बाद निम्न आशय का प्रस्ताव पास किया गया कि "इस सभा ने हैदराबाद के १७ जुलाई के वक्तव्य और १६ जुलाई की सुधार-घोषणा को ध्यान के साथ पढ़ा। सभा, भाषण, लेखन की नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित पैराग्राफ्स में, जिसका आर्यसमाज के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि "अन्य कतिपय रियासतों के सदृश सभाओं एवं संगठनों की व्यवस्था के लिये रियासत में कोई कानून नहीं है। सार्वजनिक सभाओं के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं,

उनका सार्वजनिक शक्ति के लिये पूर्णतया रद्द करना संभव नहीं है। फिर भी प्रतिनिधि सत्तात्मक सभाओं के विकास के साथ-साथ कौन्सिल की यह प्रवृत्ति इच्छा है कि वर्तमान अवस्थाओं में जहां तक संभव हो, जनता को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय। अतः कौन्सिल का प्रस्ताव है कि वर्तमान नियम रद्द कर दिये जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिसके अनुसार सार्वजनिक उत्सवों के संयोजकों को किसी आज्ञा के प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे। प्रत्युत् उन्हें उसके लिये केवल सूचना ही देनी होगी। स्थानीय अधिकारी हर प्रकार की सहूलियतें देंगे, परन्तु साथ ही उन्हें अधिकार होगा कि वे किसी विशेष सभा को रोक सकें। ऐसा केवल तब ही हो सकेगा, जब कि उस सभा से सार्वजनिक शान्ति के भंग होने की आशंका हो अथवा राजा के प्रति घृणा पैदा होने और भिन्न-भिन्न वर्गों में द्वेष बढ़ने की संभावना होगी। जो सभा इस तरह रोकी जायगी, उसके संयोजकों को अपील करने का अधिकार होगा।”

“यह वक्तव्य यह विश्वास दिलाने के लिए दिया गया है कि आर्यसमाज तथा निजाम महोदय की अन्य प्रजा को सभा करने एवं संस्था स्थापित करने जैसे आर्यसमाज कायम करने तथा चलाने का अवाधित अधिकार होगा। आर्यसमाज तथा दूसरी संस्थाओं को सार्वजनिक उत्सव करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। साथ ही इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने वाले सब नियम रद्द कर दिये जायेंगे। यह होते हुए भी सन्देह प्रगट किये गये हैं कि क्या इस घोषणा के अनुसार वे नियम भी रद्द हो जायेंगे,

जिनसे राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों पर पाबन्दियां लगाई गई हैं। चूँकि धार्मिक अनुष्ठानों से सम्बन्धित वर्तमान नियमों से, जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, इन सन्देशों की कुछ पुष्टि होती है; इसलिए इस सभा की सम्मति में स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

“सत्ताहंकार समिति के सम्बन्ध में सभा की यह दृढ़ सम्मति है कि जिस प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और मौलिक अधिकारों के लिये आर्यसमाज सक्रिय आन्दोलन कर रहा है, वे जांच का विषय नहीं बनाये जाने चाहियें। ऐसी सत्ताहंकार समिति के द्वारा तो उनकी जांच होनी ही नहीं चाहिये, जो रियासत के एक विभाग प्रत्यक्षतः महकमये उमूर-ए-मजहबी के साथ जुड़ी हो और जो कि उस विभाग को केवल अपनी गुप्त रिपोर्ट ही पेश कर सकेगी।

“यह सभा अपने प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त से, जिनको कि पहिले से ही पूर्ण अधिकार दिये हुए हैं, प्रार्थना करती है कि वे सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये तात्कालिक कार्यवाही करें और समय समय पर जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार कार्य करें।


“यह सभा आर्य सत्याग्रह समिति को आदेश देती है कि इस समय जो जत्थे जहां हैं, वे वहां ही ठहरे रहें और भविष्य के लिये आज्ञाओं की प्रतीक्षा करें।”

सत्याग्रह इस समय पूरे जोरों पर था। आठवें सर्वा-

धिकारी वारह सौ सत्याग्रहियों के साथ अहमदनगर से कूच करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सैकड़ों सत्याग्रही अन्य स्थानों पर भी तैयार थे। श्री देवेन्द्रनाथजी शास्त्री की स्पेशल गाड़ी खण्डवा में पड़ाव डाले पड़ी हुई थी। इसी प्रकार मनमाड, येवला, वाशीम, चांदा, बेजवाड़ा, मांसी, देहली, लाहौर, मुलतान, वरेली, लखनऊ और कलकत्ता आदि में अनेकों जत्थे और सैकड़ों सत्याग्रही कूच के लिए तैयार थे। जहां के तहां रुक जाने का आदेश निस्सन्देह बहुतों को पसन्द नहीं आया। लेकिन, सभी जगह जिस नियंत्रण एवं अनुशासन का परिचय दिया गया, वह विस्मयजनक है। असीम धैर्य के साथ आर्य प्रजा ने अपने नेताओं के इन दिनों के प्रयत्नों के परिणाम को जानने की प्रतीक्षा की। सत्याग्रह के दिन आर्य जनता को इतने भारी नहीं जान पड़े थे, जितने कि ये दिन प्रतीत हुए।

ग. स्पष्टीकरण

आर्य नेता तुरन्त अपने काम में लग गये। उन्होंने निजाम सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। ला० देशबन्धुजी गुप्त एम० एल० ए० निजाम राज्य की जेलों में नजरबंद आर्य नेताओं से मिलने गये। सर अकबर हैदरी से भी आप इन दिनों में मिले। २५ जुलाई से ८ अगस्त तक निजाम सरकार और आर्य नेताओं में हुई सब मन्त्रणा को यहां देना न तो अभीष्ट है और न आवश्यक। इन दो सप्ताहों में तार, फोन व डाक से खूब विचारविनिमय किया गया। दोनों ओर से समझौते की



सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की नागपुर की ऐतिहासिक बैठक, जिसमें सत्याग्रह स्थितित किया गया था। बीच में श्री वापूजी श्रयो, स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी, श्री धनश्यामसिंहजी गुप्त और श्री देशबन्धुजी गुप्त बैठे हुए हैं।

भावना से काम लिया गया और उसके लिये सचाई के साथ प्रयत्न भी किया गया। परिणाम यह हुआ कि समझौता होकर आर्य सत्याग्रह के समाप्त होने में कोई कठिनाई पेश नहीं आई।

घ. नागपुर का निर्णय

इस मन्त्रणा के चलते हुए भी ८ अगस्त को नागपुर में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई थी। सारी आर्य-हिन्दू-जनता की इस पर इस लिये आंखें लगी हुई थीं कि इसी में सत्याग्रह के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होना था। निजाम सरकार ने भी स्पष्टीकरण के लिए ८ अगस्त का ही दिन नियत किया और उसके सम्बन्ध में ठीक उसी समय घोषणा की गई, जिस समय कि अंतरङ्ग सभा की बैठक हो रही थी। एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि ने ठीक उसी समय सभा के प्रधान के हाथ में लाकर निजाम सरकार की उस दिन की वह विज्ञप्ति दी, जो आर्यसमाज की आपत्तियों का निराकरण करने के लिये प्रकाशित की गई थी।

इसमें कहा गया था कि “निजाम सरकार ने १७ जुलाई को अपने वक्तव्य में उन कुछ मामलों की वास्तव अपनी आम स्थिति स्पष्ट की थी, जिनके सम्बन्ध में भ्रम फैला हुआ था। इसके बाद १६ जुलाई को असाधारण गजट निकाला गया था, जिसमें सुधार-योजना प्रकाशित की गई थी। इन वक्तव्यों के कुछ अंशों का कई जगहों से स्पष्टीकरण चाहा गया है। इस लिये सर्वसाधारण को सूचना के लिये यह स्पष्टीकरण प्रकाशित

किया जाता है कि सभाओं और सोसाइटियों के निर्माण के सम्बन्ध में वक्तव्य में कहा गया है कि सुधार-योजना का यह अंश कि इसकी व्यवस्था के लिये कोई कानून नहीं है; समस्त सभाओं, सोसाइटियों और सम्प्रदायों पर भी लागू होता है; भले ही वे धार्मिक हों वा किसी अन्य प्रकार की भी क्यों न हों ?

धार्मिक मामलों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुये कहा गया था कि “वक्तव्य में मौलिक धार्मिक अधिकारों की पहले ही पुनर्घोषणा की जा चुकी है। इस वारे में बनाई जाने वाली सलाहकार समिति का सम्बन्ध, जैसाकि असाधारण गजट से जाना जा सकता है, उस रीति-नीति से होगा, जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था के हित में धार्मिक अधिकारों से सम्बन्धित कोई कायदा कानून बनाया तथा प्रचलित किया जायगा। रिफार्म कमिटी की सिफारिशों पर सरकार ने कोई सुनिश्चित आर्डर नहीं दिया है। सलाहकार समिति की कार्यवाही गुप्त होनी चाहिये कि नहीं,—यह बात इसके लिये बनाए जाने वाले नियमों के लिये छोड़ दी गई है। ऐसे खास मामले हो सकते हैं, जिनको गुप्त रखने की ज़रूरत होगी। साधारणतया सरकारी कार्य-वाहियों में सलाहकार समिति की सिफारिशें भी सम्मिलित हुआ करेंगी। यह समिति कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए उन उपायों की योजना करेगी, जिनसे धार्मिक अधिकार सम्बन्धी किसी कानून और धार्मिक अधिकारों के उचित उपभोग में समय समय पर परस्पर समन्वय होता रहे। यद्यपि कोई भी अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, तो भी सरकार की नीति जैसा कि

पिछले वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है, यह है कि सार्वजनिक शान्ति की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाय और कायदे कानूनों को ऐसा बनाया जाय, जिससे जनता को यथासम्भव अधिक से अधिक सुविधा रहे ।”

सार्वजनिक और धार्मिक सभाओं के सम्बन्ध में कहा गया था कि “उनसे सम्बन्ध रखने वाले नियम अधिक उदार होंगे, यहां तक कि जो धार्मिक सभायें या कृत्य निजी या सार्वजनिक मकानों के भीतर होंगे, उनके लिए अन्य सार्वजनिक जलसों की तरह सूचना देने की जरूरत न होगी । किसी मकान के साथ घिरी हुई जगह भी इस परिभाषा में आती है । यद्यपि व्यवहार में ऐसी कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है, फिर भी गांवों में इस प्रकार की कठिनाई पैदा हो सकती है । इसके लिए मुनासिब नियम बनाये जा सकेंगे ।

धार्मिक जलूसों के बारे में कहा गया था कि “किसी जाति के धार्मिक जलूसों के सम्बन्ध में पहले अवसर पर ही आज्ञा लेने की जरूरत होगी और सब का हित इसी में है कि इस बारे में कोई निश्चित व्यवस्था हो, जिससे जलूसों के मार्ग आदि का निर्णय होकर भविष्य में वैसा ही किया जा सके । इस सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले नियमों का उद्देश्य किसी जाति के जलूसों पर केवल इसलिए पाबन्दी लगाना नहीं कि वे नये हैं ।”

धर्म-मन्दिरों या सार्वजनिक उपासना गृहों के सम्बन्ध में लिखा गया था कि “वर्तमान नियम प्रधानतः उन स्थिर मकानों के बारे में थे, जो पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं । यह ठीक है कि

जातियों के रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं। आर्यसमाज का रिवाज इस बात में भिन्न है कि उसको धार्मिक कृत्य, हवन, यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थना आदि किराये के निजी मकानों में भी हो सकती हैं। इन मकानों की कोई स्थिर पवित्रता नहीं है। इनमें किसी समय भी सामाहिक सत्संगों का होना बन्द हो सकता है। साथ ही ये मकान कालान्तर में सार्वजनिक उपासना मन्दिरों का रूप ले सकते हैं। इस प्रकार के मामलों को हल करने के लिए सरकार यथावसर उचित नियम बनाएगी और इन नियमों से सार्वजनिक शान्ति के हित में समाजों की 'जगह' के प्रश्न हल होजायेंगे। यह बात वर्तमान मन्दिरों पर भी लागू होती है। जब तक कोई जाति किन्हीं मकानों को अस्थायी रूप में धार्मिक सत्संगों के लिये प्रयुक्त करेगी, तब तक इन सत्संगों व सभाओं पर धार्मिक सभाओं और अनुष्ठानों का कोई भी नियम लागू न होगा और इनके लिए आज्ञा लेने की ज़रूरत न होगी। परन्तु जो इमारतें केवल उपासना के लिए नई बनी होंगी, खरीदी गई होंगी अथवा इस कार्य में प्रयुक्त की जाने लगेंगी, उन पर सार्वजनिक उपासना मन्दिरों पर लागू होने वाले साधारण नियम लागू होंगे। इन नियमों को सरल बनाने के लिए उनपर पहले से ही विचार किया जा रहा है। इस विचार में देरी न हो, इसलिए छः सप्ताह की अवधि भी नियत कर दी गई है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, इस सन्बन्ध में खास बात यह है कि समाज की जगह नियत करते हुए सार्वजनिक शान्ति का ध्यान ज़रूर रखना होगा। इसपर विचार जा रहा है कि होम सेक्रेट्रियेट

से इस सम्बन्ध में किस प्रकार अपील की जाय ।”

प्राइवेट स्कूलों के खोलने के सम्बन्धमें कहा गया था कि “प्राइवेट स्कूल खोलने के लिये, विविध क्षेत्रों से यह सुस्ताव मिला है कि, ‘आज्ञा’ लेने के स्थान में ‘सूचना’ देने से महकमे की आवश्यकता पूरी हो जायगी। सरकार शीघ्र ही नियमों की आम जांच पड़ताल करेगी। तब इस पर भी पूरा विचार किया जायगा।”

बाहर के प्रचारकों के बारे में अपनाई जाने वाली नीति को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था कि “यह फिर दुहराया जाता है कि ऐसी आज्ञापं केवल तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि वातावरण साफ नहीं हो जाता। सरकार को पूर्ण विश्वास है कि यह संतोपजनक स्थिति निकट भविष्य में ही उत्पन्न हो जायगी।”

ला० देशबन्धु गुप्ता ने निजाम सरकार के साथ जो वार्ता-लाप किया था, उसका समस्त विवरण भी विस्तारपूर्वक सदस्यों के सम्मुख पेश किया। उन्होंने उन प्रसंगों का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया, जिनके कारण निजाम सरकार को आर्यसमाज की समस्त बातें स्वीकार करनी पड़ी थीं। निजाम सरकार के इस स्पष्टीकरण और ला० देशबन्धु गुप्ता के वक्तव्य से अन्तरङ्ग सभा में उपस्थित सदस्यों को पूर्ण सन्तोष हो गया। इसलिये सत्याग्रह को समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

वह ऐतिहासिक प्रस्ताव निम्न प्रकार है :—“निजाम सर-

कार की, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा उठाये गये मुद्दों का खुलासा करते हुए प्रकाशित की गई, विज्ञप्ति को और खास कर उस खुलासे में निहित समझौते की भावना को देखते, और उन सम्माननीय मित्रों और शुभेच्छुकों की राय का सम्मान करते हुए, जिनकी राय और जिनके सहयोग को सभा बहुत मूल्यवान समझती है, सभा सत्याग्रह को जारी रखना उचित नहीं समझती और उसको बन्द करने की घोषणा करती है। सभा सत्याग्रह कमेटी को आदेश देती है कि वह विभिन्न स्थानों पर उपस्थित जत्थों को भंग कर दे।

“सभा की राय में उक्त खुलासे में निजाम सरकार द्वारा उन मांगों को जिनके लिये सत्याग्रह शुरू किया गया था, पूरा करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है। सभा ने निजाम के इरादे पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए और उन घोषणाओं की उदार व्याख्या के आधार पर सत्याग्रह को जारी न रखने का आदेश देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। निजाम सरकार को चुनौती देने, उसका विरोध करने अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने के इरादे से आर्य सत्याग्रह शुरू नहीं किया गया था। आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था।

“आर्य जनता के मूल्यवान् त्याग का सर्वोत्तम परिणाम हो, इसलिये सभा की राय में आर्यों और इतर हिन्दुओं के लिये, विशेषकर उनके लिये, जो निजाम राज्य में रहते हैं, अब और अधिक आवश्यक है कि वे आत्म-संयम से काम लें और सच्ची

धार्मिक भावना के साथ साथ सत्य और अहिंसा का अधिक कठोरता के साथ पालन करें।

“सत्याग्रह युद्ध के समय भारत के समाचारपत्रों द्वारा स्वेच्छापूर्वक जो सहायता दी गई है, उसको सभा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है। सभा को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष को उनकी मूल्यवान समर्थन सदा ही प्राप्त होता रहेगा।

“सभा उन लोगों के प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करती है, जिन्होंने आन्दोलन की धन व अन्य प्रकार से सहायता की है। सभा भारत व विदेशों के सभ्य आर्यों की ओर से उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती है, जिन्होंने वैदिक धर्म के लिये अपने प्राण उत्सर्ग किये हैं।

“सभी सर्वाधिकारियों और अन्य सत्याग्रहियों को, जिन्होंने कि वैदिक धर्म के लिये सब प्रकार के कष्ट सह्य और हैदरावाद की जेलों में कठोर जेल जीवन बिताया, बधाई देती है। इस धर्म युद्ध को सफल बनाने के लिये आर्यसमाजियों, हिन्दुओं, सिक्खों व अन्यो ने जो सहायता प्रदान की है, उस पर सभा पूर्ण सन्तोष प्रकट करती है। आन्दोलन का मूल्यवान नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन करने के लिए सभा लोकनायक बापूजी अण्णो के भी प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है।

“यहां जमा हुए आर्य प्रतिनिधिगण सत्याग्रह आन्दोलन को सफलतापूर्वक समाप्ति तक पहुंचाने के लिये श्री धनश्यामसिंह जी गुप्त और लाला देशबन्धुजी गुप्त द्वारा की गई मूल्यवान

सेवाओं की सराहना करते हुए, उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।”

इस प्रकार लगभग सवा छः मास बाद उस काण्ड का अन्त हो गया, जिसे आर्यसमाज ने कठोर कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया था । निजाम सरकार के लिए वह अप्रिय होते हुए भी आर्यसमाज के लिए जीवन-मृत्यु का सवाल था । इस धार्मिक संघर्ष में आर्यसमाज ने जिस तेजस्विता का परिचय दिया, उसकी छाप उसके विरोधियों पर भी लग गई और यह पता लग गया कि आर्यसमाज बुझी हुई राख नहीं, बल्कि जलती हुई आग है, जिसे सहज में बुझा सकना सम्भव नहीं है ।

१०. युद्ध-क्षेत्र से वापिसी

क. जेलों से रिहाई

निजाम सरकार के लिये आर्य सत्याग्रह एक ऐसी आफत हो गया था, जिससे छुटकारा पाने के लिए वह काफी आतुर थी। यहां तक कि पिछले दिनों में काफी सत्याग्रहियों को बीमारी और वृद्धावस्था के नाम पर रिहा किया गया था। १७ जुलाई को सत्याग्रहियों को जहां के तहां रुक जाने की आज्ञा मिलने पर निश्चय ही निजाम सरकार ने एक ठण्डी सांस ली होगी और ८ अगस्त के नागपुर के निर्णय से उसका सारा भार सहसा हलका हो गया होगा। इस लिए सत्याग्रहियों को रिहा करने में काफी आतुरता दिखाई जाने लगी। जहां-तहां रुके हुए सत्याग्रहियों को लौटने के संवाद तारों से भेजे गये और जिन्होंने हैदराबाद की ओर कूच करना था, वे अपनी किस्मत को कोसते हुए और आर्यसमाज की किस्मत को सराहते

हुए घरों की ओर सुख-दुःख साथ लिये वापिस लौटे । दुःख तो उन्हें इस बात का था कि उन्हें सत्याग्रह करने और जेल जाने का अवसर न मिला । लेकिन, इससे भी बड़ा सुख उनको यह था कि वे आर्यसमाज की विजय-वैजयन्ती को फहराते हुए अपने घरों को वापिस लौटे । १२०० सत्याग्रहियों के साथ कूच करने के लिये तैयार वैरिस्टर विनायकरावजी विद्यालंकार के साथ जो बीती होगी, उसकी कल्पना और कौन कर सकता है ? इसी प्रकार न मालूम कितने स्थानों पर कितने सत्याग्रही यह समाचार पाकर एक बार तो आशा-निराशा की लहरों में तैरने लगे होंगे । लेकिन, सामूहिक रूपसे समस्त आर्यजगत् में यह समाचार परम सन्तोष, शांति और हर्ष के साथ सुना गया । विजय के उन्माद की अपेक्षा अब भी आर्य जनता के सम्मुख कर्तव्य की ही भावना मुख्य थी । यह इस अवसर पर प्रकाशित किये गये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त द्वारा ११ अगस्त को प्रकाशित किये गये वक्तव्य से स्पष्ट है । उसमें कहा गया था कि “हैदराबाद का सत्याग्रह अपने धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का एक विनीत विरोध था । आर्यों की मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है । वे ऐसा कोई अधिकार नहीं चाहते थे, जो औरों को प्राप्त न था । अब सत्याग्रह समाप्त हो चुका है । इसलिए आशा है कि निजाम रियासत में दोनों सम्प्रदायों में परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे । यह एक आनन्द का विषय है कि लगभग ५० आस के बाह परमेश्वर के अनुग्रह से आर्य सत्याग्रह के वन्द

करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भी यह किसी तरह के प्रदर्शन करने या आनन्द मनाने का अवसर नहीं है। हमें तो इस समय अत्यन्त नम्रतापूर्वक भगवान् के अदृश्य चरणों में झुक कर यह प्रार्थना करनी चाये कि हम महर्षि दयानन्द सरस्वती के महान् कार्य को चलाने के योग्य बन सकें। इसलिये मैं समस्त आर्यों से कहना चाहता हूँ कि वे इस अवसर पर खुशी मनाने के लिये जलूस आदि न निकालें। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि सार्वदेशिक सभा उन व्यक्तियों के सम्मान के लिये, जिन्होंने अपने आदर्शों के लिये कष्ट उठाया, योग्य कार्यवाही अवश्य करेगी। इस बीच यह उचित होगा कि सब तरह के जलूसों से अलग रहा जाय, चूंकि मुझे उनसे लाभ होने में अत्यन्त संदेह है।

“सत्याग्रहियों के लौटने पर स्थानीय आर्यसमाजें उनका सन्मान करने के लिये सार्वजनिक सभायें करें; परन्तु जलूस न निकाले जाय और भाषण भी कम से कम हों। भाषणों में हैदराबाद के कष्टों के वर्णन करने का प्रसंग न आना चाहिये। भाषणों में आपत्तिजनक बातें बिलकुल भी नहीं कहनी चाहिएं। सच तो यह है कि यदि सम्भव हो, तो मुझे भाषण बन्द कर देने चाहियें।”

१७ अगस्त को निज़ाम साहब का ५४ वां जन्म दिवस था। इस लिये निज़ाम सरकार की यह कोशिश थी कि तब तक सभी सत्याग्रही मुक्त कर दिये जायें। ८ अगस्त तक बीमारी और चुढ़ापे के नाम पर सैकड़ों सत्याग्रही रिहा किये जा चुके थे। अब

घड़ाघड़ जेलों के दरवाजे खुलने लगे और विना विलम्ब सत्याग्रहियों को रिहा किया जाने लगा। किराया देने में थोड़ी आनाकानी जरूर की गई। लेकिन, सर अकबर हैदरी का इस ओर ध्यान खींचने पर उन्होंने इसके लिये समुचित व्यवस्था कर दी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी इसके लिये मध्यस्थता की। चारों ही ओर, हैदराबाद राज्य में भी, जेल यात्रियों के स्वागत एवं अभिनन्दन की तय्यारियां की जाने लगीं। शोलापुर से सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ था। इसलिये जेल यात्रियों के सार्वजनिक स्वागत का कार्यक्रम भी यहीं से शुरु हुआ। लेकिन, दूसरे सर्वाधिकारी श्री चांदकरण जी शारदा फरीमनगर के जेल से रिहा होने पर सीधे शोलापुर न आकर पेडापल्ली और सिकन्दराबाद होते हुए पहिले हैदराबाद पहुंचे। वहां आपने सार्वजनिक रूप से बृहद् यज्ञ करके आर्य ध्वजा फहरा कर निज़ाम सरकार की सचाई को कंसौटी पर कसा। पुलिस ने कुछ अड़चन डालनी चाही, तो शारदाजी दुबारा जेल जाने को तय्यार हो गये।

शोलापुर में महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज, कुंवर चांदकरणजी शारदा और श्री खुशहालचन्दजी खुरसन्द तथा अनेक सत्याग्रही इकट्ठे ही पहुंचे। स्टेशन पर स्वागत के लिये अपार भीड़ जमा थी, जिसने जयघोषों और नारों के साथ आप सबका स्वागत किया। नगर को विशेष रूप से सजाया गया था। द्वार, तोरण, पताका आदि की शोभा का कहना ही क्या था। शाम को ७ बजे सिद्धेश्वर मन्दिर पर विराट सार्वजनिक

सभा की गई। भीड़ का पारावार न था। तिल रखने को भी कहीं कोई जगह न थी। छतों पर से महिलाएं पुष्प-वर्षा कर रही थीं। म्युनिस्पल कमिटी के प्रेसीडेण्ट सभा के अध्यक्ष थे। सर्वाधिकारियों के सभा में भाषण हुए। रात को वे सब बम्बई को विदा हो गये।

औरंगाबाद जेल से रिहा होने वाले छठे सर्वाधिकारी महाशय कृष्णजी और पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार तथा उनके साथियों का मनमाड़ में इसी प्रकार धूमधाम के साथ स्वागत-सत्कार किया गया।

हैदराबाद में इसी दिन आठवें सर्वाधिकारी वैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार और इस धर्मयुद्ध के 'फील्ड मार्शल' स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। २५ हजार की उपस्थिति में एक सार्वजनिक सभा भी हुई। पूसद वेजवाड़ा, अहमदनगर आदि केन्द्रों में भी इसी प्रकार के उत्सव हुए।

बम्बई में १६ अगस्त को बड़ा ही शानदार समारोह हुआ। पं० वेदव्रतजी वानप्रस्थी के अतिरिक्त सभी सर्वाधिकारी वहां पहुंच गए थे। मनमाड़ से महाशय कृष्णजी के साथ पं० बुद्धदेवजी भी पधारे थे। ग्लेशन पर भव्य स्वागत किया गया। चौपाटी के मैदान में विराट सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं और सत्याग्रहियों को बधाई दी गई। महात्मा नारायण स्वामीजी, श्री चांदकरणजी शारदा, श्री खुश-

हालचन्दजी, महाशय कृष्णजी और पं० ज्ञानेन्द्रजी के सभा में ओजस्वी भाषण हुए ।

राजधानी दिल्ली में भी स्वागत समारोह का दृश्य बहुत ही भव्य और शानदार रहा । बम्बई से सब सर्वाधिकारी २२ अगस्त की सबेरे दिल्ली पहुँचे । रास्ते में कोई स्थान ऐसा नहीं बचा, जहाँ कि स्टेशनों पर एकत्रित होकर आर्य-हिन्दू-जनता ने अपनी कृतज्ञता-सूचक श्रद्धा का परिचय नहीं दिया । दिल्ली और नई दिल्ली दोनों स्टेशनों पर भीड़ का कोई ठिकाना न था । सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त, श्री जुगलकिशोरजी विड़ला और महाबोधी सोसाइटी के मन्त्री श्री देवप्रियजी तथा समस्त हिन्दू-आर्य-नेता स्टेशन पर उपस्थित थे । २० हजार के लगभग भीड़ ने उनका स्वागत किया । जलूस निकालने का कार्यक्रम न होने पर भी गान्धी-मैदान आने तक एक जलूस ही बन गया और यहाँ एक सभा भी हो गई । इस सभा के अध्यक्ष-पद से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त ने एक अत्यन्त ओजस्वी और भावपूर्ण भाषण दिया । सत्याग्रह की समाप्ति की यह पहिली सार्वजनिक घोषणा एक अधिकारी के मुख से अधिकारपूर्ण शब्दों में की गई थी । गुप्तजी ने अपने भाषण में कहा कि "सम्माननीय स्वामीजी, अन्य सर्वाधिकारीगण तथा सत्याग्रहियों ! आप लोगों का अपने बीच में स्वागत करते हुए मैं अपने हार्दिक आनन्द को पूरी तरह प्रगट नहीं कर सकता । आपने उन सहस्रों आर्यों तथा हिन्दुओं को उत्साह प्रदान किया, जिन्होंने इस धर्मयुद्ध में बलिदान किया और

अपने आन्दोलन को इतनी ऊँचाई पर पहुँचा दिया। हम जो लोग जेलों से बाहर थे, आपको आपके कार्यों के लिए उचित रूप से धन्यवाद भी नहीं दे सकते। इस धर्मयुद्ध की जो महान वात समस्त भारत के लिए लागू होती है, वह यह है कि इस तरह के पवित्र युद्ध में, जिन साधनों का प्रयोग किया गया, वे सत्य और पवित्र थे। सचाई और पवित्रता का जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, उसका इस आन्दोलन में प्रत्येक सैनिक ने अवलम्बन किया। हमारे बड़े-बड़े नेताओं में से भी इस वात पर अविश्वास करने वाले कम न थे कि हम सत्याग्रह को उच्च आदर्शों के अनुसार न चला सकेंगे, परन्तु आपके नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने अन्तिम क्षण तक सत्य और पवित्रता की जो उच्च भूमि बनाये रखी, उसको देखते हुए मैं साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि आर्यसमाज का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। मैं बड़े चाव से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब मैं आपके साथ जेल में उपस्थित होता; परन्तु भगवान की कृपा और ऋषि दयानन्द द्वारा प्राप्त उत्साह के कारण हमारे प्रयत्न इतने थोड़े ही समय में सफल हो गए और हममें से बहुत से अपनी बारी की प्रतीक्षा करते ही रह गये।”

श्री नारायण स्वामीजी महाराज ने तुमुल करतलध्वनि में खड़े होते हुए एक छोटे से भाषण में कहा कि “जिन्होंने सत्याग्रह-आन्दोलन में कभी भाग लिया है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें, जो सत्याग्रह-आन्दोलन को चलाने के लिये जेलों से बाहर रहते हैं, जेल में बन्द होजाने वालों की अपेक्षा

अधिक काम करना पड़ता है। हमारे सत्याग्रह में भी यही हुआ। जो जेल से बाहर रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य का उत्साह और लगन के साथ पालन न किया होता, तो आज सत्याग्रह इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकता था। मुझे यह कहते हुए अभिमान है कि उन सबने, जो प्रायः अनिच्छापूर्वक और अपने निश्चय के विरुद्ध जेलों से बाहर रहे, अपने कर्तव्य का अत्यन्त प्रशंसनीय रूप में पालन किया। उनके परिश्रम का ही यह परिणाम हुआ कि आर्य-सत्याग्रह का सन्देश केवल भारत के कोने-कोने में ही न पहुँचा, प्रत्युत भारत की सीमाओं को लाँघ कर, उस प्रत्येक देश में जा पहुँचा, जहाँ एक भी आर्य निवास करता है। यहाँ तक कि इसकी गूँज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सुन पड़ी। इसका श्रेय उन्हें नहीं मिल सकता, जो जेल में थे। जो आर्य नेता जेलों से बाहर रहे और जिन्होंने अवस्थाओं की गम्भीरता को अधिकारियों तक पहुँचाने के लिये दिन-रात प्रयत्न किया, यह उन्हीं के उद्योग का परिणाम है कि निजाम-सरकार के हृदय में भी परिवर्तन हो सका। आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही निजाम सरकार इस दृढ़ निश्चय पर डट गई थी कि जब तक यह आन्दोलन चलता रहेगा, वह सुधारों की घोषणा न करेगी और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा सरीखी किसी भी संस्था की सत्ता को स्वीकार न करेगी; परन्तु आज यह एक प्रगट रहस्य है कि निजाम सरकार ने अपने उस निश्चय को हवा में उड़ा दिया और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से वार्तालाप करने को भी वह तैयार हो गई। सुधारों की घोषणा

भी इस सत्याग्रह के पूरी तेजो में रहते हुए ही की गई।” अन्त में स्वामीजी ने श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त तथा लाला देशबन्धु जी. गुप्ता को उनके कार्यों के लिये विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

हैदराबाद सत्याग्रह समिति, दिल्ली की ओर से उसी शाम को एक और सार्वजनिक सभा का गांधी मैदान में आयोजन किया गया। उपस्थिति ५०००० से कम न थी। आर्यसमाज की ओर से इतनी विशाल सभा पहले कभी न हुई थी। इसमें आर्य-सर्वाधिकारियों तथा आर्य सत्याग्रहियों को अभिनन्दन पत्र समर्पित किये गये। सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त ही इस सभा के भी सभापति हुए। आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से उसके मंत्री प्रोफेसर सुधाकरजी ने सर्वाधिकारियों की सेवा में एक सुन्दर, भावपूर्ण और विशाल मान-पत्र भेंट किया। उसके उत्तर में सभी सर्वाधिकारियों के ओजस्वी भाषण हुए। स्वामीजी ने अपने विस्तृत भाषण के अंत में कहा कि “युगे इसमें तनिक भी संकोच नहीं है कि इस आंदोलन के चलानेमें पवित्रता और सचाई के उच्च आदर्शों का पूरी तरह पालन किया गया है। हमारा यह दावा है कि दो दर्जन सत्याग्रहियों के इस धर्म-युद्ध में बलिदान हो जाने पर भी हमारे सैनिकों के हृदय में निजाम सरकार के विरुद्ध हिंसा का विचार तक पैदा नहीं हुआ और न प्रतिहिंसा की भावना ही पैदा हुई।”

दूसरे दिन २१ अगस्त की शाम को दिल्ली के नागरिकों

की ओर से सर्वाधिकारियों के सम्मान में गांधी मैदान में नगर-भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग पांच हजार नर-नारी सम्मिलित हुए होंगे। यह समारोह भी अपने ढंग का एक ही था।

मेरठ में २४ अगस्त को और लाहौर में २५ अगस्त को इसी प्रकार के विशाल सार्वजनिक समारोह हुए। स्थान स्थान पर हुए समारोहों का पूरा वर्णन देना कठिन है। जिस उत्साह के साथ सत्याग्रही जत्थों को विदाई दी गई थी, उससे भी अधिक उत्साह के साथ स्थान स्थान पर उनका स्वागत किया गया। लंका-विजय के बाद रामचन्द्रजी के लौटने पर आर्य-साम्राज्य की राजधानी अयोध्या नगरी में जैसा आनंद महोत्सव मनाया गया था, वैसा ही आनंद महोत्सव आर्य प्रजा में आर्यावर्त में सर्वत्र मनाया गया। सर्वाधिकारियों के अपने प्रांतों में लोटने पर विशेष उत्साह का परिचय दिया गया। अपने अपने प्रांतों-के शहीदों के घरों में जाकर उनके घरवालों को वधाई एवं सान्त्वना देने का कार्य सर्वाधिकारियों ने विशेष रूप से किया। अनेक स्थानों पर उन्हीं के हाथों से उनके स्मारकों अथवा स्मृति चिन्हों की स्थापना की गई। कुछ स्थानों पर उनकी स्मृति में बनाये जाने वाले आर्यसमाज मन्दिरों की आधार शिला की स्थापना के समारोह भी सम्पन्न किये गये। आर्य सत्याग्रह से प्रगट हुई जागृति नगरी की दिव्य विभूति को इस प्रकार स्थायी बनाने का विशेष रूप से यत्न किया गया।

ख. बधाई दिवस

स्थान स्थान पर हुए इन समारोहों के बाद भी एक ही दिन सारे देश में बधाई दिवस मनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। आर्य प्रजा की ओर से सत्याग्रह यज्ञ को सफल बनाने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए ३ सितम्बर का दिन नियत किया गया। यह निश्चय हुआ कि बृहद् हवन के बाद सवेरे 'ओ३म्' की ध्वजा फहराई जाय। शाम को सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाय। आर्य-समाज मन्दिरों में दिवाली की जाय। इन सभाओं के लिये सभा की ओर से एक विशेष संदेश तैयार किया गया, जो कि सब जगह पढ़ा गया। वह संदेश निम्नलिखित था—

“ओ३म् सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्,
देवा भागं यथापूर्वं सञ्जानाना उपालते ॥”

“हैदराबाद में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों के लिये जो सत्याग्रह हमने शुरू किया था, वह परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और महर्षि दयानन्द के प्रताप से सफल हुआ। इस सफलता का कारण हमारे उद्देश्य की विशुद्ध धार्मिकता, हमारे बलिदान की पवित्रता और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग का अवलम्बन करना ही है। इस धर्मयुद्ध में हमारे जो वीर बलि हुए हैं, उन्हें आर्यसमाज कभी भी भूल नहीं सकता। उनके प्रति मैं समस्त आर्यजगत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज तथा अन्य सर्वाधिकारी सज्जनों का

नेतृत्व और हमारे हजारों वीर सत्याग्रहियों का त्याग आर्यसमाज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को सम्पूर्ण आर्यजगत् सनातनी, सिक्ख तथा जैन भाइयों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।

“भारतवर्ष के सब आर्यसमाजों ने इस समय अनुशासन एवं नियन्त्रण की जिस भावना का परिचय दिया है, वह विशेष उल्लेखनीय है। इन समस्त आर्यसमाजों को, उनकी प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ अविचल भक्ति और प्रेमसूत्र में बांध सकेंगे। हमारे संगठन के इस प्रदर्शन से समस्त आर्य हिन्दू जगत् की जो आशाएँ हमारी ओर होगई हैं, उसे भी हम नहीं भूल सकते। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की विशेष जिम्मेवारी आज हमारे सिर पर आगई है। इसके योग्य हम तभी हो सकते हैं, जबकि हमारा संगठन सुदृढ़ एवं सम्पूर्ण हो और हम परस्पर की कलह, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि दोषों से रहित होने का नित्य यत्न करते रहें।

“सत्याग्रह की सफलता पर बधाई देते हुए मैं आप से आग्रह करूँगा कि आप अपनी अटूट भक्ति अपनी शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रति भविष्य में भी सदैव बनाए रखें, जिससे वह उत्तरोत्तर बलशाली बनती रहे।

“अन्त में मैं यह कहूँगा कि अन्य धर्मावलम्बियों के साथ

हमारा सारा व्यवहार प्रेम का ही होना चाहिए। बघाई का यह अवसर प्राप्त होने के लिए मैं परम पिता परमात्मा को बार बार धन्यवाद देता हूँ।”

इस संदेश को पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रस्तावों को पास करने का आदेश दिया गया था:—

“(१) क—यह आर्यसमाज परम पिता परमात्मा को विनम्र धन्यवाद देता है, जिसके असीम अनुग्रह से आर्यसमाज का सत्याग्रह, जो हैदराबाद में धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों के लिए प्रारम्भ किया गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

“ख—यह आर्यसमाज उन समस्त शहीदों के लिए, जिन्होंने इस धार्मिक आन्दोलन में अपने अमूल्य प्राणों का विसर्जन किया, श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

“ग—यह आर्यसमाज महात्मा नारायण स्वामीजी, अन्य सर्वाधिकारियों तथा सहस्रो सत्याग्रही वीरों के प्रति, उनके त्याग और वीरता के लिए अपनी कृतज्ञता प्रगट करता है।

“(२) यह आर्यसमाज अपनी स्वामिनी सभा श्रीमती सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रति अपनी अविचल भक्ति प्रकट करता है और घोषणा करता है कि उसको सुदृढ़ करने के लिए यह सदा ही प्रयत्नशील रहेगा।”

कहना न होगा कि यह ‘बघाई दिवस’ सारे देश में, सभी आर्यसमाजों की ओर से, पूरे प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ

बड़ी गम्भीरता के साथ मनाया गया । विनीत भाव से प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर इस सफलता के लिए आर्यजनता ने एक स्वर में कहा कि “इदमग्नये इदं न मम् !”— ‘यह महान् सफलता आपकी ही कृपा का प्रसाद है । अपने कर्तव्यपालन से अधिक इसमें हमारा क्या भाग है ?’

११. लोकमत

आर्य सत्याग्रह के संचालकों ने सत्याग्रह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक होने के सम्बन्ध में बार-बार घोषणायें कीं और उसे सत्य तथा अहिंसा की मर्यादा में रखने की जितनी भी सम्भव थी, उतनी सावधानी रखी। इस पर भी उसको साम्प्रदायिक एवं हिंसात्मक बताने का यत्न किया जाता रहा। यद्यपि आर्यसमाज और आर्य सत्याग्रहियों की ओर से कहीं भी कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई, फिर भी इसे निज्जाम एवं मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित हुआ बताकर उस पर हिंसात्मक होने का आरोप लगाया गया। इस भ्रमपूर्ण प्रचार में अनेक आर्यसमाजी भी काफी समय तक उलझे रहे। सत्याग्रह शुरू होने पर स्टेट कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया सत्याग्रह इसलिए स्थगित किया गया था कि उसके बारे में किसी को कोई सन्देह न हो। लेकिन, उसके स्थगित किये जाने से आर्य सत्याग्रह के सम्बन्ध में अवश्य कुछ संदेह पैदा हो गया। वह संदेह हिन्दू महासभा

के सत्याग्रह की वजह से और भी बढ़ गया। आर्यसमाज न तो साम्प्रदायिक संस्था है और न निज़ाम सरकार के सामने उसकी ओर से कोई साम्प्रदायिक मांग ही पेश की गई थी। वह विशुद्ध धार्मिक संस्था है। वैदिक धर्म एकांगी नहीं, इतना व्यापक है कि उसमें समाज-नीति, धर्म-नीति, राजनीति आदि सभी का समावेश है। इस लिये आर्यसमाज का कार्यक्रम भी उतना ही विशाल और व्यापक है। लेकिन, साम्प्रदायिकता उसको कहीं छू भी नहीं गई। कांग्रेसी नेताओं की उदासीनता से यह भ्रम भी पैदा हो गया था कि यह सत्याग्रह राजनीतिक दृष्टि से असामयिक एवं हानिकारक भी है। लेकिन इस भ्रम के दूर होने में अधिक समय नहीं लगा। प्रजा को मौलिक नागरिक अधिकारों से वंचित रखे जाने की वास्तविकता लोगों पर जैसे जैसे प्रकट होती गई, इस आन्दोलन की यथार्थता को वे स्वीकार करते गये। आर्यसमाज के प्रतिकूल पैदा की गई सारी परिस्थिति को जब लोगों के सामने पेश किया गया और उनको यह बताया गया कि उसमें आर्यसमाज के लिये अपना अस्तित्व कायम रखना भी मुश्किल हो गया था, तब उन्हें पता चला कि आर्यसमाज के लिये सत्याग्रह क्यों अनिवार्य हो गया था ? फरवरी के मध्य में लुधियाना में पण्डित जवाहरलालजी नेहरू के सभापतित्व में हुये देसी राज्य प्रजा परिषद के वार्षिक अधिवेशन में इस सत्याग्रह के साम्प्रदायिक होने की बात कही गई थी; लेकिन, नेहरूजी ने प्रधान पद से दिये गये अपने भाषण में विस्तार के साथ निज़ाम राज्य की स्थिति का विवेचन किया था।

आपने कहा था कि “हैदराबाद सरीखी प्रमुख रियासत में चिर-काल से नागरिक स्वाधीनता का सर्वथा अभाव है । वर्तमान शान्त एवं अहिंसात्मक सत्याग्रहों के प्रति किया जानेवाला पाश-विक व्यवहार सब पर भली भांति प्रगट हो चुका है । ‘बन्दे-मातरम्’ के गीत को अपराध मान कर उस्मानिया यूनीवर्सिटी से निकाले गये सैकड़ों विद्यार्थियों का उदाहरण वहां की शासन-नीति का परिचय देने के लिये पर्याप्त है । हैदराबाद के शासन में अधिकतर यही नीति व्याप रही है । सम्भवतः सारे भारत में नागरिक स्वाधीनता का धरातल हैदराबाद में ही सबसे अधिक नीचा है और अब तो कतिपय धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध लगाने पर भी ध्यान दिया जाने लगा है । यह स्थिति किसी आकस्मिक आन्दोलन के कारण पैदा नहीं हुई है; बल्कि बहुत देर से वहां-ऐसी ही स्थिति चली आरही है । जिन धार्मिक कृत्यों और प्रार्थना-उपासना के तरीकों का समस्त भारतमें आम चलन है, उन पर भी हैदराबाद राज्य में प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । जनता के धार्मिक विश्वासों की लड़ में ही जब कुठाराघात किया जाने लगा, तब उससे विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था ।” इस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया था कि “यह परिपद नागरिक अधिकारों और सर्वसामान्य जनता की स्वाधीनता के सम्बन्ध में स्वीकार की गई विशेष रूप से पिछड़ी हुई विरोधी नीति के प्रति क्षोभ प्रकट करती है । सभा, संगठन और भाषण के अधिकार विशेष रूप से छीने जा चुके हैं और स्वतन्त्र रूप से जन-सेवा का कार्य करना भी असंभव बना दिया गया है ।

इस परिषद् की सम्मति में रियासत के अधिकारियों ने धार्मिक स्वाधीनता और धार्मिक उपासना के सर्वसम्मत सिद्धान्त का भी सम्मान नहीं किया है और उसे कानूनों और विशेषतः रियासत की प्रतिकूल परम्पराओं में जकड़ दिया गया है । इनको दूर करने की इच्छा किसी भी रूपमें साम्प्रदायिक नहीं मानी जा सकती । वह सर्वथा उचित ही है । परिषद् विश्वास करती है कि यह सब प्रतिबन्ध हटा दिये जायेंगे और प्रत्येक धार्मिक संस्था की धार्मिक स्वतन्त्रता को पूरी तरह अक्षुण्ण रहने दिया जायगा । फिर भी परिषद् की सम्मति में धार्मिक कठिनाइयों को हटाने के उद्देश्य से चलाया गया हैदराबाद सत्याग्रह असामयिक है, चूंकि इससे साम्प्रदायिकता की ओर मुकाब हो सकता है और रियासत को इसकी आड़ में उत्तरदायी शासन के आन्दोलन को भी साम्प्रदायिक बत कर दवाने का वहाना मिल सका है ।”

यह कहने की जरूरत नहीं कि आर्यसमाज की ओर से इस भ्रान्त धारणा का प्रतिवाद किया गया और यह बताया गया कि आर्यसमाज ने छः वर्षों के वैध प्रयत्नों के बाद ही सत्याग्रह के कठोर एवं संघर्षमय मार्ग का अवलम्बन किया है और उसके इस धार्मिक आन्दोलन को साम्प्रदायिकता कहीं छू भी नहीं गई है ।

इसी प्रकार मार्च मास में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भी इस सत्याग्रह के कारण ही हैदराबाद की चर्चा हुई । उसमें इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया था कि

“कांग्रेस यह घोषणा बार-बार कर देना चाहती है कि उसका पूर्ण स्वाधीनता का उद्देश्य ममस्त भारत के लिये है, जिसमें रियासतें भी शामिल हैं; जो कि भारत का अविभाज्य है अंग और जिन्हें उससे पृथक नहीं किया जा सकता। उनमें भी भारत का एक हिस्सा होने से वैसी ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वाधीनता का होना आवश्यक है।”

कांग्रेस के प्रधान मन्त्री आचार्य कृपलानी ने लाला देशबन्धुजी गुप्ता को उनके पत्र के उत्तर में लिखा था कि “इस विषय में आर्यसमाजियों तथा कांग्रेस में केवल पद्धति का भेद है। प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास है कि हैदराबाद रियासत द्वारा आर्यसमाज पर लगाये गये प्रतिबन्ध अवांछनीय हैं। उनका विरोध भी किया जाना चाहिये। परन्तु इस प्रश्न को हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य का साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिये। आर्यसमाज की शिकायतें रियासत के अधिकारियों के विरुद्ध हैं, न कि मुस्लिम सम्प्रदाय के। यही कारण था कि जनता के हृदय में आशांकार्ये उठ रही थीं और हमारे कतिपय नेताओं ने हैदराबाद-कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थगित कर देने की सम्मति दी। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि अपने धार्मिक अधिकारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस में काम करने वाले आर्यसमाजियों को आन्दोलन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। कांग्रेस में चाहे धार्मिक अनुराग न हो, परन्तु हमारा विश्वास है कि धार्मिक मामलों में जनता की नैतिकता को कायम रखने वाली पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता प्रत्येक

समाज को जरूर होनी चाहिये। यदि यह स्वाधीनता किसी वर्ग को नहीं दी जा रही है, तो उसे पूर्ण अधिकार है कि वह न्याय प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील हो। संस्था रूप से कांग्रेस प्रत्येक उचित समस्या के लिये युद्ध नहीं करती। इस सम्बन्ध में हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा संस्था रूप में हस्तक्षेप करना समस्या को सुलझाने के बजाय उलझा देगा। इस सत्याग्रह में हिस्सा लेना या न लेना सिद्धान्त का नहीं, नीति का प्रश्न है। इसका निर्णय हानि-लाभ की दृष्टि से ही किया जाना चाहिये। हम अनुभव करते हैं कि कांग्रेस के इसमें हाथ डालने से आर्यों को, जो अपना युद्ध वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं, प्राप्त होने वाले लाभ की अपेक्षा राजनीतिक आन्दोलन को होने वाली हानि अधिक बढ़ी होगी।”

इस प्रकार आर्य सत्याग्रह में सामूहिक रूप से कांग्रेस के लिये सहयोग देना संभव नहीं हुआ। लेकिन, ऐसे लोगों की भी कुछ कमी न थी, जो कांग्रेस के सहयोग की आशा और अपेक्षा रखते थे। कांग्रेस के उदासीन रहने पर भी व्यक्तिगत रूप से आर्यसमाज को अनेक महानुभावों की शुभ-कामनायें और बधाइयां जरूर प्राप्त हुईं। उनमें से कुछ का यहां उल्लेख किया जाता है।

महात्मा गान्धी ने अपनी सम्मति प्रगट करते हुए लिखा था कि “हैदराबाद में आर्यसमाज का आन्दोलन विशुद्ध धार्मिक है और उसका लक्ष्य धार्मिक असुविधाओं को दूर करना और कराना है।” इसी प्रकार सत्याग्रह की समाप्ति पर गान्धीजी ने

१६ अगस्त के 'हरिजन' में लिखा था कि "आर्य-सत्याग्रह का अन्त बहुत सुन्दर हुआ। इस के सम्बन्ध में मैंने आज तक एक अक्षर भी नहीं लिखा। मुझे यह प्रश्न ऐसा नाजुक प्रतीत हुआ कि सार्वजनिक रीति से उसकी चर्चा करना मैंने ठीक न समझा। निजी अथवा सार्वजनिक विषयों में चलने की मेरी एक, विशिष्ट पद्धति है। इसे सब जानते हैं। कोई इस पद्धति को व्यर्थ कहते हैं। मैंने इस आर्य-सत्याग्रह के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से मौन धारण किया हुआ था; परन्तु उसका अर्थ यह न था कि इस के सम्बन्ध में मुझे कोई ममता थी ही नहीं। आर्यसमाज के नेताओं तथा हैदराबाद से थोड़ा-बहुत सम्बन्ध रखने वाले मुसलमान मित्रों से मेरा बराबर विचार-विनिमय होता रहा। इस सम्बन्ध में मैं मौलाना अबुलकलाम आजाद के सलाह-मशविरे पर चल रहा था। आर्यसमाज की मांगों के लिये मुझे सहानुभूति थी। वे मांगें साधारण और जन्मसिद्ध अधिकारों के स्वरूप में थीं। मैं अपने दृष्टिकोण से सत्याग्रह के विरुद्ध था। इस दृष्टिकोण के हेतु मैंने आर्यनेताओं को बता दिये थे। "यह सत्याग्रह मेरे सत्याग्रह की अपेक्षा अधिक अच्छा नहीं, तो अधिक बुरा भी नहीं है", — उनके इस कथन ने मुझे निरुत्तर कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसी इच्छा न करें कि हम आपकी नवीन पद्धति और नवीन शक्तों का अवलम्बन करें। मुझे यह निश्चय हो गया कि बुद्धिवाद के अतिरिक्त कोई दूसरा दवाव उन पर डालना ठीक नहीं है। मेरी यह इच्छा थी कि जहां तक हो सके, निजाम सरकार के

लिए भी कोई अड़चन नहीं डालनी चाहिये । मुझे वहक्तिगत रूप से बड़ा आनन्द हो रहा है कि आर्य सत्याग्रह स्नेह भाव से स्थगित रखा गया । स्नेहभाव से ही इस समस्या के हल होजाने पर निजाम-सरकार और आर्यसमाज दोनों का मैं अभिनन्दन करता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त ने इस सम्बन्ध में जो उदार भावों से भरा हुआ वक्तव्य प्रकाशित किया है, उसीके अनुसार आर्यसमाज अपना कार्यक्रम बनायगा । इस युद्ध में दोनों पक्षों में काफी तनातनी पैदा हो गई थी, फिर भी यदि गुप्तजी के वक्तव्य की भावनाओं का अनुसरण करता हुआ आर्यसमाज कार्य करेगा तथा निजाम-दरवार भी अपनी प्रकाशित विज्ञप्ति की भावनाओं को सुरक्षित रख कर काम करेगा, तो यह तनातनी दूर हो जायगी और धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में फिर झगड़ा होने का कुछ भी कारण न रहेगा ।”

पं० जवाहरलालजी नेहरू ने ६ फरवरी को एक पत्र में लिखा था कि “मुझे यह प्रतीत होता है कि हैदराबाद राज्य में धार्मिक स्वाधीनता को अस्वीकार करते हुए आर्यसमाज के धार्मिक कृत्यों पर कतिपय अनुचित प्रतिबन्ध लगे हुए है और हमने यह तय किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में स्वतंत्र होना चाहिए ।”

इसी प्रकार सत्याग्रह की समाप्ति पर आपने लिखा था कि “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हैदराबाद में आर्य सत्याग्रह की लम्बी और दुःखद दास्तान खत्म हो गई । इसमें आर्यसमाज

को अपनी धार्मिक मांगों की पूर्ति के लिए बहुत भारी त्याग करना और कष्ट भेलना पड़ा है। वे मांगें अपने आप इतनी स्पष्ट थीं कि इनके विरोध में कही गई किसी बात में सहज विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये मांगें धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बंध रखती थीं। बहुत से लोगों ने बड़े राजनीतिक कारणों को लेकर हैदराबाद सत्याग्रह का विरोध किया था, किन्तु हमने ठीक ही कहा था कि जिस धार्मिक स्वतंत्रता के उद्देश्य से यह सत्याग्रह किया जा रहा था, वह बिलकुल ठीक था। ऐसे दुःखद कांड के संतोषपूर्ण हल पर आर्यसमाज और हैदराबाद सरकार दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं।” नेहरूजी के इन विचारों का महत्व इसलिए अधिक है कि आप इन दिनों में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के सभापति थे।

राष्ट्रपति मौलाना अब्दुलकलाम आजाद ने कहा था - कि “हैदराबाद में सत्याग्रह आंदोलन के एक वर्ग की ओर से प्रारम्भ किये जाने पर भी यह धार्मिक प्रकृति का आन्दोलन है। अपने मन्वव्य के लिए कष्ट भेलने वालों के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति हैं।”

अकाली नेता मास्टर तारासिंह ने लिखा था कि “अपने धार्मिक स्वाधीनता के युद्ध के लिए मैं आर्यसमाज को बधाई देता हूं।”

देसी राज्यों की प्रगति, जागृति एवं आन्दोलन में बहुत गहरी दिलचस्पी रखने वाले डा० पट्टाभि सीतारमैया ने कहा था कि “यदि आर्यसमाजी मित्र, जिनके धार्मिक स्वतन्त्रता के

दावे को अखिल भारतीय रियासत प्रजा परिषद् और कांग्रेस की आम राय की सद्भावना प्राप्त थी, यह महसूस करते हों कि उनकी मांगें मन्जूर हो गई हैं तो हम एक ऐसे मामले पर जो कि ऐसे अच्छे ढंग से समाप्त हो गया है, केवल सन्तोष ही प्रगट कर सकते हैं।”

देशभक्त डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त को एक पत्र में लिखा था कि—“हैदराबाद में आर्यसमाज को धार्मिक आजादी के लिये सत्याग्रह करना पड़ा, यही आश्चर्य की बात थी। पर जिस खुबी और संयम के साथ आपने इस संग्राम का संचालन किया, वह भी क्रम आश्चर्य की बात न थी। लोगों को कष्ट हुआ और कुछ भाइयों को जेल के अन्दर मरना भी पड़ा; मगर त्याग के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सत्याग्रह की सफलता तभी समझी जाती है, जब दोनों पक्षों को बधाई देने में जरा सा भी संकोच न हो। आर्यसमाज अपने त्याग, कार्य दक्षता तथा संयम के लिये और हैदराबाद राज्य उन मांगों को न्याय्य मानकर स्वीकार करने के लिये बधाई का हकदार है। इसलिये यह बड़े हर्ष और संतोष का समय है। मैं आशा करता हूँ कि जो जागृति इस समय पैदा हुई है, वह रचनात्मक काम में लगाई जायगी और उससे स्थायी कल्याण सिद्ध किया जायगा।”

स्वनामधन्य स्वर्गीय सेठ जमनालालजी बजाज ने भी गुप्तजी को अपने एक पत्र में लिखा था कि “जयपुर में बन्दी रहते हुए भी

मैं हैदराबाद आर्य सत्याग्रह की खबरों को ध्यानपूर्वक पढ़ता रहा। मुझे तो ताज्जुब था कि धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के लिये भी आर्यसमाज को हैदराबाद में इतनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। इसकी मुझे खुशी है कि आखिर आर्यसमाज की बातें स्वीकार हुईं। इस युद्ध को इतने त्याग, चातुर्य और संयम के साथ चलाने के लिये आपके जरिये मैं आर्यसमाज को हार्दिक बधाई देता हूँ। यदि निजाम सरकार आर्यसमाज की उन मांगों को पहिले ही स्वीकार कर लेती, तो बहुत अच्छा होता। न तो इतनी कुर्बानी होती और न इसके कारण कुछ स्थानों पर हिंदू-मुसलमानों के बीच वैमनस्य ही पैदा हुआ होता। परन्तु रियासतों की दुनिया तो तीन लोक से न्यारी है। यह भी सम्भव था कि अब भी हैदराबाद-सरकार न मानती और सत्याग्रह जारी रहता, जिसका परिणाम और भी भयानक हो सकता था। हैदराबाद सरकार ने ऐसा न होने देने में जिस नीतिमत्ता का परिचय दिया है, उसके लिए उसे भी बधाई दी जा सकती है। मुझे आशा है कि जनता को अन्य क्षेत्रों में उन्नत करने वाली अन्य संस्थाओं के लिए भी अब कोई रुकावट न रहेगी, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस तथा उसके कार्य पर भी कोई प्रतिबन्ध न रहेगा और वह अपने को रचनात्मक कार्य में भली प्रकार लगा सकेगी।”

शोलापुर आर्य सम्मेलन का सभापतित्व करने वाले श्रीयुत बापूजी अणे ने लिखा था कि “आर्यसमाजियों और हिन्दुओं की धार्मिक मांगों को पूरा करने में निजाम सरकार

और विशेषकर सर अकबर हैदरी ने जो समझौते की भावना प्रदर्शित की है, उसकी मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। निजाम सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, जिनकी आर्यसमाजी व्याख्या और स्पष्टीकरण चाहते थे। यह स्पष्टतया घोषित कर दिया गया है कि अब पूजा करने के अधिकारों, धार्मिक जलूसों, मन्दिरों के बनाने, प्राइवेट स्कूल खोलने और धार्मिक कृत्य करने पर किसी प्रकार की पाबन्दियां न होंगी। स्टेच्युटरी कमेटी के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है और धर्म विभाग को अपील करने के बजाय गृह विभाग को अपील करने की मांग भी स्वीकार कर ली गई है। यह ऐसी विजय है, जिस पर आर्यसमाज को गर्व करना बिलकुल उचित है। विज्ञप्ति के प्रकाशित होते ही आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा ने सत्याग्रह बंद करके सर्वथा उचित कार्य किया। हमें आशा रखनी चाहिए कि इस विज्ञप्ति से हैदराबाद रियासत में एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा और हमें धार्मिक पाबन्दियों तथा साम्प्रदायिक झगड़ों जैसी कोई शिकायत नहीं सुनाई देगी। मैं अन्त में उन सब हिन्दू, आर्य और सिक्खों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने धार्मिक अधिकारों के लिए इतने कष्ट भेले हैं और इस सङ्घर्ष को इस तरह की शानदार सफलता और सम्मानपूर्ण समझौते में समाप्त करने की कोशिश की है।”

दानवीर श्री जुगलकिशोरजी बिड़ला ने एक तार में अपने भाव निम्न शब्दों में प्रगट किए थे कि “हार्दिक बधाई। प्रभे

आशा है आपके सारे मुद्दे स्पष्ट हो गए हैं । राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से काश्मीर के मुसलमानों की तुलना में हैदराबाद के हिन्दुओं को सुधारों की घोषणा से कुछ भी नहीं मिला है ।”

समाचार पत्रों में आर्य सत्याग्रह की समाप्ति पर परम सन्तोष प्रगट करते हुए आर्यसमाज पर बधाइयों की वर्षा की गई थी । उनमें कुछ पत्रों के लेखों के कुछ ही अंश यहां दिए जासके हैं ।

लाहौर के “ट्रिब्यून” ने अपने मुख्य लेख में लिखा था कि “सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद सत्याग्रह बन्द कर दिया है, इससे समस्त भारतवर्ष सन्तोष की सांस लेगा । हम आर्यसमाजियों को उनकी शानदार विजय तथा निजाम सरकार को समझौते की भावना का परिचय देने पर बधाई देते हैं ।”

बम्बई के “फ्री प्रेस जरनल” ने लिखा था कि “आर्य सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने जो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया है, उसका खूब स्वागत किया जायगा । आठ महीने से भी अधिक समय तक आर्यसमाज ने अपने इस आंदोलन में बहुत बड़ा त्याग किया है । हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों के आधार पर आंदोलन के संगठित किये जाने से कांग्रेस अथवा कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं के लिए उसमें भाग लेना असंभव था । इस पर भी आर्य नेताओं ने इसका जिस उत्तमता से सञ्चालन किया, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है । इस आंदोलन में सर्वसाधारण के लिए जो

अपील थी और जिन प्रचुर साधनों से उसने काम लिया, उनका हैदराबाद राज्य तथा भारत के अन्य भागों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। उसकी गूँज कामन्स सभा में भी सुनाई दी। इंडिया आफिस की ओर से जो अस्पष्ट और अनिश्चित उत्तर दिये गये थे, उनसे जाहिर होगया था कि राज्य के अधिकारी कैसी परेशानी में फँसे हुए थे। आर्यसमाज को सार रूप में विजय प्राप्त हुई है, भले ही स्थूल रूप में प्राप्त न हुई हो।”

लखनऊ के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र “नेशनल हेरल्ड” ने लिखा था कि “सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ने निजाम सरकार के रुख का वही तत्परता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया है। १७ जुलाई के वक्तव्य में निजाम सरकार ने जो असमर्थनीय रुख धारण किया था, उसके विपरीत अब उसने सार्वजनिक शांति की सुरक्षा के साथ साथ अधिक से अधिक धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा की है। यह आशा रखनी चाहिये कि इस घोषणा के अमल में आने पर धार्मिक कृत्यों के प्रचार करने, निजी स्कूलों व धर्म मन्दिरों के खोलने में किसी को शिकायत का मौका न रहेगा। आर्य सत्याग्रहियों की हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उस कार्य के लिए कष्ट सहन किये हैं, जो शताब्दियों से मनुष्य की आत्मा को प्रिय रहा है और वह है अपने विश्वासों का प्रचार। उन्होंने कठिनाइयों, मुसीबतों तथा तङ्गियों के बावजूद भी अहिंसा व्रत की रक्षा की है और अपने भिन्न धर्मवालों का आदर प्राप्त किया है। स्वतन्त्रता का पक्ष धर्म और देश की सीमा से ऊपर होता है।”

नई दिल्ली के राष्ट्रीय पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने एक क्लम्बे अप्रलेख में लिखा था कि "सत्याग्रह आन्दोलन को बन्द करके सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने यह दिखला दिया है कि उसने निजाम को परेशानी में डालने अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की इच्छा से यह आन्दोलन शुरू नहीं किया था; अपितु इस आन्दोलन के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने का ही उसका भाव था। आर्यसमाज जिन बातों का स्पष्टीकरण चाहता था, उनको स्पष्ट कर देने से निजाम सरकार भी कम-धन्यवाद की पात्र नहीं है। समझौता हो जाने से अब सद्भावना से उसे कार्य में परिणत करना दोनों पक्षों का कर्तव्य है। आर्यसमाज मन्दिर खोलने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता आर्यसमाज की दो मुख्य मौलिक मांगें थीं। निजाम सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि इनके लिये पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। नियम, सिद्धान्त और कायदे कानून तभी ठीक मतलब रखते हैं, जबकि उनके अनुसार ठीक ठीक व्यवहार हो। अन्यथा वे कितने ही भले और बढ़िया क्यों न हों, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हमें आशा है कि निजाम सरकार स्वयं तो ऐसा करेगी ही और साथ ही अपने अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिये बाधित करेगी। यही आर्यसमाज पर भी लागू होता है। यदि आर्य जनता का भाव अपने नेताओं जैसा ही हुआ, तो निश्चय ही वे समझौते को सद्भावना से ही कार्यरूप में परिणत करेंगे। वर्तमान आन्दोलन की जितनी बड़ी विशेषता धार्मिक और

सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति कर लेना है, उतनी ही बड़ी सफलता 'सत्याग्रह' के अस्त्र की पवित्रता की रक्षा कर लेना है। हम पर इस घात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि तमाम आन्दोलन में, जिसमें दस हजार से ऊपर सत्याग्रही जेलों में गये, एक भी ऐसी मिसाल नहीं है, जबकि सत्याग्रह करते हुए अहिंसा के नियम का उल्लङ्घन किया गया हो। सत्याग्रह के संचालन में आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा को अपने अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे सज्जन मिले हुए थे, जो गांधीजी की सत्याग्रह की भावना में उतने ही दृढ़ हैं, जितने दृढ़ वे आर्यसमाजी हैं। अहिंसा व्रत की रक्षा बहुत बड़ी सफलता है, जिस पर आर्य-समाज जैसा सैनिक संगठन हार्दिक वयाई का पात्र है। हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह गांधीजी द्वारा प्रचारित और व्यवहृत सत्याग्रह की ही एक और विजय समझी जा सकती है।”

कलकत्ता के प्रख्यात राष्ट्रीय पत्र “हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड” ने लिखा था कि “जिस भाव में निजाम सरकार ने आर्यसमाज की मांगों का स्पष्टीकरण किया है, उसे हम स्वीकार करते हैं। हमें आशा है कि निजाम सरकार अपने भावी आचरण से उस कट्टर साम्प्रदायिकता का अन्त कर देगी, जो पचासी प्रतिशत हिन्दुओं से बसे हुए राज्य को ‘मुस्लिम राज्य’ के नाम से सम्बोधित करती है और जो यह मांग प्रस्तुत करती है कि वारह प्रतिशत के अल्पसंख्यक लोगों को हैदराबाद में परम्परागत राजनीतिक प्रभुता प्राप्त रहेगी, जिसका वे शताब्दियों से उपभोग करते आ रहे हैं। इस आशा से हम निजाम सरकार, हिन्दू

महासभा और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को इस संघर्ष की समाप्ति पर बधाई देते हैं ।”

इसी प्रकार की बधाइयां प्रायः सभी समाचार-पत्रों ने आर्यसमाज और आर्य नेताओं को दी थीं । आर्य सत्याग्रहियों ने जिस साहस, धैर्य, त्याग, कष्ट-सहन एवं सहिष्णुता का परिचय दिया और अपने आन्दोलन को सत्य एवं अहिंसा की मर्यादा में रखने के लिये जिस तत्परता से काम लिया, उसकी चारों ही ओर सराहना की गई । अन्त में समझौते की भावना से काम लेने के लिये निजाम सरकार को भी बधाई दी गई । लेकिन, यह नहीं कहा जा सकता कि सुधारों की घोषणा को जिस सद्-भावना और उदारता से काम में लाने की उससे आशा की गई थी, उसको उसने पूरा किया ।

११. सिंहावलोकन

क. विरोधी प्रचार

सत्याग्रह के चालू रहते हुये निजाम सरकार की ओर से जो मिथ्या एवं विरोधी प्रचार किया गया था, वह सत्याग्रह के बंद होने के बाद भी चालू रहा। उसका एकमात्र कारण यह जान पड़ता है कि आर्य सत्याग्रह की शानदार समाप्ति और नैतिक विजय से निजाम सरकार ऐसा भ्रम में पड़ी कि उसे अपनी भ्रम मिटाने के लिये उस विरोधी प्रचार को जारी रखना आवश्यक हो गया। सत्याग्रह को मुसलमानों के विरुद्ध बता कर उनकी भावनाओं को उभाड़ने के लिये किये गये यत्नों की चर्चा पीछे की जा चुकी है। इसी प्रकार इस सत्याग्रह को निजाम साहब के विरुद्ध बताकर उनके व्यक्तिव को भी बीच में व्यर्थ ही में घसीटा गया और यह बताया जाने लगा कि इसका उद्देश्य निजाम को गद्दी से उतारना और हैदराबाद में 'हिन्दू राज्य' की



निज़ाम राज्य के वीर नेता
परिंडत वंशीलालजी
(आर्य कांग्रेस शोलापुर के अवसर पर)

स्थापना करना था। आर्य सत्याग्रह के संचालकों और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने कदम कदम पर इस बात को बार बार दोहराया कि यह सत्याग्रह निज़ाम साहब के व्यक्तित्व के विरुद्ध नहीं है, न यह मुसलमानों के विरुद्ध है और न इसका राजनीति से अप्रत्यक्ष रूप से ही कुछ सम्बन्ध है। इस पर भी इस सत्याग्रह को हिन्दू महासभा के सत्याग्रह के साथ मिलाकर साम्प्रदायिक बताने से और स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ मिलाकर राजनीतिक रंग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। महात्मा गान्धी के परामर्श से सिर्फ इसलिये कि आर्यसमाज के धार्मिक और हिन्दू महासभा के सामाजिक सत्याग्रह के चलते हुये उसके बारे में कोई भ्रम पैदा न हो, स्टेट कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह हालांकि इन दोनों सत्याग्रहों के शुरू होने पर स्थगित कर दिया था, फिर भी इन तीनों को एक बताकर आर्य सत्याग्रह को बदनाम करने की कोशिशें बराबर की गईं। जो आर्यसमाजी नागरिक स्वतन्त्रता और उत्तरदायी शासन के आन्दोलन में दिलचस्पी रखने के कारण पहिले स्टेट कांग्रेस अथवा उसके सत्याग्रह में शामिल थे, वे अपनी धार्मिक स्वतन्त्रता एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिये जब इस सत्याग्रह में भी शामिल हुये, तब निज़ाम सरकार को इस मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण प्रचार के लिये एक और बहाना मिल गया। आश्चर्य तो यह है कि स्टेट कांग्रेस सरिखी विशुद्ध राजनीतिक संस्था में शामिल लोगों को साम्प्रदायिक बताकर उस द्वारा शुरू किये गये सत्याग्रह को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और आर्यसमाज

सरीखी विशुद्ध धार्मिक संस्था के सांस्कृतिक सत्याग्रह में शामिल लोगों को राजनीतिक बताकर उसे राजनीतिक रंग में रंगने का यत्न किया गया। लेकिन, दोनों ही प्रयत्न इसलिये सफल नहीं हुये कि दोनों ने एक दूसरे को स्वतः ही मिथ्या साबित कर दिया। आर्यसमाज एवं उसके सत्याग्रह का, सच तो यह है कि, इससे गौरव बढ़ा और सर्वसाधारण में यह भावना पैदा हुई कि जो कार्य स्टेट कांग्रेस महात्मा गान्धी का आशीर्वाद प्राप्त करके भी न कर सकी थी, वह आर्यसमाज ने तब कर दिखाया, जबकि उसको कांग्रेस किंवा गान्धीजी का आशीर्वाद एवं समर्थन भी प्राप्त न था। निजाम राज्य की प्रजा में पैदा हुई जागृति का सम्बन्ध राष्ट्रीय महासभा 'कांग्रेस' के साथ जोड़ते हुये गान्धीजी को भी इसमें घसीटने की जो निन्दनीय चेष्टा की गई है, उसकी चर्चा या विवेचन करने का यह प्रसंग नहीं है। लेकिन, यह कौन नहीं जानता कि आर्य नेता यत्न करके भी गान्धीजी को अपने सत्याग्रह से सहमत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सके। इस स्थिति में भी आर्यसमाज और आर्य सत्याग्रह को राजनीतिक बताकर बदनाम करने की निरन्तर कोशिश की गई।

आर्य सत्याग्रह के वाद आर्यसमाज ने अपने को शिक्षा एवं धर्म प्रचार के ठोस कार्य में लगाकर वितण्डावाद से इसलिये मुंह मोड़ लिया कि उसका उद्देश्य व्यर्थ की कटुता, द्वेष एवं विरोध पैदा करना नहीं था और न वह व्यर्थ के किसी विवाद में ही उलझना चाहती थी; लेकिन, कुछ मुसलमान लेखकों ने

‘मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त’ की लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुये कुछ पुस्तकों आर्य सत्याग्रह के बाद भी प्रकाशित की हैं। हिन्दी में भी दो-एक पुस्तिकायें निकाली गई हैं। पुस्तकों की भाषा, शैली और विचारसरणि को देखते हुये इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं रहता कि ये सब किसी एक ही इशारे पर विशेष मतलब से लिखी गई हैं। इनमें से अनेक नादान दोस्तों ने तो यहां तक स्वीकार किया है कि वे अपनी पुस्तक इसलिये लिख रहे हैं कि निजाम सरकार की चुप्पी का अर्थ कहीं “मौन-मर्धस्वीकारे” न लगा लिया जाय और यह न मान लिया जाय कि जो दोष या आरोप उस पर लगाये जा रहे हैं, वे सब ठीक हैं। निजाम सरकार को निर्दोष साबित करने के जोश में उन्होंने उसकी स्थिति को नितान्त दयनीय बना दिया है। आसफ़ज़ाही राज्य के गीत गाते हुये उन्होंने पुराने नवाबों के जिन फ़रमानों का उल्लेख किया है, राज्य की जिन पुरानी परम्पराओं की चर्चा की है और राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क के अपने वक्ताधिकारियों के नाम जारी किये गये जिन आदेशों की चर्चा की है, उनसे निजामशाही की वर्तमान रीति-नीति एवं शासन-पद्धति को सर्वथा निर्दोष बताने का यत्न करना एकदम ही निरर्थक है। इसी प्रकार कानून की पुस्तकों में लिखे हुये कानूनों की दुहाई देकर शासन की नीति को सर्वथा निरपेक्ष बताने का यत्न करना भी व्यर्थ है। प्रश्न यह नहीं है कि राज्य के कानून कैसे हैं ? लेकिन, प्रश्न यह है कि उन कानूनों को किस भावना से कार्य में परिणत किया जाता है ? जिन साधारण अकसरों के

हाथों में उनको कार्य में परिणत करने का कार्य सौंपा जाता है, वे कहीं अन्ध पक्षपात के शिकार होकर राज्य को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं और राज्य की प्रजा में ईर्ष्या-द्वेष एवं कलह के बीज तो नहीं बखेर रहे हैं ? फिर, नवाब साहब के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा की जाती है, उनके ककीराना रहन-सहन का उल्लेख किया जाता है और उनकी आकांक्षाओं को बताने के लिये उनके फरमान पेश किये जाते हैं। आर्यसमाज के सत्याग्रह का परोक्ष रूप से भी जब नवाब साहब के व्यक्तित्व से कुछ भी सम्बन्ध न था, तब इन सब बातों की चर्चा करना क्या अर्थ रखता है ? आर्य सत्याग्रह को निरर्थक सिद्ध करने के ये सब प्रयत्न इतने निरर्थक हैं कि उनकी आलोचना करना भी व्यर्थ है। सितम्बर १९३७ में नियुक्त की गई उस रिफार्म कमेटी को भी चर्चा की गई है, जिसने पूरे एक वर्ष बाद ३१ अगस्त १९३८ को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कहा यह गया है कि सत्याग्रह शुरू करने वालों ने इसके परिणामों की भी प्रतीक्षा नहीं की। आर्यसमाज का सत्याग्रह जिन धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये शुरू किया गया था, इसमें भारी सन्देह है कि वे अधिकार इस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल भी थे कि नहीं ? जब सत्याग्रह के बाद भी उनके लिये स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया, तब सत्याग्रह न होने की अवस्था में जो भी कुछ हुआ होता, उसका अनुमान सहज में जगया जा सकता है। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जिन सुधारों को कार्य में परिणत नहीं किया गया है, उन पर आश्रित रहकर आर्यसमाज के लिये

अपनी शिकायतों को दूर करा सकना संभव न था। इन सुधारों की एक ही धारा से स्थालीपुलाकन्याय से निजाम राज्य की शासन-नीति का पूरा परिचय मिल जाता है। इस सुधार-योजना में स्वीकार की गई संयुक्त निर्वाचन की पद्धति के तो गीत खूब गाये गये हैं; लेकिन, चारह प्रतिशत आवादी के मुसलमानों को पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना जिस नीति एवं मनोवृत्ति का द्योतक है, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि रस्सी के जल जाने के बाद भी उसकी ऎंठन नहीं गई।

सत्याग्रह के सम्बन्ध में यह कितनी विचित्र बात कही गई है कि "यह आन्दोलन उतना ही जल्दी और एकाएक शुरू किया गया था, जितना कि यह अनपेक्षित था। भावावेश में बहने वाले ब्रिटिश भारत के लोगों के दिमाग में इसकी कल्पना पैदा हुई थी और सड़कों के चौराहों पर सुनी या कही जाने वाली उन गप्पों पर इसकी आधारशिला रखी गई थी, जिनमें निजाम राज्य में हिन्दुओं पर होने वाले निराधार एवं तथाकथित अत्याचारों का अतिरंजित चित्र खींचा गया था। प्रायः हर आन्दोलन का कोई न कोई वैध पहलू रहता ही है और जब वह असफल हो जाता है, तो दुःखी दल को कोई उग्र कार्यवाही करने का मार्ग स्वतः ही सूझ जाता है। हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में कोई भी वैध आन्दोलन नहीं किया गया था। इस लिये वहां जो उग्र कार्यवाही सत्याग्रह के रूप में की गई, उसको न्याय्य नहीं ठहराया जा सकता था।" इसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है। पिछले पृष्ठों में यह बताया जा चुका है

कि आर्यसमाज कब से अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये वैध आन्दोलन करने में लगा हुआ था ? सारे वैध उपायों के विफल हो जाने के बाद ही उसको सत्याग्रह के उग्र मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा था । १९३२ से आर्यसमाज ने ७—८ वर्षों तक विशुद्ध वैध मार्ग का बड़े धैर्य के साथ अवलम्बन किया था । इस लिये आर्यसमाज के सत्याग्रह के विषय में यह कहना सर्वथा मिथ्या है कि वह एकाएक अनपेक्षित रूप में शुरू किया गया था ।

निजाम सरकार के नादान दोस्तों ने यह भी बताने या दिखाने का यत्न किया है कि शुरु शुरु में आर्यसमाज को एक धार्मिक एवं समाज-सुधारक संस्था मान कर निजाम राज्य में उसका स्वागत किया गया था और यह समझा गया था कि वह राज्य की ८६ प्रति सैकड़ा आबादी में धार्मिक जागृति एवं समाज सुधार का कुछ ठोस कार्य कर सकेगी । बाहर के उपदेशकों अथवा प्रचारकों पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था । लेकिन, शिया-सुन्नी-भगड़ों को लेकर यह रोक सबसे पहिले मुसलमान प्रचारकों के विरुद्ध लगाई गई थी । साम्प्रदायिक दंगों से मजबूर होकर उसे दूसरों के विरुद्ध भी लगाना पड़ गया । लेकिन, आर्यसमाज को शिकायत यह है कि ये प्रतिबन्ध आर्यसमाज के उपदेशकों किंवा प्रचारकों पर इस सखती से लगाये गये कि उसके लिये अपना साधारण कामकाज करना भी कठिन हो गया । आर्यसमाजियों की संख्या में हुई वृद्धि को पेश करके यह बताने का यत्न किया गया है कि

यदि उन पर किसी प्रकार की रोक या प्रतिबन्ध होता, तो इस प्रकार उनकी संख्यावृद्धि न हुई होती । कहा जाता है कि ३५ वर्ष पहिले निजाम राज्य में उनका कहीं नामनिशां भी न था । १६२१ में उनकी संख्या केवल ५४५ थी, १६३१ में वह ३७०० पर पहुंच गई । इस समय उनकी संख्या १०००० से ऊपर है । वास्तव में निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के हिसाब के अनुसार वह एक लाख के लगभग है । सच्चाई तो यह है कि आर्यसमाजियों की इस बढ़ती हुई संख्या से निजाम सरकार के धर्मान्ध मुसलमान, जिनमें पक्षपात से मदान्ध मुस्लिम अफसर भी शामिल थे, घबरा उठे और उन्होंने आर्यसमाज के साधारण कामकाज में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिये । जब वैध उपायों से उन्हें दूर न किया जा सका, तब आर्यसमाज को इस अन्तिम उपाय का अवलम्बन करना पड़ गया । वैध उपायों की विफलता का यह सहज और स्वाभाविक परिणाम था ।

आर्य सत्याग्रह को बदनाम करने के लिये सत्याग्रहियों का विश्लेषण भी अजीब ढङ्ग से किया गया है । निजाम के एक नादान दोस्त ने यह बताने का यत्न किया है कि “कुल ६५०० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गए थे, जिनमें से ४०० स्टेट कांग्रेस, १६०० हिन्दू महासभा और ७६०० आर्यसमाज की ओर से जेल गये थे । इनमें से अनेक बीमार, अशक्त, अन्धे और अपंग थे । बहुत से उनमें से अपना धन्धा कुछ भी न बता सके । बहुत से सत्याग्रह करने से पहिले एकदम बेकार थे । ६०० तो नाबालिग थे, जिनकी आयु १० से १५ वर्ष तक की

थी। अनेक इतने बूढ़े थे कि जेल का साधारण जीवन भी उनके लिये इतना कठोर था कि उनको कुछ ही दिनों में रिहा कर देना पड़ा। कुछ इतने बीमार थे कि उनको जेल में रखना अमानुष प्रतीत हुआ और उनको भी छोड़ दिया गया। ऐसों की संख्या दो हजार से कम न थी। उनकी शिक्षा भी बहुत मामूली थी। तीन चौथाई तो पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ केवल पढ़ तो लेते थे, पर लिखना नहीं जानते थे। अंग्रेजी पढ़े-लिखे तो बहुत ही कम थे। हैदराबाद के बारे में उन्हें कुछ भी पता न था। वे यह समझे हुये थे कि निजाम में नाज़ी हकूमत है, वहां बड़े-बड़े नज़रबन्द कैम्प हैं और मन्दिरों का फूंकना तथा मूर्तियों का फोड़ना वहां की प्रतिदिन की साधारण घटनायें हैं। लेकिन, जब उन्होंने यहां की वास्तविक स्थिति देखी, तो लगभग २५०० ने अर्थात् २५ प्रति सैंकड़ा ने माफ़ी मांग ली।” एक और ने भी इसी प्रकार का चित्र खींचते हुये लिखा है कि “लगभग एक सौ सत्याग्रहियों को यह भी पता न था कि सत्याग्रह क्या है ? उसके ध्येय, आदर्श और फलितार्थों का भी उन्हें कुछ पता न था। उन्होंने गलतफहमी, वहकावे, भुलावे, भूठे वायदे, धोखे, ठगी और भूठी बातों में आकर सत्याग्रह किया था। अनेक सत्याग्रह के लिये नहीं आये थे; बल्कि बतौर मिशनरी के धर्म-प्रचार करने के लिये ही सत्याग्रही दलों में शामिल हुए थे। कुछ नौकरी के फिराक में थे और उनको उसके लिए वायदा भी किया गया था। लेकिन, उनको क्या पता था कि उन्हें जेल में जाना होगा। उन्हें ऐश-आराम और आमोद-

प्रमोद के सरसब्ज बाग दिखाये गए थे । जेलों में भी उनको पड़रस भोजन और टोस्ट आदि का लालच दिया गया था । सुप्त की सैर और धन का भी प्रलोभन दिया गया था । फलों फूजों से लदे हुए बगीचों में रहने, नदियों में तैरने और आराम के दिन बिताने के उनको सुनहरे दृश्य दिखाये गए थे ।
अनेक इतने बूढ़े थे कि वे मृत्यु के द्वार पर खड़े थे । उनका शरीर सर्वथा अशक्त था । बीमारियों ने उनको घेरा हुआ था । बच्चों को अपने घरों से भगाकर यहां लाया गया था ।” दस हजार में निजाम राज्य के सत्याग्रहियों की संख्या दो हजार बताई जाती है, जब कि कुछ लोग केवल छः सौ बताते हैं । यह सारा विवरण काफ़ी मनोरंजक है । इसी लिए इसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है । यह पहिला संगठित सत्याग्रह था, जिसमें आर्यसमाज के चोटी के विद्वान्, नेता, लेखक, उपदेशक, प्रोफेसर, अध्यापक आदि शामिल हुए थे । उसका इस प्रकार उपहास करना चन्द्रमा पर थूकने का यत्न करने के समान है । केवल आर्यसमाज के ही कुल १०५७६ सत्याग्रहियों में निजाम राज्य के सत्याग्रह करने वाले सत्याग्रहियों की संख्या ३२४६ थी और निजाम राज्य के स्वर्गीय जज श्री केशवरावजी के सुपुत्र आठवें सर्वाधिकारी बैरिस्टर विनायकरावजी विद्यालंकार के साथ में सत्याग्रह के लिये प्रस्तुत तीन हजार सत्याग्रहियोंमें पन्द्रह सौ सत्याग्रही निजाम राज्य के थे । इन सचाइयों पर इस प्रकार परदा नहीं डाला जा सकता ।
 सरकार के आश्रित जीवन बिताने वाले कुछ ऊंचे दरजे

के हिन्दुओं का नाम लेकर, उनके वक्तव्य उद्धृत करके और उनके निर्णयों को पेश करके निजाम सरकार ने अपने को निरपेक्ष बनाने का जो यत्न किया है, वह वैसा ही उपहासास्पद है, जैसे कि आज कल ब्रिटिश भारत में वायसराय की कौंसिल के भारतीय सदस्यों के नाम लेते हुए भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। महाराज सर किशनप्रसाद बहादुर के व्यक्तित्व का अनादर न करते हुये भी हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि उनका नाम लेकर निजाम सरकार के लिए अपना समर्थन करना वैसा ही उपहासास्पद प्रयत्न है, जैसा कि माननीय वापूजी शरणे का नाम लेकर ब्रिटिश सरकार अपना समर्थन कर रही है। हिन्दू-मुसलमानों के त्यौहारों के इकट्ठा आजाने पर जो प्रतिबन्ध हिन्दुओं पर लगाये गए हैं, उनके लिये भी उस कमेटी का नाम लिया जाता है, जो १८३५ में नियुक्त की गई थी और जिसमें राजा शिवराज बहादुर, राजा गिरधारीप्रसाद बहादुर और श्री रघुनाथराव तीन हिन्दू सदस्य थे और श्री रसूल यार खां एक मुस्लिम सदस्य थे। इसने यह फैसला दिया था कि “(१) सब हिन्दू अपने धार्मिक कृत्य अपने घरों के भीतर ही करें; (२) जो बगीचों में जाकर कोई कृत्य करना चाहें, वे बिना किसी गाजे-बाजे के ही वैसा करें; (३) भक्तम्मा की सवारी न निकाली जाय और घरों के भीतर भी छोटे-छोटे देवालियों में गाना बजाना न किया जाय; (४) बड़े-बड़े देवालियों में, जिनके चारों ओर ऊंची दीवारें हों, साधारण बाजे के साथ हिन्दू पूजा आदि कर सकते हैं, किन्तु

देवालयों के बाहर उनको बिलकुल भी नहीं आना होगा; (५) देवालय के भीतर होने वाली पूजा में मुसलमानों को हस्तक्षेप न करना होगा; (६) जो भी हिन्दू या मुसलमान इसका उलङ्घन करेगा, उस पर मुकदमा चलाया जायगा।” उक्त कमेटी की ये सिफारिशें निज्जाम सरकार के मुख को उज्वल न करके उसको लज्जित करने वाली हैं. क्योंकि इनसे हिन्दुओं की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और यह मालूम होता है कि निज्जाम राज्य के ज़हरीले वातावरण में ऊँचे कहे जाने वाले हिन्दुओं का कितना भीषण नैतिक पतन हो गया था ? उनका स्वाभिमान नष्ट होकर, उनके हृदयों में अपने धार्मिक त्यौहारों, अधिकारों एवं पूजा-पाठ के लिये कितना स्थान रह गया था ? आर्यसमाज को यह अनुभव हुआ कि सत्याग्रह किए बिना इस ज़हर को दुम्ना कर वातावरण को शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसी लिए उसको त्याग, तपस्या एवं बलिदान के इस कठोर मार्ग का अवलम्बन करना पड़ गया।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दी गई तरजीह का जो कारण बताया गया है, वह भी बड़ा ही उपहासास्पद है। व्यापार-व्यवसाय और कृषि आदि पर हिन्दुओं का एकाधिकार बता कर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि विचारे मुसलमानों के जीवन-निर्वाह का एकमात्र साधन सरकारी नौकरियाँ हैं और हिन्दू उनको हड़पना चाहते हैं। लेकिन, आर्यसमाज के सिरे यह दोषारोपण भी मढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके सत्याग्रह का लक्ष्य आर्यसमाजियों अथवा हिन्दुओं के लिए

सरकारी नौकरियां प्राप्त करना न था। ब्रिटिश भारत में भी कभी उसकी ओर से ऐसी कोई मांग पेश नहीं की गई, तब निजाम राज्य में तो उसके लिए ऐसा करना सम्भव ही न था।

ख. कुछ आक्षेप

ऐसे विरोधी प्रचार के साथ साथ सत्याग्रह के संचालकों अथवा सत्याग्रह पर कुछ भीषण आरोप किंवा आक्षेप करने में भी कोई कसर नहीं रहने दी गई। एक तरफ तो यह दिखाया जाने लगा कि आर्य सत्याग्रह में निजाम राज्य के हिन्दुओं ने कोई हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि 'सत्याग्रह का उद्देश्य मुस्लिम राज को नष्ट करके हिन्दू राज कायम करना था। समाज ने तो राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुओं को एक सूत्र में पिरोने का यत्न किया और हिन्दू सभा ने शिवाजीके दिनों की याद दिलाकर उनकी भावनाओं को हिन्दू साम्राज्य कायम करने के लिये अपना आन्दोलन चलाया। दोनों आन्दोलनों को समानान्तर रूप से चलाते हुए तथाकथित धार्मिक असहिष्णुता के अतिरंजित चित्र खींचते हुए 'हिन्दू धर्म खतरे में' का नारा बुलन्द रखा गया।' सच तो यह है कि इसके ठोक विपरीत 'इस्लाम खतरे में' 'इस्लाम के किले पर हमला' और 'मुसलमानों के विरुद्ध जहाद' के नारे लगाकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आर्यसमाज और आर्य सत्याग्रह के विरुद्ध भड़काया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थान स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे एवं उपद्रव हुए। फिर, यह कहा गया है कि 'आर्य-

समाज और हिन्दू सभा विशुद्ध पूंजीवादी संस्थायें हैं, जो कि आम जनता का राज कायम न करके ऊंची जमात वाले हिन्दुओं का हैदराबाद में राज कायम करने के यत्न में थीं।" आर्यसमाज को न तो पूंजीवाद से मतलब था और न हैदराबाद के ऊंची जमात वालों से ही। जिस धार्मिक स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए उसने सत्याग्रह शुरू किया था, उसका सीधा सम्बन्ध आम जनता के साथ था। महाराज सर किशनप्रसाद बहादुर सरीखे ऊंची जमात के लोगों के नाम लेकर जब निजाम सरकार राज्य के सारे ही हिन्दुओं को सत्याग्रह के विरुद्ध अपने साथ बताने का दावा करती है, तब उसको आम जनता अथवा ऊंची जमात के लोगों के 'हिन्दू राज' के कायम होने का भय क्या हो सकता है? लेकिन, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। जिनके दिमाग में मुस्लिम राज की कल्पना घर किये हुए है, उनकी आंखों के सामने हिन्दू राज का भय नाचता हो, तो आश्चर्य क्या है? स्टेट कांग्रेस द्वारा की गई 'उत्तरदायी शासन' की मांग को भी हिन्दू सभा और आर्यसमाज के सिर मढ़कर उसका अर्थ यह किया गया है कि ये संस्थायें इस प्रकार शासन की सत्ता अपने हाथों में लेकर कुछ मुट्ठीभर पैसे वालों के लिये आम हिन्दू-मुसलमानों का शोषण करना चाहती हैं। लेकिन, निजाम सरकार के इन नादान दोस्तों को यह क्या पता कि उत्तरदायी शासन में ऐसे शोषण के लिए नाममात्र की भी गुञ्जाइश नहीं है और उसमें तो वह शोषण भी मित जायगा, जिसके बल पर निजाम साहब संसार-

के सबसे बड़े धनकुबेर बन बैठे हैं। इस भय से यदि आर्यसमाज पर यह लाञ्छन लगाया जाता हो, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

यह सिद्ध करने के लिए आकाश-पाताल एक किया गया है कि यह आन्दोलन बाहरवालों का शुरू किया हुआ था। कहा यह जाता है कि यदि प्रजा को वास्तव में ही ये सब शिकायतें होतीं, जिनको लेकर सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो कभी का विद्रोह मच गया होता। यह निजाम सरकार के लिए शोभा की नहीं; बल्कि कलङ्क की ही बात कही जा सकती है। जिस राज्य में प्रजा की भावनाओं को इस दुरी तरह कुचला जा सकता है, उसके लिए अभिमान करने को क्या रह जाता है? सबसे पहिले १९३२ के अक्टूबर मास में निजाम के आर्यसमाजियों का एक शिष्टमण्डल निजाम सरकार के पोलिटिकल सेक्रेटरी से मिला था और निजाम राज्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा पर ही २ सितम्बर १९३४ को सारे देश में पहिली बार 'हिंदरावाद-दिवस' मनाया जाकर आर्यसमाजियों ने निजाम सरकार के प्रति अपनी शिकायतों को पेश किया था। १९३३ में श्री वंशीलालजी पर अपने दस आर्यसमाजी साथियों के साथ मुकद्दमा चलाया गया था, जिसमें उनको २०-२० का जुर्माना किया गया था। संवर्ष का सूत्रपात यहां से होने के बाद भी उसे बाहरवालों का सत्याग्रह बताना क्या अर्थ रखता है? निजाम सरकार के एक नादान दोस्त ने स्वीकार किया है कि "सरकारी कागजों से यह पता चलता है कि राज्य के निवासी सत्याग्रहियों की संख्या

२० सैकड़ अर्थात् पांच पीछे एक से अधिक नहीं थी। जून १६३६ के अन्त तक उनकी संख्या आठ हजार थी, जिनमें रियासती सत्याग्रही १६०० से अधिक नहीं थे।” इसके विपरीत आर्यसमाज का दावा है कि वे इससे कहीं अधिक थे। लेकिन, १६०० संख्या भी क्या कम है ? इसकी भी सहज में उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह आक्षेप तो एक दम ही मिथ्या और निराधार है कि “धार्मिक जागृति और समाज सुधार की सीमा को लांघ कर आर्यसमाज ने अपने को गरमागरम राजनीति और साम्प्रदायिक मामलों में उलझा दिया। शस्त्रास्त्रों के साथ जलूस निकाले जाने लगे, कानूनों की अवज्ञा की जाने लगी, हुक्मों का उल्लङ्घन किया जाने लगा, रियासत के विरुद्ध घृणा एवं द्वेष फैलानेवाला प्रचार किया जाने लगा, राज्य में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों में परस्पर घृणा फैलाई जाने लगी और दूसरे धर्मों पर हमले करते हुए प्रचार किया जाने लगा। इस प्रकार स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते हुए एक सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलन ने अपने को राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक हलचलों में लगा कर परस्पर घृणा-द्वेष फैलाने में लगा दिया।” कभी ब्रिटिश भारत में भी आर्यसमाज को इसी दृष्टि से देखा जाता था और राजनीतिक जागृति का सारा दोष उसी के सिर मढ़ते हुए उसको राजनीतिक ही नहीं, बल्कि राजद्रोही संस्था बनाने का भी यत्न किया गया था। कहा गया था कि आर्यसमाज भी सिक्ख सम्प्रदाय के समान राजनीतिक संस्था बनता जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों ने अन्त में अपनी इस भूल को स्वीकार किया। लेकिन, निजाम राज्य के नादान दोस्त आज भी उसी भूल की पुनरावृत्ति करने में लगे हुए हैं। आर्य सत्याग्रह से वे और भी अधिक बौरवला उठे और आपे से वाहर होकर उन्होंने आर्यसमाज के बारे में कुछ भी ऊलजलूल बकना और कहना शुरू कर दिया है।

आर्यसमाज ने जो चौदह मांगें निजाम राज्य के सम्मुख पेश की थीं; उनका भी काफी मजाक या उपहास किया गया है। यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि, आर्यसमाज की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई। यदि कोई आर्यसमाजी भाई असन्तुष्ट होकर कुछ आलोचना करें, तो वह समझ में आ सकती है; लेकिन, निजाम राज्य के नादान दोस्तों द्वारा की गई आलोचना का अर्थ सिवाय इसके क्या हो सकता है कि निजाम सरकार ने अपनी सुधार-योजना और उसका स्पष्टीकरण करके आर्यसमाज की मांगों की पूर्ति का जो भरोसा दिलाया, वह सर्वथा मिथ्या था। निजाम राज्य पर ही इस प्रकार मिथ्या व्यवहार करने का आरोप लगाकर ये लोग उसकी जो वकालत कर रहे हैं, वह इतनी थोथी और निकम्मी है कि, उसका किसी पर भी प्रभाव पड़ना संभव नहीं है। फिर, इन मांगों की अयथार्थता को भी सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह भी कहा गया है कि दिसम्बर १९३८ के 'सफेद पत्र' के बाद इ. मांगों के पेश करने की जरूरत ही न थी। मुख्य प्रश्न अधिकारियों की इस मत्तोवृत्ति का था, जिससे प्रेरित होकर सरकारी

कानूनों और हुक्मों पर आचरण किया जाना था। आर्यसमाज की मुख्य शिकायत इन अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण दुर्ब्यवहार की ही थी। यदि आर्यसमाज के इतने त्याग और कष्ट सहन के बाद भी इन अधिकारियों का हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ, तो कहना होगा कि इनके हाथों में शासन का काम सौंपना किसी भी राज्य के लिये शोभास्पद नहीं हो सकता। आर्यसमाज में इस बात की काफ़ी चर्चा है। पंजाब प्रान्तीय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री खुशहालचन्द जी खुरसंद ने बरेली में १९४० में हुये आर्य स्वराज्य सम्मेलन के सभापति के पद से दिये गये अपने भाषण में इसकी चर्चा करते हुये बहुत साफ़ शब्दों में कहा था कि कहीं आर्यसमाज को फिर से सत्याग्रह शुरू करने के सम्बन्ध में विचार न करना पड़े।

ग. थोथी सफ़ाई

निजाम राज्य की ओर से इसी प्रकार इन नादान दोस्तों ने थोथी सफ़ाई देते हुये यह बताने की कोशिश की है कि आर्य सत्याग्रह बिना किसी कारण के यों ही शुरू कर दिया गया था। इन लोगों की ओर से दिये गये युक्तिवाद का सार यह है कि “दो बातें साफ़ हैं। एक तो यह कि बाहरी प्रचार एवं प्रकाशन के आधार पर सत्याग्रह जबरन निजाम राज्य के हिन्दुओं पर थोपा गया था और दूसरी यह कि आर्यसमाज का पहिले ही से निजाम राज्य में काफ़ी जोर था, इसलिये उसका यह कहना सर्वथा निराधार था कि उसके प्रचार में निजाम सरकार की ओर से अड़चने पैदा की जाती हैं।” पहिले अध्याय के शुरू

में की गई चर्चा को यहां फिर से दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। आर्यसमाज के प्रचार और प्रतिदिन के कामकाज में डाली जाने वाली अड़चनों की वहां हम विस्तार से चर्चा कर आये हैं। 'हवन कुण्ड' तक का बनाया जाना वहां आपत्तिजनक माना जाता था, निजी स्कूलों की स्थापना पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगे हुये थे, निजी स्थानों पर देव की प्रतिष्ठा कर देवालय बनाना अपराध माना जाता था और मुहर्रम के साथ दसहरे का अवसर आ जाने पर सारी कठोर शर्तें सिर्फ हिन्दुओं पर ही लगाई जाती थीं, वहां इन और ऐसी शिकायतों के विरुद्ध किये गये इतने महान् आन्दोलन को बाहर वालों की प्रेरणा से अथवा बिना किसी कारण के किया गया बताना क्या अर्थ रखता है ?

हिन्दू महासभा की ओर से नागरिक स्वतन्त्रता के लिये और स्टेट कांग्रेस की ओर से उत्तरदायी शासन के लिये किये गये सत्याग्रहों को भी इसी प्रकार व्यर्थ, निरर्थक एवं अकारण बताने का यत्न किया गया है। निज्जाम राज्य की वर्तमान सामन्तशाही को, जो सोलहवीं सदी की सामन्तशाही से भी गयी-बीती है, उत्तरदायी शासन से अच्छी बताना क्या अर्थ रखता है ? चावल के पानी को दूध बताकर कुछ समय के लिये कुछ लोगों को ठगा जा सकता है; लेकिन, निज्जाम सामन्तशाही को उत्तरदायी शासन बताकर किसी को भी ठग सकना असम्भव है। रात को दिन बताने के समान यह नितान्त उपहासास्पद प्रयास है। इसी से जाना जा सकता है कि जो लोग स्टेट कांग्रेस के राजनीतिक,

हिन्दू महासभा के सामाजिक और आर्यसमाज के धार्मिक एवं सांस्कृतिक सत्याग्रह के विरुद्ध निजाम राज्य की ओर से सफाई देने में लगे हुये हैं, उनका यह प्रयास कितना मिथ्या एवं उपहासास्पद है ? नागरिक स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध, निजी स्कूलों की रजिस्ट्री कराने के लिये बनाये गये कानून, धार्मिक एवं सामाजिक कृत्यों पर लगाई गई रोक, धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा की गई हत्याओं, राज्य के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और धर्म विभाग की अनुदार नीति आदि के बारे में भी जो थोथी सफाई दी गई है, उसके विस्तार में जाने की यहां आवश्यकता नहीं है। यथास्थान इन विषयों की चर्चा की जा चुकी है। उसका विष्टपेक्षण करना प्रायः निरर्थक ही होगा। आश्चर्य तो यह है कि प्रजा की धार्मिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये किये गये अपहरण और प्रतिबन्धों के समर्थन में बार बार 'शान्ति' और 'सुरक्षा' की दुहाई दी जाती है। लेकिन, सवाल यह है इन प्रतिबन्धों के बाद भी क्या आर्य-हिन्दू-नेताओं पर हमले नहीं किये गये ? शहीद धर्मप्रकाश तथा शहीद वेदप्रकाश की हत्याओं और साम्प्रदायिक दंगों की जो सफाई दी गई है, वह इतनी लचर है कि उस पर विश्वास होने के बजाय हंसी आती है। सरकारी नौकरियों के आंकड़ों में जहां मुसलमानों की, आबादी बारह सैंकड़ा होते हुए भी, अधिकता पाई जाती है, वहां यह कहा जाता है कि उनके लिए सिवाय इस नौकरी के आजीविका का दूसरा उपाय ही क्या है ? कृषि, व्यापार एवं व्यवसाय पर हिन्दुओं का

एकाधिकार बता कर सरकारी नौकरियां मानो मुसलमानों के लिए ही सुरक्षित कर दी गई हैं। निज़ाम सरकार के एक नादान दोस्त ने लिखा है कि “मर्दुमशुमारी की संख्याओं से यह देखा जा सकता है कि हिन्दुओं की बहुत भारी संख्या २१७०८ गांवों में फैली हुई हैं और वे आर्थिक दृष्टि से कम लाभप्रद शहरों की सरकारी नौकरियों की अपेक्षा कृषि तथा गांवों के अन्य धंधों को ही पसंद करते हैं। जो हिन्दू शहरों में रहते हैं, वे व्यापार, बैंक और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद वकालत तथा डाक्टरी आदि को सरकारी नौकरी की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अवसर मिल जाने पर भी लाभ का क्षेत्र विलकुल ही सीमित है। मुसलमानों की स्थिति यह है कि उनमें व्यापार-व्यवसाय के लिए दुःसाहस करने की प्रवृत्ति नहीं है। वे विचारे चपरासी से लेकर ऊपर तक की सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर हैं।” इसका सीधा अर्थ यही है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी नौकरियों पर मुसलमानों का ही एकाधिकार है। लेकिन, उसको छिपाने के लिये जिस युक्तिवाद का सहारा लिया गया है, वह कितना उपहासास्पद है ? इसी प्रकार उस्मानिया यूनीवर्सिटी की शिक्षा-सम्बन्धी नीति और सरकार की उर्दू को प्रोत्साहन देने वाली प्रवृत्तियों का समर्थन ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम से किया जाता है। हिन्दू मन्दिरों और हिन्दू संस्थाओं के नाम पुराने समय से चली आ रही जागीरों का उल्लेख करके यह बताया जाता है कि निज़ाम राज्य का व्यवहार, कितना उदार और निष्पद

है ? छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों में लगे हुए हिन्दुओं की विशेष कर गांधी के पटेल-पटवारी आदि की संख्याएं देकर यह सिद्ध करने का यत्न किया जाता है कि हिन्दुओं का भी सरकारी महकमों पर काफी प्रभुत्व है। जिस धर्म-विभाग की रीति-नीति के विरुद्ध आर्यसमाज को सबसे अधिक शिकायत है, उसका समर्थन यही कह कर किया जाता है कि उसका सीधा सम्बन्ध नीचे के जिन अफसरों के साथ है, उनमें अधिकांश हिन्दू ही हैं। वैसे तो निजाम राज्य की आबादी देखी जाय, तो ८६ सैकड़ा हिन्दू है। लेकिन, इस अत्यधिक बहुमत के आधार पर आर्यसमाजियों अथवा हिन्दुओं की शिकायतों को निराधार नहीं बताया जा सकता। सत्याग्रह की सफलता के बाद इस थोथी सफाई का पेश करना और भी अधिक वेकार एवं निरर्थक है। माफ़ी मांग कर आने वालों अथवा सरकार को प्रशंसा-पत्र देने के लिए ही बाहर से बुलाये गए लोगों के वक्तव्यों को खूब तूल दिया गया है। उनके आधार पर दी गई सफाई की चर्चा करना तो एकदम ही वेकार एवं निरर्थक है।

घ. विजय किसकी ?

इस विषय पर बहुत बहस की गई है कि इन तीनों सत्याग्रहों किंवा इस आन्दोलन में विजय किसकी हुई ? आर्यसमाज ही नहीं, बल्कि हिन्दू महासभा और स्टेट कांग्रेस का भी इस सम्बन्ध में काफी मजाक उड़ाया गया है। आर्यसमाज की मांगें बिलकुल साफ़ शब्दों और स्पष्ट रूप में पेश कर दी गई

थीं। इस लिये उसका उपहास विशेष रूप में किया गया है। निजाम राज्य के एक नादान दोस्त ने उनका विश्लेषण निम्न प्रकार किया है:—

- (१) गश्ती नं० ५३ पहिले ही रह की जा चुकी है। इस समय की गश्ती में यह साफ कर दिया गया है कि वह धार्मिक सभाओं पर लागू नहीं होगी। इस लिये स्थिति यथापूर्व है।
- (२) सार्वजनिक धार्मिक प्रार्थना स्थानों के बारे के कानूनों को रह करने के सम्बन्ध में सलाहकार समिति की नियुक्ति का वायदा किया गया है।
- (३) अखड़ों के सम्बन्ध में भी स्थिति पहिले जैसी ही है। इनका उद्देश्य शारीरिक उन्नति करना न था; बल्कि साम्प्रदायिक दंगों के लिए अपने सम्प्रदाय के लोगों को तय्यार करना था। सार्वजनिक शान्ति के लिए उनका अस्तित्व खतरनाक था। इस लिए उनका दमन न करके उन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था की गई थी।
- (४) निजी स्कूलों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना जरूरी था। इस लिये उनकी स्थापना के लिए अनुमति लेने के बजाय सूचनामात्र देना पर्याप्त समझा गया था।
- (५) निष्पक्ष कमीशन द्वारा साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जांच की मांग नामजूर कर दी गई। कई मामलों में सरकारी जांच की गई। अनावश्यक जांच से अनावश्यक ईर्ष्या-द्वेष पैदा होने का भय था।

- (६) बाहर के प्रचारकों पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय। कानून की अवज्ञा करने वालों पर मुकद्दमा चलाया जाय। निर्वासन की पुरानी आजायें रद्द की जाय। यह मांग आंशिक रूप में ही मंजूर की गई। अनुकूल वातावरण पैदा होने पर निर्वासन के पुराने हुक्म वापिस लेना मंजूर किया गया।
- (७) और (८) मांगें बहुत ही साधारण-सी थीं। पुस्तकों पर जांच के बाद ही रोक लगाई जाती थी और समाचार-पत्रों के बारे में नया कानून बनाया जा रहा है।
- (९) हिन्दू-मुसलमानों के त्यौहार इकट्ठे पड़ने पर हिन्दुओं को त्यौहार मनाने की स्वाधीनता के बारे की मांग का पूरा किया जाना केवल स्थानीय जनता की सद्भावना पर निर्भर है। इस लिए वह भी नामंजूर कर दी गई।
- (१०) आर्यसमाजों और हवन कुण्डों की स्थापना के बारे में कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं रही।
- (११) जेलों में कैदियों को मुसलमान न बनाये जाने की मांग मिथ्या साबित हुई।
- (१२) सरकारी नौकरी में लगे हुये आर्यसमाजियों एवं हिन्दुओं को सिर्फ धर्म की वजह से तङ्ग किए जाने के सम्बन्ध में की गई मांग भी निराधार सिद्ध हुई।
- (१३) प्रार्थना गृहों पर धार्मिक झण्डे फहराने में कभी कोई आपत्ति नहीं की गई।

(१४) गुलबर्गा, निज़ामाबाद और हैदराबाद के दंगों की जांच की मांग नामंजूर की गई ।

निज़ाम सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि उसने अपनी सुधार-योजना द्वारा आर्यसमाज की सब मांगों को पूरा कर दिया है । फिर, सुधार योजना के सम्बन्ध में उठाई गई आशंकाओं का स्पष्टीकरण करके इस दावे को और भी अधिक पुष्ट किया गया है । लेकिन, निज़ाम सरकार के नादान दोस्त उसके ऐसे सब दावों पर हरताल फेरने में लगे हुए हैं । वे एक एक बात को लेकर यह साबित करने में लगे हुए हैं कि न तो निज़ाम सरकार ने आर्यसमाज की किसी मांग को पूरा किया और न किसी मांग में कोई यथार्थता ही थी । आन्दोलन के प्रारम्भ को जितना अकारण और निराधार बताने का यत्न किया गया है, उससे कहीं अधिक व्यर्थ और निरर्थक उसकी सफलता को बताया जा रहा है । ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि सत्याग्रही के लिए वह सफलता भी कुछ कम नहीं है, जो इन नादान दोस्तों के हिसाब के अनुसार चौदह में से सात मांगों के मंजूर किए जाने पर आर्यसमाज को अपने आन्दोलन में प्राप्त हुई । आर्यसमाज इस पर भी विजय-महोत्सव मना सकता था । लेकिन उसके लिए तो यह आदर्श है कि “फल की कभी इच्छा मत करो ।” गीता के ‘मा फलेषु कदाचन’ और “मा कर्मफल हेतु भूः” के उपदेश को सामने रख कर अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होने वाले आर्यसमाजियों के लिये “विजय किसकी ?” यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है । उसको तो उन्होंने

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उस समय के प्रधान श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त के आदेशानुसार "इदमग्नये इदं न मम" के आदर्श का पालन करते हुए प्रभु के हाथों में छोड़ दिया और वे भविष्य के लिए भी अपने कर्तव्य-पालन में लग गए। लेकिन, निजाम राज्य के नादान दोस्तों ने यह ढिंढोरा पीटना शुरू किया हुआ है कि "इस सारे आन्दोलन से निजाम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई सुधार या परिवर्तन नहीं हुआ। उसके शुरू होने से पहिले ही इन सुधारों का फैसला कर लिया गया था। आज भी राज्य में जो नागरिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह वहां सदा से ही थी और राज्य की विचारशील एवं कृतज्ञ प्रजा उसके लिये सदा से ही आभारी थी।" मानो, इस सत्याग्रह अथवा आन्दोलन से निजामराज्य की जैसे नाक ही कट गई हो और ये नादान दोस्त उसको किसी प्रकार जोड़ने में लगे हुए हों। लेकिन, उसके लिए यह उपाय नहीं है। इससे तो उसके किए-कराये पर पानी फेर कर ये लोग उसे बदनाम करने में ही लगे हुए हैं।

निजाम राज्य के सुप्रसिद्ध आर्य नेता और निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के सुयोग्य उपप्रधान पण्डित दत्तात्रेय-प्रसाद जी बक्रील हाईकोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी में सब गढ़बड़ों के किए जाने के बाद भी निजाम राज्य में आर्यों की संख्या एक लाख से अधिक है। १९३१ में यह संख्या राज्य के हिसाब से केवल ३७०० थी और आजकल १०००० से भी अधिक है। तीन से इस संख्या का

दस से ऊपर और निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के हिसाब से सौ से भी ऊपर पहुँच जाना साधारण बात नहीं है । यह कितनी बड़ी सफलता है ? कौन यह कह सकता है कि यह आर्यसमाज के सत्याग्रह का शुभ परिणाम नहीं है ? उसके लिए यदि 'विजय' शब्द का भी प्रयोग किया जाय, तो उसे कौन अनुपयुक्त कह सकता है ? लेकिन, विजय की भावना और भाषा को काम में लाना सत्याग्रह के धार्मिक एवं सात्विक स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल है । सत्याग्रह को समाप्त करते हुए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने आत्म संयम से काम लेते हुए धार्मिक भावना से सत्य एवं अहिंसा का अधिक कठोरता के साथ पालन करने का आदेश दिया था । इस इतिहास के इन पृष्ठों में भी उस आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है । इस लिए हम उस भावना से बिलकुल भी काम नहीं लेना चाहते, जिसका परिचय निजाम राज्य के नादान दोस्तों ने बात बात में दिया है ।

निजाम राज्य में ही क्यों, सारे ही दक्षिण में इस समय आर्यसमाज का जो सुसङ्गठित कार्य एवं प्रचार हो रहा है अथवा इससे पहिले होने वाले कार्य एवं प्रचार को जो स्फूर्ति, शक्ति एवं उत्तेजना मिली है, वह भी इसी सत्याग्रह का परिणाम है । निजाम राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा का शोलापुर में अपना प्रेस 'आर्य प्रेस' के नाम से चल रहा है और एक साप्ताहिक पत्र भी 'आर्य भानु' के नाम से निकलता रहा है । यह पत्र पहिले दैनिक के रूप में 'दिग्विजय' और फिर साप्ताहिक के रूप में


‘विवृति’ के नाम से निकलता रहा है। यह पत्र अब हैदराबाद से निकल रहा है। ‘केशव मैमोरियल हाईस्कूल’ की स्थापना भी की जा चुकी है, जिसके भवन के लिये दो लाख की रकम जमा की गई है। धार्मिक शिक्षा और हिन्दी माध्यम इसकी विशेषताएँ हैं। ४०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और १४ अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं। निजाम राज्य प्रतिनिधि सभा के आधीन ४५ उपदेशक प्रचार-कार्य में लगे रहे हैं। ६२ के लगभग अवैतनिक उपदेशक भी हैं। १९४० में १२८ गांवों में प्रचार किया गया। १३ पाठशालाओं और ३८ रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की गई। ‘सिद्धांत प्रभाकर परीक्षा’ का सिलसिला शुरू किया गया, जो आर्यसमाजों के पदाधिकारियों के लिये आवश्यक है। शोलापुर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज और उपदेशक विद्यालय की स्थापना की गई है। यह सब कुछ आर्य सत्याग्रह का परिणाम है, जिसे उसकी सफलता के रूप में निश्चय ही पेश किया जा सकता है।

निजाम राज्य में ही नहीं; बल्कि सारे ही देश में इस सत्याग्रह से आर्यसमाज के सम्मान एवं गौरव की वृद्धि हुई है। आर्य-हिन्दू-जनता को उससे जो आशाएँ थीं, उनको उससे बल मिला है। आज पहिले की अपेक्षा आर्यसमाज की ओर वे अधिक आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सनातनियों और आर्य-समाजियों के बीच की खाई को बहुत दूर तक पाटने का कार्य इस सत्याग्रह से हुआ है। यह भी असाधारण सफलता है, जिसकी कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसमें सन्देह नहीं कि इस सत्याग्रह के बाद भी अनेक स्थानों पर कुछ भीषण काण्ड हुए हैं। सामूहिक रूप से आर्य-हिन्दू-जनता पर भयानक आक्रमण किये गये हैं। बीदरका अग्नि-काण्ड, गुरुमटकल का साम्प्रदायिक दङ्गा और औरादशाहजादी की लूटमार ऐसी घटनाएं हैं, जिनमें आर्यों और सनातनियों पर भयानक अत्याचार और घोर अन्याय किया गया है। बीदर में सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद आर्यसमाजियों के निर्दोष साबित किये जाने पर भी उनके विपरीत मुसलमानी पत्रों में खूब शोर मचाया गया और 'चोरी और सीनाजोरी' वाला किस्सा किया गया। गुरुमटकल में आर्यसमाजियों को फंसाकर उनके विरुद्ध मुकद्दमे चलाये गए, जिनमें निजाम राज्य-आर्य प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान श्री दत्तात्रेयप्रसादजी ने पैरवी की और सभा ने पैसा भी खर्च किया। इस समय भी कुछ आर्य जेलों की हवा खा रहे हैं और उनको संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। लेकिन, इस सबका तात्पर्य यह नहीं है कि सत्याग्रह-से कुछ भी हाथ नहीं लगा। सत्याग्रह से राज्य का वातावरण काफी बदल गया है। आर्य-हिन्दू जनता में उत्साह, साहस एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है। उनके मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। वे पहिले के समान 'आउट-ला' (Out-Law) नहीं रहे हैं। उनमें शक्ति, बल, वीर्य, तेज एवं ओज का विशेष रूप से संचार हुआ है। कांग्रेस सरीखी शक्तिसम्पन्न संस्था को भी यदि इतने महान् त्याग, बलिदान और कष्ट-सहन करने

पर भी आज फिर कठोर अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा है, तो आर्यसमाज को भी यदि इस सत्याग्रह में इतना उत्सर्ग करने पर भी कठोर अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ रहा है, तो इसमें आश्चर्य क्या है ? प्रगति एवं जागृति के पथ पर आम जनता को अग्रसर करने वाली हर संस्था को एक ही बार नहीं; बल्कि हर कदम पर धधकते हुये अंगारों से ढके हुये मार्ग को नंगे पैरों पार करने को मजबूर होना पड़ता है। आर्यसमाज की आधारशिला त्याग एवं बलिदान की नींव पर रखी गई है। इसी से उसके संस्थापक ऋषि दयानन्द सरस्वती, उसके पोषक आर्यपथिक पण्डित लेखरामजी और उसके निर्माता अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज के समान सैंकड़ों आर्यसमाजियों ने आत्मोत्सर्ग के मार्ग का हंसते-खेलते अवलम्बन किया है। इस सत्याग्रह में भी दो दर्जन के लगभग आर्य वीरों ने आत्मोत्सर्ग की वेदि पर अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिये आत्मोत्सर्ग की ओर संकेत करने वाली घटनाओं से घबराने का कोई कारण नहीं है। वे तो स्फूर्ति, चेतना, प्रेरणा, जागृति और प्रगति का सन्देश लेकर आती हैं। उस सन्देश को सुनना जिनका परम कर्तव्य है, वे कब उससे विमुख हो सकते हैं ? लेकिन, प्रत्येक आर्य को अन्तर्मुख होकर इस प्रश्न पर कुछ गम्भीर विचार करना चाहिये कि गुरु तेगबहादुरजी के महान् आत्मोत्सर्ग का सिक्ख समाज पर जैसा अद्भूत प्रभाव पड़ा था और उनके अपूर्व बलिदान से जैसे वह अनुप्राणित हुआ था, क्या वैसे ही आर्यसमाज को भी इन सब महान् बलिदानों से

प्रभावित एवं अनुप्राणित नहीं होना चाहिये ? हर आर्य-समाजी के अन्तरात्मा से इस प्रश्न के मिलने वाले उत्तर पर इस सत्याग्रह की वास्तविक सफलता निर्भर करती है। यदि 'विजय' शब्द का प्रयोग सत्याग्रह के साथ किया जा सकता है, तो वह भी इसी पर निर्भर है।



लेखक की अन्य पुस्तकें



१. 'स्वामी श्रद्धानन्द'—रियायती मूल्य २), ६४८ पृष्ठों में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज की सुविस्तृत, पूर्ण और प्रामाणिक जीवनी दर्जनों चित्रों के साथ दी गई है।

२. हमारे राष्ट्रपति—मूल्य १), चार सौ पृष्ठों में कांग्रेस के सभी सभापतियों का जीवन-परिचय चित्रों के साथ दिया गया है। तीसरा संस्करण छपने को है।

३. परदा—दर्जनों चित्र व कार्टून, २५० पृष्ठ, सुनहरी जिल्द, मूल्य २।।)। परदा-प्रथा के विरुद्ध समाज-सुधार-सम्बन्धी हिन्दी साहित्य में यह एक ही पुस्तक है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का "श्री राधामोहन गोकुलजी पुरस्कार" इसी पुस्तक पर दिया गया है। मूल्य २।।)।

४. राष्ट्र-धर्म—पृष्ठ १२५, मूल्य १।।); सामाजिक क्रान्ति पर यह अनूठी पुस्तक है। इस समय अप्राप्य है।

५. लाला देवराज—पृष्ठ २८५, मूल्य १); स्त्री-शिक्षा के प्रवर्तक और जालन्धर की सुप्रसिद्ध संस्था 'कन्या महाविद्यालय' के संस्थापक लाला देवराजजी का जीवन-परिचय। अनेकों चित्र।

६. राष्ट्रवादी दयानन्द—पृष्ठ १३६; मूल्य ॥१॥); आर्यसमाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द के राष्ट्रवाद पर यह अत्यन्त सुन्दर, उत्कृष्ट और ओजस्वी पुस्तक है; जिसकी प्रशंसा प्रायः सभी आर्य नेताओं ने की है।

७. आर्य सत्याग्रह—(प्रस्तुत पुस्तक)

८. गुरिल्ला लड़त—पृष्ठ संख्या लगभग १००—मूल्य ॥१॥); गुरिल्ला लड़ाई पर हिन्दी में यह पहिली ही पुस्तक प्रकाशित की गई है।

गीता विज्ञान कार्यालय,
४० ए हनुमान रोड़, नई दिल्ली।

